प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के पहले और दूसरे अध्याय में 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा से उद्‌भूत प्रकरणों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ समाविष्ट हैं।

3. तीसरे अध्याय में विभिन्न विभागों में निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख किया गया है जबकि चौथे अध्याय में लोक निर्माण, सिंचाई, स्वायत्त निकायों और विभागीय रूप में चल रहे वाणिज्यिक उपक्रमों की लेखापरीक्षा के साथ ही लेन देनों की लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का उल्लेख है। पाँचवे अध्याय में राज्य में चयनित विभागों में विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर अभ्युक्तियों का वर्णन किया गया है।

4. सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उद्‌भूत अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन और राजस्व प्राप्तियों पर ऐसी ही अभ्युक्तियों वाले प्रतिवेदन पृथक से प्रस्तुत किये गये हैं।

5. प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रकरण उन प्रकरणों में से हैं जो वर्ष 2004-05 के दौरान लेखाओं की नमूना जाँच के समय जानकारी में आये, साथ ही वे प्रकरण भी हैं जो पूर्व वर्षों में जानकारी में आ चुके थे किन्तु पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में उन पर कार्यवाही नहीं की जा सकी, 2004-05 के पश्चात की अवधि से संबंधित प्रकरण भी आवश्यकतानुसार सम्मिलित किये गये हैं।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में वर्ष 2004-2005 के लिए मध्यप्रदेश सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखे पर अभ्युक्तियों सहित दो अध्याय और चार समीक्षाएं, दो लंबी केंडिकाएं और चयनित कार्यक्रम तथा योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा, साथ ही सरकार के वित्तीय लेनदेन की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बंधित 27 कंडिकाओं के साथ अन्य तीन अध्याय सम्मिलित हैं।

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के लिए निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की गयी है। लेखापरीक्षा के नमूने सांख्यिकीय नमूना पद्धति के आधार पर तथा विवेचना आधारित आलेखित किये गये हैं। समीक्षाओं में कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लिए स्वीकृत विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति उल्लिखित की गई है। लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सरकार की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आलेखित एवं अनुशंसित किये गये हैं।

राज्य की वित्तीय स्थिति एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं का सारांश नीचे दिया जा रहा है:

1. राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति

राजस्व व्यय 4 प्रतिशत तक कम हो गया जबकि राजस्व प्राप्तियों में 38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार ने 1717 करोड़ रुपये का अधिक राजस्व प्राप्त किया। राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का मुख्य कारण था करविहीन राजस्व में 29.82 करोड़ रुपए का बढ़ जाना। वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं आर्थिक सहायता में वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 64 प्रतिशत उपभुक्त हुआ। राजकोषीय दायित्व धीरे-धीरे बढ़ रहा था और इनका अनुपात इस तरह था कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में ऋण की निरन्तरता संकट की स्थिति में आ गयी।

सांविधिक निगमों, कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों में सरकारी निवेश का प्रतिलाभ नगण्य रहा और सरकार ने घाटा उत्पन्न करने वाले निगमों तथा कम्पनियों में निवेश करना जारी रखा।

सरकार ने इन कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त उनके द्वारा उठाये गये कर्जों के लिए अधिकांश को गारंटी देने के अलावा, कर्जे तथा अग्रिम और साथ ही आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करायी। 2000-

2005 के दौरान, निवेश के लिए उधार ली गयी पूंजी पर ब्याज तथा उन पर प्रतिलाभ के बीच अन्तर बढ़ गया था।

(कण्डिका 1.1 से 1.10)

2. आबंटनीय प्राथमिकतायें एवं विनियोग

43732.16 करोड़ रुपए के कुल विनियोग के विरुद्ध, वर्ष 2004-2005 के दौरान वास्तविक व्यय 34475.66 करोड़ रुपए था जिसके परिणामस्वरूप 9256.50 करोड़ रुपये की बचत हुई। वर्ष के दौरान 50 मामलों में लिया गया 437.18 करोड़ रुपए का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। 19 मामलों में, विभिन्न केन्द्रीय योजनाओ के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ एवं अधिक रुपए का कुल 135.15 करोड़ रुपए का संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रह गया। 46 योजनाओं में, प्रत्येक में पाँच करोड़ रुपए या अधिक तथा प्रावधान के 80 प्रतिशत से अधिक की कुल 3719.98 करोड़ रुपए की प्रचुर बचतें हुईं।

वर्ष के दौरान सरकार का व्यय 15 अनुदानों/विनियोगों में बजट प्रावधान से 83.67 करोड़ रुपए अधिक हुआ। वर्ष 1993-1994 से 2003-2004 तक से संबंधित कुल 5004.17 करोड़ रुपए के आधिक्य नियमित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2005)। 8 मामलों में 48.40 करोड़ रुपए का व्यय बिना बजट प्रावधान के किया गया था।

स्थानीय निकाय/संस्थाओं को सहायता अनुदान पर किया गया 30 करोड़ रुपए का प्रावधान तथा 27.60 करोड़ रुपए का व्यय गलत रूप से वर्गीकृत किया गया और राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजी अनुभाग के अंतर्गत लेखे में लिया गया।

(कण्डिका 2.1 से 2.7)

3. उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियम तथा नियमों का क्रियान्वयन

भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के हितों की बेहतर सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, लागू किया गया था। मध्यप्रदेश में इस अधिनियम के क्रियान्वयन की समीक्षा से प्रकट हुआ कि न्यायाधिकरण में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं तथा कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराये गये। उपभोक्ताओं के बीच जागरुकता उत्पन्न करने के लिए कार्य योजना/नीति तैयार नहीं की गयी। 21 जिलों तथा 3 नये

जिलों में नियमित जिला न्यायाधिकरण स्थापित नहीं किये गये। राज्य आयोग की क्षेत्रीय खण्डपीठ स्थापित नहीं की गयी। 4 जिला न्यायाधिकरणों में जिला न्यायाधिकरण के सदस्य नियुक्त नहीं किये गये, जबकि 15 जिला न्यायाधिकरणों में सदस्य का एक पद रिक्त था। चूंकि राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद नियमित रूप से क्रियाशील नहीं थी, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद निष्क्रिय थी।। उपभोक्ताओं में व्यापक जागरूकता तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए जागृति शिविर योजना कार्यान्वित करने और जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये।

(कंडिका 3.1)

4. मण्डी निधियों तथा मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण (किसान सड़क निधि) से प्राप्त ऋणों से सड़कों का उन्नयन एवं सुधार

राज्य में सड़कों की खराब स्थिति और विशेषतः सड़कों के सुधार एवं रख रखाव के लिए निधियों की नितान्त कमी को देखते हुए सरकार ने राजमार्गों के सुधार तथा रख रखाव के लिए मण्डी निधियों (कृषि उपज मण्डी बाजार क्षेत्र के लिए सड़कों के विकास हेतु निर्मित) का उपयोग करने का निर्णय किया (सितम्बर 2001) तदनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा 648.97 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मार्च 2003 के अंत तक पूरा करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन्नयन/सुधार हेतु 5839.95 किलोमीटर लम्बाई सहित विभिन्न प्रकार की 323 सड़कों को लिया गया था। तथापि, मार्च 2005 तक 568.90 करोड़ रुपए का व्यय करने के बाद 4876.90 किलोमीटर लम्बाई की केवल 230 सड़कें ही पूरी हो सकी थीं। कार्य निष्पादन कम था क्योंकि कार्य की पूर्णता, निर्धारित कार्यक्रम से पीछे रह गयी थी। 3.75 मीटर चौड़ाई की सड़कों के चयन के मानक का पालन नहीं किया गया और एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. के निर्देशों के अनुसार नहीं हुआ। अवमानक कार्य स्वीकृत किये जाने तथा दरों के दोषपूर्ण तरीके से लागू किये जाने के कारण ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान के मामले भी थे।

(कंडिका 3.2)

5. समेकित बाल विकास सेवाओं का क्रियान्वयन

महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने, महिलाओं के कल्याण से सम्बंधित कानून एवं योजनाओं के बारे में जागृति उत्पन्न करने और बच्चों के शारीरिक मानसिक पोषण के स्तर में सुधार करने तथा कुपोषण से बचाव की दृष्टि से विभाग द्वारा समेकित बाल विकास योजना क्रियान्वित की जा रही थी। तथापि, इस योजना के क्रियान्वयन का प्रभाव बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर न्यूनतम ही रहा क्योंकि राज्य में 55 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित थे। पोषण आहार के लिए अपर्याप्त बजट प्रावधान तथा जिला कार्यालयों को निधियां विलम्ब से जारी किये जाने के कारण राज्य में 52 से 62 प्रतिशत तक बच्चे तथा 46 से 59 प्रतिशत तक गर्भवती तथा धात्री महिलाएं पूरक पोषण आहार से वंचित रहीं। पोषण आहार के अवमानक स्तर की प्राप्ति एवं प्राप्ति में निर्धारित तरीके की अनदेखी करने के उदाहरण भी देखे गये। बड़ी संख्या में पद रिक्त बने रहे और अनुचित जनशक्ति योजना से क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन तथा परिवीक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ा। राशन परिवहन पर ईंधन प्रभार के भुगतान के परिणामस्वरूप 15.22 करोड़ रुपए का अनुचित तथा परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 3.3)

6. पशु एवं भैंस प्रजनन एवं राष्ट्रीय परियोजना का क्रियान्वयन

भारत सरकार ने पशु एवं भैंस प्रजनन के लिए भारत सरकार से शत प्रतिशत सहायक अनुदान के साथ राष्ट्रीय परियोजना की एक योजना, संचालन की स्थिरता एवं स्तरीय प्रजनन की उपलब्धि तथा सेवाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनायी थी (1997) कृत्रिम गर्भ-रोपण केन्द्रों/कार्यकर्ताओं को उपकरण प्रदाय करने में कमी एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कम संख्या के कारण प्रथम चरण के लिए निर्धारित कृत्रिम गर्भ-रोपण लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप 23 प्रतिशत (विभाग) तथा 73 प्रतिशत निजी कार्यकर्ताओं के कृत्रिम गर्भ-रोपण में कमी हुई। एल.एन.-2 के भण्डारण एवं परिवहन के लिए प्राप्त 62.37 लाख रुपए की सीमा तक आधारभूत संरचना अनुपयुक्त बनी रही। विशिष्ट प्रजनन केन्द्रों के लिए प्राकृतिक सेवा हेतु सांड़ खरीदा जाना अपेक्षित था, जबकि 3.78 करोड़ रुपए मूल्य के 5349 सांड़ व्यापारियों से खरीदे गये और उनकी निष्पादकता का अभिलेख नहीं रखा गया

(कंडिका 3.4)

7. कोषालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान

राज्य सरकार के सिविल पेंशन भोगियों को सार्जनिक क्षेत्र के बैंको के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 1977 में आरंभ की गयी थी। नमूना जाँच से पता चला कि यह योजना, कोषालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, दोनों ही स्तरों पर, योजना में निर्धारित पद्धति एवं तरीके से क्रियान्वित नहीं की जा रही थी। निर्धारित पद्धति का पालन नहीं किया जाना तथा अभिलेख नहीं रखा जाना पाया गया। पेंशन, पेंशन के सारांशीकृत मूल्य के अधिक भुगतान, निर्धारित तारीखों के उपरांत परिवार पेंशन का अनियमित भुगतान के मामले भी देखे गये। भुगतान करने वाली शाखाओं द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में मासिक पेंशन भुगतान तालिकाएं भी नहीं रखी जा रही थीं। पेंशन भुगतान आदेशों पर पेंशन के आबंटन का अभिलेख नही होने के कारण बैंकों की भुगतान शाखाओं द्वारा, मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच बंटवारें की पेंशन को मध्यप्रदेश के नामे किया जा रहा था। संचालनालय के स्तर पर छानबीन तथा मूल्यांकन किया जाना तथा सुदृढ़ता के लिए कोषालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आंतारिक लेखापरीक्षा किये जाने की आवश्यकता है।

(कंडिका 3.5)

8. चिकित्सा शिक्षा विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज्य में चिकित्सा शिक्षा का प्रसार एवं सुधार करने के लिए सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन से विभाग में निष्प्रभावी तथा कम नियंत्रण प्रणाली का पता चला है। सरकार ने उन महाविद्यालयों के कामकाज पर भारी खर्च करना जारी रखा, जो समितियों को हस्तांतरित किये जा चुके हैं, यद्यपि उनके द्वारा सेवा शुल्क छात्रों की फीस के लेखे में अर्जित किया गया 56.68 करोड़ रुपए का राजस्व समितियों के द्वारा ही रखा जा रहा था। अस्थायी पदों को जारी रखने के लिए स्वीकृति के बिना ही वेतन एवं भत्तों पर अनियमित रूप से व्यय किया गया। कर्मचारियों के वेतन से अंशदायी भविष्य निधि के लिए अंशदान नहीं काटा जा रहा था।

अस्थायी अग्रिमों को समायोजित नहीं किये जाने तथा निधियों का उपयोग नही किये जाने के मामले भी देखे गये। विभाग प्रमुख तथा महाविद्यालय प्रमुखों द्वारा विभागीय निरीक्षण की प्रणाली में कमी देखी गयी। 21.09 लाख रुपए मूल्य की खरीदी गयी औषधियों के वर्गानुसार नमूने, नियंत्रक खाद्य एवं औषधि द्वारा प्रयोगशाला में जाँचे/परीक्षित नहीं किये गये। आंतरिक नियंत्रण शाखा अपर्याप्त थी क्योंकि 70 इकाइयों में से किसी की भी लेखापरीक्षा नहीं करायी गयी थी।

(कंडिका 5.1)

9. लेनदेन लेखापरीक्षा के परिणाम

सरकार के विभिन्न विभागों तथा उनके क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की नमूना जाँच के अधीन, वित्तीय लेन देन की लेखापरीक्षा से 32.44 करोड़ रुपए से अधिक की हानियाँ अथवा निरर्थक व्यय निम्नानुसार प्रकट हुए:-

ब्लॉक एवं जनपद पंचायत, चंदेरी में जारी अन्तरण दर्शाने तथा रोकड़ पुस्तिका में आहरण लेखाबद्ध नहीं करने के कारण 35.20 लाख रुपए का सम्भावित गबन देखा गया था।

नर्मदा घाटी विकास विभाग में विशिष्टता के प्रति लगाव न होने, समाप्त मदों इत्यादि के लिए दरों का नियमन नहीं होने तथा 31.09 करोड़ रुपए की नामे योग्य अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं होने के कारण 5.47 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान हुआ। यह प्रारम्भिक माप को बढ़ाकर दिखाया जाने के कारण संभव हुआ।

लेखापरीक्षा में 3.53 करोड़ रुपए का व्यर्थ एव निष्फल व्यय देखा गया। व्यर्थ व्यय के इन मामलों में सम्मिलित हैं, (1) सीमेंट कंक्रीट निर्माण इकाई इटारसी जून 1998 से जुलाई 2005 के बीच तथा हरदा में मई 1998 में बंद होने के बावजूद निष्क्रिय अमले पर वेतन एवं भत्तें पर किये गये 92.51 लाख रुपए के निष्फल व्यय का मामला और (2) पूर्व में किये गये सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग नहीं किये जाने के कारण 1.03 करोड़ रुपए का व्यर्थ व्यय।

संविदात्मक शर्तों के उल्लंघन हुए थे, जिनके कारण 3.41 करोड़ रुपए का अतिरिक्त एवं अनधिकृत व्यय किया गया। इनमें, विशिष्टता हासिल नहीं किये जाने के कारण 78.34 लाख रुपए लागत के अवमानक कार्य स्वीकृत किये जाने के दो मामले और

59.89 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत वसूल न किया जाना सम्मिलित है।

लेखापरीक्षा को 6.89 करोड़ रुपए के व्यय सहित परिहार्य/अधिक/निष्फल व्यय के उदाहरण भी मिले।

इनमें, सभी कोषालयों को संचालनालय से तथा वित्त विभाग से जोड़ने के लिए रखे गये कम्प्यूटरों की प्राप्ति पर किए गए 1.30 करोड़ रुपए के निष्फल व्यय का एक मामला सम्मिलित है।

इसके अतिरिक्त, 11.07 करोड़ रुपए के अनधिकृत व्यय का नियामक प्रकरण भी समाविष्ट था। इनमें, सड़कों के कार्य निष्पादन, चौड़ीकरण तथा मजबूत बनाने के लिए निर्धारित विशिष्टताएं प्राप्त न किये जाने के कारण 1.19 करोड़ रुपए लागत के सड़क निर्माण कार्य के समयपूर्व असफल हो जाने का मामला शामिल है।

(कंडिका 4.1 से 4.5.6)

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

पहला अध्याय

राज्य सरकार की वित्त व्यवस्था

सारांशतः

मध्य प्रदेश का तुलनात्मक दृष्टि से सुखद वित्तीय वर्ष रहा। वर्ष के दौरान राज्य के 1717 करोड़ रुपए के राजस्व की बचत हुई। 2003-04 में 2679 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय रूप में 85 प्रतिशत की वृद्धि होकर यह 2004-05 में 4951 करोड़ रुपए हो गया।

वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में सार्थक वृद्धि कर भिन्न राजस्व में 201.49 प्रतिशत, कर राजस्व में 14.49 प्रतिशत केन्द्रीय कर अंतरण में 19.54 प्रतिशत तथा सहायता अनुदान में 37.11 प्रतिशत की वृद्धि के कारण थी। विक्रय कर राज्य के स्वयं के कर राजस्व का मुख्य श्रोत है जो कर राजस्व का 51 प्रतिशत रहा। इससे कम राज्य आबकारी (15 प्रतिशत) तथा मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन पर कर (10 प्रतिशत) रहा। 2003-04 में 1480 करोड़ रुपए का कर भिन्न राजस्व बढ़कर 2004-05 में 4462 करोड़ रुपए हो गया। सरकार द्वारा गुणवत्तायुक्त सामग्रियों एवं सेवाओं की आपूर्ति की लागत वसूली कर वर्तमान स्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए 0.52 प्रतिशत, तकनीकी शिक्षा के लिए 11.68 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 2.04 प्रतिशत, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के लिए 6.18 प्रतिशत, तथा बड़ी एवं मध्यम सिंचाई के लिए 15.15 प्रतिशत रहा।

राज्य का कुल मिलाकर व्यय 2003-04 में 21648 करोड़ रुपए से बढ़कर 2004-05 में 26288 करोड़ रुपए हो गया। राजस्व व्यय जो कि कुल व्यय का 68.57 प्रतिशत था 2003-04 मे 18765 करोड़ रुपए से कुछ घटकर 2004-05 में 18026 करोड़ रुपए रह गया।

वर्ष के दौरान वेतन (6176 करोड़ रुपये), ब्याज भुगतान (3661 करोड़ रुपये) तथा पेंशन (1330 करोड़ रुपये) तथा आर्थिक सहायता (1466 करोड़ रुपए) पर ही राज्य की कुल मिलाकर राजस्व प्राप्तियों का 64 प्रतिशत व्यय हो गया। राज्य की कुल राजकोषीय देयताएं 2003-2004 में 37525 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-2005 में 44235 करोड़ रुपये हो गईं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में ये देयताएं 2003-2004 में 37.14 प्रतिशत से बढ़कर 2004-2005 में 40.99 प्रतिशत हो गयीं तथा ये इसकी राजस्व प्राप्तियों की 2.24 गुणा रहीं।

राज्य द्वारा अपनी सामाजिक एवं आर्थिक आधारभूत संरचना को बल प्रदान करने एवं अतिरिक्त आय सर्जक परिसम्पत्तियों के सृजन में वृद्धि हेतु उधारियां लेना असामान्य नहीं है तथापि कम प्राप्तियों वाले निवेश हेतु ऊंची लागत की उधारियों का उपयोग पोषणीय नहीं है।

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में वित्तीय लेखे में समाविष्ट जानकारी के विश्लेषण के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति का विवेचन किया गया है। विवेचन राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय की प्रवृत्तियों और व्यय की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रबंधन पर आधारित है। इस अध्याय में प्रयुक्त कतिपय शब्दों की व्याख्या **परिशिष्ट-I** में की गई है।मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 (2000 के क्रमांक 28) के अनुसार पूर्व मध्यप्रदेश राज्य के 16 जिलों* से "निश्चित दिवस" 1 नवम्बर 2000 को नया छत्तीसगढ़ राज्य गठित हुआ । निश्चित दिवस के तत्काल पूर्व की संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य की परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का विभाजन तथा अन्य वित्तीय समायोजन भी प्रत्येक प्रकरण में उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये जा रहे हैं। इस संबंध में हुई वास्तविक प्रगति **परिशिष्ट- II** में दर्शाई गई है।

मध्यप्रदेश सरकार के वित्तीय लेखे उन्नीस विवरण पत्रों में दिये गये हैं जो राज्य सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूंजी के साथ ही राज्य सरकार की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय दर्शाते हैं। वित्तीय लेखे की रूपरेखा बॉक्स-1 में दर्शाई गई है।

बॉक्स-1

वित्त लेखे की रूपरेखा

विवरण पत्र क्रमांक 1 में राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे में राज्य सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, लोक ऋण, प्राप्तियाँ एवं संवितरण इत्यादि के लेनदेनों का सारांश प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 2 में 2004-05 के अंत में प्रगामी व्यय दर्शाने वाले पूंजीगत परिव्यय का सारांश विवरण समाविष्ट है।

विवरण पत्र क्रमांक 3 में सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम, उनकी राजस्व प्राप्तियाँ, कार्यचालन व्यय तथा संधारण प्रभार, पूंजीगत परिव्यय, निवल लाभ तथा हानि इत्यादि दर्शाए गये हैं।

विवरण पत्र क्रमांक 4 में राज्य सरकार की ऋण स्थिति का सारांश दिया गया है जिसमें आंतरिक ऋण तथा भारत सरकार से उधारियाँ, अन्य दायित्व एवं ऋण सेवा समाविष्ट हैं।

विवरण पत्र क्रमांक 5 में वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, किये गये प्रतिभुगतान तथा बकाया वसूलियों इत्यादि का सारांश दिया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 6 में सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये ऋणों आदि के प्रतिभुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का सारांश दिया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 7 में रोकड़ शेष एवं शेषों से किये गये निवेशों का सारांश दिया गया है।

* बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कवर्धा, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव एवं सरगुजा।

विवरण पत्र क्रमांक 8 में 31 मार्च 2005 को समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सारांश दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 9 में वर्ष 2004-05 के लिये विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत कुल राजस्व/व्यय के प्रतिशत के रूप में राजस्व एवं व्यय दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 10 में वर्ष के दौरान किये गये प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 11 में लघुशीर्षों के द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 12 में योजनेतर, राज्य आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत पृथक रूप में लघु शीर्षों द्वारा किये गये राजस्व व्यय तथा मुख्य शीर्ष वार पूंजीगत व्यय का लेखा प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 13 में वर्ष 2004-05 के दौरान एवं अंत तक किया गया विस्तृत पूंजीगत व्यय दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 14 में राज्य सरकार का 2004-05 के अंत तक सांविधिक निगमों सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कम्पनियों, सहकारी बैंकों तथा समितियों इत्यादि में निवेश का विवरण दर्शाया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 15 में 2004-05 के अंत में पूंजीगत एवं अन्य व्यय तथा वे मुख्य स्रोत जिनसे उक्त व्यय हेतु निधियाँ उपलब्ध कराई गई थीं, दर्शाये गये हैं।

विवरण पत्र क्रमांक 16 में ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्तियाँ, संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा दिया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 17 में सरकार के ऋण एवं अन्य ब्याज सहित देयताओं का विस्तृत लेखा प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 18 में सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान किये गये प्रतिभुगतान की राशि, 31 मार्च 2005 को अधिशेष तथा वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज की राशि का विस्तृत लेखा प्रस्तुत किया गया है।

विवरण पत्र क्रमांक 19 में आरक्षित निधियों के प्रत्यायोजित अधिशेषों के विवरण दिये गये हैं।

1.2 गतवर्ष के संदर्भ में वित्त व्यवस्था की प्रवृत्ति

विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है-

(करोड़ रुपये में)

2003-04	क्रम सं.	मुख्य समूह	2004-05
14289	1.	**राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)**	19743
6789	2.	कर राजस्व	7773
1480	3.	कर भिन्न राजस्व	4462
6020	4.	अन्य प्राप्तियाँ	7508
36	5.	**ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियाँ**	53
36	6.	जिनमें से ऋणों की वसूली	53
14325	7.	**कुल प्राप्तियाँ (1+5)**	19796
15963	8.	**योजनेतर व्यय (9+11)**	19019

15949	9.	राजस्व लेखे पर	14861
3206	10.	जिसमें से ब्याज भुगतान	3661
14	11.	पूंजीगत लेखे पर	4158
8	12.	जिसमें से ऋण संवितरण किया गया	2775
5685	**13.**	**आयोजनागत व्यय (14+15)**	7269
2816	14.	राजस्व लेखे पर	3165
2869	15.	पूंजीगत लेखे पर	4104
196	16.	जिसमें से ऋण संवितरित किये गये	536
21648	**17.**	**कुल व्यय (8+13+17)**	26288
7323	**18.**	**राजकोषीय घाटा (17-1-5)**	6492
(-)4476	**19.**	**राजस्व बचत (+)/राजस्व घाटा (-) (9+14-1)**	(+) 1717
4117	**20.**	**प्रारंभिक घाटा (18-10)**	2831

1.3 वर्ष की प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

सारणी क्रमांक 1 में वर्ष 2004-05 हेतु मध्यप्रदेश राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश दिया गया है जिसमें वर्ष के दौरान की गईं राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय, पूंजीगत प्राप्तियाँ एवं व्यय, लोक ऋण प्राप्तियाँ एवं व्यय, लोक-ऋण प्राप्तियाँ एवं संवितरण तथा लोक लेखे प्राप्तियाँ एवं संवितरण समाविष्ट हैं जैसा कि वित्त लेखे एवं अन्य विस्तृत विवरण पत्रों के विवरण पत्र क्रमांक 1 से प्रकट होता है।

सारणी क्रमांक 1 : वर्ष 2004-05 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश (करोड़ रुपयों में)

2003-04	प्राप्तियाँ	2004-05	2003-04	संवितरण	2004-05		
			अनुभाग-कः राजस्व				
					योजनेतर	आयोजना	योग
14288.96	I. राजस्व प्राप्तियाँ	19743.25	18764.72	I. राजस्व व्यय	14861.20	3165.17	18026.37
6788.86	कर राजस्व	7772.97	6573.58	सामान्य सेवायें	7424.94	43.41	7468.35
1479.82	कर भिन्न राजस्व	4461.86	5321.65	सामाजिक सेवायें	3902.12	1770.33	5672.45
4247.14	संघ करों/शुल्कों का अंश	5076.68	6278.58	आर्थिक सेवायें	2797.39	1171.52	3968.91
1773.14	भारत सरकार से अनुदान	2431.74	590.91	सहायतानुदान/ अंशदान	736.75	179.91	916.66
			अनुभाग-खः पूंजीगत				
					योजनेतर	आयोजना	योग
-	II विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ		2678.64	II पूंजीगत परिव्यय	1383.00	3567.98	4950.98
35.84	III. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	53.20	204.36	III संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2774.65	536.21	3310.86
9938.42	IV लोक ऋण प्राप्तियाँ*	8849.00	2275.08	IV लोक ऋण का प्रतिभुगतान#	3391.38	--	3391.38
22285.06	V लोक लेखा प्राप्तियाँ	24790.22	22439.02	V लोक लेखा संवितरण#	23591.45	--	23591.45
-	VI अंतर्राज्यीय व्यवस्थापन	-	-	VI अंतर्राज्यीय व्यवस्थापन	--	--	--
0.05	VII आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	1.00	1.00	VII आकस्मिकता निधि से व्यय	--	--	--
(-)91.30	प्रारंभिक शेष	94.21	94.21	अंतशेष	259.84	--	259.84
46457.03	*योग*	*53530.88*	*46457.03*	*योग*	*46261.52*	*7269.36*	*53530.88*

* अर्थोपाय पेशगियां एवं अधिविकर्ष समाविष्ट नहीं हैं।

\# आयोजना एवं योजनेतर का विभाजन उपलब्ध नहीं है।

1.4 लेखापरीक्षा पद्धति

वर्ष 2004-05 हेतु वित्त लेखे के विवरण पत्रों से वित्त लेखे लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों से प्राप्तियों एवं व्यय के प्रमुख राजकोषीय कुलयोगों की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट होती हैं तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ इन्हें समय श्रंखला द्वारा और आवधिक तुलना के परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया है **(परिशिष्ट III से VI)** ।

इस उद्देश्य हेतु व्यवहृत मुख्य संदर्शक हैं- (1) परिमाप एवं स्रोतों से संसाधन (2) संसाधनों का उपयोग (3) परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं तथा (4) घाटे का प्रबंधन। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में संसाधन गतिशीलन प्रयास, ऋण सेवा तथा सुधारात्मक राजकोषीय उपायों के संचयी प्रभाव को भी समाविष्ट किया गया है। संस्थागत निकाय के रूप में राज्य सरकार का समग्र वित्तीय निष्पादन, राजकोषीय कुलयोग की संबंधित व्याख्या हेतु सामान्य रूप में स्वीकार किये गये अनुपात समूहों को लागू करते हुये प्रस्तुत किया गया है।

संसूचक मानदण्ड बॉक्स 1.2 में दर्शाये गये हैं

बॉक्स 1.2
संसूचक मानदण्ड

राजकोषीय कुलयोग जैसे कर एवं करभिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटा चालू बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किये गये हैं। राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ब्यूरो ने 1993-94 को आधार मानकर यथा प्रकाशित नई सकल राज्य घरेलू उत्पाद श्रंखला का उपयोग किया है।

कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व तथा राजस्व व्यय इत्यादि हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद द्वारा प्रदर्शित आधार के संदर्भ में घट बढ़ की सीमा के आगामी अनुमान के लिये भी उत्पादकता प्रक्षेपण प्रस्तुत किये गये हैं।

2000-2005 के दौरान अधिकांश श्रंखलाओं के लिये प्रवृत्ति वृद्धि दर्शाई गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संबंध में अनुपात भी दर्शाये गये हैं। प्रयुक्त कतिपय शब्दों की **परिशिष्ट-I** में व्याख्या की गई है।

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं। (i) समेकित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखे। बॉक्स 1.3 में उनको परिभाषित किया गया है।

बॉक्स 1.3
राज्य सरकार की निधियाँ एवं लोक लेखा

समेकित निधि	आकस्मिकता निधि
राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये समस्त राजस्व, कोषालय देयकों को जारी करके लिये गये समस्त कर्ज, आंतरिक एवं बाह्य कर्ज तथा सरकार द्वारा कर्जों के प्रतिभुगतान के	संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित आकस्मिक व्यय निधि, तत्काल अनवेक्षित व्यय की पूर्ति के लिये राज्यपाल के अधिकार में रखी गई अग्रदाय प्रकृति की निधि है जिसे राज्य विधायिका से अधिकृत किया जाना लंबित होता है। ऐसे व्यय और

रूप में प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत बनाई गई ' राज्य की समेकित निधि ' शीर्षान्तर्गत एक समेकित निधि के रूप में रहेगा।	समेकित निधि से उतनी ही राशि आकस्मिक व्यय निधि को अंतरित करने हेतु विधानमण्डल से बाद में अनुमोदन कराया जाता है जिस पर आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर भरपाई की जाती है।

लोक लेखा

समेकित निधि से संबंधित प्राप्तियों एवं व्यय के अलावा सरकार के लेखाओं में अंकित कतिपय अन्य लेन देन होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधि, लघु बचतें, अन्य निक्षेप इत्यादि इसके कतिपय उदाहरण हैं। इस प्रकार से प्राप्त किया गया सार्वजनिक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा इसमें से संबंधित संवितरण किया जाता है।

1.5 मुख्य संदर्शकों से राज्य की वित्त व्यवस्था

1.5.1 समूहों एवं स्त्रोतों से संसाधन

राज्य सरकार के संसाधनों में राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूंजीगत प्राप्तियाँ समाविष्ट हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व, संघ करों एवं शुल्कों का राज्यांश तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायतानुदान समाविष्ट हैं। पूंजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्तियाँ कर्जों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ, आंतरिक स्त्रोतों से ऋण जैसे बाजार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों इत्यादि से उधारियाँ तथा भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम व इसके साथ ही लोक लेखाओं से उपार्जन समाविष्ट हैं।

सारणी 2 दर्शाती है कि वर्ष 2004-05 के लिये राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ 53436 करोड़ रुपये थीं , इनमें से राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ केवल 19743 करोड़ रुपये थीं जो कुल प्राप्तियों का 37 प्रतिशत थीं। शेष प्राप्तियाँ, उधारियों एवं लोक लेखा प्राप्तियों से हुईं।

सारणी 2 : मध्यप्रदेश के संसाधन

(करोड़ रुपये में)

I राजस्व प्राप्तियाँ		*19743*
II पूंजीगत प्राप्तियाँ		*8902*
क विविध प्राप्तियाँ -	--	
ख कर्जों एवं अग्रिमों की वसूली	53	
ग लोक ऋण प्राप्तियाँ	8849	
III आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ		*1*
IV लोक लेखा प्राप्तियाँ		*24790*
क लघु बचतें एवं भविष्य निधि आदि	1810	
ख आरक्षित निधि	351	
ग निक्षेप एवं अग्रिम	3875	
घ उचंत एवं विविध	13436	
ड. प्रेषण	5318	
कुल प्राप्तियाँ		53436

1.5.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण पत्र-11 में सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण दिया गया है। सारणी 3 में कुल राजस्व प्राप्तियाँ, उनकी वार्षिक वृद्धि दर, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में इन प्राप्तियों का अनुपात दर्शाया गया है।

सारणी 3 : राजस्व प्राप्तियाँ- आधारभूत मानदण्ड (मूल्य करोड़ रुपये में तथा अन्य प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व प्राप्तियाँ	12839	11211	13391	14289	19743
स्वयं के कर	43.93	41.74	46.04	47.51	39.37
कर भिन्न राजस्व	13.43	14.29	12.21	10.36	22.60
केन्द्रीय कर अंतरण	30.80	30.68	27.85	29.72	25.72
सहायतानुदान	11.84	13.30	13.90	12.41	12.31
वृद्धि दर	नगण्य	नगण्य	19.45	6.70	38.16
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.52	13.79	16.13	14.14	18.29
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशत वृद्धि	नगण्य	नगण्य	2.122	21.703	6.828
राजस्व उत्प्लावकता	नगण्य	नगण्य	9.166	0.309	5.588
स्वयं के कर की तुलना में राजस्व उत्प्लावकता	नगण्य	नगण्य	14.962	0.466	2.122

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर जो कि 2003-2004 के दौरान 6.7 प्रतिशत थी वर्ष 2004-05 के दौरान बढ़कर 38.16 प्रतिशत हो गई। कर भिन्न राजस्व 12.24 प्रतिशत बढ़ गया जबकि स्वयं के कर, केन्द्रीय कर अंतरण एवं सहायतानुदान क्रमशः 8.14, 4.00 एवं 0.10 प्रतिशत घट गए। 2004-05 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 5454 करोड़ रुपए की वृद्धि विद्युत (2749 करोड़ रुपए), विक्रय व्यापार इत्यादि पर कर (619 करोड़ रुपए), निगम कर (293 करोड़ रुपए) तथा निगम कर को छोड़कर आयकर (244 करोड़ रुपए)। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण में 5454 करोड़ रुपए की वृद्धि से राज्य सरकार को 1717 करोड़ रुपए के राजस्व बचत की अभिप्राप्ति हुई।

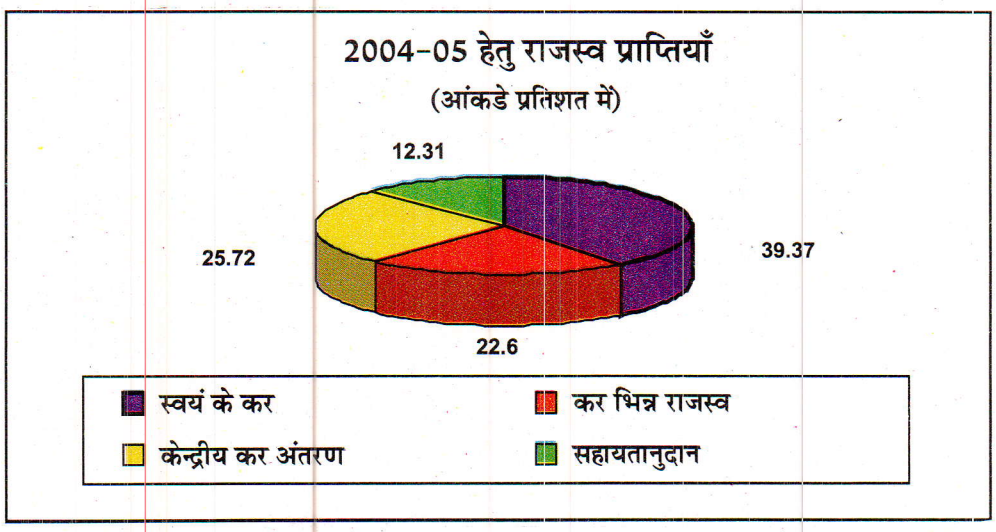

औसतन लगभग 62 प्रतिशत राजस्व, राज्य के स्वयं के स्रोत, केन्द्रीय कर अंतरण तथा सहायतानुदान से प्राप्त हुआ जो कुल राजस्व का लगभग 38 प्रतिशत बना रहा। राज्य का स्वयं का कर राजस्व का मुख्य स्रोत विक्रय कर रहा जो कर राजस्व का 51 प्रतिशत है जिसके बाद राज्य आबकारी (15 प्रतिशत) तथा मुद्रांक एवं पंजीयन (10 प्रतिशत) इत्यादि हैं। कर भिन्न राजस्व के मुख्य स्रोतों में विद्युत (62 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग मुख्यतः खनिज से प्राप्त होने वाल राज्यांश (16 प्रतिशत) तथा वानिकी एवं वन्यजीव (13 प्रतिशत) का योगदान रहा। कर भिन्न राजस्व 2003-04 में 1480 करोड़ रुपये से तीव्रता से 201 प्रतिशत बढ़कर 2004-05 में 4462 करोड़ रुपये हो गया। सरकार द्वारा गुणवत्तायुक्त सामग्रियों की आपूर्ति एवं सेवाओं की लागत की वसूली का वर्तमान स्तर माध्यमिक शिक्षा के लिए 0.52 प्रतिशत, तकनीकी शिक्षा हेतु 11.68 प्रतिशत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 2.04 प्रतिशत, जल आपूर्ति एवं सफाई में 6.18 प्रतिशत तथा वृहत एवं मध्यम सिंचाई में 15.15 प्रतिशत है।

1.6 संसाधनों का उपयोग

2000-2005 के दौरान सरकारी लेखाओं के विभिन्न शीर्षों/अनुभागों के अंतर्गत प्राप्तियों के मुख्य स्रोत एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद सारणी 4 में दर्शाये गये हैं:

सारणी 4 : प्राप्तियों के स्रोत : प्रवृत्ति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	पूंजीगत प्राप्तियाँ				कुल प्राप्तियाँ	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
		ऋणेतर प्राप्तियाँ	ऋण प्राप्तियाँ	लोक लेखे में उपार्जित	आकस्मिकता निधि		
2000-01	12839	13	3101	16520	7	32480	88445
2001-02	11211	1588	3281	15013	-	31093	81286
2002-03	13391	43	4949	20120	-	38503	83011
2003-04	14289	36	9938	22285	-	46548	101027
2004-05	19743	53	8849	24790	1	53436	107926

1.6.1 वृद्धि की प्रवृत्ति

वित्त लेखे के विवरण पत्र 12 में लघु शीर्षवार विस्तृत राजस्व व्यय एवं मुख्य शीर्षवार पूंजीगत व्यय दर्शाये गये हैं। वर्ष के दौरान राज्य का कुल व्यय 21 प्रतिशत बढ़ गया।

निम्नांकित सारणी 5 में राज्य का कुल व्यय, इसकी प्रवृत्ति तथा वार्षिक वृद्धि, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद एवं राजस्व प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय का अनुपात दर्शाया गया है।

सारणी 5: कुल व्यय-आधारभूत मानदण्ड (मूल्यः करोड़ रुपये में एवं अन्य प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
कुल व्यय	16391	16444	17496	21648	26288
वृद्धि दर	--	--	6.40	23.73	21.43
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.53	20.23	21.08	21.43	24.36
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	78.33	68.18	76.54	66.00	75.10

चालू वर्ष में कुल व्यय में वृद्धि मुख्यतःपूंजीगत अनुभाग में 2272 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण थी। कुल व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 2003-04 में 66 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 75.10 प्रतिशत हो गया जो यह दर्शाता है कि राज्य के कुल व्यय का केवल 75 प्रतिशत इसके चालू राजस्व से पूरा किया गया तथा शेष 25 प्रतिशत की पूर्ति उधारियों से की गई।

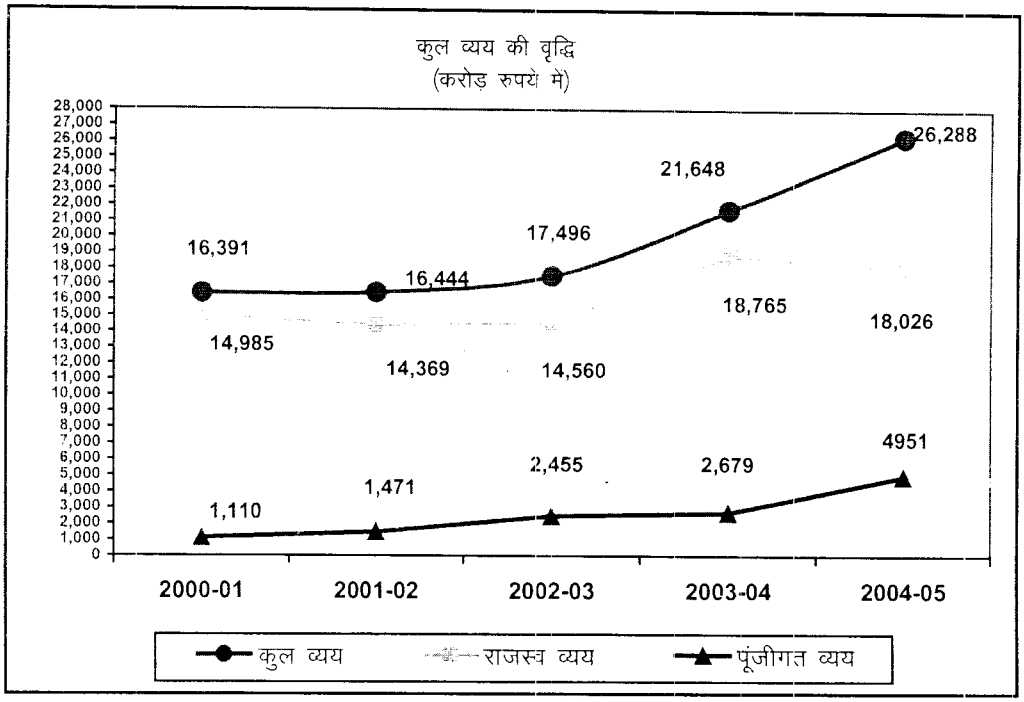

गतिविधियों के रूप में कुल व्यय, ब्याज भुगतान, सामाजिक एवं आर्थिक सेवा सहायतानुदान तथा कर्जे एवं अग्रिमों सहित सामान्य सेवाओं पर व्यय क योग माना जा सकता है। कुल व्यय में उक्त संघटकों का सापेक्षिक अश सारणी 6 में दर्शाया गया है।

सारणी 6 : (व्यय के संघटक· सापेक्षिक अंश (प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
सामान्य सेवायें	32.57	30.80	31.33	30.53	28.96
सामाजिक सेवायें	36.43	28.92	33.26	27.05	23.22
आर्थिक सेवायें	25.97	34.30	30.34	38.74	31.73
सहायतानुदान	3.22	2.27	2.32	2.73	3.49
कर्जे एवं अग्रिम	1.81	3.64	2.75	0.95	12.60

व्यय के उक्त संघटकों के सापेक्षिक अंश की प्रवृत्ति दर्शाती है कि कुल व्यय मे सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं का अंश 2003-04 में क्रमशः 30.53, 27.05 एवं 38.74 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 28.96, 23.22 तथा 31.73 प्रतिशत रह गया। तथापि कर्जे एवं पेशगियों का संवितरण 0.95 से उल्लेखनीय रूप में बढ़कर 12.60 प्रतिशत हो गया।

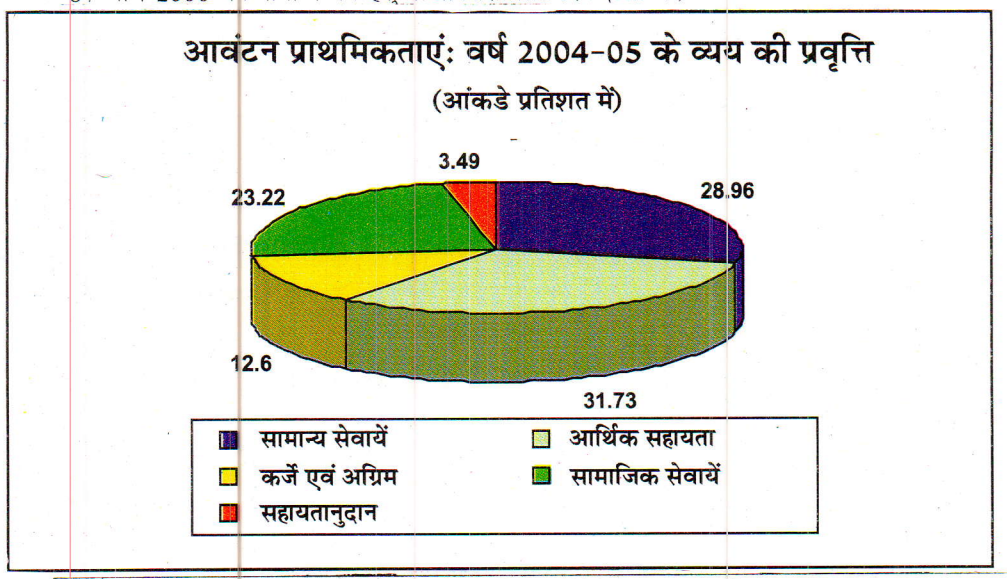

1.6.2 राजस्व व्यय का प्रभाव

कुल व्यय में राजस्व व्यय का सर्वाधिक अंश था। राजस्व व्यय सामान्यतः परिसम्पत्तियों एवं सेवाओं के विद्यमान स्तर को बनाये रखने में किया जाता है। निम्नांकित सारणी 7 में कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व व्यय का अनुपात एवं राजस्व प्राप्तियाँ दर्शायी गयी हैं:

सारणी 7: राजस्व व्यय -आधारभूत मानदण्ड (मूल्यः करोड़ रुपये में तथा अन्य प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व व्यय	14985	14369	14560	18765	18026
वृद्धि दर	नगण्य	नगण्य	1.33	28.88	नगण्य
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	16.94	17.68	17.54	18.57	16.70
कुल व्यय से राजस्व व्यय का प्रतिशत	91.42	87.38	83.22	86.68	68.57
राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का प्रतिशत	117	128	109	131	91

राज्य का राजस्व व्यय 2003-04 में 18765 करोड़ रुपए से 4 प्रतिशत घटकर 2004-05 में 18026 करोड़ रुपये रह गया। कमी मुख्यतः विगत वर्षों की तुलना में विद्युत (2488 करोड़ रुपए) तथा प्राकृतिक आपदाओं पर राहत (152 करोड़ रुपए) पर कम व्यय के कारण रही।

2004-05 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 69 प्रतिशत रहा। 2003-04 में राजस्व प्राप्तियों से राजस्व व्यय का 131 प्रतिशत का अनुपात घटकर 2004-05 में 91 प्रतिशत रह गया। तथापि वर्ष के दौरान वेतन (6176 करोड़ रुपए) ब्याज भुगतान (3661 करोड़ रुपए), पेंशन (1330 करोड़ रुपए) एवं आर्थिक सहायता (1466 करोड़ रुपए) पर सब मिलाकर राज्य के कुल राजस्व व्यय का 64 प्रतिशत व्यय हुआ।

(क) उच्च वेतन व्यय

केवल वेतन पर ही राज्य की राजस्व प्राप्तियों का लगभग 31 प्रतिशत व्यय लेखांकित किया गया। वेतन पर व्यय 2003-04 में 5312 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में

6176 करोड़ रुपये हो गया । विगत पाँच वर्षों में वेतन पर वर्षवार व्यय सारणी 8 में दर्शाया गया है:

सारणी 8

(करोड़ रुपये में)

शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
वेतन व्यय	5715	4669	5258	5312	6176*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	6.46	5.74	6.33	5.26	5.72
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में	44.51	41.65	39.27	37.17	31.28

(ख) पेंशन भुगतानों पर व्यय

मुख्यतः पेंशन पर महंगाई राहत तथा अवकाश नगदीकरण लाभ के भुगतान में वृद्धि के कारण पेंशन भुगतान 2003-04 में 1197 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004-05 में 1330 करोड़ रुपये हो गया जिसमें 11.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 2000-2001 से 2004-05 के दौरान पेंशन भुगतानों पर किये गये व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:

सारणी 9

वर्ष	व्यय	कुल राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत
	करोड़ रुपये में	
2000-2001	962.65	7
2001-2002	1010.76	9
2002-2003	1082.68	8
2003-2004	1197.27	8
2004-2005	1329.89	7

2000-01 में सेवानिवृत्त जनों की संख्या में वृद्धि के साथ पेंशन देयताओं में भविष्य में और वृद्धि होने की संभावना है। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की तीव्रता से बढ़ती हुई पेंशन देयताओं को पूरा करने हेतु कोई निधि गठित नहीं की है। जिस दर पर पेंशन दयताएं बढ़ रही है उसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान पेंशन योजनाओं में सुधार विवेचनात्मक महत्व का परिलक्षित होता है।

(ग) ब्याज भुगतान

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है (अगस्त 2000) कि मध्यम अवधि के लक्ष्य के रूप में राज्यों को राजस्व प्राप्तियों के 18 प्रतिशत अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिये तथापि यह देखा गया कि वर्ष 2004-05 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज भुगतान 19 प्रतिशत रहा।

सारणी 10

वर्ष	ब्याज भुगतान	निम्न के संदर्भ में ब्याज भुगतान का प्रतिशत	
	(करोड़ रुपये में)	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय
2000-2001	2411	18.78	16.09
2001-2002	2254	20.11	15.69
2002-2003	2502	18.68	17.18
2003-2004	3206	22.43	17.08
2004-2005	3661	18.54	20.31

* स्रोतः विवरण वित्त विभाग द्वारा आपूरित

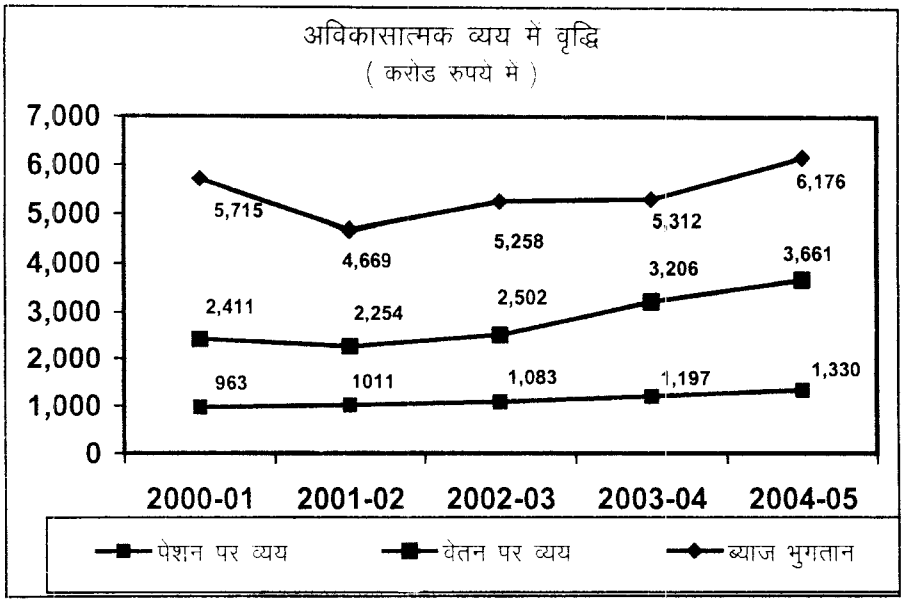

ब्याज भुगतान की वृद्धि दर जो 2003-04 के दौरान 28 प्रतिशत थी, वह 2004-05 में घटकर 14 प्रतिशत रह गई।

(घ) सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता

सरकार ने अपने विद्युत मंडल एवं सड़क परिवहन निगमों को आर्थिक सहायता का भुगतान करना जारी रखा। विगत पाँच वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता का निम्नानुसार भुगतान किया:-

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विवरण	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	410.33	2037.08	938.88	3924.78	1465.93
2	मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	1.20	1.08	0.00	2.00	0.00
	योग	**411.53**	**2038.16**	**938.88**	**3926.78**	**1465.93**
3	विगत वर्षों की तुलना में प्रतिशतता में वृद्धि(+)/ह्रास(-)	(-)64.89	(+)395.26	(-)53.93	(+)318.24	(-)62.67
4	कुल व्यय की तुलना में आर्थिक सहायता का प्रतिशत	2.51	12.40	5.37	18.14	5.58

टिप्पणी:- अन्य निगमों एवं निकायों को भुगतान की गई आर्थिक सहायता के विवरण वित्त विभाग के पास तुरंत उपलब्ध नहीं।

यद्यपि वर्ष के दौरान आर्थिक सहायता के भुगतान पर व्यय 63 प्रतिशत घट गया फिर भी यह कुल व्यय का 6 प्रतिशत रहा जो मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल को दिया गया।

(ङ) त्रुटिपूर्ण बजट पद्धति तथा व्यय का वर्गीकरण

नियमानुसार* परिसम्पत्तियों के सृजन के उद्देश्य के लिए भी स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिये गये सहायतानुदान पर व्यय को सामान्यतः राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना था तथापि 2004-05 के दौरान राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान हेतु 30 करोड़ रुपए का भुगतान पूंजीगत लेखे के अंतर्गत किया तथा

* सरकारी लेखा नियमावली 1990 के नियम 30 एवं 31

तदनुसार स्थानीय निकायों/संस्थाओं को सहायता अनुदान पर 27.60 करोड़ रुपए का व्यय शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय लेखा के अंतर्गत पुस्तांकित किया जो निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	मुख्य/लघुशीर्ष	को/के लिये सहायतानुदान	बजट प्रावधान	व्यय
1	4217-01-191-1201-8294	भोज वेट लेण्ड संरक्षण	25.00	22.60
2	**4217-03-191-1301-5866**	**वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत आधारिक सेवाएं**	5.00	5.00
		योग	**30.00**	**27.60**

त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण केवल पूंजीगत परिव्यय 27.60 करोड़ रुपये बढ़ाकर ही नहीं बताया गया बल्कि राजस्व घाटा भी उस सीमा तक बढ़ गया।

1.7 निर्धारित प्राथमिकताओं से व्यय

वित्त लेखे के विवरण पत्र 12 से प्रकट होने वाले आयोजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय तथा विकासात्मक व्यय के रूप में राज्य के वास्तविक व्यय से राज्य की निर्धारित प्राथमिकताएं प्रतिबिम्बित होती हैं। कुल व्यय की तुलना में उपरोक्त घटकों के उच्च अनुपात से, व्यय की गुणवत्ता मानी जाती है। निम्नलिखित सारणी 12 में राज्य के कुल व्यय में उपरोक्त व्यय के उपरोक्त घटकों के प्रतिशत के अंश दिये गये हैं।

सारणी 12: व्यय की गुणवत्ता (कुल व्यय से प्रतिशत)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आयोजनागत व्यय	24.79	26.22	36.77	26.26	27.65
पूंजीगत व्यय	6.77	8.95	14.03	12.38	18.83
विकासात्मक व्यय	62.40	63.22	63.60	65.79	54.95

आयोजनागत व्यय जो 2003-04 के दौरान कुल व्यय का 26.26 प्रतिशत था वह वर्ष के दौरान बढ़कर 27.65 प्रतिशत हो गया। पूंजीगत व्यय 2272 करोड़ रुपये बढ़ गया तथा कुल व्यय में इसके अंश में भी छः प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष के दौरान सामाजिक सेवाओं पर व्यय (6104 करोड़ रुपये), विकासात्मक व्यय (14446 करोड़ रुपये) का 42 प्रतिशत लेखांकित किया गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में से 42 प्रतिशत सामान्य शिक्षा पर, 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग पर, 11 प्रतिशत सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार पर, 12 प्रतिशत जल प्रदाय एवं सफाई पर तथा 15 प्रतिशत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय किया गया।

सारणी 13

सामाजिक क्षेत्र व्यय

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
सामान्य शिक्षा	2763 (3.12)	2126 (2.62)	2312 (2.84)	2376 (2.35)	2570 (2.39)
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	862 (0.97)	688 (0.85)	779 (0.90)	799 (0.79)	899 (0.83)
जल आपूर्ति एवं सफाई	701 (0.79)	608 (0.75)	792 (0.97)	820 (0.81)	721 (0.67)
अनुसूचितजाति/अनुसूचितजनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण	1007 (1.14)	753 (0.93)	937 (1.15)	979 (0.97)	1116 (1.03)
सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	547 (0.62)	501 (0.62)	911 (1.12)	794 (0.79)	700 (0.65)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत कोष्ठकों में

इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं पर व्यय (8342 करोड़ रुपये) विकासात्मक व्यय का 58 प्रतिशत लेखांकित किया गया जिसमें से उपभुक्त विद्युत 39 प्रतिशत (अधिकांशतः राज्य विद्युत मण्डल को सहायता/आर्थिक सहायता के रूप में) कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप 16 प्रतिशत तथा ग्रामीण विकास 12 प्रतिशत था।

सारणी 14

आर्थिक क्षेत्र व्यय

(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलाप	1258	1131	1259	1198	1303
ग्रामीण विकास	970	768	855	833	1008
ऊर्जा	649	2210	1327	4283	3212

1.7.1 स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(क) स्थानीय निकायों सहित स्वशासी निकाय एवं प्राधिकरण सामान्यतः लोक उपयोगी सेवाओं के गैर वाणिज्यिक कार्य सम्पन्न करने हेतु स्थापित किये जाते हैं। ये निकाय तथा प्राधिकरण सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु संबंधित राज्य सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 एवं कम्पनी अधिनियम 1956 इत्यादि के अंतर्गत पंजीकृत अन्य संस्थाओं को भी सरकार पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। सरकार मुख्यतः नगर पालिकाओं एवं स्थानीय निकायों के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, धर्मार्थ संस्थाओं के संधारण, विद्यालय एवं अस्पताल भवनों के निर्माण एवं संधारण, सड़कों के सुधार तथा अन्य संचार सुविधाओं हेतु अनुदान देती है।

2004-05 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के दौरान नमूना जाँच किये गये विभागों द्वारा विभिन्न निकायों इत्यादि को उपलब्ध कराई गईं आर्थिक सहायता की मात्रा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	निकायों/प्राधिकरणों इत्यादि का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	शिक्षण संस्थाएं	156.20	154.80	134.56	173.96	158.74
2.	नगर निगम एवं नगर पालिकाएं	190.72	430.72	506.00	557.35	320.61
3.	पंचायती राज संस्थाएं	218.89	431.90	526.29	524.58	437.82
4.	विकास अभिकरण	9.08	153.05	253.29	21.30	7.33
5.	अस्पताल एवं अन्य चिकित्सा संस्थाएं	18.90	4.60	7.08	13.71	8.67
6.	अन्य संस्थाएं	170.36	29.65	121.22	113.72	170.90
	योग	**764.15**	**1204.72**	**1548.44**	**1404.62**	**1104.07**
	विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि(+)/कमी (-)	असंभव*	असंभव#	29+	9(-)	2.14(-)
	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सहायता	असंभव*	11	12		5.59
	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	असंभव	8	11		6.12

(ख) उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुति में विलम्ब

मध्य प्रदेश वित्त निगम के खण्ड I के वित्तीय नियम 179-182 में यह आवश्यक है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदान ग्रहीताओं से अनुदान के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने चाहिये तथा सत्यापन के उपरान्त उन्हे आगामी वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की ओर अग्रेषित कर दिया जाना चाहिये।

28 विभागों से 1997-98 से 2004-05 की अवधि हेतु 1401.26 करोड़ रुपये के 2469 उपयोग प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्राप्त नहीं हुये।

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	संस्थाओं की संख्या	1997 से 2000-01		2001-2002		2002-03		2003-04		2004-05		योग	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	शिक्षा	4	-	-	139	1.40	59	0.70	51	61.29	139	138.84	388	202.23
2.	नगर निगम	1	45$	61.76$	45	21.98$	45	37.60$	45	23.26$	336	320.61	516	465.21
3.	पंचायती राज	4	-	-	89	3.79	93	5.73	95	24.30	110	437.75	387	471.57
4.	विकास अभिकरण	1	--	--	--	--	--	--	--	--	31	6.32	31	6.32
5.	चिकित्सा	3	2	2.33	1	0.54	2	7.31	2	7.92	4	8.65	11	26.75
6.	अन्य विभाग	15	104	4.36	128	40.00	160	19.03	292	61.25	452	104.54	1136	229.18
	योग	**28**	**151**	**68.45**	**402**	**67.71**	**359**	**70.37**	**485**	**178.02**	**1072**	**1016.71**	**2469**	**1401.26**

* राज्य के पुनर्गठन के कारण

\# राज्य पुनर्गठन के उपरांत प्रथम पूर्ण वित्तीय वर्ष होने के कारण।

$ निम्नांकित योजनाओं के उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए:-

(i) स्वर्ण जयंती स्व रोजगार योजना (ii) मलिन क्षेत्र में पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था (iii) पुनर्वास एवं (iv) गैर सरकारी कॉलोनियों की 15 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना)

(ग) स्वशासी निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलंब

सितम्बर 2005 को स्वशासी निकायों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति निम्नानुसार है :

क्रम संख्या	निकायों का नाम	लेखाओं की प्रस्तुति	वर्तमान स्थिति
1.	मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल भोपाल	1998-99 से 1999-2000	2000-01 से 2004-05 तक की अवधि के लेखे
2.	मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल	2000-2001 से 2003-04	2004-05 की अवधि के लेखे
3.	मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग, भोपाल	2001-2002 से 2004-05	2003-04 से 2004-05 की अवधि के लेखे

(घ) लेखापरीक्षा व्यवस्था

स्थानीय निकायों (नगर पालिका, नगर क्षेत्र/अधिसूचित क्षेत्र समितियां), कतिपय शिक्षण संस्थाओं, एवं कतिपय पंचायती राज संस्थाओं इत्यादि की लेखापरीक्षा अयुक्त स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षा, मध्यप्रदेश ग्वालियर ने संपन्न की थी। सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा पंजीयक सहकारी समितियां मध्यप्रदेश भोपाल करते हैं।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को जिन 472 इकाइयों की लेखापरीक्षा करनी थी 2004-05 के दौरान उनमें से 313 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई।

(ड़) अप्रयुक्त अनुदान

2004-2005 के दौरान 5.76 करोड़ रुपए आहरित किए गए एवं संबंधित संस्थाओं पंचायत एव सामाजिक न्याय भोपाल (4.78 करोड़ रुपए), संचालक पशु चिकित्सा सेवा (0.82 करोड रुपए) तथा महानिदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी भोपाल (0.16 करोड रुपए) को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने के बजाय उसे सिविल जमा में जमा किया गया।

2004-05 के दौरान 11.20 करोड़ रुपए भी आहरित किए गए तथा संबंधित इकाइयों आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल (0.52 करोड़ रुपए) तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल (10.68 करोड़ रुपए) को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाने के बजाय बैंकों में जमा किया।

(च) स्थानीय निकायों द्वारा सृजित परिसम्पत्तियां

विभागों ने स्थानीय निकायों द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों के संबंध में कोई अभिलेख संधारित नहीं किया है।

1.7.2 दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि

राज्य सरकार ने सरकारी धन के दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि से संबंधित 4.70 करोड़ रुपये के 719 प्रकरण सूचित किये। ये प्रकरण 1965-66 से मार्च 2005 तक की अवधि से संबंधित हैं, जिन पर जून 2005 के अंत तक अंतिम कार्यवाही लंबित है। लंबित प्रकरणों के विभागवार/वर्षवार तथा संवर्गवार विवरण क्रमशः **परिशिष्ट VII और VIII** में दिये गये हैं।

1.7.3 हानियों इत्यादि का अपलेखन

जैसा कि लेखापरीक्षा को सूचित किया गया वर्ष 2004-05 के दौरान सक्षम प्राधिकारियों ने 70 प्रकरणों में चोरी, अग्नि एवं वसूली न हो सकने वाले राजस्व इत्यादि के कारण हानियों से संबंधित 12.45 लाख रुपये अपलेखित किये। संबंधित विवरण **परिशिष्ट- IX** में दिये गये हैं।

1.8 परिसम्पत्तियाँ एवं देयताएं

सरकारी लेखाकरण प्रणाली में अचल परिसम्पत्तियों अर्थात सरकार के स्वामित्व वाले भूमि, भवन का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया जाता तथापि सरकारी लेखाओं में व्यय से सृजित सरकार की वित्तीय देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का लेखाकरण किया जाता है। वित्तीय लेखे के विवरण पत्र 17 के विवरणों के साथ पठित विवरण पत्र 16 में ऋण, निक्षेप एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत वर्ष के अंत के अधिशेष दर्शाये गये हैं जिनसे देयताएं एवं परिसम्पत्तियाँ संगणित की जाती हैं। **परिशिष्ट-III** में 31 मार्च 2004 की ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों की तुलना में तत्संबंधी 31 मार्च 2005 की स्थिति का सारांश प्रस्तुत किया गया है। इस विवरणपत्र में देयताओं में मुख्यतः सरकार के स्वत्व का धन जैसे कि आंतरिक उधारियाँ, भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं अरक्षित निधि से प्राप्तियां सम्मिलित हैं जबकि परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जे तथा रोकड़ शेष समाविष्ट रहते हैं।

मध्यप्रदेश सरकार की देयताओं में, जो कि वर्ष के दौरान 17 प्रतिशत बढ़ गईं, इसमें कार्यरत/सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन, अन्य सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गईं गारंटियाँ/समाश्वासन पत्र समाविष्ट नहीं हैं। **परिशिष्ट VI** में अप्रैल 2000 से 31 अक्टूबर 2000 तक संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के नवम्बर 2000 से 31 मार्च 2005 तक की अवधि हेतु उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य सरकार के वित्तीय समय श्रंखलाबद्ध आंकड़े दर्शाये गये हैं।

1.8.1 सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

वर्ष के दौरान 295.50 करोड़ रुपये के राजस्व व्यय के साथ 13 बड़ी, मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणामों में दर्शाया गया कि 2004-05 के दौरान इन परियोजनाओं से वसूल किया गया राजस्व (45.23 करोड़ रुपये) राजस्व व्यय का 15.31 प्रतिशत था जो संधारण पर किये जाने वाले व्यय को पूरा करने के लिये भी पर्याप्त नहीं था।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2005 के अनुसार 9031 करोड़ रुपये के संचयी निवेश सहित 436 अपूर्ण परियोजनाएं थीं। यह दर्शाता है कि सरकार अपने स्त्रोतों का विस्तार विरलता से कर रही थी जो कि कोई प्रतिलाभ प्राप्त करने में विफल रही।

1.8.3 निवेश एवं विवरणियाँ

31 मार्च 2005 के अनुसार सरकार ने सांविधिक निगमों, संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों एवं सहकारी संस्थाओं में 4151.65 करोड़ रुपये का निवेश किया था तथापि इस निवेश पर सरकार का प्रतिलाभ अत्यल्प (एक प्रतिशत से कम) था जैसा कि निम्नांकित सारणी 17 में दर्शाया गया है। इनमें से 2004-05 तक कुल मिलाकर 591 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 3 सांविधिक निगम एवं 11 सरकारी कम्पनियाँ हानि वहन कर रही थीं तथा इन कम्पनियों द्वारा 2004-05 तक प्रस्तुत लेखाओं के अनुसार उनकी संचित हानियाँ 4202 करोड़ रुपये की थीं (**परिशिष्ट- X**)।

इस प्रकार सरकार को बेहतर प्रतिलाभ प्राप्त करने हेतु उच्च लागत की उधारियों का अधिक विवेकपूर्ण ढंग से निवेश करना ही आवश्यक नहीं है अपितु ऐसी इकाईयों का विनिवेश करते हुये बीमार इकाईयों के संबंध में हानियों का समाधान भी करना चाहिये। 1996-98 के दौरान मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल में 710 करोड़ रुपए का निवेश किया गया जिसे छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश राज्यों के रूप में पुनर्गठित किया गया (नवम्बर 2000), परंतु इसकी परिसम्पत्तियों एवं देयताओं का अभी पुनर्वितरण किया जाना है।

मार्च 2005 के अंत तक 4151.65 करोड़ रुपये के कुल निवेश में से संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित 1619.56 करोड़ रुपये थे परन्तु आबंटन लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश में रोक कर रखे गये तथा अभी भी इसका मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य के सांविधिक निगमों (935.57 करोड़ रुपये), सरकारी कम्पनियों (199.54 करोड़ रुपये), सहकारी बैंकों एवं समितियों (482.91 करोड़ रुपये) तथा संयुक्त क्षेत्र कम्पनियों (1.54 करोड़ रुपये) के मध्य आबंटन किया जाना है।

सारणी 17 : निवेश पर प्रतिलाभ (करोड़ रुपये में)

वर्ष	वर्ष के अंत में निवेश	प्रतिलाभ	प्रतिलाभ का प्रतिशत
2000-2001	1679.09	0.31	0.02
2001-2002	1687.08	1.64	0.10
2002-2003	1702.39	4.09	0.24
2003-2004	1737.29	8.42	0.48
2004-2005	4151.65	2.50	0.6

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सरकार उक्त निवेशों के अतिरिक्त कई स्थानीय निकायों एवं गैर सरकारी संस्थाओं को कर्जे एवं अग्रिम भी उपलब्ध करा रही है। 31 मार्च 2005 के अनुसार कर्जे एवं अग्रिमों का कुल बकाया 5866 करोड़ रुपये था (सारणी 18)। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कम प्राप्ति के कारण उक्त अग्रिमों के विरुद्ध प्राप्त कुल ब्याज 2003-2004 में 0.42 प्रतिशत से तीव्र गति से घटकर 2004-2005 के दौरान 0.09 प्रतिशत

रह गया। इसके साथ ही अधिकांश प्रकरणों में सरकार के ऋण संस्वीकृति आदेशों में इन ऋणों की शर्तों और निबंधनों का उल्लेख नहीं किया गया है।

सारणी 18: राज्य सरकार द्वारा कर्जों एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज (करोड़ रूपयों में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
प्रारंभिक शेष	2845	2991	2002	2440	2608
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	295	599	481	204	3311
वर्ष के दौरान प्रतिभुगतान की गई राशि	13	1588	43	36	53
अंतिम शेष	**2991* @**	**2002**	**2440**	**2608**	**5866**
निवल वृद्धि (+)/कमी (-)	146	(-)989	438	168	3258
प्राप्त ब्याज (करोड़ रुपये में)	157	237	24	11	5
बकाया कर्ज एवं अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	5.25	11.84	0.98	0.42	0.09
राज्य सरकार द्वारा भुगतान किये गये ब्याज की औसत दर	10.69	8.51	8.25	8.54	8.28
प्रदत्त एवं प्राप्त ब्याज के मध्य अंतर	(-)5.44	3.33	(-)7.27	(-) 8.12	(-)8.19

** छत्तीसगढ़ राज्य को आवंटित 136 करोड़ रुपये का अंतर।*

@ उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य आगामी विभाजन हेतु लंबित मध्यप्रदेश में रोककर रखे गए 2191 करोड़ रुपये समाविष्ट हैं

2001-02 को छोड़ कर प्रतिभुगतानों में 2000-2005 की अवधि के दौरान दिये गये कर्जे का केवल एक छोटा सा प्रतिशत ही समाविष्ट है। इन कर्जों पर प्राप्त ब्याज भी बहुत कम है जो न केवल अविवेकपूर्ण है अपितु खराब कर्ज संचालन का परिचायक भी है।

1.8.5 रोकड़ शेष का प्रबंधन

सामान्यतः यह अपेक्षित है कि राज्य के आर्थिक स्रोतों का प्रवाह इसके व्यय दायित्वों के अनुरूप होना चाहिये। तथापि स्रोतों के प्रवाह एवं व्यय दायित्वों में किसी अस्थाई अंतर के संबंध में सावधानी बरतने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों के लिये एक तन्त्र व्यवस्था की गई है। मध्यप्रदेश की 3 मार्च 2003 से 345 करोड़ रुपये एवं 1 अप्रैल 2004 से 395 करोड़ रुपये की अर्थोपाय पेशगियों की सीमा निर्धारित है। वर्ष के दौरान राज्य ने विगत वर्ष के 200 दिनों की तुलना में केवल 127 दिनों तक ही इस व्यवस्था का उपयोग किया, यद्यपि इसने छः अवसरों पर बाजार से 1730 करोड़ रुपये की उधारियाँ लीं।

सारणी 20: राज्य की अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष तथा उन पर भुगतान किया गया ब्याज (करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
अर्थोपाय पेशगियाँ					
वर्ष के दौरान ली गई	2246.46	2491.64	2306.65	5330.26	2234.74
बकाया	--	--	--	266.78	--
भुगतान किया गया ब्याज	8.22	10.51	11.55	14.06	3.75
उन दिनों की संख्या जिन दिनों में राज्य ने अर्थोपाय पेशगियां लीं	165	117	103	200	127
अधिविकर्ष					
वर्ष के दौरान लिए गए	1220.14	3722.79	4140.40	1083.54	--
बकाया	--	--	--	--	--
भुगतान किया गया ब्याज	2.79	5.08	6.69	3.41	--
उन दिनों की संख्या जिन दिनों में राज्य पर अधिविकर्ष था	47	172	176	60	--

1.8.6 अमुक्त देयताएं

राजकोषीय देयताएं, सार्वजनिक ऋण एवं गारंटियाँ

भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि कोई राज्य भारत की सीमा के अंदर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर उन सीमाओं के अंतर्गत, यदि कोई हो, जैसी कि राज्य विधायिका ने पारित अधिनियम द्वारा समय-समय पर निर्धारित की हों, उधार ले सकता है तथापि राज्य विधायिका ने ऐसी कोई सीमा निर्धारित करने हेतु कोई विधान पारित नहीं किया है। वित्त लेखे के विवरण पत्र 16 एवं 17 के साथ पठित विवरण पत्र 4 ऋण, निक्षेप एवं प्रेषण शीर्ष जिनसे देयताओं का परिगणन किया जाता है, के अंतर्गत वर्ष के अंत में शेष दर्शाते हैं।

यह दृष्टव्य है कि राज्य की 2000-01 में 22548 करोड़ रुपये की कुल राजकोषीय देयताएं बढ़कर 2004-05 में 44235 करोड़ रुपये हो गईं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में ये देयताएं 2002-03 में 36.55 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 40.99 प्रतिशत हो गईं तथा यह इसके स्वयं के कर राजस्व एवं कर भिन्न राजस्व की तुलना में राजस्व प्राप्तियों का 2.64 गुना एवं स्वयं के स्रोतों का 3.62 गुना हो गयीं। राज्य की राजकोषीय देयताएं, इनकी वृद्धि दर, इन देयताओं का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, राजस्व प्राप्तियाँ एवं स्वयं के स्रोतों की तुलना में इन देयताओं का अनुपात निम्नांकित सारणी 21 में दिया गया है।

सारणी 21: राजकोषीय असंतुलन - आधारभूत मानदण्ड (रुपये करोड़ में एवं अनुपात प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजकोषीय देयताएं *	22548	26487	30340	37525	44235
वृद्धि दर			14.55	23.68	17.88
निम्नांकित की तुलना में राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	25.49	32.58	36.55	37.14	40.99
राजस्व प्राप्तियाँ	175.62	236.26	226.57	262.61	224.05
स्वयं के स्रोत	306.19	421.70	388.97	453.80	361.54

* *राजकोषीय देयताएं- लोक ऋण एवं लघु बचतें, आरक्षित निधियों तथा निक्षेप इत्यादि जैसी अन्य देयताएं।*

इन देयताओं के अतिरिक्त सरकार ने अपने विभिन्न निगमों एवं अन्य द्वारा लिये गये कर्जों पर 2004-05 में 12507 करोड़ रुपये की गारंटियां दीं। गारंटियाँ राज्य की आकस्मिक देयताएं हैं तथा कर्जों का भुगतान न करने की स्थिति में राज्य का इन वचनबद्धताओं को पूर्ण करने का दायित्व बनता है। राज्य की प्रत्यक्ष राजकोषीय देयताएं इनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर की तुलना में अधिक तीव्र गति से बढ़ीं।

बढ़ती हुई देयताओं के कारण राज्य सरकार की पोषणीयता का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। राजकोषीय देयताएं तब पोषणीय मानी जाती हैं जब इन देयताओं पर भुगतान किया गया। औसत ब्याज सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर से कम रहता है।

सारणी 22 में अधिक ब्याज दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर तथा बढ़े हुये ब्याज के संदर्भ में ऋण की पोषणीयता दर्शाई गई है।

सारणी 22: ऋण पोषणीयता- ब्याज दर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि (प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
बढ़ी हुई ब्याज दर	9.94	9.19	8.81	9.41	8.96
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि	(-)10.45	(-)8.09	2.12	21.70	6.83
बढ़ा हुआ ब्याज	(-)20.39	(-)17.29	(-)6.68	12.29	(-)2.13

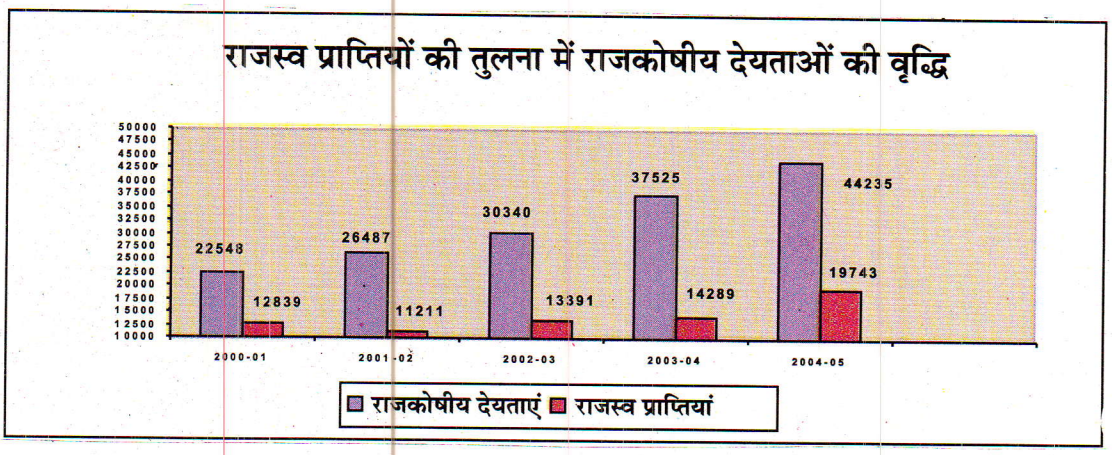

ऋण पोषणीयता का अन्य महत्वपूर्ण संकेत पूर्ववर्ती अनुबंधित देयताओं तथा ब्याज के कारण मूलधन के भुगतान के उपरांत निधियों की निवल उपलब्धता है। निम्नांकित सारणी 23 में विगत पाँच वर्षों में आंतरिक ऋणों की प्राप्तियों एवं प्रतिभुगतान की स्थिति दर्शाई गई है। 2003-2005 के दौरान आंतरिक ऋणों एवं भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों के कारण ब्याज भुगतान एवं प्रतिभुगतान के उपरान्त उपलब्ध निवल निधियाँ 48 प्रतिशत से घटकर 31 प्रतिशत रह गईं।

सारणी 23: उधार ली गईं निधियों की निवल उपलब्धता (करोड़ रुपये में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
आंतरिक ऋण*					
प्राप्तियाँ	1876	1830	3169	7949	6968
प्रतिभुगतान (मूलधन+ब्याज)	843	906	1105	1857	3061
उपलब्ध निवल निधियां	1033	924	2064	6092	3907
उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	55	50	65	77	56
भारत सरकार से कर्जे एवं अग्रिम					
प्राप्तियाँ	994	1451	1780	1723	1881
प्रतिभुगतान (मूलधन+ब्याज)	1494	1368	2468	3158	3052
उपलब्ध निवल निधियां	(-)500	83	(-)688	(-) 1435	(-)1171
उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	(-)50	6	(-)39	(-) 83	(-)62
कुल लोक ऋण					
प्राप्तियाँ	2870	3281	4949	9672	8849
प्रतिभुगतान (मूलधन+ब्याज)	2337	2274	3573	5015	6113
उपलब्ध निवल निधियां	533	1007	1376	4657	2736
उपलब्ध निवल निधियां (प्रतिशत)	19	31	28	48	31

* अर्थोपाय पेशगियों को छोड़कर आंतरिफ ऋण

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान 1730.19 करोड़ रुपये के बाजार ऋण लिये। वर्ष के दौरान उधारियों पर औसत ब्याज दर 6.56 प्रतिशत थी जबकि राज्य सरकार ने राष्ट्रीय लघु बचत निधि से 9.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 2765.67 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार से 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर 1881 करोड़ रुपए उधार लिये। राज्य सरकार ने दर आमंत्रणों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी दरों पर बाजार से उधारियाँ लेने के विकल्प का उपयोग नहीं किया। 31 मार्च 2005 के अनुसार राज्य सरकार के विद्यमान बाजार कर्जों के 48 प्रतिशत कर्जे 10 प्रतिशत से अधिक की ब्याज दर के हैं। इस प्रकार उनके पूर्ववर्ती कर्जों पर उधारियों की प्रभावकारी लागत उस दर से बहुत अधिक है जिस पर सरकार बाजार से वर्तमान में स्रोत जुटाने में सक्षम है। राज्य सरकार के बाजार ऋणों की भुगतान तिथि की रूपरेखा दर्शाती है कि कुल बाजार ऋणों के लगभग एक तिहाई का आगामी पाँच वर्षों में भुगतान किया जाना है जबकि शेष एक तिहाई का आगामी पाँच वर्षों में भुगतान किया जाना है जबकि शेष दो तिहाई ऋणों का 5 से 10 वर्षों की अवधि में प्रतिभुगतान किया जाना वांछित है।

1.9 घाटे का प्रबंधन

1.9.1 राजकोषीय असंतुलन

सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों एवं व्यय में अंतर प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबंधन की दूरदर्शिता दर्शाती है। इसके साथ ही घाटे का जिस प्रकार से वित्तपोषण किया जाता है वे भी राजकोषीय सुदृढ़ता के महत्वपूर्ण परिचायक होते हैं।

राज्य का राजस्व घाटा (वित्त लेखे का विवरणपत्र 1) जो कि राजस्व प्राप्ति की तुलना में इसके राजस्व व्यय का आधिक्य होता है, 2001-02 में 3158 करोड़ रुपये से बढ़कर 2003-04 में 4476 करोड़ रुपये हो गया। तथापि 2004-05 के दौरान राज्य की 1717 करोड़ रुपए की राजस्व बचत रही। राजकोषीय घाटा जो कि सरकार की कुल उधारियाँ एवं इसके कुल स्रोतों के अंतर को दर्शाता है वह भी 2003-04 में 7323 करोड़ रुपये से घटकर 2004-05 में 6492 करोड़ रुपये हो गया। सरकार का प्रारंभिक घाटा भी 2003-04 में 4117 करोड रुपए से घटकर 2004-05 में 2831 करोड़ रुपये रह गया जैसा कि सारणी 24 में दर्शाया गया है।

सारणी 24: राजकोषीय असंतुलन- आधारभूत मानदण्ड (मूल्य: करोड़ रुपये में तथा अनुपात प्रतिशत में)

	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व घाटा(-)/बचत(+)	(-)2146	(-)3158	(-)1169	(-)4476	(+)1717
राजकोषीय घाटा	(-)3539	(-)3645	(-)4062	(-)7323	(-)6492
प्रारंभिक घाटा	(-)1128	(-)1391	(-)1560	(-)4117	(-)2831
राजस्व घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.43	3.89	1.41	4.43	1.59ψ
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4.00	4.48	4.89	7.25	6.02
प्रारंभिक घाटा/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.28	1.71	1.88	4.08	2.62
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	60.64	86.64	28.78	61.12	अनुपलब्ध

ψ राशि राजस्व बचत/सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित है।

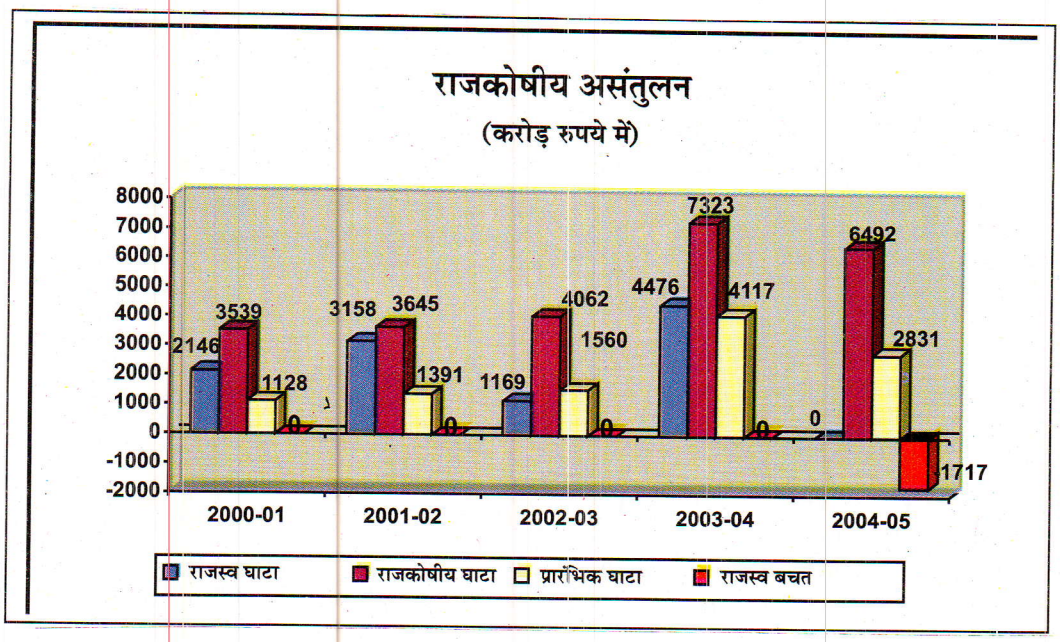

1.10 राजकोषीय अनुपात

राज्य की वित्तीय व्यवस्था पोषणीय, लचीली एवं अभेद्य रहनी चाहिये। निम्नांकित सारणी 25 में कतिपय संदर्शकों के संदर्भ में 2000-2005 में सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश दिया गया है जो उपलब्ध स्त्रोतों की पर्याप्तता, प्रभावकारिता तथा उसकी प्रयोज्यता के आकलन में सहायक है तथा महत्व के क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है और अपने महत्वपूर्ण पहलुओं का अभिग्रहण करता है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों एवं सरकार के स्वयं के कर का अनुपात स्त्रोतों की पर्याप्तता का परिचायक है। ये अनुपात स्त्रातों की गतिशीलता एवं पोषणीयता इंगित करते हुए 2000-2005 के दौरान सतत सुधार दर्शाते हैं।

राज्य के व्यय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न अनुपात इनके स्त्रोत जुटाने के संबंध में इनके व्यय की गुणवत्ता एवं पोषणीयता दर्शाते हैं। 2000-2005 के दौरान विकासात्मक व्यय कुल व्यय का लगभग दो तिहाई रहा जबकि कुल व्यय की प्रतिशतता के रूप में पूंजीगत व्यय 2003-04 में 12 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 22 प्रतिशत हो गया।

सारणी 25: राजकोषीय क्षमता का अनुपात (*प्रतिशत में*)

राजकोषीय अनुपात	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	14.52	13.79	16.13	14.14	18.29
स्वयं के कर/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	6.377	5.756	7.427	6.720	7.202
व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	18.53	20.23	21.08	21.43	24.36
राजस्व प्राप्तियाँ/कुल व्यय	78.33	68.18	76.54	66.00	75.10
राजस्व व्यय/कुल व्यय	91.42	87.38	83.22	86.68	68.57
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	6.90	9.29	14.43	12.49	21.54
विकास व्यय/कुल व्यय (राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय)	63.55	65.63	65.40	66.41	62.87

राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (करोड़ रुपये में)	2146	3158	1169	4476	1717▲
राजकोषीय घाटा (करोड़ रुपये में)	3539	3645	4062	7323	6492
प्रारंभिक घाटा (करोड़ रुपये में)	1128	1391	1560	4117	2831
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	60.64	86.64	28.78	61.12	अनुपलब्ध
राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	25.49	32.58	36.55	37.14	40.99
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियाँ	175.62	236.26	226.57	262.61	224.05
उपलब्ध निवल निधि	19	31	28	48	31
अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता के संदर्शक					
निवेश पर प्रतिलाभ	0.11	0.02	0.39	0.48	0.06
चालू राजस्व का शेष (करोड़ रुपये में)	(-)793	(-)1811	791	(-) 3057	2909
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएं	0.80*	0.71*	0.71*	0.65*	0.75*

* परिसम्पत्तियों एवं कतिपय देयताओं का अभी विभाजन किया जाना है तथा छत्तीसगढ़ राज्य को इसका अंतरण किया जाना है।

राज्य के लिये अपनी सामाजिक एवं आर्थिक आधारिक संरचना के विकास तथा अतिरिक्त आय सर्जक परिसम्पत्तियाँ सृजित करने हेतु उधार लेना असामान्य नहीं है तथा प्रारंभिक घाटे में कमी वर्ष दर वर्ष वेतन आर्थिक सहायता पेंशन जैसे अन्य अविकासात्मक व्यय पर भुगतानों में वृद्धि के साथ ब्याज भुगतानों की वृद्धि का परिचायक है वह आधारिक संरचना हेतु इसकी उधारियों से निधियों की निवल उपलब्धि दर्शाता है जिसमें इन निधियों का अधिकांश भाग ऋण सेवा में उपयोग में लाए जाने का परिचायक है। निवेश पर राज्य का कम प्रतिलाभ अस्पष्ट आर्थिक सहायता तथा निवेश हेतु बड़ी लागत वाली उधारियों का उपयोग दर्शाता है जिसमें इसकी उपलब्धि अत्यंत कम रही जो कि पोषणीय नहीं है।

▲ राशि राजस्व बचत से संबंधित है।

दूसरा अध्याय

आबंटनीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

दूसरा अध्याय

आबंटनीय प्राथमिकताएं एवं विनियोग

2.1 प्रस्तावना

विनियोग लेखा प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है जिसमें विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत बजट की भारित एवं दत्तमत दोनों मदों से संबंधित विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय दर्शाया जाता है ।

विनियोग लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या विभिन्न अनुदानों के अधीन वास्तव में किया गया व्यय विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत सीमाओं में है और संविधान के प्रावधानों के अधीन भारित किया जाने वाला अपेक्षित व्यय इसी प्रकार भारित किया गया है । इसमें यह भी सुनिश्चित करते हैं कि क्या किया गया व्यय विधि, सम्बद्ध नियमों, विनियमों तथा अनुदेशों के अनुरूप है ।

2.2 विनियोग लेखे का सारांश

2004-2005 के दौरान 97 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपयों में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-) आधिक्य(+)
दत्तमत	I. राजस्व	14571.98	1279.10	15851.08	14093.89	-1757.19
	II. पूंजीगत	7840.35	859.80	8700.15*	7399.08*	-1301.07
	III. कर्जे एवं पेशगियाँ	682.08	2765.17	3447.25	3310.86	-136.39
कुल दत्तमत		**23094.41**	**4904.07**	**27998.48**	**24803.83**	**-3194.65**
भारित	IV. राजस्व	*4079.54*	*4.32*	*4038.86*	*4038.42*	*-45.44*
	V. पूंजीगत	*8.50*	*0.07*	*8.57*	*7.29*	*-1.28*
	VI. लोकऋण	*11641.25*	-	*11641.25*	*5626.12*	*-6015.13*
कुल भारित		***15729.29***	***4.39***	***15733.68***	***9671.83***	***-6061.85***
महायोग		**38823.70**	**4908.46**	**43732.16**	**34475.66**	**-9256.50**

* *स्थानीय निकायों/संस्थाओं के सहायतानुदान से संबंधित 30 करोड़ रुपये का प्रावधान तथा 27.60 करोड़ रुपये का व्यय सम्मिलित है जो कि त्रुटिवश राजस्व अनुभाग के स्थान पर पूंजीगत लेखाशीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत एवं लेखांकित किया गया है।*

टिप्पणी: - *व्यय में, राजस्व व्यय के अंतर्गत 105.94 करोड़ रुपये तथा पूंजीगत व्यय के अंतर्गत 2455.37 करोड़ रुपये व्यय की कमी के रूप में समायोजित वसूलियाँ सम्मिलित हैं।*

9256.50 करोड़ रुपये की सम्पूर्ण बचत, विभिन्न अनुदानों एवं विनियोगों के अंतर्गत 179 प्रकरणों में हुई 9340.17 करोड़ रुपये की बचत का निवल परिणाम थी जिसे 15 प्रकरणों में हुए 83.67 करोड़ रुपये के आधिक्य से प्रतिसंतुलित किया गया है।

कतिपय नमूना जाँच किये गये अनुदानों के प्रकरण में व्यय एवं बजट नियंत्रण प्रणाली पर विस्तृत टिप्पणियां कंडिका 2.7 में समाविष्ट की गईं हैं

विनियोग लेखे की संवीक्षा में निम्नांकित तथ्य और भी प्रकट हुए :

(क) व्यय अधिक बताया गयाः

व्यय न किये गये 92.90 करोड़ रुपये (राजस्व अनुभागः 66.47 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत अनुभागः 26.43 करोड़ रुपये) निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से मुख्यशीर्ष 8443 सिविल जमा, 800 अन्य जमाओं में अंतरित किये गये।

शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं से संबंधित 18.53 करोड़ रुपये (जमाः 151.61 करोड़ रुपयों में से 133.08 करोड़ रुपये के संवितरण घटाकर) मुख्यशीर्ष 8443-सिविल जमा, 106- वैयक्तिक जमा खाते के शेष से अधिक थे। वर्ष के दौरान जमा 784.21 करोड़ रुपयों में से 270.74 करोड़ रुपये निरंक भुगतान प्रमाणकों के माध्यम से जमा किये गये।

संक्षिप्त आकस्मिक देयकों पर आहरित किए गए 0.83 करोड़ रुपये के व्यय की यथार्थता प्रमाणित नहीं की जा सकी क्योंकि विस्तृत आकस्मिक देयक प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

(ख) कुल व्यय का अधिकथन इसके न्यूनकथन द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित किया गयाः

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किया गया 7.90 करोड़ रुपये तक का व्यय जिसके प्रमाणक वर्ष के दौरान कोषालयों से प्राप्त नहीं हुए, राशि तदनुसार लेखांकित नहीं हो सकी और इसे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम की आपत्ति पुस्तिकाओं में रखा गया।

बचतों/आधिक्यों के विवरण (विस्तृत विनियोग लेखे) नियंत्रण अधिकारियों को सूचित किये गये थे जिसमें उनसे महत्वपूर्ण भिन्नताओं का स्पष्टीकरण अपेक्षित था। विनियोग लेखे में कुल 756 उपशीर्षों पर की गई अभ्युक्तियों में से बचतों/आधिक्यों के 607 उपशीर्षों (80 प्रतिशत) के संबंध में स्पष्टीकरण या तो प्राप्त नहीं हुए अथवा तथ्यपरक नहीं थे।

2.3 आबंटनीय प्राथमिकताओं की पूर्ति

2.3.1 आबंटनीय प्राथमिकताओं द्वारा विनियोग

आबंटनीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में बचतों के विश्लेषण से निम्नानुसार प्रकट हुआ

अनुदान संख्या 6- वित्त

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	1591.92	1591.92	1383.47	208.45
अनुपूरक	निरंक			

बचतें मुख्यतः 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु एक मुश्त प्रावधान (10 करोड़ रुपये), पेन्शन पर राहत (62.40 करोड़ रुपये) तथा 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ- उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश राज्य हेतु (34.56 करोड़ रुपये) और संयुक्त

मध्यप्रदेश राज्य हेतु (139.96 करोड रुपये) के अंतर्गत हुई जिन्हें मुख्यतः 2071-पेन्शन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य हेतु (39.95 करोड़ रुपये) के अंतर्गत प्रावधान के आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित किया गया ।

बचत/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2005) ।

अनुदान संख्या 12- ऊर्जा

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	2797.31	5563.67	5247.58	316.09
अनुपूरक	2766.36			

बचत मुख्यतः 4801- विद्युत परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्मायोजन हेतु देय राशि के लिए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल/परवर्ती कम्पनियों को सहायता (185.20 करोड़ रुपये), गारंटी दिए गए ऋणों के निपटान हेतु प्रावधान (146.44 करोड़ रुपये) तथा 6801- विद्युत परियोजना हेतु ऋण- ऊर्जा विकास निधि- विद्युत मंडल को अन्य ऋण (172.27 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई जिसे मुख्यतः 6801- विद्युत परियोजना हेतु ऋण- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के एशियन विकास बैंक से प्राप्त परियोजना सहायता के भुगतान (164.82 करोड़ रुपये) के अंतर्गत प्रावधान के आधिक्य से प्रतिसंतुलित किया गया। 185.20 करोड़ रुपये की बचत के लिए संशोधित अनुमान में प्रावधान की कमी का होना बताया गया जिसका राज्य विधान मण्डल की स्वीकृति के बिना योजनेतर से आयोजना में अनियमित रूप से पुनर्विनियोग किया गया। 146.44 करोड़ रुपये की बचत के लिए वित्त वर्ष 2004-05 में निधियों की आवश्यकता न होना बताया गया (46.44 करोड़ रुपये) जबकि 172.27 करोड़ रुपये की बचत मुख्यतः भारत सरकार से निधि उपलब्ध न होने के कारण होना बताया गया। शेष बचत तथा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2005)।

अनुदान संख्या 41- आदिवासी क्षेत्र - उपयोजना

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	579.95	742.29	591.56	150.73
अनुपूरक	162.34			

बचतें मुख्यतः 4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय - केन्द्रीय क्षेत्र योजना में-आदिवासी क्षेत्र-उपयोजना - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में विविध विकास कार्य (अनुच्छेद 275(i)) (43.25 करोड़ रुपये), 4701 वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना- ओंकारेश्वर परियोजना (47.01 करोड़ रुपये) तथा 4515- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना) (39.67 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई। ओंकारेश्वर परियोजना के अंतर्गत 47.01 करोड़

रुपये की बचत मुख्यतः अभिकरण को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थी। अन्य बचतों के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2005)।

अनुदान संख्या 48 - नर्मदा घाटी विकास

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	2668.63	2762.86	2489.02	273.84
अनुपूरक	94.23			

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था तो भी 94.23 करोड़ रुपये का पूरक अनुदान लिया गया। बचतें मुख्यतः 4701- वृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय - राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य)- नहर एवं संबद्ध निर्माण कार्य (72.70 करोड़ रुपये) , इंदिरा सागर परियोजना इकाई- 1 (73.21 करोड़ रुपये) तथा 4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय- राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य) सरदार सरोवर के डूबक्षेत्र में भू-अर्जन एवं अन्य निर्माण कार्यों पर व्यय (114.73 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुईं। नहर एवं संबद्ध निर्माण के अंतर्गत 72.70 करोड़ रुपये की बचत कार्य की धीमी प्रगति के कारण थी, इंदिरा सागर परियोजना इकाई- 1 के अंतर्गत 73.21 करोड़ रुपये की बचत नर्मदा जल विकास निगम को भुगतान न करने के कारण हुई जबकि 114.73 करोड़ रुपये की आंशिक बचत कार्य में कोई प्रगति न होने के कारण थी (94.25 करोड़ रुपये) शेष बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2005)।

अनुदान संख्या 55 - महिला एवं बाल विकास

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	320.91	333.24	230.89	102.35
अनुपूरक	12.33			

इस अनुदान में 10.81 करोड़ रुपये नामे दर्शाकर 230.89 करोड़ रुपये का व्यय बढ़ाकर बताया गया और इसे 31 मार्च 2005 को मुख्यशीर्ष 8443- सिविल जमा- 800 अन्य जमा में जमा किया गया। बचत मुख्यतः 2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण- केन्द्र क्षेत्र योजना (सामान्य)- एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता प्राप्त योजना के अधीन) (19.16 करोड़ रुपये), एकीकृत बाल विकास योजना (11.59 करोड़ रुपये), बालिका समृद्धि योजना (6 करोड़ रुपये) तथा 2236- पोषाहार- राज्य आयोजनागत योजनाएं (सामान्य)- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम- विशेष पोषाहार कार्यक्रम (8.80 करोड़ रुपये), केन्द्रीय क्षेत्र योजना सामान्य- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (49.38 करोड रुपये) के अंतर्गत हुई। 6 करोड़ रुपये की आंशिक बचत भारत सरकार द्वारा बालिका समृद्धि योजना के क्रियान्वयन पर प्रतिबंध के कारण तथा संशोधित बजट आबंटन विलम्ब से जारी किए जाने के कारण हुई। अन्य बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2005)।

अनुदान संख्या 58 - प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा राहत पर व्यय

(करोड़ रुपयों में)

राजस्व (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	241.70	241.70	101.75	139.95
अनुपूरक	निरंक			

बचत मुख्यतः 2245- प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत- सूखा राहत एवं रोजगार हेतु अतिरिक्त प्रावधान (80.80 करोड़ रुपये) और इसका आरक्षित निधियों एवं जमा लेखे को अंतरण-प्राकृतिक आपदाओं में अंतरण - अव्ययित सीमान्त मुद्रा कोष - अकाल राहत निधि (76.13 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई जिसे मुख्यतः 2245 - प्राकृतिक आपदाओं हेतु राहत- नकद सहायता (24.61 करोड़ रुपये) के प्रावधान के आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित किया गया । बचत/आधिक्य के कारण सूचित नही किए गए (अगस्त 2005)।

अनुदान संख्या 76 - नाबार्ड तथा लोक निर्माण विकास से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(करोड़ रुपयों में)

पूंजीगत (दत्तमत)		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
मूल	195.21	242.01	91.64	150.37
अनुपूरक	46.80			

150.37 करोड़ रुपए की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में 46.80 करोड़ रुपए का पूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय मूल अनुदान से कम था। बचत मुख्यतः 5054 सड़कों एवं पुलों के निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय - विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य) - सड़क निर्माण कार्य (एशियन विकास बैंक) (119.78 करोड़ रुपये), राज्य आयोजनागत योजना (सामान्य) नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत मुख्य पुलों का निर्माण (15.62 करोड़ रुपये) तथा नाबार्ड ऋण सहायता के अधीन सड़कों का निर्माण (14.41 करोड़ रुपये) के अंतर्गत हुई । सड़क निर्माण कार्य (एशियन विकास बैंक) के अंतर्गत 119.78 करोड़ रुपये की आंशिक बचत एशियन विकास बैंक द्वारा निर्माण कार्यों की निविदाओं की स्वीकृति विलम्ब से जारी करने के कारण हुई (85.28 करोड़ रुपये)।

कई अन्य शीर्षों में भी निम्नानुसार बचतें/अधिक व्यय परिलक्षित हुए :-

- अन्य 71 अनुदानों/विनियोगों के प्रकरणों में प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक कुल 8241.07 करोड़ रुपये की बचतें हुईं जैसा कि **परिशिष्ट XI** में दर्शाया गया है। इनमें से 3 प्रकरणों (क्रम संख्या 36, 37, एवं 48) में कुल 15.68 करोड़ रुपये के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया।
- 19 प्रकरणों में विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये और उससे अधिक कुल 135.15 करोड़ रुपये का

सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा जैसा कि **परिशिष्ट XII** में विवरण दिया गया है।

- 18 योजनाओं में प्रत्येक प्रकरण में व्यय, स्वीकृत प्रावधानों से 5 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक और कुल प्रावधान के 100 प्रतिशत से भी अधिक कुल 312.08 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। आधिक्य दोषपूर्ण बजट व्यवस्था एवं शिथिल व्यय नियंत्रण का परिचायक है। विवरण **परिशिष्ट XIII** में दिए गए हैं।

- 46 योजनाओं में 5 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक और प्रत्येक प्रकरण में 80 प्रतिशत से अधिक कुल 3719.98 करोड़ रुपये की सारभूत बचत परिलक्षित हुई। इनमें से 27 योजनाओं में सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। विवरण **परिशिष्ट XIV** में दिए गए हैं।

2.3.2 सतत बचतें

अनुदानों के 24 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक और प्रावधान के 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की सतत बचतें हुईं। सतत बचतें अनुपयुक्त अनुमानों पर आधारित बजट व्यवस्था का होना दर्शाती हैं। विवरण **परिशिष्ट XV** में दिये गये हैं।

2.3.3 अधिक व्यय का अपेक्षित नियमन

(i) विगत वर्षों से संबंधित प्रावधान से अधिक व्यय के नियमन की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार के लिये किसी अनुदान/विनियोग में हुए अधिक व्यय का राज्य विधानमण्डल से नियमन कराया जाना अनिवार्य होता है तथापि 1993-94 से 2003-04 तक के वर्षों के दौरान हुए 5004.17 करोड़ रुपये के अधिक व्यय का अभी तक (अगस्त-2005) नियमन नहीं कराया गया है। यह विनियोगों पर विधान मंडल के नियंत्रण का उल्लंघन है।

विवरण निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अनुदानों की संख्या/विनियोग	आधिक्य की राशि	राशि जिसके लिये लोक लेखा समिति के समक्ष स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये
1993-1994	21	258.11	1.12
1994-1995	15	407.46	0.39
1995-1996	21	251.59	प्रस्तुत
1996-1997	18	224.17	प्रस्तुत
1997-1998	13	302.79	0.97
1998-1999	17	1276.45	1.84
1999-2000	17	1584.94	प्रस्तुत
2000-2001	07	265.07	264.70
2001-2002	03	6.26	6.26
2002-2003	08	424.79	387.84
2003-2004	07	2.54	2.54
योग		**5004.17**	**665.66**

(ii) 2004-05 के दौरान प्रावधानों से अधिक व्यय जिसके नियमन की आवश्यकता है

वर्ष के दौरान 15 अनुदानों एवं विनियोगों के अंतर्गत हुए 83,66,18,117 रुपये के अधिक व्यय का संविधान के अनुच्छेद - 205 के अधीन नियमन कराए जाने की आवश्यकता है। विवरण नीचे दिये गये हैं:

(राशि रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय व्ययाधिक्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
क - राजस्व - दत्तमत					
1	24	लोक निर्माण - सड़कें एवं पुल	123,24,00,000	137,01,26,635	13,77,26,635 (11.2)
2	59	ग्रामीण विकास से संबंधित वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	निरंक	1,00,00,000	1,00,00,000 (निरंक प्रावधान)
3	67	लोक निर्माण - भवन	1,99,54,83,000	2,24,42,03,288	24,87,20,288 (12.5)
4	92	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरोन्नयन	निरंक	1,000	1,000 (निरंक प्रावधान)
5	94	सिंहस्थ मेला - 2004 से संबंधित व्यय	1,14,37,000	1,49,94,194	35,57,194 (31.1)
		योग - क -	**323,93,20,000**	**363,93,25,117**	**40,00,05,117**
ख - राजस्व - प्रभारित					
1	67	लोक निर्माण भवन	1,00,00,000	1,02,92,207	2,92,207 (2.9)
		योग - ख	**1,00,00,000**	**1,02,92,207**	**2,92,207**
ग - पूंजीगत - दत्तमत					
1	06	वित्त	41,34,65,100	43,93,96,967	2,59,31,867 (6.3)
2	19	लोकस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	22,80,30,000	26,44,58,353	3,64,28,353 (16.0)
3	30	ग्रामीण विकास	42,00,00,000	42,00,50,000	50,000 (0.01)
4	59	ग्रामीण विकास से संबंधित वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	39,66,00,000	72,59,20,000	32,93,20,000 (83.1)
5	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	2,30,00,000	2,59,00,000	29,00,000 (12.6)
6	78	नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1,39,95,43,000	1,40,00,12,543	4,69,543 (0.03)
7	84	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन - राजस्व	26,74,38,000	30,72,22,883	3,97,84,883 (14.9)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अधिक व्यय व्ययाधिक्य का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	86	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन - जेल	1,06,95,000	1,17,97,511	11,02,511 (10.3)
		योग - ग	**315,87,71,100**	**359,47,58,257**	**43,59,87,157**
घ-पूंजीगत भारित					
1	45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	20,00,000	23,33,636	3,33,636 (16.7)
		योग - घ	**20,00,000**	**23,33,636**	**3,33,636**
		महायोग (क+ख+ग+घ)	**641,00,91,100**	**724,67,09,217**	**83,66,18,117**

सरकार ने अधिक व्ययों के लिये अगस्त 2005 तक कारण प्रस्तुत नहीं किये थे।

2.3.4 मूल बजट और अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान किये गये अनुपूरक प्रावधान (4908.46 करोड़ रुपये) मूल प्रावधान (38823.70 करोड़ रुपये) के 12.64 प्रतिशत थे जबकि विगत वर्ष ये 32.72 प्रतिशत थे।

2.3.5 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 50 प्रकरणों में किये गये 437.18 करोड़ रुपये के पूरक प्रावधान, 1554.52 करोड़ रुपये की कुल बचत (प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक बचत) के परिप्रेक्ष्य में अनावश्यक सिद्ध हुए जिनके विवरण **परिशिष्ट XVI** में दिये अनुसार हैं।

23 प्रकरणों में केवल 3538.31 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध 4377.00 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान एवं विनियोग प्राप्त किये गये जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रकरण में 10 लाख रुपये से अधिक की कुल 838.69 करोड़ रुपये की बचतें हुईं। इन प्रकरणों के विवरण **परिशिष्ट XVII** में दिये गये हैं।

5 प्रकरणों में 92.87 करोड़ रुपये का पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ जिससे 78.14 करोड़ रुपये का असमाविष्ट अधिक व्यय हुआ। विवरण **परिशिष्ट XVIII** में दिये गये हैं।

2.3.6 सतत आधिक्य

विनियोग के एक प्रकरण में सतत अत्यधिक व्यय हुआ जिसका विवरण निम्नानुसार है:

विनियोग का विवरण	आधिक्य की राशि (रुपयों में) एवं प्रतिशत कोष्ठक में		
पूंजीभूत (भारित)	**2002-2003**	**2003-2004**	**2004-2005**
67- लोक निर्माण कार्य भवन	*20,06,537 (401.3)*	*4,64,171 (46.4)*	*2,92,207 (2.9)*

2.3.7 *निधियों का आधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण*

पुनर्विनियोग एक अनुदान के भीतर विनियोग की उस इकाई से जिसमें बचत प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को जिसमें निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता है, निधियों का अन्तरण है। वे प्रकरण जिनमें (क) पहले से ही अधिक व्यय हो चुका था ऐसे शीर्षों से निधियों के आहरण (ख) उपलब्ध बचत से अधिक निधियों के आहरण (ग) बचत के बावजूद भी निधियों का अनावश्यक आवर्द्धन तथा (घ) अधिक व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यकता से अधिक निधियों के आवर्द्धन करने के कारण प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ रुपये से अधिक की निधियों का पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण अविवेकपूर्ण सिद्ध हुआ जिसके विवरण **परिशिष्ट XIX** में दिये गये हैं।

2.3.8 *प्रत्याशित बचत अभ्यर्पित नहीं की गई*

(क) नियमानुसार, व्यय करने वाले विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि जब भी बचतें प्रत्याशित हों, वे अनुदानों/विनियोगों की राशि अथवा उसका भाग वित्त विभाग को अभ्यर्पित कर दें, तथापि वर्ष 2004-05 की समाप्ति पर अनुदानों/विनियोगों के 147 प्रकरणो में हुई बड़ी बचतें विभागों ने अभ्यर्पित नहीं कीं जिनमें 7445.88 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्निहित थी। इनमें से 42 प्रकरणों में उपलब्ध बचतों की प्रचुर राशियाँ (प्रत्येक प्रकरण में 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक) जो कुल 7372.45 करोड़ रुपये थीं, अभ्यर्पित नहीं की गईं। विवरण **परिशिष्ट XX** के अनुसार हैं।

(ख) इसके अतिरिक्त, 127 प्रकरणो में 1935.89 करोड़ रुपये के कुल अभ्यर्पण में से 1924.68 करोड़ रुपये (99.4 प्रतिशत) का अभ्यर्पण मार्च 2005 के अंतिम दिन किया गया जिससे व्यय पर अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रकट होता है।

2.3.9 *निधियों का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण*

(क) 16 प्रकरणों में अभ्यर्पित की गई राशि, उपलब्ध बचत से अधिक थी जो बजट संबंधी नियंत्रण की अक्षम स्थिति का द्योतक है। 283.89 करोड़ रुपये की कुल उपलब्ध बचतों की तुलना में अभ्यर्पित की गई राशि 324.69 करोड़ रुपये की थी, परिणामस्वरूप 40.80 करोड़ रुपये का अविवेकपूर्ण अधिक अभ्यर्पण हुआ। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट XXI** में दिए गए हैं।

(ख) 5 प्रकरणो में 0.83 करोड़ रुपये अभ्यर्पित किये गये, यद्यपि इनमें 60.71 करोड़ रुपये का अधिक व्यय हो गया था। विवरण **परिशिष्ट XXI** में दिये गये हैं।

2.3.10 *बजट प्रावधान के बिना व्यय*

बजट में निधियों का प्रावधान किये बिना किसी योजना/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिये। तथापि यह देखा गया कि 8 प्रकरणों में किया गया 48.40 करोड़ रुपये का व्यय मूल अनुमानों/पूरक माँग में प्रावधान किये बिना किया गया। विवरण **परिशिष्ट XXII** में दर्शाये अनुसार हैं।

2.4 समाधान न किया गया व्यय

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि विभागीय नियंत्रण अधिकारियों को व्यय के विभागीय आंकड़ों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा लेखांकित आंकड़ों से समयबद्ध रूप से मिलान करना चाहिये तथापि कई विभागों में 13 मुख्य शीर्षों से संबंधित 28 अनुदानों में अन्तर्ग्रस्त 1330.32 करोड़ रुपये के व्यय का मिलान करना बकाया था जो वर्ष के दौरान हुए कुल व्यय का 3.9 प्रतिशत था। विवरण **परिशिष्ट XXIII** में दिये गये हैं।

2.5 पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों की दोषपूर्ण संस्वीकृतियाँ

राज्य सरकार के अनुदेशों (अगस्त 1996) तथा वित्तीय नियमों के अनुसार (i)पुनर्विनियोगों/अभ्यर्पणों हेतु समस्त संस्वीकृतियाँ वित्त वर्ष की समाप्ति के पूर्व जारी कर दी जानी चाहिये और लेखाओं में उनके समाविष्टीकरण हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में समय सीमा के भीतर प्राप्त हो जानी चाहिये, (ii) "कार्यालय व्यय" शीर्ष के अंतर्गत किसी भी स्थिति में पुनर्विनियोग द्वारा बजट प्रावधान बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, (iii) भारित से दत्तमत तथा राजस्व से पूंजीगत और इसके विलोमतः किसी राशि का पुनर्विनियोग नहीं किया जा सकता, (iv)" वेतन एवं मजदूरी " शीर्ष से किसी दूसरे शीर्ष में तथा विलोमतः पुनर्विनियोग करना अनुमत्य नहीं हैं, (v) जिस शीर्ष से पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण संस्वीकृत किये गये हों, उसमें बजट प्रावधान से बचत उपलब्ध होनी चाहिये, (vi) जिन योजनाओं से अभ्यर्पण/विनियोग संस्वीकृत किये गये हों, उनके पर्याप्त विवरण दिये जाने चाहिये तथा पुनर्विनियोग संस्वीकृति के दोनों पक्षों का योग मेल खाना चाहिये। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि इन अनुदेशों का उल्लंघन कर वर्ष के दौरान 258.97 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण किये गये। तथापि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने इन्हें लेखे में समाविष्ट करना स्वीकार नहीं किया। इसके विवरण **परिशिष्ट XXIV** में दिये गये हैं।

2.6 व्यय की अत्यधिकता

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि सरकारी व्यय को वर्ष के दौरान समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिये। व्यय की अधिकता, विशेषकर वित्त वर्ष के अंतिम माहों में होना वित्तीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। चार तिमाहियों से संबंधित व्यय तथा माह मार्च 2005 में किये गये व्यय जो कि **परिशिष्ट XXV** में दर्शाया गया है से यह प्रकट होता है कि आठ प्रकरणों में मार्च 2005 में किया गया व्यय वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का 50 और 100 प्रतिशत के मध्य रहा जो वित्त वर्ष के अंत में बजट प्रावधान के उपयोग की प्रवृत्ति दर्शाता है।

2.7 बजट नियंत्रण

बजट प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा तथा आठ अनुदानों* के प्रकरण में अभिलेखों की नमूना जाँच में निम्नानुसार परिलक्षित हुआः

2.7.1 व्यय नियंत्रण पंजियां संधारित न करनाः

अनुदान संख्या 3, 13, 30, 42 एवं 48 के मासिक व्यय विवरण पत्रक नियंत्रण अधिकारियों को उनकी अधीनस्थ इकाईयों से नियमित रूप से प्राप्त नहीं हुए अथवा ये मंगाए नहीं गए। इनमें से किसी भी कार्यालय में व्यय नियंत्रण पंजियां भी संधारित नहीं की गईं थीं। अस्तु नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के अद्यतन प्रगामी योग संगणित नहीं किए जा सके। यह व्यय पर यथोचित नियंत्रण एवं परिवीक्षण का अभाव दर्शाता है, जिसके कारण (क) कतिपय उपशीर्षों के अंतर्गत प्रावधानों से बहुत अधिक व्यय/बड़ी बचतें हुई, (ख) अपर्याप्त/अनावश्यक/अत्यधिक पूरक प्रावधान किए गए और (ग) अनियमित पुनर्विनियोग हुआ एवं निधियों का अभ्यर्पण नहीं किया गया जैसा कि पूर्व में विवेचन किया गया है। अनुदान संख्या 30 के विभाग ने बताया कि अधीनस्थ इकाईयों ने व्यय के लेखे संधारित नहीं किए अतः विभागाध्यक्ष ने पंजी का संधारण नहीं किया। उत्तर मान्य योग्य नहीं है क्योंकि व्यय की वास्तविक देखरेख हेतु नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपरोक्त पंजी संधारित करना आवश्यक था ।

2.7.2 दोषपूर्ण बजट अनुमान बनाना

नमूना जांच किए गए अनुदानों* में अपनाई गई प्रक्रिया तथा 2004-05 के विनियोग लेखे से प्रकट हुआ कि बजट अनुमानों हेतु माँगें तदर्थ आधार पर तैयार की गई थीं। बजट तैयार करने एवं बजट प्रवर्तन की हीन गुणवत्ता के ये परिणाम हुएः

(i) राजस्व दत्तमत भाग के अंतर्गत पांच अनुदानों (3, 13, 39, 48 एवं 55) में 5.43 करोड़ रुपये से 102.35 करोड़ रुपये तक के अधिक प्रावधान किए गए। पूंजीगत दत्तमत भाग में भी पांच अनुदानों (12, 42, 48, 39 एवं 55) में 11.46 करोड़ रुपये से 316.09 करोड़ रुपये तक के अधिक प्रावधान हुए। अनुदान संख्या 39 के विभाग ने बताया कि अधिक प्रावधान बैंकों में ब्याज दर की तुलना में सरकार की अधिक ब्याज दर के कारण था ।

(ii) नमूना जाँच किये गये अनुदानों की 35 योजनाओं के अंतर्गत 2004-05 के दौरान 2 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक की तथा प्रत्येक प्रकरण में प्रावधान के 20 प्रतिशत से भी अधिक कुल 889.91 करोड़ रुपए की सारभूत बचतें **परिशिष्ट XXVI** में दिए गए विवरण के अनुसार हुईं (18 योजनाओं में सतत बचतें हुई थी) । जबकि 10 योजनाओं में 2004-05 के दौरान **परिशिष्ट XXVII** में दिए गए विवरण के अनुसार प्रत्येक प्रकरण

---

* 3-पुलिस (राजस्व-दत्तमत), 12-ऊर्जा (पूंजीगत-दत्तमत), 13- कृषि (राजस्व-दत्तमत), 30- ग्रामीण विकास (पूंजीगत-दत्तमत), 39- खाद्य सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (राजस्व-दत्तमत), 42- जनजाति क्षेत्र उप-आयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़क एवं सेतु (पूंजीगत-दत्तमत), 48- नर्मदा घाटी विकास (राजस्व एवं पूंजीगत-दत्तमत) एवं 55- महिला एवं बाल विकास (राजस्व एवं पूंजीगत-दत्तमत)।

में एक करोड़ रुपए से अधिक कुल 291.48 करोड़ रुपए का प्रचुर आधिक्य होना पाया गया (तीन योजनाओं में सतत आधिक्य रहे) ।

2.7.3 अनावश्यक/अत्यधिक/अपर्याप्त पूरक प्रावधान

नमूना जांच किए गए अनुदानों की आठ योजनाओं में कुल 13.52 करोड़ रुपए के पूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहे एवं अनावश्यक सिद्ध हुए, छः योजनाओं के पूरक प्रावधान 19.69 करोड़ रुपए तक अधिक थे तथा दो योजनाओं में 7.74 करोड़ रुपए का पूरक प्रावधान 6.24 करोड़ रुपए के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में अपर्याप्त सिद्ध हुआ। विवरण **परिशिष्ट XXVIII** में दिए गए हैं ।

2.7.4 जमा शीर्ष में वित्त वर्ष के अंतिम दिन निधियों का अंतरण

अनुदान संख्या 55 महिला एवं बाल विकास में शीर्ष एकीकृत बाल विकास सेवायोजना के अंतर्गत (0.18 करोड़ रुपए) तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत (10.63 करोड़ रुपए) वित्त वर्ष के अंतिम दिन 10.81 करोड़ रुपए आहरित किए गए एवं बजट प्रावधान व्यपगत होना टालने हेतु लेखाओं में व्यय दर्शाकर 31 मार्च 2004 को मुख्य शीर्ष 8443 - सिविल जमा- 800 अन्य जमा में इसे जमा किया गया । इसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक व्यय की अनुचित वृद्धि भी हुई ।

2.7.5 आवश्यकता के पूर्व निधियों का आहरण

" मुख्य निर्माण कार्यों में राज्य सरकार का अंश " योजना के अंतर्गत 30 करोड़ रुपए आहरित किए गए तथा उस अभिकरण को भुगतान किया गया जिसे अनुदान संख्या 30 में निर्माण कार्य सौंपा गया । तथापि अभिकरण 31 मार्च 2005 तक 29.11 करोड़ रुपए का उपयोग कर सका तथा उसने अगले वित्त वर्ष अर्थात 2005-06 में उपयोग करने हेतु 89 लाख रुपए का शेष अप्रयुक्त छोड़ दिया । इस प्रकार 89 लाख रुपए की राशि बजट अनुदान के व्यपगत होने से टालने हेतु आवश्यकता से पूर्व आहरित की गई तथा व्यय गलत रूप में वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया दर्शाया गया।

2.7.6 मार्च में व्यय की अधिकता

संपूर्ण वर्ष नियमित रूप में व्यय करना बजट नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता रहती है। अनुदान संख्या 42 एवं 48 की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मार्च 2005 के दौरान व्यय की प्रतिशतता निम्नानुसार है:-

(रुपये लाख में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	योजना का व्यय	कुल व्यय	मार्च 05 में व्यय	मार्च 05 में व्यय का प्रतिशत
1	42	5054-03-796-337-0102-3710 राज्य राजमार्ग	22.17	7.97	36
2	42	5054-04-796-800-0102-4416 सर्वेक्षण	7.77	6.59	84.8

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	योजना का व्यय	कुल व्यय	मार्च 05 में व्यय	मार्च 05 में व्यय का प्रतिशत
3	42	5054-04-796-800-0102-7081-राज्य राजमार्ग/जिला मुख्य सड़कों का नवीकरण, उन्नयन एवं डम्बरीकरण	1537.33	607.43	39.5
4	48	4701-80-800-0101-6399- इंदिरा सागर परियोजना इकाई -I	21787.50	18771.00	86.2
5	48	4801-01-203-0101-6403- राष्ट्रीय आवास विकास निगम इंदिरा सागर परियोजना इकाई-I इकाई-II की अंशपूंजी में निवेश	36104.50	24798.00	68.7
6	48	4801-01-205-0101-9133- सरदार सरोवर परियोजना	71685.00	68185.00	95.1
7	48	4801-01-205-0101-8905 राष्ट्रीय आवास विकास निगम इंदिरा सागर परियोजना इकाई -I इकाई II की अंशपूंजी में निवेश	66000.00	66000.00	100

मार्च माह में व्यय की उच्च प्रतिशतता शिथिल वित्तीय नियंत्रण का परिचायक है।

2.7.7 अनुदान संख्या 30 के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा न की जाना।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रवर्तन नियमावली की धारा 13.4.2 के प्रावधान के अनुसार राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण को निर्धारित उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त करना चाहिए। इसके साथ ही जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के लिए लेखा प्रक्रिया (2001 में यथा संशोधित) की कंडिका छः (अध्याय-XII) के अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित ग्रामीण विकास मंत्रालय की केन्द्रीय योजनाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार तथा राज्य सरकार के दल द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा की जानी चाहिए। तथापि वर्ष 2004-05 हेतु 42 करोड़ रुपए के बजट आबंटन की संपूर्ण राशि का भुगतान विकास आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास निगम को किया गया था परंतु राशि के सही तथा उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु अभिकरण के लेखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

तीसरा अध्याय

निष्पादन समीक्षाएं

तीसरा अध्याय
निष्पादन समीक्षाएं

इस अध्याय में तीन निष्पादन समीक्षाएं तथा दो लंबी कंडिकाएं यथा 3.1 उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित अधिनियमों एवं नियमों का क्रियान्वयन, 3.2 मंडी निधियों एवं मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (किसान सड़क निधि) से प्राप्त कर्जों से सड़कों का उन्नयन एवं सुधार, 3.3 एकीकृत बाल विकास सेवाओं का क्रियान्वयन, 3.4 पशु एवं भैंस प्रजनन कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परियोजना का क्रियान्वयन तथा 3.5 कोषालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान समाविष्ट हैं।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

3.1 उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित अधिनियमों एवं नियमों का क्रियान्वयन

विशेषताएं

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता विवादों का त्वरित, सरल एवं सस्ता निराकरण उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर एक अलग त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक उपभोक्ता विवाद निराकरण मशीनरी की स्थापना का प्रावधान है। इस अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी तरह सुनिश्चित नहीं किया गया तथा निराकरण खोजने के लिए उपभोक्ता के अधिकारों को पूरा नहीं किया गया था। न्यायाधिकरण में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं तथा कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए गये। उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्य योजना/नीति तैयार नहीं की गयी। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपभोक्ता संरक्षण समितियों की अपेक्षित बैठकें आयोजित नहीं की गयीं। उपभोक्ताओं में जागरूकता एवं सशक्तीकरण उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त उपक्रम नहीं किया गया। पुनरीक्षण के अंतर्गत कुछ अन्य प्रमुख बिन्दु नीचे दिये गये हैं:-

48 जिलों में से 21 जिलों में नियमित जिला न्यायाधिकरण स्थापित नहीं किये गये थे और नये जिलों के निर्माण के 2 वर्षों से अधिक समय बीत जाने पर भी 3 नये जिलों में न्यायाधिकरण स्थापित नहीं किये गये थे। राज्य आयोग की चलित खण्डपीठ स्थापित नहीं की गयी थी।

(कंडिका 3.1.6.1 एवं 3.1.6.3)

खाद्य एवं नाप तौल निरीक्षकों की कमी के कारण निरीक्षण कार्य तथा श्रेष्ठ नमूने उठाने इत्यादि में कमी आयी, जिससे अधिनियम लागू होने तथा उपभोक्ताओं के परिकल्पित लाभों से वंचित रहना प्रभावित हुआ। 13 प्रयोगशालाओं में से 12 माध्यमिक प्रयोगशालाओं का उन्नयन नहीं किया गया।

(कंडिका 3.1.9.1 एवं 3.1.9.5)

राज्य उपभोक्ता संरक्षण समिति नियमित रूप से कार्य नहीं कर रही थी और जिला उपभोक्ता संरक्षण समितियां चालू नहीं थीं।

(कंडिका 3.1.10.1 एवं 3.1.10.2)

4 जिला न्यायाधिकरणों में जिला न्यायाधिकरण के सदस्य नियुक्त नहीं किये गये, जबकि 15 जिला न्यायाधिकरणों में सदस्य का एक पद रिक्त था। शीघ्र नियुक्ति हेतु सदस्यों की वरीयता सूची नहीं रखी गयी।

(कंडिका 3.1.11)

सभी जिला न्यायाधिकरणों में पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं कराए गये, जबकि 4 अंशकालीन जिला न्यायाधिकरणों में कोई कर्मचारी पदस्थ नहीं था और 12 जिला न्यायाधिकरणों में केवल एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदस्थ था।

(कंडिका 3.1.11)

उपभोक्ताओं की विस्तृत जागरूकता तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित करने के लिए जागृति शिविर योजना का क्रियान्वयन करने तथा जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गये।

(कंडिका 3.1.12)

3.1.1 प्रस्तावना

उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए सरल, त्वरित एवं सस्ते निराकरण उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार (भा.स.) द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (अधिनियम) अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकार सुनिश्चित करना भी था अर्थात चयन सुरक्षा, सूचना, लोक सुनवाई, निराकरण एवं उपभोक्ता शिक्षण का अधिकार। यह अधिनियम 1 जुलाई 1987 से लागू हुआ। अधिनियम के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन में, राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश (एम.पी.) उपभोक्ता नियम 1987 बनाये। अधिनियम में, राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर एक अलग, त्रिस्तरीय अर्द्धन्यायिक उपभोक्ता विवाद निराकरण मशीनरी स्थापित करने के लिए प्रावधान है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं को तथा उपभोक्ता संगठनों को

उपभोक्ता न्यायालयों में शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्रदान करता है। शिकायतों के त्वरित निराकरण की सुविधा प्रदान करने, निराकरण एजेन्सी की क्षमता बढ़ाने, अधिक शक्ति सम्पन्न करने, धारा प्रवाह क्रम पद्धति तथा अधिक क्रियाशील एवं प्रभावी तथा जड़ मूल स्तर तक उपभोक्ता गतिविधि को सशक्त करने के लिए भी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के क्षेत्र को विस्तार देने के लिए अधिनियम को 2002 में संशोधित किया गया था।

उपभोक्ताओं को गैर मिलावटी खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने "खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954" अधिनियमित किया था और "खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955" बनाया था। अपमिश्रण अधिनियम के अंतर्गत, खाद्य पदार्थों के विभिन्न वर्गों के नमूने विश्लेषण हेतु लिये जाते हैं और नाप तौल के मानक लागू करने के लिए भारत सरकार ने "मानक नाप तौल (प्रवर्तन) अधिनियम 1985" अधिनियमित किया था। नाप तौल अधिनियम के अंतर्गत व्यवसाय तथा वाणिज्य में प्रयुक्त नाप तथा तौल के उपकरण सावधि जाँच के द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं।

3.1.2 संगठनात्मक स्वरूप

प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, विभाग राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित अधिनियम तथा नियमों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार होता है तथा एक संयुक्त संचालक, तीन उप संचालकों और जिला स्तर पर जिला एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी, जिसका पदनाम जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी है, की सहायता से आयुक्त सह संचालक विभाग प्रमुख होता है।

3.1.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस समीक्षा का मुख्य उद्धेश्य यह जाँच करना था कि :-

- वह सीमा, जहाँ तक कार्य संचालन की अवधि के संदर्भ में अधिनियम में निर्धारित अनुसार न्याय निर्णय कार्यविधि संरचित की गयी ;
- क्या अभिप्रेत उद्धेश्यों की प्राप्ति तथा न्याय निर्णय कार्यविधि की अधोसंरचना को सशक्त करने के लिए अशासकीय संगठनों की बड़ी भागीदारी तथा उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण के लिए कोई नीतिगत दस्तावेज मौजूद हैं ;
- मुख्यतः राज्य आयोग एवं जिला न्यायाधिकरण द्वारा शासित कर्मचारी वर्ग के संदर्भ में अधिनियम के क्रियान्वयन के शासी नियम क्या बनाए गये थे ;
- वह सीमा, जहाँ तक शिकायतों के निराकरण हेतु निर्मित अधोसंरचना ने उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को पूरा किया;
- क्या उपभोक्ता संरक्षण के लिए विभिन्न अधिनियमों के प्रशासन हेतु पर्याप्त कार्यविधि थी;
- क्या कर्मचारी रखने तथा संचालित करने के लिए समरूप योजना निर्धारित की गयी है और उनका उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए जिला

न्यायाधिकरण और राज्य आयोग के कर्मचारी वर्ग तथा व्यक्तियों में पालन किया जा रहा है;

- क्या शिकायतें दर्ज कराने की पद्धति सहित, उपभोक्ता विवाद निवारण कार्यविधि के बारे में जानकारी के सम्बन्ध में जनसामान्य के बीच जागरूकता उत्पन्न करने में, भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित योजनाओं सहित विभिन्न उपाय एवं की गयी पहल सफल रही है, और ;
- क्या उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत की सुनवाई का उचित तरीका तैयार किया गया था और वह सीमा, जहाँ तक शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से अंतवर्ती शोधक तथा सुधारात्मक उपाय स्थापित किये गये थे।

3.1.4 लेखापरीक्षा समावेश

समीक्षा के अंतर्गत, आयुक्त सह संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण (आयुक्त), राज्य आयोग, दस जिला न्यायाधिकरण एवं जिला परिषद*, नियंत्रक, नाप तौल तथा 4 जिला अधिकारी, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और 5 जिला अधिकारी तथा भोपाल में स्थित तीन स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन के अभिलेखों की नमूना जाँच पर आधारित, वर्ष 2000-2005 की अवधि के लिए उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित अधिनियमों तथा नियमों का क्रियान्वयन आता है।

प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा राज्य शासन के अध्यक्ष के साथ अप्रैल-मई 2005 में प्रारंभिक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें लेखापरीक्षा योजना, जो कि लेखापरीक्षा उद्धेश्यों इत्यादि सहित, अधिकार क्षेत्र में लागू है, पर विचार विमर्श किया गया था। समीक्षा को अंतिम रूप देते समय शासन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया।

मध्य प्रदेश के दस जिलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के क्रियात्मक स्तर पर सर्वेक्षण किये जाने हेतु ओ.आर.जी.केन्द्र को सामाजिक शोधकार्य सौंपा गया था। जुलाई 2005 में इस सर्वेक्षण के बारे में शासन को सूचित किया गया था। जुलाई के द्वितीय सप्ताह से अगस्त के चौथे सप्ताह के दौरान संचालित यह सर्वेक्षण 2234 उपभोक्ताओं, 448 शिकायतों, 11 निर्माता/सेवा उपलब्धकर्ता और 2 अशासकीय संगठनों पर आधारित है। ओ.आर.जी.के निष्कर्ष के विवरण **परिशिष्ट - XXIX** में दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.5 वित्तीय परिव्यय एवं खर्च

वर्ष 2000-05 के दौरान बजट प्रावधान एवं खर्च निम्नानुसार था :-

---

* बालाघाट, बड़वानी, भोपाल, छतरपुर, दमोह, देवास, पन्ना, रीवा, सागर तथा नीमच

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राज्य आयोग एवं जिला न्यायाधिकरणों के संचालन हेतु		
	बजट प्रावधान	खर्च	बचत
2000-01	2.87	2.42	0.45
2001-02	2.03	2.03	-
2002-03	3.72	2.61	1.11
2003-04	2.99	2.83	0.16
2004-05	4.41	3.97	0.44

वर्ष 2002-05 के दौरान लगातार और प्रचुर बचतें रिक्त पदों के नहीं भरे जाने के कारण हुईं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि रिक्त पदों के लिए प्रावधान, बजट अनुमानों में वित्तीय नियमों के उल्लंघन में किया जा रहा था।

3.1.6 क्रियान्वयन

3.1.6.1 न्याय निर्णय कार्य विधि की संरचना

अधिनियम में राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर अलग से अर्द्धन्यायिक उपभोक्ता संरक्षण निवारण कार्य विधि तैयार करने का प्रावधान है। राज्य आयोग तथा जिला न्यायाधिकरणों के गठन और उन्हें प्रभावी रूप से क्रियाशील बनाने के लिए जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंपी गयी थी।

अधिनियम प्रभावशील होने की तारीख से तीन वर्षों से अधिक समय बीतने के बाद राज्य आयोग ने कार्य आरंभ किया।

राज्य आयोग का गठन एक अधिसूचना (10 जनवरी 1990) द्वारा किया गया था और इसने अधिनियम लागू होने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद (1 सितम्बर 1990) कार्य आरम्भ किया। इस प्रकार राज्य स्तर पर निवारण कार्य विधि स्थापित करने में प्रचुर विलम्ब हुआ।

अधिनियम लागू होने की तारीख से तीन से चार वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद जिला न्यायाधिकरणों ने कार्य आरंभ किया।

38 जिलों में, जिला न्यायाधिकरण, प्रत्येक जिले में आकार के अनुसार एक, सात स्वतंत्र जिला न्यायाधिकरण (यथा-जबलपुर, ग्वालियर, रीवा जनवरी 1990 में तथा भोपाल, इन्दौर, सागर तथा उज्जैन) मार्च 1990 में संरचना हेतु अधिसूचित किये गये थे। जबकि बाकी 31 जिला न्यायाधिकरण सम्बन्धित जिलों के वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ अधिसूचित किये गये थे (अप्रैल 1991) चार जिला न्यायाधिकरणों ने (यथा-रीवा, इन्दौर ने मई 1990 में, ग्वालियर, उज्जैन ने जुलाई 1990 में, अधिनियम लागू होने की तारीख से लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद) स्वतंत्र जिला न्यायाधिकरण के रूप में कार्य आरम्भ किया। निवारण तंत्र की स्थापना में विलम्ब और धीमी गति का प्रभाव यह हुआ कि उपभोक्ता अपनी शिकायतों के सस्ते एवं त्वरित निवारण प्राप्त करने के लिए वंचित रहे। सभी 38 जिला न्यायाधिकरणों ने अध्यक्ष जिला न्यायाधिकरण के रूप में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के साथ मई 1991 से सितम्बर 1992 में कार्य आरम्भ किया। यह जिला स्तर पर एक अलग अर्द्धन्यायिक उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की तदर्थ व्यवस्था थी, जो कि अगस्त 1997 तक जारी रही बावजूद इसके कि तदर्थ व्यवस्था रोकने तथा निम्नांकित विचार विमर्श के अनुसार एक वर्ष की

तीन जिलों में जिला न्यायाधिकरण स्थापित नही किये गये।

अवधि के अंदर प्रत्येक जिले में स्वतंत्र जिला न्यायाधिकरण बनाने के लिए उपाय करने हेतु सार्वजनिक वाद विरुद्ध भारतीय संघ प्रकरण में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 1993 में आदेश दिया था। मार्च 2003 में तीन नये जिले (अनूपपुर, अशोकनगर और बुरहानपुर) बनाए गये थे किन्तु सितम्बर 2005 तक जिला न्यायाधिकरण स्थापित नहीं किये गये थे। इस प्रकार इन तीन जिलों के 12.39 लाख उपभोक्ताओं को सुगम पहुँच के लिए उपभोक्ता न्यायाधिकरण उपलब्ध नहीं हैं।

21 जिलो में स्वतंत्र पूर्णरूपेण जिला न्यायाधिकरण स्थापित नही हो सके।

सार्वजनिक वाद विरुद्ध भारतीय संघ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश (अगस्त 1991 तथा जनवरी 1993) के बावजूद, कि प्रत्येक जिले मे एक जिला न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए राज्य शासन का संवैधानिक दायित्व है और जैसा कि अधिनियम की धारा 9 में परिकल्पित है, केवल 24 जिला न्यायाधिकरण * ही पूर्ण रूप में कार्य कर रहे हैं और शेष 21 जिलों में** पूर्णरूपेण जिला न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष सम्बद्ध बैठकों को सम्हाले हुए हैं। इस प्रकार ये अंशकालिक जिला न्यायाधिकरण हैं और स्वभाविक रूप से आंशिक क्रियाशील हैं क्योंकि वे प्रत्येक कार्य दिवस पर उपलब्ध नहीं हैं। इन जिलों में मार्च 2005 की स्थिति में 1400 प्रकरण लम्बित थे। इस तरह अधिनियम लागू होने के समय से 18 वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी स्वतंत्र पूर्णरूपेण जिला न्यायाधिकरण 21 जिलों में स्थापित नहीं हो सके।

सात अंशकालीन जिला न्यायाधिकरणों ने, जिलों के बनने की तारीख से दो वर्ष से अधिक समय के बाद, वर्तमान जिला न्यायाधिकरण के रूप में कार्य आरंभ किया।

नये जिलों के गठन (मई - जुलाई 1998) के परिणामस्वरूप सात अंशकालिक जिला न्यायाधिकरण (बड़वानी, डिण्डोरी, हरदा, नीमच, कटनी, श्योपुर कला और उमरिया) बनाने के लिए अधिसूचित किये गये थे (नवम्बर 1999), इन्होंने, जिले निर्माण होने के तारीख से दो वर्षो से अधिक विलम्ब के बाद, अप्रैल 2000 से दिसम्बर 2001 के दौरान विद्यमान जिला न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया।

इस प्रकार उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र की स्थापना में विलम्ब होने तथा स्थापना न होने के कारण, अधिनियम का क्रियान्वयन पूरी तरह सुनिश्चित नहीं हो सका और निवारण चाहने के उपभोक्ता के अधिकार पूरे नहीं हो सके।

3.1.6.2 प्रकरणों का स्थानान्तर नहीं किया जाना/स्थानान्तरण में विलम्ब

जिला न्यायाधिकरण मंदसौर द्वारा नीमच जिले के उपभोक्ताओं के आठ शिकायती प्रकरण अप्रैल 2001 में जिला न्यायाधिकरण नीमच को स्थानान्तरित किये थे, यद्यपि इसने अप्रैल 2000 में कार्य आरम्भ कर दिया था। जबकि नीमच के उपभोक्ताओं के 5 शिकायती प्रकरण मंदसौर में निर्णीत किये गये थे। इसी प्रकार उमरिया जिले के उपभोक्ताओं के 5 शिकायती प्रकरण, जिला न्यायाधिकरण, उमरिया को स्थानान्तरित नहीं किये गये थे, बल्कि नवम्बर 2000 से दिसम्बर 2004 के दौरान जिला

---

* *14 जिला न्यायाधिकरण सितम्बर 1997 से, 6 जिला न्यायाधिकरण जून 1998 से और 4 जिला न्यायाधिकरण मार्च 2003 से।*

** *बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, छतरपुर, दतिया, देवास, डिण्डौरी, हरदा, झाबुआ, मंडलेश्वर, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, सीधी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुरकला और उमरिया।*

न्यायाधिकरण शहडोल में निर्णित किये गये, राज्य आयोग के इस आदेश (अप्रैल 2000) के बावजूद कि सम्बन्धित न्यायाधिकरण में ही प्रकरण निर्णीत किये जाएं। इन जिलों के शिकायतकर्ताओं को अपने प्रकरणों के अनुसरण में कठिनाई उठानी पड़ी क्योंकि न्यायाधिकरण अन्य जिलों में स्थित थे।

3.1.6.3 परिक्षेत्र खण्डपीठ की स्थापना न होना ।

परिक्षेत्र खण्डपीठ स्थापित नहीं किये गये।

विस्तृत भोगोलिक क्षेत्र आवरित करने तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए, परिक्षेत्र खण्डपीठ का तंत्र आरम्भ किया गया था। दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी राज्य शासन द्वारा कोई भी परिक्षेत्र खण्डपीठ अधिसूचित और स्थापित नहीं किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने उपभोक्ताओं के हित में राज्य आयोग की दो अतिरिक्त खण्डपीठ प्रस्तावित की थी, जैसा कि भारत सरकार द्वारा सूचित किया गया (मई 2004) पंजीयक ने उत्तर दिया (सितम्बर 2005) कि राज्य आयोग वर्तमान में जबलपुर, इन्दौर तथा ग्वालियर में आवश्यक न्यूनतम अमले के साथ प्रतिमाह 2-3 दिन के लिए परिक्षेत्र बैठकें कर रहा है क्योंकि अतिरिक्त परिक्षेत्र न्यायालयों के लिए अलग से कोई अमला भर्ती नहीं किया गया है।

ओ.आर.जी.-एम.ए.आर.जी. द्वारा संचालित सर्वेक्षण में प्राप्त अधिक प्रकरणों को निपटाने के लिए राज्य आयोग तथा जिला न्यायाधिकरणों की क्षमता बढ़ाने के लिए उपभोक्ता शासन की निष्क्रियता को कैसे समझे। उन्होंने सूचित किया कि लगभग 83 प्रतिश. उपभोक्ताओं ने बताया कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार पर्याप्त काम नहीं कर रही है अथवा सरकार द्वारा किये गये इस तरह के प्रयासों से वे अवगत नहीं थे।

उपभोक्ताओं की शिकायतों के समय पर तथा त्वरित निराकरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को, राज्य आयोग तथा जिला न्यायाधिकरण के लिए अतिरिक्त खण्डपीठ बनाने हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराना चाहिए।

3.1.7 नीति का व्यवस्थापन एवं नियमों की अधिसूचना :-

3.1.7.1 नीति तैयार न किया जाना

लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कोई कार्य योजना अथवा कोई नीति तैयार नहीं की गयी।

ऐसी कोई भी कार्य योजना अथवा नीति तैयार नहीं की गयी जिसके द्वारा विभिन्न उपभोक्ता कल्याण के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें अथवा लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न की जा सके, जैसे कि उपभोक्ताओं की जागरूकता विकसित करने तथा राज्य में, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता गतिविधियां बढ़ाने के लिए स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन (एन.जी.ओ.) अशासकीय संगठन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष बनाया जाना। यहाँ तक कि उपभोक्ताओं की गतिविधि बढ़ाने तथा न्याय तंत्र में शिकायत दर्ज कराने के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता फैलाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों तथा अशासकीय संगठनों को शामिल करने के लिए पहल नहीं की गयी। सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के सशक्तीकरण के लिए कोई नीति अथवा कार्य योजना तैयार नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के अधिकार, जैसे कि चयन का अधिकार, सूचना, उपभोक्ता शिक्षण, सुरक्षा, लोक सुनवाई

तथा निर्णय आदि सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम के उद्धेश्यों की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह, अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित नहीं किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी द्वारा जिला न्यायाधिकरण अथवा राज्य आयोग में उपभोक्ता की कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की गयी।

जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी को उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी के रूप में घोषित किया गया है (मार्च 2004) । किसी भी अनियमितता इत्यादि से पीड़ित कोई उपभोक्ता, उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जो कि सत्यापन करने के उपरान्त उपभोक्ता संरक्षण न्यायाधिकरण के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। यह देखा गया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी द्वारा अब तक जिला न्यायाधिकरण में अथवा राज्य आयोग में कोई भी शिकायत प्रस्तुत नहीं की गयी है, जो इस तथ्य का सूचक है कि सरकार की इस पहल की जन सामान्य में पर्याप्त जागरूकता पैदा नहीं की गयी है।

3.1.7.2 नियमों की अधिसूचना

मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 संशोधित नहीं किये गये, जबकि अधिनियम दिसम्बर 2002 में संशोधित किया गया था।

मध्य प्रदेश (एम.पी.) उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 सितम्बर 1987 में अधिसूचित किये गये थे। बाद में दिसम्बर 2002 में अधिनियम संशोधित किया गया था और संशोधित अधिनियम 15 मार्च 2003 से लागू किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण (संशोधित) अधिनियम 2002 के मूल उद्धेश्य हैं, शिकायतों का सुविधाजनक त्वरित निराकरण, निवारण एजेन्सी की क्षमता बढ़ाना, उन्हें अधिक शक्ति सम्पन्न करना, कार्यविधि को गतिमान बनाना, अधिनियम को और अधिक क्रियाशील तथा प्रभावी बनाने के लिए इसका कार्यक्षेत्र विस्तृत करना और उपभोक्ता गतिविधियों को निचले स्तर तक शक्तिशाली बनाना भी। जबकि धारा 30 की उप धारा (2) अधिनियम के प्रावधानों को संचालित करने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को अधिकृत करती है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2002 के संशोधन लागू होने के दो वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी मध्य प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987 को संशोधित करने/संरचित करने के लिए कार्य आरम्भ नहीं किया है।

अधिनियम में यह प्रावधान है कि उपभोक्ता विवाद निवारण एजेन्सी में दर्ज की गयी प्रत्येक शिकायत (15 मार्च 2003 से प्रभावशील) के साथ समुचित राशि का शुल्क संलग्न हो। अधिनियम की धारा 30 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अधिनियम संशोधित होने से एक वर्ष के विलम्ब के बाद शिकायतों के सम्बन्ध में जिला न्यायाधिकरणों में 20 लाख रुपए तक जमा करने के लिए नियम बनाए (मार्च 2004) । बाद में राज्य आयोग के समक्ष 20 लाख रुपए से अधिक एक करोड़ रुपए तक की शिकायतें करने के लिए शुल्क जमा करने हेतु ये नियम संशोधित किये गये (फरवरी 2005)। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2003-04 में जिला न्यायाधिकरणों में तथा 2003-05 में राज्य आयोग में शिकायतों के साथ शुल्क

संग्रहण नहीं हुआ। आयोग में तथा नौ जिला न्यायाधिकरणों में वर्ष 2003-05 के दौरान शिकायतों के साथ 2.85 लाख* तक की राशि का शुल्क संग्रहीत नही हुआ।

राज्य सरकार द्वारा उत्पादों के परीक्षण हेतु कोई प्रयोगशाला अधिमान्य नहीं की गयी।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण नियमों के नियम-2 में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार अधिनियम के उद्धेश्यों से तीन वर्षो की अवधि के लिए एक समुचित प्रयोगशाला के रूप में एक प्रयोगशाला अधिसूचित करे। राज्य आयोग के पंजीयक ने बताया (सितम्बर 2005) कि उत्पादों के परीक्षण के उद्धेश्य से राज्य सरकार द्वारा कोई प्रयोगशाला अधिमान्य नहीं की गयी है।

34 प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने प्रकरण दर्ज कराने के लिए वकीलों के परामर्श पर स्टाम्प पेपर का उपयोग किया।

ओ.आर.जी.-एम.ए.आर.जी. द्वारा किये गये सर्वेक्षण के परिणाम से भी प्रकट हुआ है कि लगभग एक तिहाई (30 प्रतिशत) शिकायतकर्ताओं ने सूचित किया है कि उन्होंने व्यक्तिशः जिला न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज करायी, जबकि आधे से अधिक (62 प्रतिशत) ने सूचित किया है कि उन्होंने एक अभिकर्ता अथवा अभिभाषक के माध्यम से शिकायत दर्ज करायी। लगभग 34 प्रतिशत शिकायतकर्ता प्रकरण दर्ज कराने के लिए मुद्रा पत्र (स्टाम्प पेपर) का उपयोग करते हैं, यद्यपि ऐसा अपेक्षित नहीं था, और ज्यादातर प्रकरणों में (85 प्रतिशत) अभिकर्ताओं/वकीलों ने उन्हें ऐसा करने का परामर्श दिया था।

3.1.8 अधोसंरचना का औचित्य :

3.1.8.1 एकमुश्त अनुदान के उपयोग में विलम्ब

राज्य आयोग तथा जिला न्यायाधिकरणों की अधोसंरचना को सुदृढ करने के लिए भारत सरकार ने राज्य सरकार को अक्टूबर 1995 से मार्च 1999 के बीच 5 करोड़ रुपए (राज्य आयोग 0.50 करोड़ रुपए एवं 45 जिला न्यायाधिकरण 4.50 करोड़ रुपए) की एक मुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी थी। इस सहायता का उपयोग आधारभूत आवश्यकताओं पर किया जाना था, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण के लम्बित मामले निबटाने के उद्धेश्य से उपभोक्ता न्यायाधिकरणों के लिए जगह, कार्यालय उपकरण, पुस्तकालय की पुस्तकें , फर्नीचर निम्नांकित बिन्दु देखे गये।

4.53 करोड़ रुपए की राशि (24 लाख रुपए सात माह के लिए, 215 लाख रुपए एक वर्ष के लिए, 194.33 लाख रुपए तीन वर्षो के लिए और 20 लाख रुपए चार वर्षो के लिए) सात माह से चार वर्षो तक की अवधि के लिए सिविल जमा में निरुद्ध कर दी गयी, जिसके परिणामस्वरूप अपेक्षित अधोसंरचना तैयार करने में विलम्ब हुआ। मार्च 2005 तक 474.70 लाख रुपए की राशि का उपयोग कि गया था और 25.30 लाख रुपए (25 लाख रुपए लोक निर्माण विभाग और 0.30 लाख रुपए राज्य आयोग के पास) अप्रयुक्त पड़े रहे।

---

* *राज्य आयुक्त (0.92 लाख रुपए), बड़वानी (0.02 लाख रुपए), भोपाल (0.84 लाख रुपए), छतरपुर (0.04 लाख रुपए), दमोह (0.09 लाख रुपए) देवास (0.09 लाख रुपए), नीमच (0.07 लाख रुपए), पन्ना (0.10 लाख रुपए), रीवा (0.41 लाख रुपए) एवं सागर (0.27 लाख रुपए)।*

दो जिला न्यायाधिकरणों के भवनो तथा वृत्त खण्डपीठ के एक भवन का निर्माण नहीं हुआ।

सितम्बर 2005 की स्थिति में, तीन जिला न्यायाधिकरणों (बैतूल, सीहोर तथा रायसेन) के भवन निर्माणाधीन थे। दो जिला न्यायाधिकरणों (जबलपुर एवं उज्जैन) के भवन तथा एक वृत्त खण्ड पीठ, जबलपुर का भवन निर्मित नहीं हुए क्योंकि भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, जबकि जिला न्यायाधिकरण, विदिशा के एक भवन का निर्माण कार्य भूमि विवाद के कारण रोक दिया गया था। 25 लाख रुपए की एक राशि (जबलपुर एवं उज्जैन जिला न्यायाधिकरण के लिए 10 लाख रुपए प्रत्येक तथा 5 लाख रुपए वृत्त खण्डपीठ, जबलपुर के लिए) लोक निर्माण विभाग के पास मार्च 2000 से अपयुक्त पड़ी थी।

तीन जिला न्यायाधिकरण किराए के भवनों में चल रहे थे। किराए के भुगतान पर वर्ष 2000-05 के दौरान 11.52 लाख रुपए का व्यय किया गया, जिसे बचाया जा सकता था, यदि इन जिलों के 50.77 लाख उपभोक्ताओं के हित में भवन निर्माण के लिए प्रभावी कदम उठाए गये होते।

3.1.8.2 अधोसंरचना की सुविधाएं

दो जिला न्यायाधिकरणों में कोई आधारभूत सुविधा उपलवध नहीं थी, जबकि चार जिला न्यायाधिकरणों में पेयजल की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

यह देखा गया कि 4 जिला न्यायाधिकरणों (बालाघाट, छतरपुर, देवास एवं पन्ना) में कोई कार्यालय अधोसंरचना की सहायक सामग्री, जैसे कि जीरोक्स मशीन, फेक्स, कम्प्यूटर, हार्डवेयर इत्यादि उपलब्ध नहीं करायी गयी। 4 जिला न्यायाधिकरणों (बालाघाट, छतरपुर, पन्ना, सागर) में उपभोक्ताओं के लिए पेय जल की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जबकि 3 जिला न्यायाधिकरणों (बालाघाट, छतरपुर एवं रीवा) में उपभोक्ताओं के लिए फर्नीचर उपलब्ध नहीं था। नवम्बर 1999 में बनाए गये दो जिला न्यायाधिकरणों (बड़वानी एवं नीमच) में कोई आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ता न्यायाधिकरणों में न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी उपाय नहीं किये थे।

3.1.9 तंत्र प्रवर्तन

3.1.9.1 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम

उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत सरकार में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (एक्ट) अधिनियमित किया तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 बनाये थे। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1962 बनाए थे। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को (स्वास्थ्य) प्राधिकारी घोषित किया गया है, जो कि राज्य के स्तर पर प्रशासन तथा अधिनियम लागू करने के प्रभार में हैं। निम्नांकित बिन्दु देखे गये।

अधिनियम की धारा 10 (2) में परिकल्पित है कि खाद्य निरीक्षक, अपने अधिकार क्षेत्र में खाद्य सामग्री के निर्माण, भंडारण के लिए अनुज्ञप्त सभी संस्थानों का निरीक्षण करेगा और अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। कार्यरत खाद्य निरीक्षकों की संख्या, स्वीकृत संख्या से काफी कम थी। अप्रैल 2000 में खाद्य निरीक्षकों के 275 पद

स्वीकृत थे जिनके विरुद्ध केवल 71 व्यक्ति स्थित थे (मानव प्रास्थिति) । उनकी संख्या प्रतिवर्ष घटती गयी और मार्च 2005 के अंत तक केवल 39 निम्नानुसार रह गये।

खाद्य निरीक्षकों की 74 से 87 प्रतिशत तक कमी जिससे अधिनियम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ।

वर्ष	स्वीकृत संख्या	कार्यरत संख्या	रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत
2000-01	275	71	204	74
2001-02	275	52	223	81
2002-03	275	45	230	84
2003-04	275	36	239	87
2004-05	275	39	236	86

नौ जिलों* में कोई भी नियमित खाद्य निरीक्षक पदस्थ नहीं था। इस प्रकार, अधिनियम के नियमन हेतु नियमित प्रभावी तंत्र की अनुपलब्धता के कारण इन जिलों के 51.58 लाख उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं थी।

नियंत्रक ने बताया (सितम्बर 2005) कि इन नव निर्मित जिलों के लिए खाद्य निरीक्षकों के पद स्वीकृत नहीं थे इसलिए पास के जिलों के खाद्य निरीक्षक इन जिलों का अतिरिक्त प्रभार सम्हाले हुए थे।

निरीक्षण एक महत्वपूर्ण नियामक कार्य है जिसके माध्यम से अधिनियम का प्रशासन होता है। नियमों में यह प्रावधान है कि खाद्य निरीक्षक, अपने अधिकार क्षेत्र में किसी पदार्थ के निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय के लिए अनुज्ञप्त सभी संस्थाओं का निरीक्षण करे।

इन नियमों के प्रावधानों का क्रियान्वयन करने के लिए, यह आवश्यक है कि विभाग, क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर खाद्य निरीक्षकों (एफ.आई.) के अमला प्रतिरूप के मानदण्ड निर्धारित करें, बाजार का व्यापक सर्वेक्षण करके खाद्य सामग्री के विभिन्न निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खेरीज विक्रेताओं, फुटकर विक्रेताओं इत्यादि की एक पूरी सूची तैयार करें और प्रत्येक निरीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से निरीक्षण करने तथा नमूने एकत्रित करने के लिए मानदण्ड/लक्ष्य निर्धारित करें।

नियंत्रक के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, यह पता चला कि इन संस्थाओं के निरीक्षण के लिए प्रति निरीक्षक प्रतिवर्ष लक्ष्य 180 तय किया गया था और नमूने एकत्रित करने के लिए 120 तय किया गया था। 2000-05 के दौरान खाद्य निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या ने न केवल अधिनियम के क्रियान्वयन बल्कि निम्नानुसार राज्य के 6.03 करोड़ उपभोक्ताओं के अधिकारों पर भी विपरीत प्रभाव डाला :-

वर्ष 2000-05 के दौरान निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण करने में 2 से 22 प्रतिशत तक और नमूने एकत्रित करने में 22 से 55 प्रतिशत तक की कमी हुई, जैसा कि परिशिष्ट-XXX में दिया गया है। अपमिश्रण के विरुद्ध दायर किये गये अभियोग, न्यायालय द्वारा 31

---

* *अनूपपुर, अशोकनगर, बुरहानपुर, डिण्डोरी, हरदा, श्योपुरकलां, नीमच, कटनी, एवं उमरिया*

मार्च 2005 तक निर्णीत किये गये मामले तथा 2000-05 के दौरान न्यायालय में लम्बित रहे मामलों के वर्षवार विवरण **परिशिष्ट XXXI** में दिये गये हैं। यह देखा गया है कि 31 से 50 प्रतिशत मामलों में मिलावटकर्ता बरी हो गये हैं और 50 से 69 प्रतिशत मामलों में मिलावटकर्ता दोषी सिद्ध हुए हैं। बरी किये जाने के विरुद्ध विभाग द्वारा उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की गयी। यह बताए जाने पर उपसंचालक, भोपाल ने सूचित किया कि खाद्य अपमिश्रण निवारण के मामलों की पैरवी करने के लिए, सरकारी अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया था। इसलिए, और पुराने मामलों के लिए गवाह उपलब्ध नहीं होने के कारण भी, अधिकांश मामलों में मिलावटकर्ता बरी हो गये। 31 मार्च 2005 की स्थिति में 10,277 लम्बित प्रकरणों का वर्षवार विवरण (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट XXXI** में दिया गया है) नियंत्रक के पास उपलब्ध नहीं था। नमूना जाँच किये गये 4 जिलों में 680 (भोपाल 178, दमोह 210, देवास 40, और सागर-252) मामले 10 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित थे और 276 (भोपाल - 104, दमोह-11, देवास-63 एवं सागर-98) मामले 5 वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित थे।

3.1.9.2 नाप तौल (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 के मानक

अंतर्राज्यी व्यापार एवं वाणिज्य, निर्यात और आयात के नियमन के लिए नाप-तौल के मानकों का प्रवर्तन करने की दृष्टि से सरकार ने नापतौल (प्रवर्तन) मानक अधिनियम 1985 अधिनियमित किया था।

प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भी नाप तौल (प्रवर्तन) मानक अधिनियम 1985 एवं नाप तौल स्तर (पैकेजबद्ध वस्तु नियम, 1977) की व्यवस्था की है। नियंत्रक नाप तौल नियामक प्राधिकारी है। निम्नांकित बिन्दु देखे गये।

3.1.9.3 उपयोगकर्ताओं की पंजी संधारित नहीं की जाना

नाप या तौल के उपयोगकर्ताओं का पंजीयन बंद होने से अधिनियम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ।

अधिनियम एवं नियमों में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी लेन देन में अथवा औद्योगिक, उत्पादन के लिए किसी नाप या तौल का तब तक उपयोग नहीं कर सकता, जब तक कि वह इस हेतु पंजीकृत न हो। उपयोगकर्ताओं की एक पंजी रखा जाना और नाप-तौल के उपयोगकर्ताओं को एक प्रमाण पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है जो पाँच वर्षो की अवधि के लिए वैध है एवं जिसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि ऐसे किसी नाप तौल का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है जो पंजीकृत नहीं है।

नियंत्रक के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पता चला कि उपयोगकर्ताओं की पंजी संधारित नहीं की गयी थी। यह बताए जाने पर उत्तर दिया गया है कि पंजीयन के लिए शुल्क का प्रावधान जुलाई 1996 से बन्द हो गया था क्योंकि बहुत अधिक लेखन सामग्री तथा श्रम खर्च होता था, इसलिए इसका संधारण बंद कर दिया गया। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पंजीयन बंद नहीं किया गया था। इस प्रकार, उपयोगकर्ताओं की पंजी का संधारण बंद किये जाने से अधिनियम के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा क्योंकि यही अधिनियम के प्रवर्तन के लिए सूचना का प्राथमिक साधन है।

निरीक्षण एक महत्वपूर्ण नियामक कार्य है जिसके माध्यम से अधिनियम प्रशासित किया जाता है। अधिनियम में प्रावधान है कि एक निरीक्षक को अपने अधिकार क्षेत्र में निरीक्षण करना और किसी भी नाप एवं तौल की जाँच करना चाहिए। अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रवर्तन के लिए अमले का प्रकार नाप तौल के उपयोगकर्ताओं के नियमित सर्वेक्षण के मानक निर्धारित किये जाने चाहिए थे। तथापि, अमले के प्रकार के मानक तैयार नहीं किये गये और उपयोगकर्ताओं की पंजी का संधारण भी बन्द कर दिया गया।

नियंत्रक के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि ऐसे संस्थानों के 3000 निरीक्षण और अपराधियों के विरुद्ध दर्ज करने के लिए 240 मामले, प्रति निरीक्षक प्रतिवर्ष का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। निरीक्षकों के 109 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 2000-05 के दौरान 70 से 90 निरीक्षक कार्य की स्थिति में थे, जैसा कि परिशिष्ट **XXXII** में दर्शाया गया है। निरीक्षकों की कमी से अधिनियम के क्रियान्वयन पर निम्नानुसार विपरीत प्रभाव पड़ा।

2000-05 के दौरान निरीक्षण संचालित करने में 11 से 54 प्रतिशत और निरीक्षकों द्वारा मामले तैयार करने में 55 से 70 प्रतिशत तक की कमी हुई, जैसा कि **परिशिष्ट XXXII** में दर्शाया गया है।

निरीक्षण संचालित करने में 11 से 54 प्रतिशत तक और मामले तैयार करने में 55 से 70 प्रतिशत तक की कमी।

2000-05 के दौरान नाप और तौल के अपराधियों के विरुद्ध सेंतीस हजार छः सौ तीन मामले तैयार किये गये थे, जैसा कि **परिशिष्ट XXXIII** में दर्शाया गया है। इनमें से 31,834 (85 प्रतिशत) मामलों में अपराधियों के साथ समझौता हो गया। केवल 172 (0.4 प्रतिशत) मामले न्यायालय में दायर किये गये, जबकि 5594 (14.6 प्रतिशत) मामले (2000-01 के 1143, 2001-02 के 1277, 2002-03 के 940, 2003-04 के 811 और 2004-05 के 1423) विभाग के पास लम्बित पड़े थे। इन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी जिससे अधिनियम का क्रियान्वयन प्रभावित हुआ।

3.1.9.4 माध्यमिक मानक तथा चालू मानक का सत्यापन नहीं किया जाना

माध्यमिक एवं चालू मानकों के सत्यापन की आवधिकता का पालन नहीं किये जाने के कारण व्यापार एवं वाणिज्यक में प्रयुक्त नाप एवं तौल की शुद्धता दुष्प्रभावित हुई।

अधिनियम तथा नियमों में प्रावधान है कि प्रत्येक माध्यमिक मानक* या चालू मानक** को मानक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित मानक से सुसंगत होना चाहिए। प्रत्येक माध्यमिक मानक को अधिकतम दो वर्षों के अंतराल से समुचित संदर्भ मानक के विरुद्ध सत्यापित किया जाना होता है, जबकि प्रत्येक चालू मानक को अधिकतम एक वर्ष के अंतराल से समुचित माध्यमिक मानक के विरुद्ध सत्यापित किया जाना होता है। अधिनियम में आगे प्रावधान है कि सत्यापित नहीं किया गया कोई माध्यमिक मानक अथवा चालू मानक को माध्यमिक मानक अथवा चालू मानक नहीं समझा जाएगा। सत्यापित नहीं किया गया कोई माध्यमिक मानक, किसी चालू मानक को सत्यापित

---

* *माध्यमिक मानकः मानक नाप या तौल का वह समूह जो किसी चालू मानक के सत्यापन के लिए केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से बनाया अथवा निर्मित किया गया है।*

** *चालू मानकः मानक नाप या तौल का वह समूह जो राष्ट्रीय मूल रूप अथवा राष्ट्रीय संदर्भ या माध्यमिक मानक के अलावा किसी अन्य मानक या नाप तौल को सत्यापित करने के लिए सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से बनाया अथवा निर्मित किया गया है।*

करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा और सत्यापित नहीं किया गया कोई चालू मानक किसी नाप या तौल के सत्यापन के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

सहायक नियंत्रक, सागर के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला है कि माध्यमिक मानकों के सभी तीन समूह 9 फरवरी 2001 को पहली बार और इसके बाद तीन वर्ष आठ माह बीत जाने के बाद 14 अक्टूबर 2004 को सत्यापित किये गये थे, जबकि माध्यमिक मानकों के रूप में उनकी वैधता 8 फरवरी 2003 को समाप्त हो चुकी थी। 2001-02 के दौरान कोई भी चालू मानक सत्यापित नहीं किया गया और चालू मानकों के 29 समूहों का असत्यापित माध्यमिक मानकों के साथ सत्यापित किया गया था (5 समूह, 04-06-2003 को और 24 समूह, 25-09-2004 से 11-10-2004 के दौरान) इस प्रकार 2001-2002 और 2003-2005 के दौरान पाँच जिलों (छतरपुर, दमोह, पन्ना, सागर और टीकमगढ़) में व्यापार तथा वाणिज्य में प्रयोग किए गए नाप और तौल अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मानकों के अनुसार सत्यापित नहीं किये गये थे।

3.1.9.5 प्रयोगशालाओं का इलेक्ट्रानिक प्रणाली में उन्नयन नहीं किया गया।

प्रयोगशालाओं को इलेक्ट्रोनिक तुलाओं से उपकरण सम्पन्न नहीं किया गया।

राज्य क. नाप तौल विभाग, जो यांत्रिक तुलाओं से उपकरण सम्पन्न 13 माध्यमिक मानक प्रयोगशालाओं के साथ कार्य कर रहा है, इन्हें व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोनिक तुला तथा उपकरणों के सत्यापन एवं मुद्रांकित करने के लिए इलेक्ट्रोनिक तुलाओं में उन्नत करना अपेक्षित है। इन 13 प्रयोगशालाओं में से केवल एक ही प्रयोगशाला केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान की सहायता से इलेक्ट्रोनिक प्रणाली में उन्नत की गयी थी। बारह माध्यमिक प्रयोगशालाएं इलेक्ट्रोनिक प्रणाली में उन्नत नहीं की गयी, इस प्रकार, व्यापार एवं वाणिज्य में उपयोग किय जाने वाले सभी नाप-तौल उपकरणों का विनियमन सम्भव नहीं हुआ, क्योंकि इन उपकरणों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। यह बताए जाने पर नियंत्रक ने उत्तर दिया (सितम्बर 2005) कि माध्यमिक प्रयोगशालाओं को उन्नत करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। शेष 12 प्रयोगशालाओं को उन्नत नहीं किये जाने के लिए कारण सूचित नहीं किय गये।

3.1.10 उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कार्य

राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद का मुख्य उद्देश्य है उपभोक्ताओं के छः अधिकारों का प्रवर्तन एव संरक्षण करना, यथा सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई होने का अधिकार, समाधान खोजने का अधिकार और राज्य के अंतर्गत उपभोक्ता शिक्षण जैसा कि अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित है।

3.1.10.1 राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद

अधिनियम की धारा 7(3) के उपबंधों के अनुसार राज्य परिषद को वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य आयोजित करना चाहिए। अधिनियम की धारा 7(4) के अंतर्गत, यह प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में व्यापार संचालित करने के सम्बन्ध में नियम अथवा प्रणाली तैयार करे। सरकार द्वारा ये नियम नहीं बनाये गये।

राज्य आयोग के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान यह पाया गया कि राज्य परिषद, अगस्त 1995 में स्थापित हुई थी और इसकी पहली बैठक नवम्बर 1995 में आयोजित हुई थी। 2000-05 के दौरान केवल एक बैठक 26 जुलाई 2003 को आयोजित हुई थी।

18 वर्षों का समय बीत जाने के बाद भी राज्य परिषद की बैठक में व्यापार संचालित करने के सम्बन्ध में नियम अथवा प्रणाली तैयार नहीं किये जाने के लिए कारण बताने हेतु सरकार से निवेदन किया गया था (सितम्बर 2005)। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है। इस प्रकार राज्य परिषद के कार्य न करने के कारण राज्य के 6.03 करोड़ उपभोक्ता अधिनियम में उल्लिखित हितों से वंचित रह गये।

3.1.10.2 जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद

जिला परिषद के उद्देश्य हैं-जिले के अंदर अधिनियम की धारा -6 में उल्लिखित उपभोक्ता अधिकारों का प्रवर्तन एवं संरक्षण करना। जिले का जिलाध्यक्ष इसके अध्यक्ष पद पर कार्य करता है और उतने सरकारी तथा गैर सरकारी सदस्य होते हैं जितने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएं। अधिनियम की धारा 8 क में प्रावधान है कि जिला परिषद को वर्ष में कम से कम दो बैठकें अवश्य आयोजित करना चाहिए। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा व्यापार संचालित करने के लिए नियम अथवा प्रणाली तैयार किया जाना चाहिए।

2 वर्ष का समय बीत जाने के बाद भी जिला परिषद की बैठक में व्यापार संचालित करने के लिए नियम तथा प्रणाली तैयार नहीं की गयी थी। यह बताए जाने पर (अप्रैल 2005), आयुक्त ने उत्तर दिया (सितम्बर 2005) कि नियमों की संरचना प्रकिया के अंतर्गत है।

जिला परिषदें निष्क्रिय बनी रहीं

जिला परिषद, अधिनियम लागू होने की तारीख से एक वर्ष बीत जाने के बाद गठित हुई थी (फरवरी 2004) । नमूना जॉच किये गये 10* जिलों में से किसी में भी जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें आयोजित नहीं हुईं।

इस प्रकार, जिला परिषद के निष्क्रिय रहने और राज्य परिषद के अनियमित रूप से कार्य करने के कारण, अधिनियम में परिकल्पित उपभोक्ता के अधिकार न तो प्रचालित हो सके और न ही संरक्षित हो सके। उपभोक्ता न्यायाधिकरणों की गतिविधियों की विवेचना कभी नहीं की गयी।

औसतन एक शिकायतकर्ता को मामले को सुलझाने के लिए 2453 रुपए का खर्च करना पड़ा।

ओ.आर.जी. के सर्वेक्षण से भी पता चला है कि शायद ही किसी प्रतिवादी ने गैर सरकारी संगठनों से अधिनियम और नियमों के बारे में सीखे जाने की सूचना दी हो। अधिनियम और नियमों के बारे में जानकारी का प्रमुख स्रोत इलेक्ट्रोनिक एवं मुद्रण मीडिया है, जो क्रमशः 84 प्रतिशत और 61 प्रतिशत है। औसतन, मामले सुलझाने के लिए एक शिकायतकर्ता पर 2453 रुपए खर्च किये जाते हैं जिसका एक बड़ा अनुपात (औसत राशि 2034 रुपए) वकील की फीस में समाविष्ट रहता है। ज्यादातर शिकायतकर्ता शहरी क्षेत्रों में (92 प्रतिशत) रहते हैं और लगभग सभी (98 प्रतिशत) ही

---

* *भोपाल, बालाघाट, बड़वानी, छतरपुर, देवास, दमोह, पन्ना, नीमच, रीवा और सागर।*

शिक्षित होते हैं। शिकायतकर्ताओं की औसत मासिक परिवारिक आय 11953 रुपए थी। इससे ध्वनित होता है कि शिकायत निवारण संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं का उपयोग ज्यादातर शहरी क्षेत्र के निवासियों और वह भी समाज के उच्च अथवा मध्यम आय स्तर वालों द्वारा किया गया। निर्माता एवं सेवा उपलब्ध कराने वाले, अधिनियम तथा नियमों के प्रति अच्छी तरह सजग थे। समग्रतः सभी दाँव लगाने वालों एवं शिकायतकर्ताओं ने समस्या निवारण को इतना सरल और सस्ता समझ लिया किन्तु त्वरित नहीं समझा।

3.1.11 संचालन के लिए अमले तथा निधियों की पर्याप्तता

राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह राज्य आयोग तथा प्रत्येक जिला न्यायाधिकरण को पर्याप्त अमला उपलब्ध कराते हुए उसे क्रियाशील बनाए । राज्य में राज्य आयोग तथा 45 जिला न्यायाधिकरण संचालित हैं। राज्य आयोग तथा जिला न्यायाधिकरणों के दक्षतापूर्वक कार्य करने के लिए स्टाफ पैटर्न के मानक निर्धारित किये जाने थे। किन्तु स्टाफ पैटर्न के लिए मानक तैयार नहीं किये गये । सभी जिला न्यायाधिकरणों के लिए एक समान अमला आकार रखने के लिए बागला समिति की अनुशंसाओं (जून 2000) का कदापि पालन नहीं किया गया और विभिन्न जिलों में अमले का आकार तैयार करने में व्यापक भिन्नताएं उत्पन्न हो गयीं, जैसा कि नीचे दिया गया है :-

जिला न्यायाधिकरण सभी कार्य दिवसों पर कार्य नहीं कर रहे हैं।

45 जिला न्यायाधिकरणों को चलाने के लिए चौबीस अध्यक्षों के पद स्वीकृत किये गये हैं। अतः केवल 24 जिला न्यायाधिकरण ही पूर्णरूपेण जिला न्यायाधिकरण की तरह काम कर रहे हैं। शेष 21 जिला न्यायाधिकरण अस्थाई जिला न्यायाधिकरण के रूप में काम कर रहे हैं तथा पूर्णरूपेण जिला न्यायाधिकरणों के साथ सम्बद्ध कर दिये गये हैं, इसलिए, ये सभी कार्य दिवसों में कार्य नहीं कर रहे हैं। पूर्ण जिला अध्यक्षों द्वारा उनके अस्थाई जिला न्यायाधिकरणों में भ्रमण करने के लिए सरकार अथवा राज्य आयोग द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं । नमूना जांच किये गये जिलों में, 6जिला न्यायाधिकरण माह में केवल एक से छः दिन तक कार्य कर रहे हैं (बड़वानी एवं पन्नाः 1 दिन, देवासः 2 दिन, छतरपुरः4 दिन, बालाघाटः5 दिन और नीमचः 6दिन)।

इन जिला न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों ने बताया कि वे इन अस्थाई जिला न्यायाधिकरणों में अपनी सुविधा से तथा मामलों के लम्बित होने को ध्यान में रख कर भ्रमण करते हैं।

दो जिला न्यायाधिकरण 18 से 19 माह तक के लिए निष्क्रिय बने रहे।

दो जिला न्यायाधिकरण 18 माह से 19 माह की अवधि तक के लिए (डिण्डोरी : अप्रैल 2003 से सितम्बर 2004 तक और उमरिया मई 2003 से नवम्बर 2004 तक) निष्क्रिय बने रहे । उपभोक्ताओं की तैंतालीस शिकायतें (डिण्डोरीः13 और उमरियाः 30)निवारण के लिए लम्बित पड़ी रहीं क्योंकि अध्यक्ष ने इन न्यायाधिकरणों की बैठक के दिनों में भ्रमण नहीं किया था ।

45 जिला न्यायाधिकरणों के लिए सदस्यों के 90 पद स्वीकृत किये गये थे। चार जिला न्यायाधिकरणों में (छतरपुरःजुलाई 2004, मंदसौरः जुलाई 2003, सीधीः मार्च 2004 और

विदिशाः अगस्त 2003) सदस्यों के दोनों पद रिक्त थे, जबकि 15* जिला न्यायाधिकरणों में सदस्य का एक पद रिक्त था ।

केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् ने 16 जुलाई 2003 को आयोजित अपनी तेईसवीं बैठक में अनुशंसा की थी, कि सदस्यों की रिक्ति उत्पन्न होने से पूर्व ही सदस्यों की एक क्रमसूची बना ली जाए, किन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी । यह बताए जाने पर राज्य आयोग के पंजीयक ने उत्तर दिया (सितम्बर 2005) कि जिलाध्यक्षों से सदस्यों की क्रम सूचियां प्राप्त नहीं होने के कारण सदस्यों की नियुक्ति में विलम्ब हुआ और सदस्यों की नियुक्ति में विलम्ब सरकार के पक्ष में था।

तीन जिला न्यायाधिकरण, सदस्यों की पदस्थापना नहीं होने के कारण छः माह से नौ माह तक की अवधि के लिए निष्क्रिय बने रहे एवं जब तक पड़ौसी जिलों के सदस्यों की अतिरिक्त पद स्थापना की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी तब तक उपभोक्ताओं की 521 शिकायतें निम्नानुसार लम्बित पड़ी रहीं :-

जिला न्यायाधिकरण का नाम	अवधि जिसके दौरान दोनों सदस्यों के पद रिक्त थे	दोनों सदस्यों की वर्तमान रिक्ति से पूर्व लम्बित शिकायतों की संख्या	इस अवधि के दौरान दर्ज की गयी शिकायतों की संख्या	लम्बित रही शिकायतों की कुल संख्या	लम्बित रहने की अवधि (माह में)	तारीख जिसमें वैकल्पिक व्यवस्था की गयी।
सीधी	मार्च 04 से नवम्बर 04 तक	165	निरंक	165	9	30 नवम्बर 2004, रीवा के एक सदस्य को अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
छतरपुर	जुलाई 04 से दिसम्बर 04 तक	113	02	115	6	30 नवम्बर 2004, दमोह के एक सदस्य को अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
मन्दसौर	अगस्त 03 से फरवरी 04 तक	243	24	267	7	5 मार्च 2004, नीमच के एक सदस्य को अतिरिक्त प्रभार दिया गया।
योग		**521**	**26**	**547**	-	

* *बालाघाट (जनवरी 2004), बैतूल (अगस्त 2002), भिन्ड (जुलाई 2002), दतिया (दिसम्बर 2001), डिन्डोरी (नवम्बर 1999), पन्ना (दिसम्बर 2003), रतलाम (मई 2003), राजगढ़ (जनवरी 2005), सतना (मार्च 2004), सिवनी (जुलाई 2003), सीहोर (अक्टूबर 2004), शहडोल (जुलाई 2004), टीकमगढ़ (फरवरी 2004), इन्दौर (जनवरी 2005) और मुरैना (जुलाई 2003) ।*

चार जिला न्यायाधिकरणों में कोई कर्मचारी पदस्थ नहीं है, जबकि 12 जिला न्यायाधिकरणों में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे।

21 अंशकालीन जिला न्यायाधिकरणों में प्रत्येक के लिए दो पद (1 निम्न श्रेणी लिपिक और 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) स्वीकृत किये गये थे (दिसम्बर 2002) । चार जिला न्यायाधिकरण (छतरपुर, डिण्डोरी, उमरिया एवं सीधी) बिना किसी अमले के चल रहे थे, जबकि 12 जिला न्यायाधिकरणों (दतिया, देवास, बड़वानी, बैतूल, हरदा, पन्ना, शाजापुर, नीमच, झाबुआ, शहडोल, श्योपुर कला और मन्दसौर) में केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे।

पाँच जिला न्यायाधिकरणों में प्रत्येक कार्य दिवस को शिकायतें प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।

पाँच जिला न्यायाधिकरणों में (बड़वानी, छतरपुर, देवास, डिण्डोरी और नीमच) प्रत्येक कार्य दिवस को उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी इन जिला न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों ने बताया कि जिला न्यायाधिकरणों के बैठक वाले दिनों में उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त की जाती थीं। इस प्रकार इन जिलों के 48.71 लाख उपभोक्ता प्रत्येक कार्य दिवस को जिला न्यायाधिकरणों में अपनी शिकायतें दर्ज नहीं करा सके।

24 जिला न्यायाधिकरणों में अपर्याप्त कर्मचारी पदस्थ किये गये थे, जो निम्नानुसार पूर्ण जिला न्यायाधिकरणों के रूप में कार्य कर रहे थे :-

क्रम संख्या	पद का नाम	प्रत्येक जिला न्यायाधिकरण के लिए स्वीकृत पदो की संख्या	जिला न्यायाधिकरणों की संख्या, जिनके लिए पद स्वीकृत किये गये	जिला न्यायाधिकरणों की संख्या, जिनमें पदस्थ किये गये	जिला न्यायाधिकरणों की संख्या, जिनमें पद रिक्त हैं	अवधि जबसे रिक्त हैं
1.	न्याय क्षेत्र का अधीक्षक	1	20	11	9	भिण्ड, छिन्दवाड़ा, दमोह एवं खण्डवा दिसम्बर 2002 से, गुना एवं मंदसौर फरवरी 1996 से, मुरैना, दिसम्बर 2001 से, सागर फरवरी 2004 से और उज्जैन मार्च 2004 से।
2.	उच्च श्रेणी लिपिक	1	20	14	6	गुना, होशंगाबाद, मंदसौर, सिवनी सतना और सिवनी दिसम्बर 2002 से।
3.	रीडर	1	24	15	9	भिण्ड,छिन्दवाड़ा, दमोह, खण्डवा, कटनी, सागर एवं शिवपुरी अगस्त 2004 से मंदसौर दिसम्बर 2002 से और रीवा अक्टूबर 2002 से।
4.	आशुटंकक	1	24	6	18	भोपाल, भिण्ड, छिन्दवाड़ा, दमोह, धार, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इन्दौर, खंडवा, मन्दसौर मुरैना, रीवा, सागर, सतना, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा, अगस्त 2004 से।
5.	आशुलिपिक	1	24	23	1	मण्डला दिसम्बर 2002 से।

राज्य आयोग के पंजीयक ने बताया (सितम्बर 2005) कि सरकार द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के कारण वर्तमान रिक्तियां नहीं भरी जा सकी।

यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी, कि वह जिला न्यायाधिकरणों में उनके प्रभावी, सुगम तथा निर्विघ्न संचालन के लिए पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराये, जिससे कि उपभोक्ताओं के शिकायतों का निराकरण अधिनियम में निर्धारित किये गये समय में यथाशीघ्र हो सके। किन्तु सरकार न्यूनतम स्वीकृत कर्मचारी भी उपलब्ध कराने में असफल रही। इस प्रकार, अधिनियम का क्रियान्वयन परिकल्पना के अनुसार किया जाना सुनिश्चित नहीं हो सका।

3.1.12 उपभोक्ताओं का जागरण एवं सशक्तीकरण

जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जागृति शिविर योजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ।

भारत सरकार ने राज्य सरकार, जिला प्राधिकरणों के सहयोग से जिला स्तर पर उपभोक्ता जागृति शिविर, बैठकें, कार्यक्रम इत्यादि आयोजित करके उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, " जागृति शिविर योजना " नामक एक योजना शुरू की थी (दिसम्बर 2003)

सरकार ने 6.03 करोड़ उपभोक्ताओं एवं मुख्य रूप से उन 4.43 करोड़ उपभोक्ताओं में जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा अधिनियम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए योजना क्रियान्वित करने हेतु पहल नहीं की।

आयुक्त ने उत्तर दिया (सितम्बर 2005) के जिलाध्यक्षों से जानकारी मँगायी जा रही है और भारत सरकार से कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है।

प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित नहीं किये गये।

भारत सरकार ने जिला परिषद की सहायता से कम से कम एक जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित करने के लिए एक योजना आरम्भ की थी (अक्टूबर 2000) और उपभोक्ता संरक्षण के सभी पहलुओं पर सूचना प्रसारित करने के उद्देश्यों से स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन स्थापित किये थे। प्रत्येक जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र के लिए 3 वर्ष समाहित करते हुए चरणबद्ध रूप से(प्रथम वर्ष 2.5 लाख रुपए, दूसरे वर्ष में 1.75 लाख रुपए और तीसरे वर्ष में 0.75 लाख रुपए) 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकार्य थी।

आयुक्त के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि जिलों में जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। यह बताए जाने पर उत्तर दिया गया (सितम्बर 2005) कि जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठन/स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठन द्वारा कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था।

भोपाल जिले के 3* स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों के अभिलेखों की छानबीन से पता चला कि भारत सरकार द्वारा मानव व्यवस्थापन एवं पर्यावरण हेतु राष्ट्रीय केन्द्र, भोपाल को 4.50 लाख रुपए (जुलाई 2001 में 2.75 लाख रुपए और मार्च 2004 में 1.75 लाख रुपए) उपलब्ध कराये गये थे तथा भोपाल में जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित किया गया था (जुलाई 2001) और 1521 उपभोक्ताओं को (2001-02 में 198, 2002-03 में 386, 2003-04 में 557, तथा 2004-05 में 380) मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया था जबकि अन्य दो स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों ने बताया कि उन्हें कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई।

मानव व्यवस्थापन एवं पर्यावरण हेतु राष्ट्रीय केन्द्र, अखिल भारतीय उपभोक्ता कांग्रेस और भोपाल उपभोक्ता हितचिंतक परिषद

अधिनियम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए मीडिया नीति तैयार नहीं की गयी।

उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के लिए, अधिनियम के बारे में जागरूकता, शिकायतें दर्ज कराने के लिए तरीका और जिला न्यायाधिकरण तथा राज्य आयोग की स्थिति सहित न्यायिक निर्णय के तरीके से सम्बन्धित सूचना प्रसारित करने के लिए कोई मीडिया नीति तैयार नहीं की गयी थी। उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए मार्गदर्शन, जैसे कि सादा कागज पर शिकायतें दर्ज कराना, कोई वकील आवश्यक नहीं, निर्धारित शुल्क, जिला न्यायाधिकरणों के परिसर में अथवा परिसर के बाहर प्रदर्शित नहीं किये गये।

81 प्रतिशत उपभोक्ता अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं थे जबकि ग्रामीण आबादी में से केवल 5 प्रतिशत ने इसके बारे में सुन रखा था।

ओ आर जी - एम ए आर जी के सर्वेक्षण के परिणामों से पता चला कि 81 प्रतिशत उपभोक्ता अपने उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं थे और 87 प्रतिशत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से अभी तक अनभिज्ञ थे। अधिनियम में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को लाभान्वित कराना परिकल्पित है, किन्तु केवल 5 प्रतिशत ग्रामीण आबादी ने ही इसके बारे में सुन रखा था। इस विश्लेषण ने दर्शाया कि उनमें से, जो अधिनियम के बारे में जागरूक हैं, ज्यादातर शिक्षित वर्ग (20 प्रतिशत) स्व व्यवसायी सेवा (30 प्रतिशत) सरकारी सेवा में नियुक्त (45 प्रतिशत) एवं सेवानिवृत्त वर्ग से सम्बन्धित हैं। सर्वेक्षण से पता चला कि 76 प्रतिशत उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या यह विश्वास करती है कि प्रत्येक उपभोक्ता को अपने अधिकारों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है।

3.1.13 परिवीक्षण तंत्र

3.1.13.1 उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण

31 मार्च 2005 की स्थिति में 7698 लम्बित मामलों का काल अनुसार विश्लेषण (राज्य आयोग 2203 मामले और जिला न्यायाधिकरण 5495) निम्नानुसार था :-

31 मार्च 2005 को उपभोक्ताओं के 7698 मामले राज्य आयोग तथा जिला न्यायाधिकरणों में लंबित थे।

क्रम संख्या	विवरण	राज्य आयोग	जिला न्यायाधिकरण	योग
1.	छः माह तक लम्बित मामले	870	2823	3693
2.	छः माह से एक वर्ष तक लम्बित मामले	883	1394	2277
3	एक वर्ष से अधिक एवं तीन वर्ष तक लम्बित मामले	398	1025	1423
4.	तीन वर्ष से अधिक तक लम्बित मामले	52	253	305
	कुल लम्बित मामले	**2203**	**5495**	**7698**

जिला न्यायाधिकरणों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण में विलम्ब, सदस्यों की नियुक्ति में विलम्ब, अपर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराने तथा अपर्याप्त आधारभूत सुविधाएं इत्यादि कारणों से हुआ।

उपभोक्ता न्यायाधिकरणों को कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से राज्य/राष्ट्रीय आयोग के साथ परस्पर सम्बद्ध नहीं किया गया था।

लगभग 26 प्रतिशत मामले करीब 9 सुनवाई के बाद भी अभी तक अनिर्णीत थे।

ओ आर जी के सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि 78 ऐसे मामले थे जिनमें डिक्री पारित की गयी थी और औसत क्षतिपूर्ति अभी भी प्राप्त की जानी थी, यह क्षतिपूर्ति 18 माह से लम्बित थी। जिन्होंनें क्षतिपूर्ति प्राप्त की थी वह भी चार माह की औसत अवधि में प्राप्त की गयी थी। एक औसत के अनुसार एक मामले को निपटाने के लिए 6.9 सुनवाई अपेक्षित थी। लगभग 26 प्रतिशत मामले लगभग 9 सुनवाइयां होने के बाद भी अभी तक अनसुलझे थे। एक मामले को सुलझाने में औसतन 9 माह व्यतीत किये गये थे। अनसुलझे मामले के प्रकरण में वह औसतन पिछले 25 माह से लम्बित रहा। ज्यादातर शिकायतें (82 प्रतिशत) सेवाओं के विरुद्ध थी, जैसे कि विद्युत, बैंकिंग, बीमा, संचार एवं अन्य वित्तीय सेवाएं जबकि केवल 18 प्रतिशत शिकायतें उत्पादन, अधिकतर उपभोक्ता टिकाऊपन (60 प्रतिशत) के विरुद्ध थी।

3.1.14 निष्कर्ष

शिकायतों का निवारण कराने का उपभोक्ता का अधिकार पूरा नहीं हुआ। 45 जिलों में स्थापित किये गये जिला न्यायाधिकरण, 21 जिलों में नियमित न्यायाधिकरण की स्थापना नहीं होने के कारण नियमित रूप से कार्य नहीं कर रहे थे। जिला न्यायाधिकरणों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं (बैठने की जगह सहित) उपलब्ध नहीं करायी गयीं। जिला न्यायाधिकरणों में अपर्याप्त कर्मचारी थे, जबकि कुछ जिला न्यायाधिकरणों में मामलों का त्वरित निराकरण नहीं किये जाने के द्योतक के रूप में कोई भी कर्मचारी पदस्थ नहीं किया गया था। जिला न्यायाधिकरणों में सदस्यों के रिक्त पद खाली पड़े रहे। लोगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कोई कार्य योजना अथवा नीति तैयार नहीं की गयी। राज्य में उपभोक्ता गतिविधि सशक्त करने के लिए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष बनाया जाना था, जो अब तक नहीं बनाया गया। खाद्य अपमिश्रण एवं नाप तौल मानक अधिनियमों को लागू करने हेतु प्रवर्तन अमले की कमी थी। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठकें आयोजित नहीं हुई और जिला उपभोक्ता सरंक्षण परिषदों ने कामकाज आरंभ नहीं किया। उपभोक्ताओं में जागरूकता तथा शक्ति उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त पहल नहीं की गयी।

3.1.15 अनुशंसाएं

- प्रत्येक जिले में स्वतंत्र पूर्णकालिक जिला न्यायाधिकरण एवं राज्य आयोग की क्षेत्रीय खण्डपीठ यथाशीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- सभी जिला न्यायाधिकरणों में पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं जैसे कि उचित स्थान, फर्नीचर, पेयजल सुविधाएं, जीरॉक्स मशीन, कम्प्यूटर इत्यादि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।
- व्यापार एवं वाणिज्य में उपयोग किये जाने वाले सभी नाप एव तौल के उपकरणों का उचित नियमन सुनिश्चित करने हेतु नाप तौल विभाग की उप प्रयोगशालाओं को इलेक्ट्रोनिक प्रणाली में उन्नत करना अपेक्षित है।
- प्रभावशाली कामकाज सुनिश्चित करने हेतु जिला न्यायाधिकरणों में पर्याप्त अमला उपलब्ध कराने की आवश्यकता है और सदस्यों की नियुक्ति समय पर की जानी चाहिए।

- उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता सूचना केन्द्र स्थापित किया जाना आवश्यक है। स्वयं सेवी उपभोक्ता संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से उपभोक्ता गतिविधियां उत्पन्न करने के लिए उपभोक्ता कल्याण कोष बनाया जाना चाहिए।

प्रकरण सरकार की ओर नवम्बर 2005 में भेजा गया, उत्तर अप्राप्त है (जनवरी 2006)।

लोक निर्माण विभाग

3.2 मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ऋण प्राप्त कर एवं मंडी निधियों (किसान सड़क निधि) से सड़कों का उन्नयन एवं सुधार

विशेषताएँ

निधियों की कमी एवं राज्य की सड़कों की दयनीय स्थिति को देखते हुए शासन ने उनकी मरम्मत एवं रखरखाव हेतु मंडी निधियों (कृषि उपज मंडी बाजार क्षेत्र के लिए सड़कों के विकास हेतु सृजित) के उपयोग का निर्णय लिया (सितंबर 2001) तदनुसार, 5839.95 किलोमीटर लंबाई की विभिन्न श्रेणियों की 323 सड़कों के उन्नयन / सुधार का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया जिसे 648.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर चरण बद्ध रूप से मार्च 2003 तक पूर्ण किया जाना था । तथापि, मार्च 2005 तक 568.90 करोड़ रुपये के व्यय के बाद 4876.90 कि.मी. लम्बाई के साथ केवल 230 सड़कें पूर्ण हुई थीं । कार्य निष्पादन अपूर्ण था क्योंकि निर्माण का क्रियान्वयन समय सारणी से पिछड़ गया था। 3.75 मीटर चौड़ाई की सड़कों के चयन के मापदण्ड का पालन नहीं किया गया तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों का अनुसरण नहीं किया गया था । अवमानक कार्यों को स्वीकार करने तथा दरों की गलत प्रयुक्ति के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान किये जाने के प्रकरण थे । समीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

15.93 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि के विरुद्ध कार्यों पर 17.17 करोड़ रुपये व्यय किए जाने के परिणाम स्वरूप 1.24 करोड़ रुपये का अनधिकृत व्यय हुआ; आवश्यकता से अधिक निधियों की मांग के कारण 5.18 करोड़ रुपये की राशि अवरूद्ध हुई परिणामतः 17.23 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई ।

(कंडिका 3.2.6.1 एवं 3.2.6.4)

ढाई वर्षों के समयाधिक्य के बाद भी विभाग लक्ष्य की उपलब्धि में विफल रहा था तथा मार्च 2005 तक 93 सड़कें अधूरी थी ।

(कंडिका 3.2.8.1)

दिशा निर्देशों के मापदण्डों के विरुद्ध उन्नयन हेतु 3.75 मीटर से अधिक चौड़ाई की अन्य सड़कों और प्रादेशिक राजमार्गों के त्रुटिपूर्ण चयन से सड़कों की केवल अवनति हुई । 5.5 मीटर की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध, लुनेरा-मांडव सड़क का 3.75

मीटर तक चौड़ाई के लिए त्रुटिपूर्ण चयन किया जाने से 31.51 लाख रुपये का अपव्यय देखा गया था ।

(कंडिका 3.2.8.2)

"टैक कोट" हेतु उच्चतर विशिष्टियों को अपनाने एवं आवश्यकता का आकलन किए बिना "सरफेस ड्रेसिंग" के निष्पादन से 3.94 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत वहन की गई थी ।

(कंडिका 3.2.10.1 एवं 3.2.10.5)

दरों की गलत प्रयुक्ति एवं त्रुटिपूर्ण गणना से ठेकेदारों को 3.54 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया तथा अस्वीकार्य अग्रिमों की स्वीकृति द्वारा ठेकेदारों को 85.64 लाख रुपये की अदेय वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

(कंडिका 3.2.10.6 एवं 3.2.10.12)

3.2.1 प्रस्तावना

मध्यप्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अंतर्गत राज्य में विक्रय किए गए अथवा राज्य के बाहर से लाए गए कृषि उत्पाद के प्रत्येक विक्रय पर 2 प्रतिशत के मण्डी शुल्क उद्ग्रहण के लिए 15 मार्च 2000 को एक अधिसूचना जारी की। यह शुल्क मंडी समितियों द्वारा संग्रहित किया जाना था। 13 जुलाई 2001 की अधिसूचना के अनुसार मंडी समितियों को कृषि उपज मंडी बाजार क्षेत्र की सड़कों के विकास हेतु शुल्क का 85 प्रतिशत[®] "किसान सड़क निधि" (मंडी निधि) शीर्ष के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (बोर्ड) के पास जमा करना था । तथापि, शासन ने 3.75 मीटर की चौड़ाई वाली बिगड़ी हुई वर्तमान डामरीकृत मुख्य एवं अन्य जिला सड़कों को सुधारने एवं उन्नयन करने के लिए इस निधि का उपयोग करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आरम्भ किया (मार्च 2001)।

3.2.2 संगठनात्मक स्वरूप

योजना का आयोजन एवं क्रियान्वयन प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग का उत्तरदायित्व था । सड़कों का उन्नयन एवं सुधार, राज्य में लोक निर्माण विभाग के 94 में से 52 संभागों के माध्यम से मुख्य अभियंताओं के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन प्रत्येक संभाग के कार्यपालन यंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा था ।

3.2.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखा परीक्षा के उद्देश्यों में आकलन करना था :

- क्या सड़कों का चयन दिशा निर्देशों और निर्धारित मापदण्डों के अनुसार था;

[®] *शेष 15 प्रतिशत कृषि अनुसंधान एवं आधारभूत संरचनाओं हेतु बोर्ड द्वारा रोका जाना था ।*

- क्रियान्वयन में योजनाकरण एवं मितव्ययता की प्रभावकारिता;
- लेखाकरण के तंत्र की उपयुक्तता;
- किस सीमा तक तकनीकी विशिष्टियों का अनुसरण किया गया था एवं
- पर्यवेक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं मानीटरिंग की प्रभावशीलता ।

3.2.4 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदण्डों पर आधारित हैं :

- मंडी निधियों से सड़कों के उन्नयन एवं सुधार हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश ।
- सामान्य वित्तीय नियम /कोषालय नियम एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी परिपत्र ।
- निक्षेप कार्यों सहित लोक निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु नियम /विनियम विनिर्दिष्ट करने वाली केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग संहिता एवं मध्यप्रदेश निर्माण कार्य विभाग नियमावली ।
- सड़क एवं पुल कार्यों के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियाँ।
- सड़क कार्यों के लिए भारतीय रोड कांग्रेस द्वारा प्रकाशित अनुभव/सिफारिशें।

3.2.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

निष्पादन लेखापरीक्षा 13 लोक निर्माण संभागों (52 में से) के 2001-05 की अवधि के अभिलेखों की अप्रैल 2005 से सितंबर 2005 के दौरान की गई नमूना जाँच पर आधारित है । सूचना एवं आंकड़े प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के कार्यालय से भी प्राप्त किए गए थे । लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए बिन्दुओं पर अनुवर्ती कण्डिकाओं में चर्चा की गई है ।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.2.6 वित्तीय प्रबंधन

मंडी निधियाँ बोर्ड द्वारा संग्रह की गई थीं एवं मुख्य अभियंताओं द्वारा की गई माँग के आधार पर योजना के अधीन कार्यों के निष्पादन हेतु मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (एम.पी.आर.आर.डी.ए.) द्वारा ये निधियाँ लोक निर्माण विभाग के संभागों को कार्य निष्पादन हेतु सीधे विमुक्त की गई थीं ।

एम. पी. आर. आर. डी. ए. द्वारा यह आकलन किया गया था (मार्च 2002) कि सड़कों के उन्नयन हेतु बोर्ड (मंडी निधियों) के माध्यम से 350 करोड़ रुपये उपलब्ध होंगे ।

तथापि, लोक निर्माण विभाग ने एम. पी. आर. आर. डी. ए. की महासभा को 650 करोड़ रुपये की राशि के सड़क कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव दिया था इसलिए एम. पी. आर. आर. डी. ए. द्वारा राज्य सरकार की गारंटी पर एक वित्तीय संस्था (हुडको) से 250 करोड़ रुपये (अप्रैल 2003 - 200 करोड़ रुपये एवं मार्च 2004 - 50 करोड़ रुपये) का ऋण लिया गया था । हुडको से ऋण के रूप में प्राप्त 250 करोड़ रुपये में से 193.75 करोड़ रुपये आई.सी.आई.सी.आई बैंक में जमा कर दिए गए थे (अक्टूबर 2005) । 41.17 करोड़ रुपये की राशि भुगतान पूर्व प्रभारों सहित ब्याज (मार्च 2005 तक) के रूप में हुडको को भुगतान की गई थी । इसके अलावा, एम. पी. आर. आर. डी. ए. द्वारा आई.सी.आई.सी.आई बैंक से 25 करोड़ रुपये की राशि भी उधार ली गई थी (मई 2005) ।

2001-05 की अवधि के दौरान एम. पी. आर. आर. डी. ए. द्वारा 570.08 करोड़ रुपये विमुक्त किए गए थे, जिसके विरुद्ध लोक निर्माण विभाग द्वारा इन निधियों से सड़कों के उन्नयन एवं सुधार पर 568.90 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे ।

लेखापरीक्षा छानबीन में निम्न प्रकट हुआः

3.2.6.1 अनधिकृत अन्तरण एवं निधियों का अवरोध

जून एवं दिसंबर 2002 में जारी किए गए प्रमुख अभियंता के अनुदेशों के अनुसार, पूर्व में सौंपे गए कार्यों के लिए एवं 15 दिनों के भीतर उपयोग कर लिए जाने की वास्तविक आवश्यकता पर निधियों की माँग की जानी अपेक्षित थी, ऐसा न होने पर निधियाँ एम. पी. आर. आर. डी. ए. को अतिशीघ्र वापिस करनी आवश्यक थी ताकि निधियाँ अवरुद्ध न हों ।

5.18 करोड़ रुपये की निधियाँ अवरुद्ध होने के परिणाम स्वरूप 17.23 लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई

तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि सात संभागों* में आवश्यकता से अधिक निधियाँ मांगी गई थीं और एम. पी. आर. आर. डी. ए. को समर्पित करने के बजाए कुछ प्रकरणों में 6 माहों से अधिक की अवधि के लिए उनके बचत खातों में अनधिकृत रूप से रखी गई थीं । इसके परिणामस्वरूप 5.18 करोड़ रुपये की निधियाँ न केवल अवरुद्ध हुई अपितु हुडको/आई. सी. आई. सी. आई. से लिए गए ऋण पर 17.23* लाख रुपये के ब्याज की हानि हुई क्योंकि ऋण पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज और अर्जित ब्याज की दरों में अन्तर था ।

3.2.6.2 प्रतिभूति अग्रिमों का अनियमित भुगतान

प्रावधान के विरुद्ध ठेकेदारों को 16.04 लाख रुपये के प्रतिभूति अग्रिम का भुगतान किया गया।

ठेकेदारों के साथ कार्यों के निष्पादन हेतु किए गए संविदा अनुबंधों में स्थल पर लाई गई बिगड़ने वाली सामग्री पर प्रतिभूति अग्रिम के भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं था । तथापि, बैतूल संभाग के अभिलेखों की नमूना जाँच में अवलोकित हुआ कि जनवरी

---

* *होशंगाबाद 1.07 करोड़ रुपये (9 माह), देवास 0.68 करोड़ रुपये(10 माह) विदिशा 0.38 करोड़ रुपये (17 माह), रतलाम 0.34 करोड़ रुपये (17 माह) उज्जैन 0.78 करोड़ रुपये (12 माह)एवं 0.95 करोड़ रुपये(6 माह)सिवनी 0.61 करोड़ रुपये (6 माह) तथा सीधी 0.37 करोड़ रुपये (12 माह)।*

* *8 प्रतिशत की औसत दर से बचत बैंक जमा पर अर्जित 4 प्रतिशत घटाकर ब्याज संगणित किया गया था ।*

2004 से सितंबर 2004 के दौरान डामर और सीमेण्ट पर 16.04 लाख रुपये के प्रतिभूति अग्रिम का भुगतान किया गया था । यह ठेके के प्रावधानों के अनुसार नहीं था और इस प्रकार ठेकेदारों को अदेय वित्तीय सहायता थी।

3.2.6.3 निधियों का व्यपवर्तन

शासन के अनुदेशों (अगस्त 2002) के उल्लंघन में 2002-05 के दौरान ठेकेदारों के बिलों से आयकर, वाणिज्य कर हेतु वसूल किए गए 39.52 लाख रुपये* की राशि को व्यपवर्तित किया गया और उसी माह के अंत में संबंधित लेखे के शीर्ष में प्रेषण करने के बजाए, किए गए कार्यों के भुगतान में रुक-रुक कर उसका उपयोग किया गया । ये राशियाँ वसूली की तिथि से 2 से लेकर 6 माहों के विलंब के पश्चात् संबंधित विभागों को प्रेषित की गई थीं ।

3.2.6.4 अनधिकृत व्यय

इन निधियों से प्रारम्भ किए गए विभिन्न कार्यों के लिए प्रशासकीय अनुमोदन के अनुसार व्यय स्वीकृत लागत से अधिक नहीं होना था ।

शासन द्वारा स्वीकृत कार्यों की लागत के आधिक्य में 1.24 करोड़ रुपये की राशि अनधिकृत रूप से व्यय की कई ।

तथापि, चार संभागों में देखा गया कि 15.93 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के विरुद्ध 7 अनुबंधों के माध्यम से निष्पादित किए कार्यों पर 17.17 करोड़ रुपये का व्यय किया गया था । इस प्रकार 1.24 करोड़ रुपये† की राशि स्वीकृत लागत के आधिक्य में अनधिकृत रूप से व्यय की गई थी । लागत में वृद्धि मुख्य रूप से निविदा बढ़ोतरी, मूल्यवृद्धि प्रभार का भुगतान और अवास्तविक प्राक्कलनों के कारण थी । पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं की गई थी (जुलाई 2005) ।

3.2.7 लेखाकरण की पद्धति

मध्यप्रदेश निर्माण विभाग नियमावली एवं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग लेखा संहिता के प्रावधानों के अनुसार लोक निर्माण विभाग निक्षेप कार्य केवल तभी निष्पादित करेगा जब विभाग/ऐजेन्सी जिसके लिए कार्य लिया गया है, शासकीय लेखे में कोषालय चालान के माध्यम से निधियाँ जमा कर दे । निक्षेप कार्यों के अंतर्गत लेन देन के लेखाओं को फार्म - 65 "निक्षेप कार्यों की अनुसूची" में बनाना और संधारित कर महालेखाकार को प्रस्तुत करना आवश्यक था । शासन ने आदेशित किया था (अक्टूबर 2001) कि मण्डी कार्यों को निक्षेप कार्यों के रूप में निष्पादित किया जाए।

आय एवं कार्यों पर व्यय का लेखाकरण संहितीय प्रावधानों के अनुसार नहीं था

तथापि, यह अवलोकन किया गया था कि कार्य को निक्षेप कार्य के रूप में निष्पादित करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले संहितीय प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था । महालेखाकार को कोई भी लेखे प्रस्तुत नहीं किए गए थे जबकि निक्षेप कार्यों के लिए लेखे प्रस्तुत करना निर्धारित किया गया है । इसके आगे, इन कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यपालन यंत्रियों द्वारा अलग से बचत बैंक खाते खोले गए थे तथा इन

---

* मण्डला- 19.74 लाख रुपए एवं रायसेन - 19.78 लाख रुपए

† बैतूल 0.41 करोड़ रुपये, होशंगाबाद 0.50 करोड़ रुपये, मंडला 0.07 करोड़ रुपये तथा सिवनी 0.26 करोड़ रुपये

लेखाओं के लिए कैश बुक सहित सहायक पंजियाँ भी अलग से खोली गई थीं । लेखा परीक्षा छानबीन में प्रकट हुआ कि इन कार्यों को निक्षेप कार्यों जैसा समझने के शासन के अनुदेश सही नहीं थे क्योंकि इन कार्यों के निष्पादन हेतु शासन ने ही अलग बैंक खाते खोलने की अनुमति दी थी जबकि निक्षेप कार्यों के निष्पादन हेतु प्रावधानों के अनुसार ऐसा आवश्यक नहीं था ।

इस प्रकार मण्डी कार्यों पर 568.90 करोड़ रुपये के सम्पूर्ण व्यय का लेखाकरण संहितीय प्रावधानों के अनुसार नहीं था । व्यय के लेखे भी महालेखाकार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे इस तरह लेखाओं को महालेखाकार के कार्यक्षेत्र से परे रखा गया था । आगे यह भी देखा गया था कि न तो बैंकों से शेष राशियों का पुनर्मिलान किया गया था और ठेकेदारों के अग्रिम, आयकर, वाणिज्य कर, सुरक्षा निधि इत्यादि से संबंधित सहायक पंजियाँ भी संभागों में संधारित नहीं की गई थीं जबकि प्रमुख अभियंता द्वारा इनके संधारण के निर्देश दिए गए (जून 2002) थे । यह निष्प्रभावी आंतरिक नियंत्रण को निर्दिष्ट करता था । कैशबुक के अनुसार और बैंक पासबुक के शेषों में अंतरों का पुनर्मिलान न करने के कारण इन परिस्थितियों में निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता ।

3.2.8 योजनाकरण

इस समयबद्ध कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु सभी निर्माण गतिविधियों के साथ "पर्ट चार्ट /सीपीएम " में सकल क्रियान्वयन अनुसूची के साथ चरणबद्ध तरीके से वित्तीय एवं भौतिक योजनाकरण अति आवश्यक था किन्तु कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यवस्थित ढंग से उन्नयन/सुधार हेतु राज्य के सभी अंचलों की सड़कों की संख्या के लिए प्राथमिकता के साथ ऐसी कोई भी योजना तैयार नहीं की गई थी ।

3.2.8.1 लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ

सड़कों की श्रेणी के साथ उनके उन्नयन/सुधार को पूर्ण करने के लिए कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं थे । तथापि, प्रमुख अभियंता द्वारा जारी अनुदेशों (सितम्बर 2001) के अनुसार, कार्यादेश जारी होने की तिथि से 6 माह और 11 माह की अवधि के भीतर कार्यों को पूर्ण किया जाना था । इसी समान स्वीकृति की तिथि से कार्यादेश जारी करने हेतु दो माह की समय सीमा का प्रावधान था ।

मार्च 2005 तक कार्यों के लक्ष्य एवं उपलब्धि की स्थिति नीचे दी गई है -

(रुपये करोड़ में)

स्वीकृति का चरण	लक्ष्य			उपलब्धि			न्यूनता	
	सड़कों की संख्या	किलोमीटर में लंबाई	स्वीकृत लागत	सड़कों की संख्या	किलोमीटर में लंबाई	व्यय	सड़को की संख्या	किलोमीटर में लंबाई
चरण-I (सितंबर 2001 में स्वीकृत कार्य) 2001-02	101	1950.65	216.68	76	1719.27	201.59	25	231.38
चरण-II (मार्च 2002 में स्वीकृत कार्य) 2001-02	222	3889.30	432.29	154	3157.63	367.31	68	731.67
योग	**323**	**5839.95**	**648.97**	**230**	**4876.90**	**568.90**	**93**	**963.05**

लोक निर्माण विभाग अनुबंधों में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण करने में विफल रहा था

यद्यपि मण्डी कार्यों के चरण I एवं चरण II क्रमश नवंबर 2002 एवं मार्च 2003 तक पूर्ण किए जाने थे, तथापि कार्यों के पूर्ण होने में, मुख्य रूप से योजनाकरण के अभाव, एजेन्सियों के निर्धारण में विलंब, चरण I के कार्य निष्पादन हेतु 15 माह से 21 माह की अवधि के साथ सौंपने, ठेकेदारों को हीन कार्यक्षमता एवं निष्प्रभावी मानीटरिंग के कारण विलंब हुआ था । यह देखा गया कि कार्य पिछड़ने पर रोक लगाने में विभाग विफल रहा था, इसके परिणामस्वरूप मार्च 2005 तक 93 सड़कें (चरण I की 25 और चरण II की 68) अपूर्ण रहीं थीं ।

3.2.8.2 सड़कों का त्रुटिपूर्ण चयन

इन निधियों से सड़कों के निर्माण का मूल उद्देश्य बाजार क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए सुधार करना था तदनुसार शासन द्वारा अधिसूचना भी जारी की गई थी (जुलाई 2001) जिसमें निर्दिष्ट था कि इन निधियों को "कृषि उपज मंडी बाजार क्षेत्रों" की सड़कों के विकास हेतु उपयोग किया जाए । तथापि, यह अवलोकन किया गया था कि ये निधियाँ प्रादेशिक राजमार्गों के उन्नयन एवं पर्यटन केन्द्रों को जोड़नेवाली सड़कों के सुधार हेतु भी उपयोग की गई थीं जैसी नीचे चर्चा की गई है:

प्रादेशिक राजमार्ग

सड़कों के सुधार के कार्य को प्रादेशिक राजमार्गों तक भी बढ़ाया गया था जिसमें पहले ही पाँच मीटर से सात मीटर चौड़ाई की सड़कें बिछायी गई थीं । तथापि, शासन के अनुदेशों (अक्टूबर 2001) के अनुसार इन निधियों के माध्यम से सड़कों का उन्नयन /सुधार केवल 3.75 मीटर की चौड़ाई तक सीमित रखा जाना था । प्रमुख अभियंता ने प्रतिबंध बतलाते हुए (अक्टूबर 2001) अवलोकन किया था कि यदि पूर्ण चौड़ाई के बजाय केवल 3.75 मीटर चौड़ाइ में सड़क का सुधार किया गया तब इससे दुर्घटनाएँ होगी और सृजित परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त होगी । शासन द्वारा इस सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी ।

उन्नयन हेतु 3.75 मीटर से अधिक चौड़ाई की अन्य सड़कों एवं प्रादेशिक राजमार्गों का चयन निर्धारित मापदण्डों के उल्लंघन में था, परिणामस्वरूप 92.76 करोड़ रुपये की निधियाँ व्यपवर्तित हुइ

लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि 105.74 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर 3.75 मीटर से अधिक "कैरिज वे" (3.75 मीटर से लेकर 7 मीटर तक) की 1023.50 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों के उन्नतिकरण/सुधार के 41 कार्यों का चयन किया गया था । प्रादेशिक राजमार्गों में सड़कों की बकाया चौड़ाई को छोड़कर 92.76 करोड़ रुपये की लागत (मार्च 2005) पर केवल 3.75 मीटर चौड़ाई में सुधार के प्रतिबंध ने वास्तविक रूप से प्रादेशिक राजमार्गों को अवनत किया था एवं इन प्रादेशिक राजमार्गों की सड़कों के सुधारे गए मध्य भाग का स्तर ऊँचा हो जाने से दुर्घटनाओं के अवसर भी बने तथा शेष चौड़ाई में सड़कें क्षति ग्रस्त हुईं ।

पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें

योजना के अंतर्गत लुनेरा-मांडव (14 किलोमीटर) एवं मण्डला-सिवनी (21.8 कि.मी.) नाम की सड़कें जो क्रमशः मांडव और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ती थीं, 4.96

करोड़ रुपये* की लागत पर सुधार के लिए चयनित की गईं पर बाजार क्षेत्र के लिए उनकी उपयोगिता का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे निधि के सृजन का विशेष उद्देश्य विफल हुआ ।

5.5 मीटर चौड़ाई की वास्तविक आवश्यकता के विरुद्ध 3.75 मीटर तक चौड़ाई के लिए लुनेरा-मांडव सड़क के त्रुटिपूर्ण चयन के कारण 31.51 लाख रुपये का अपव्यय हुआ ।

इससे आगे, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल को जोड़ने वाली धार-माण्डव सड़क के एक भाग लुनेरा-मांडव सड़क को भारी यातायात हेतु अपर्याप्त चौड़ाई के आधार पर "हार्ड शोल्डर्स" के साथ विद्यमान "क्रस्ट" (पपड़ी) को सुधारने और 3 मीटर से 3.75 मीटर तक चौड़ा करने के लिए कार्य आरम्भ किया गया (अगस्त 2002) था । यह देखा गया कि 1.66 करोड़ रुपये की लागत पर इसके पूर्ण होने (अगस्त 2003) के एक वर्ष पश्चात् विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत 2.02 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत पर 5.5 मीटर तक और आगे चौड़ा करने के लिए कार्य पुनः आरम्भ किया गया (जनवरी 2005) । यातायात वृद्धि सहित सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए सड़क के चौड़ीकरण एवं सुधार का रूपांकन हमेशा 10 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए किया जाता है । सड़क को मंडी निधि के अंतर्गत चयन करते समय इन पक्षों को अनदेखा किया गया था, यहाँ तक कि यातायात वृद्धि सहित अन्य पक्षों को ध्यान में रखते हुए 5.5 मीटर की आवश्यकता से विभाग अच्छी तरह अवगत था । इस प्रकार मण्डी कार्यों के लिए सड़क के त्रुटिपूर्ण चयन के परिणामस्वरूप केवल एक वर्ष पूर्व निर्मित "हार्ड शोल्डर्स " की खुदाई एवं मध्यरेखा के परिवर्तन पर 31.51 लाख रुपये का अपव्यय हुआ ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया कि उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप ऐसा हुआ था ।

3.2.9 संविदाओं का क्रियान्वयन

3.2.9.1 *अनुबंध के क्षेत्र के परे नाम मात्र की शास्ति का अधिरोपण*

अनुबंध की भावना एवं क्षेत्र के विरुद्ध विलंब हेतु नाम मात्र की शास्ति के अधिरोपण से शासन को 62.84 लाख रुपये की हानि ।

शासन के आदेशों (सितंबर 2001) के अनुसार कार्यों की पूर्णता के लिए निर्धारित अवधि का कड़ाई के साथ अनुसरण किया जाना था । किसी प्रकरण में निर्माण पूर्ण होने में विलंब हो तब अनुबंध के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार समय वृद्धि स्वीकृत करने हेतु समय पर कार्यवाही की जानी थी । समयवृद्धि की स्वीकृति/अनुमोदन तक कोई भी भुगतान नहीं किया जाना था । तथापि नमूना जांच में यह अवलोकन किया गया था कि छः ठेकों (बैतूल 3 एवं होशंगाबाद 3) में कार्यों के पूर्ण होने में असाधारण विलंब हुआ था किन्तु उनके अंतिम भुगतान विमुक्त कर दिए जाने के बाद भी मुख्य अभियंता द्वारा समय वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई थी ।

आगे यह भी कि कार्य की समानुपातिक प्रगति न में ठेकेदार के विफल होने पर कार्य के मूल्य के 1/16 प्रतिशत के बराबर अथवा 20,000 रुपये प्रतिदिन अथवा किए गए कार्य के मूल्य के 6 प्रतिशत की सीमा तक निर्णीत हर्जाना वसूल किया जाना था । अनुबंध में विनिर्दिष्ट के अलावा किसी कारण विवाद की स्थिति में मुख्य अभियंता का निर्णय ही अंतिम था ।

---

* *मण्डला-सिवनी सड़क 3.28 करोड़ रुपये एवं लुनेरा-मांडव सडक 1.68 करोड़ रुपये*

तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि 14 प्रकरणों में समयवृद्धि को अंतिम रूप देते समय ठेकेदारों पर आरोपणीय विलंब की अवधि का विश्लेषण किए बिना मुख्य अभियंता द्वारा 0.20 लाख रुपये से लेकर 2.20 लाख रुपये के मध्य नाम मात्र की शास्ति अधिरोपित की गई थी । यद्यपि, कार्यपालन यंत्रियों ने ठेकेदारों पर आरोपणीय विलंब का विश्लेषण कर दिनों की संख्या संगणित की थी । इस प्रकार अनुबंध के उल्लंघन में तथा कार्यपालन यंत्रियों द्वारा संगणित किए गए विलंबों के कारणों को अनदेखा कर नाम मात्र की शास्ति का अधिरोपण करने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 62.84 लाख रुपये का अदेय वित्तीय लाभ हुआ जैसा कि **परिशिष्ट XXXIV** में दर्शाया गया है ।

3.2.9.2 मूल्यवृद्धि के कारण अतिरिक्त भुगतान

12 माह से अधिक की पूर्णता अवधि के त्रुटिपूर्ण प्रावधान के कारण मूल्यवृद्धि भुगतान पर 2.11 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ

सात संभागों में अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि प्रमुख अभियंता के अनुदेशों (सितंबर 2001) के अनुसार 6 से 11 माहों की पूर्णता अवधि के बजाए 15 से 21 माहों की पूर्णता अवधि निर्धारित किए जाने के साथ कार्य सौपें गए थे । चूंकि इन कार्यों की पूर्णता अवधि एक वर्ष से अधिक निर्धारित थी, अनुबंधों में मूल्यवृद्धि का "क्लाज" भी सम्मिलित किया गया था, तदनुसार ठेकेदारों को 2.11 करोड़ रुपये[1] की राशि भी मूल्यवृद्धि के कारण भुगतान की गई थी ।

कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (अप्रैल 2005 से सितंबर 2005) कि मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार कार्य सौपें गए थे तदनुसार मूल्यवृद्धि प्रभारों का भुगतान किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि निविदा आमंत्रण सूचनाएं अनुमोदित करते समय छः से ग्यारह माह के अवधि के भीतर कार्य पूर्ण किए जाने के प्रमुख अभियंता के अनुदेशों को ध्यान में नहीं रखा गया था ।

3.2.10 कार्यों का निष्पादन

3.2.10.1 सरफेस ड्रेसिंग (सतह सुधार) की अनावश्यक मद का निष्पादन

बिटुमिनस मेकेडम एवं सेमीडेन्स बिटुमिनस कंक्रीट के नीचे सरफेस ड्रैसिंग के अनावश्यक निष्पादन के फलस्वरूप 1.60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों एवं डामर की सड़कों के निर्माण एवं पर्यवेक्षण हेतु नियमावली के अनुसार यदि हाल ही में बिछाई गई वाटर बाउण्ड मेकेडम (डब्ल्यू बी एम) सड़क पर शीघ्र ही रूपांकित की गई डामर की परत बिछाना संभव न हो तब डब्ल्यू बी एम सतह को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए एक मध्यवर्ती वीयरिंग कोर्स के रूप में "सरफेस ड्रैसिंग" की व्यवस्था की जानी चाहिए।

तथापि, सात संभागों में यह देखा गया कि इस तथ्य के बावजूद, कि बिटुमिनस मेकेडम/सेमी डेन्स बिटुमिनस कंकरीट, बिना विलंब के बिछायी जानी थी, प्राक्कलनों में अनावश्यक रूप से बी. एम. एवं एस.डी.बी.सी. के बिछाने के पूर्व सरफेस ड्रैसिंग का प्रावधान किया था एवं निष्पादन किया गया था।

---

[1] रायसेन 0.14 करोड़ रुपये, खंडवा 0.57 करोड़ रुपये, देवास 0.21 करोड़ रुपये, गुना 0.28 करोड़ रुपये, झाबुआ 0.17 करोड़ रुपये, टीकमगढ़ 0.05 करोड़ रुपये, एवं दमोह 0.69 करोड़ रुपये ।

इस प्रकार सरफेस ड्रैसिंग के अनावश्यक प्रावधान एवं इसके निष्पादन के फलस्वरूप 1.60* करोड रुपये की अतिरिक्त लागत आई ।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (अप्रेल 2005 से सितंबर 2005) कि स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार सरफेस ड्रैसिंग की गई थी। विशिष्टियों को देखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं है ।

3.2.10.2 अवमानक कार्य की स्वीकृति

5.70 करोड़ रुपये के अवमानक कार्यों की अनधिकृत स्वीकृति की गई

दरों की अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार अवमानक कार्य को मुख्य अभियंता के अनुमोदन के अंतर्गत दरों के विश्लेषण के पश्चात् केवल घटी दरों पर ही स्वीकार किया जा सकता है । तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि तीन संभागों में 5.70 करोड़ रुपये** मूल्य के चार अवमानक कार्यों*** को मुख्य अभियंता की पूर्व अनुमति एवं दरों का विश्लेषण सुनिश्चित करने के प्रावधानों को अनदेखा करते हुए अक्टूबर 2003 से जुलाई 2005 के दौरान मूल्य/दरों में किसी कटौती के बिना स्वीकार कर लिया गया था ।

कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (मई 2005 से अगस्त 2005) कि घटाई गई दरों के लिए मुख्य अभियंता का अनुमोदन लिया जाएगा । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि घटी दरों का अनुमोदन भुगतान करने से पहले प्राप्त किया जाना था ।

3.2.10.3 विशिष्टियों से विचलन

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के विरुद्ध एस.डी.बी.सी. के निष्पादन के परिणामस्वरूप 14.14 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत हुई ।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों एवं डामर की सड़कों के निर्माण एवं पर्यवेक्षण की नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एस.डी.बी.सी.) को केवल पूर्व निर्मित डामरीकृत सतह पर ही डाला जा सकता है । तथापि, दो संभागों में यह देखा गया कि चार सड़कों में सील कोट के साथ "ओपन ग्रेडेड प्री मिक्स कार्पेट" के बजाए 1.15 करोड़ रुपये@ की लागत से दानेदार सतह (ग्रेनुलर बेस) पर एस.डी.बी.सी. डाला गया था । इसके परिणामस्वरूप न केवल विशिष्टियों से विचलन हुआ किन्तु 14.14 लाख रुपये@@ की अतिरिक्त लागत आई । उत्तर में कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (अगस्त 2005) कि "एस.डी.बी.सी." स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार निष्पादित किया गया था । विशिष्टियों को देखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं था ।

3.2.10.4 संदिग्ध माप एवं अनधिकृत भुगतान

प्रत्येक प्रशासनिक अनुमोदन के साथ संलग्न मंडी कार्यों के निष्पादन हेतु शासन की तकनीकी टीप के अनुसार "पैच रिपेयर" का कार्य घन मीटर सामग्री के आधार पर निष्पादित एवं माप कराया जाना था न कि वर्ग मीटर के आधार पर ।

---

* देवास 0.17 करोड़ रुपये, धार 0.23 करोड़ रुपये, दमोह 0.17 करोड़ रुपये, होशंगाबाद 0.25 करोड़ रुपये, झाबुआ 0.17 करोड़ रुपये, खंडवा 0.41 करोड़ रुपये एवं रायसेन 0.20 करोड़ रुपये,

** धार 0.87 करोड रुपये, होशंगाबाद 0 48 करोड़ रुपये एव खंडवा 4.35 करोड़ रुपये

*** अनुबंधों का अनुपयुक्त श्रेणीकरण, डामर की कम मात्रा, असमतल सतह एवं कम सुदृढीकरण

@ होशंगाबाद - 0.82 करोड़ रुपए एवं शाजापुर - 0.33 करोड़ रुपए

@@ शाजापुर 4.48 लाख रुपये होशंगाबाद 9.66 लाख रुपये

बी.यू.एस.जी. के कार्य में 10.49 करोड़ रुपये का संदिग्ध माप एवं अनधिकृत भुगतान

11 संभागों के अभिलेखों की छानबीन में प्रकट हुआ कि उपरोक्त आदेशों की अनदेखी करते हुए प्राक्कलनों में 75 मिलीमीटर की एक समान गहराई के बी.यू.एस.जी. का प्रावधान कर 10.49 करोड़ रुपये[11] मूल्य के "बिल्ट अप स्प्रे ग्राउट" (बी.यू.एस.जी.) से पैच रिपेयर का कार्य निष्पादित कराया गया था । उपयुक्त अन्तराल पर "क्रास सेक्शन" में प्लाटिंग नहीं की गई थी । चूंकि सड़कों में गढ्ढे 75 मिली मीटर की एक समान गहराई के नहीं हो सकते, प्लाटिंग के अभाव में, मात्राओं के त्रुटिपूर्ण प्रावधान किस सीमा तक थे यह शीघ्र सत्यापन योग्य नहीं था । इस प्रकार, 10.49 करोड़ रुपये का व्यय पैच रिपेयर पर किया गया था । कार्य की कितनी मात्रा एवं मूल्य परिहार्य था सुनिश्चित नहीं किया जा सका था क्योंकि सम्पूर्ण सड़क पर सर्वत्र 75 मिली मीटर की एक समान गहराई विचार में ली गई थी ।

उत्तर में कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (मार्च 2005 से सितंबर 2005) कि "पैच रिपेयर" स्वीकृत प्राक्कलनों के प्रावधानों के अनुसार कराए गए थे । शासन के आदेशों को देखते हुए उत्तर स्वीकार योग्य नहीं था ।

3.2.10.5 विशष्टियों के विरुद्ध टैक कोट का निष्पादन

विशिष्टियों में दए गए बिटुमन इमल्शन के बजाए बटुमिन के साथ टैक कोट के निष्पादन के कारण 2.34 करोड़ रुपये की अतिरिक्त लागत

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों के अनुसार बिटुमिनस कोर्स बिछाने के लिए "टेक कोट" में केवल बिटुमिन इमल्शन ही उपयोग किया जाना चाहिए । तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि 12 संभागों में बिटुमिन इमल्शन के बजाए बिटुमन की महँगी मद से टैक कोट किया गया था । विशिष्टियों के क्षेत्र के परे अधिक महँगी मद का, प्रयोग किए जाने के परिणामस्वरूप 2.34 करोड़ रुपये[88] की अधिक लागत आई ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों द्वारा बताया गया (मार्च 2005 से सितंबर 2005) कि अनुमोदित प्राक्कलनों के प्रावधानों के अनुसार बिटुमिन से टेक कोट किया गया था । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की विशिष्टियों को देखते हुए उत्तर मान्य नहीं है ।

3.2.10.6 एन.पी. 3 हयूम पाइप की दरों का न घटाना

आई एस.- 458-1988 के एन.पी. 3 पाइपों की घटी दरों की प्रयुक्ति न करने से ठेकेदारों को 16.29 लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया

अनुबंध में संलग्न कार्य की मदों की अनुसूची से सेतु-दर अनुसूची के आधार पर क्रास ड्रेनेज के निर्माण में आई.एस. 458-1971 की विशिष्टियों के साथ विभिन्न व्यास के एन.पी.-3 ह्यूम पाईप के प्रदाय एवं लगाने का प्रावधान था किन्तु आई.एस. 458-1988 की विशिष्टियों में पुनरीक्षण होने के फलस्वरूप इन विशिष्टियों के पाइप उपलब्ध नहीं थे । चूंकि नये मानक के पाइप हल्की विशिष्टियों के थे, 1000 मिलीमीटर एवं 1200 मिली मीटर के व्यास के पाईपों की दरों को क्रमशः 452 रुपये एवं 722 रुपये प्रति

---

[11] *बैतूल 0.43 करोड़ रुपये, देवास 0.70 करोड़ रुपये, धार 1.99 करोड़ रुपये, दमोह - 0.15 करोड़ रुपए, गुना - 0.40 करोड़ रुपए, होशंगाबाद - 0.75 करोड़ रुपए, झाबुआ - 1.86 करोड़ रुपए, मंडला - 1.53 करोड़ रुपए, रायसेन - 0.93 करोड़ रुपए, शाजापुर - 1.52 करोड़ रुपए एवं दतिया - 0.23 करोड़ रुपए*

[88] *बैतूल 0.21 करोड़ रुपये, देवास 0.16 करोड़ रुपये, दमोह 0.36 करोड़ रुपये, होशंगाबाद - 0.16 करोड़ रुपये झाबुआ 0.29 करोड़ रुपये, खंडवा 0.19 करोड़ रुपये, मण्डला 0.26 करोड़ रुपये, सिवनी 0.24 करोड़ रुपये टिकमगढ़ 0.15 करोड़ रुपये, छिंदवाड़ा 0.04 करोड़ रुपये, छतरपुर 0.05 करोड़ रुपये एवं रायसेन 0.23 करोड़ रुपये*

रनिंग मीटर तक घटाने के लिए उनकी दरों का विश्लेषण किया जाना था जैसा कि मध्यप्रदेश आर.आर.डी.ए. द्वारा निर्णय लिया गया था (मई 2002) ।

तथापि सात संभागों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि कम विशिष्टियों के पाइपों (आई.एस. 458-1988) को उनकी दरों में कटौती किए बगैर प्रयुक्त किया गया था। इसके फलस्वरूप 16.29 लाख*** रुपये का अधिक भुगतान किया गया ।

3.2.10.7 खोदी गई मिट्टी का उपयोग न किया जाना एवं "हार्ड शोल्डर्स" के लिए त्रुटिपूर्ण भुगतान

खुदाई से निकली मिट्टी का उपयोग न किए जाने तथा हार्ड शोल्डर्स के लिऐ त्रुटिपूर्ण भुगतान के कारण ठेकेदार को 80.04 लाख रुपये का अधिक भुगतान

पांच संभागों की माप पुस्तिकाओं की जांच में पाया गया कि चौड़े किए गए हिस्सों एवं नालियों की खुदाई से प्राप्त मिट्टी का उपयोग नहीं करने के कारण ठेकेदार को 80.04 लाख**** रुपये का अधिक भुगतान किया गया । इसके अतिरिक्त 86.20 रुपये प्रति घन मीटर (खुदाई से प्राप्त मिट्टी करने के लिए) के स्थान पर 152 रुपये प्रति घनमीटर (बॉरोएरिया से मुरम लाने के लिए) का भुगतान किया गया जबकि सड़कें मुरम वाले क्षेत्रों से हो गुजरती थीं ।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (मार्च 2005 से सितम्बर 2005) कि खोदी गई मिट्टी किनारों के निर्माण के लिए उपयोग करने योग्य नहीं थी तथा हार्ड शोल्डर्स के निर्माण हेतु किए गए भुगतान सत्यापित किए जाएगें । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि खुदाई विधमान सड़कों को चौड़ा करने के लिए की गई थी तथा खोदी गई मिट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए था ।

3.2.10.8 डामर के मूल्य का त्रुटिपूर्ण समायोजन

डामर के मूल्य में अंतरों का त्रुटिपूर्ण समायोजन/ समायोजन न करने के कारण 95.21 लाख रुपये का अधिक भुगतान

जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं अनुबंध में निहित विशेष शर्तों के अधीन केवल 60/70 ग्रेड का पेक्ड बिटुमिन ही प्रयुक्त किया जाना चाहिए था किन्तु छः संभागों द्वारा 12 ठेकेदारों को डामर कार्य के लिए "बल्क बिटुमिन" क्रय एवं प्रयुक्त करने की अनधिकृत अनुमति, बिना मूल्य घटाए ही दे दी गई, जबकि यह अपेक्षाकृत सस्ता है। परिणामतः 66.76 लाख***** रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने अधिक भुगतान की वसूली स्वीकार की तथा बताया कि "पेक्ड बिटुमिन" की अनुपलब्धता की वजह से ही बल्क बिटुमिन के उपयोग की अनुमति ठेकेदारों को दी गई थी ।

आगे जांच में पाया गया कि, एस.ओ.आर. के अनुसार यदि एस.डी.बी.सी. के मिश्रण में डामर की खपत जॉब मिक्स डिजाइन पर आधारित कुल मिश्रण के वजन के पांच

*** *बैतुल 1.75 लाख रु., देवास 2.88 लाख रु., धार 2.64 लाख रु., होशंगाबाद 1.60 लाख रु., झाबुआ 1.22 लाख रु., खण्डवा 1.41 रु. लाख, रायसेन 4.79 लाख रु.*

**** *धार 14.62 लाख रु., खण्डवा 19.16 लाख रु., रायसेन 7.43 लाख रु., मण्डला 33.09 लाख रु.और बैतूल 5.74 लाख रु.*

***** *बैतूल 2.84 लाख रु. , देवास 10.60 लाख रु. टीकमगढ़ 16.84 लाख रु. छतरपुर 17.61 लाख रु. रायसेन 17.75 लाख रु. और सिवनी 1.12 लाख रु.*

प्रतिशत से कम या अधिक हो तो एम.ओ.आर.टी.एंड एच. की विशिष्टियों के अनुसार एस.डी.बी.सी. की दरें प्रकरणानुसार (कम/अधिक) कर दी जायेगीं ।

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पांच प्रतिशत से अधिक प्रयुक्त किए गए डामर की लागत, डिजाइन्ड मिश्रण के वास्तविक वजन, जो कि 2350 से 2512 किलोग्राम तक था, से समायोजित करने के स्थान पर मिश्रण के वजन को 2100 से 2200 किलोग्राम मानते हुए कर दी गई । परिणामतः ठेकेदारों को 28.45[***] लाख रुपये का अधिक भुगतान किया गया ।

उत्तर में कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (अप्रैल 2005 से सितम्बर 2005) कि मिश्रण के मानक वजन के आधार पर अंतर निकाला गया था । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डिजाइन्ड मिश्रण के वास्तविक वजन के आधार पर ही अंतर निकाला जाना चाहिए था ।

3.2.10.9 मद की गलत प्रयुक्ति

दरों की अनुसूची (सेतु) के प्रावधानों एवं एम.ओ.आर.टी. एंड. एच की विशिष्टियों के अनुसार ह्यूम पाइप पुलिया के निर्माण में पश्च भराव, तथा रिटर्न्स के मध्य एवं एबटमेण्ट्स के पीछे भराव के लिए दानेदार मिट्टी का उपयोग किया जाना चाहिए जिसके लिए एस.ओ.आर. की मद संख्या डी-26, 165 रुपये प्रति घनमीटर की दर से लागू होगी।

तथापि 4 संभागों के अभिलेखों की छानबीन में यह पाया गया कि मद संख्या डी -26 के स्थान पर एस.ओ.आर. की मद संख्या डी-11, 467 रुपये प्रति घनमीटर जोकि नहराबदार पुलियों/पुलों के 'हांच' में मुरम को भरने के लिए लागू है को एबट्मेण्ट के पीछे एवं पाइपों के मध्य में भराव करने के लिए प्रयुक्त किया गया । परिणामतः 11.14 लाख[****] रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

कार्यपालन यंत्रियों ने बताया (मार्च 2005 से अगस्त 2005) की मद का कार्य अनुमोदित अनुमानों के प्रावधानों के अनुसार कराया गया था । विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर मान्य नहीं है ।

3.2.10.10 खोदी गई चट्टानों की वसूली न होना

दरों की अनुसूची (पुल एवं सड़क) में दिए गए अनिवार्य प्रावधान के अनुसार खोदी गई सभी चट्टान, कार्य हेतु उपयोग करने के लिए ठेकेदारों को क्रमशः 200 रुपये एवं 100 रुपये प्रति घनमीटर की दर से प्रदाय की जाएगी ।

[***] रायसेन 5.05 लाख रु., खाण्डवा 5.38 लाख रु. और बैतूल 18.02 लाख रु.

[****] धार 3.87 लाख रुपये होशंगाबाद 1.74लाख रुपये, मण्डला 1.99 लाख रुपये, देवास 3.54 लाख रुपये

किन्तु 2 संभागों के अभिलेखों की छानबीन के दौरान यह पाया गया कि ठेकेदारों से 1688.48 घनमीटर खोदी गई चट्टान की वूसली नहीं की गई थी । इसके फलस्वरूप ठेकेदारों को 1.82 लाख रुपये* का अधिक भगतान हुआ ।

कार्यपालन यंत्री (रायसेन) ने वसूली स्वीकार की जबकि, कार्यपालन यंत्री (मण्डला) ने बताया कि कठोर चट्टान स्टोन पिचिंग के कार्य में उपयोग की गई जिसका भुगतान नहीं किया गया । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया था ।

3.2.10.11 डामर की दो सतहों के बीच टैक कोट का अस्वीकार्य भुगतान

डामर की दो सतहों के बीच अनावश्यक "टेक कोट" कराने से 1.27 करोड़ रुपये का अस्वीकार्य भुगतान

एम.ओ.आर.टी.एंड एच. की विशिष्टियों के अनुसार, नए बिछाए गए बिटुमिनस मेकेडम पर विघर्षण सतह से सील किए बगैर, यातायात की अनुमति नहीं देना चाहिए । इसके अलावा दरों की अनुसूची (सड़कें) के अनुसार, विशिष्ट परिस्थितियों में मुख्य अभियंता की लिखित अनुमति के बगैर नयी बिछायी गयी बिटुमिनस सतह पर एक और बिटुमिनस सतह बिछाने के लिए टेक कोट नहीं करना चाहिए ।

तथापि यह पाया गया कि, नये बिछाए गए बी.एम.पर विघर्षण सतह बिछाने के लिए टेक कोट हेतु 8 संभागों द्वारा 18 ठेकेदारों को अनियमित भुगतान किया गया । परिणामतः दो बिटुमिनस सतहों के बीच टेक कोट करने के लिए 1.27 करोड़ रुपये♦ का अस्वीकार्य भुगतान हुआ । इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्रियों ने अस्वीकार्य भुगतान की वसूली के लिए सहमति दी ।

3.2.10.12 दरों की त्रुटिपूर्ण प्रयुक्ति

बी.एम. की दरों के त्रुटिपूर्ण अनुप्रयोग से 22.15 लाख रुपये का अधिक भुगतान

दर अनुसूची (सड़कें) के अनुसार, यदि बी.एम. बिछाने में "सेन्सर पेवर फिनिशर"♠ का उपयोग नहीं किया गया हो तो बी.एम की दरों में तीन प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए ।

लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि, सेन्सर पेवर फिनिशर के उपयोग के कोई साक्ष्य नहीं होने पर भी बी.एम. की मद हेतु ठेकेदारों को तीन संभागों में पूरा भुगतान किया गया । परिणामतः 22.15 लाख रुपये" का अधिक भुगतान हुआ।

उत्तर में, कार्यपालन यंत्रियों ने सत्यापन उपरांत उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया ।

3.2.11 मॉनीटरिंग (परिवीक्षण)

---

* *रायसेन - 1.56 लाख रुपए एवं मंडला - 0.26 लाख रुपए*

♦ *देवास - 0.006 करोड़ रुपए, धार - 0.08 करोड़ रुपए, दमोह - 0.16 करोड़ रुपए, होशंगाबाद - 0.10 करोड़ रुपए, खण्डवा - 0.27 करोड़ रुपए, मण्डला 0.31 करोड़ रुपए, शाजापुर - 0.31 करोड़ रुपए, एवं रायसेन 0.03 करोड़ रुपए ।*

♠ *समान उंबरीकरण करने एवं समतलीकरण हेतु संवेदक कम्प्यूटरीकृत मशीन*

" *होशंगाबाद - 5.82 लाख रुपए, रायसेन - 10.74 लाख रुपए एवं वेतूल - 5.59 लाख रुपए ।*

किसी कार्यक्रम के उद्देश्य तथा लाभों को समय पर हासिल करने के लिए प्रभावपूर्ण मॉनिटरिंग (परिवीक्षण) प्रमुख घटक है । अनुदेशों के अनुसार, समय, लागत एवं आर्थिक लाभों से जुड़े लक्ष्यों को हासिल किया जाना सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख अभियंता एवं मुख्य अभियंताओं द्वार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग आवश्यक थी । यद्यपि निर्धारित स्थिति प्रतिवेदन (स्टेटस रिपोर्टस) नियमित रूप से कार्यपालन यंत्रियों द्वारा मुख्य अभियंता को प्रस्तुत किए जा रहे थे, तो भी कार्यों के निष्पादन में गति लाने, बाधायें दूर करने, तथा, विशिष्टियों से विचलन इत्यादि के लिए कोई कदम नहीं उठाये गए । यह निष्प्रभावी मॉनीटरिंग एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का अभाव दर्शाता है ।

3.2.12 उपसंहार

प्रादेशिक राजमार्गों के पूरी चौड़ाई मे उन्नयन के निर्धारित उद्देश्य, 3.75 मीटर चौड़ाई तक उन्नयन करने की पाबंदी के कारण, पूर्ण नहीं हो सके । सड़कों का चयन त्रुटिपूर्ण था । कार्यक्रम अपनी निर्धारित अवधि से पीछे चल रहा था क्योंकि 93 सड़कें मार्च 2005 तक पूर्ण नहीं हुई थी । दिशा निर्देशों एवं विशिष्टियों से विचलन, बिना आवश्यकता के सर्फेस ड्रेसिंग, मंहगी विशिष्टियों का उपयोग तथा कार्यों की मदों में मात्राओं के गलत निर्धारण के कारण अधिक भुगतान के प्रकरण पाए गए ।

3.2.13 अनुशंसाएं

- संहिताओं में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निक्षेप के लिए लेखा प्रणाली लागू की जाना चाहिए तथा इनके लेखे महालेखाकार को भेजे जाने चाहिए ।
- कार्य एम.ओ.आर.टी.एंड एच. की विशिष्टियों के अनुसार ही निष्पादित किया जाना चाहिए ।
- प्रादेशिक राजमार्गों को 3.75 की चौड़ाई में ही उन्नयन करने के निर्णय की समीक्षा की जानी चाहिए ।
- तीव्रतर विकास एवं विभिन्न कार्यों का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म मॉनिटरिंग की प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए ।

मामले की सूचना सरकार को नवम्बर 2005 में दी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2006) ।

महिला एवं बाल विकास विभाग

3.3 एकीकृत बाल विकास सेवाओं का क्रियान्वयन

विशेषताएं

महिला एवं बाल विकास द्वारा सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार, महिलाओं के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों तथा कानून की जागरूकता एवं बच्चों के शारीरिक मनोवैज्ञानिक एवं पोषण स्तर में सुधार और कुपोषण से बचाव, एकीकृत बाल विकास सेवायें, राष्ट्रीय पोषण मिशन एवं किशोरी शक्ति योजना आदि का क्रियान्वयन किया जाना था। तथापि बच्चों के पोषण स्तर और स्वास्थ्य पर उपरोक्त कार्यक्रमों का प्रभाव न्यूनतम था क्योंकि प्रदेश में 55 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित थे। अपर्याप्त बजट प्रावधानों के कारण पात्र हितग्राहियों को पोषाहार सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। कम मानक का पोषाहार का क्रय पोषाहार क्रय वितरण में हितग्राहियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के प्रकरण पाए गए।

तदर्थ बजट अनुमान तैयार करने के कारण पर्याप्त एवं सतत बचतें, सिविल जमा खाते में निधियां रखा जाना, अनियमित/अनाधिकृत पुनर्विनियोग अपर्याप्त वित्तीय स्थिति एवं व्यय नियंत्रण दर्शाता है।

(कंडिका 3.3.5.1 से 3.3.5.3)

पदों की अत्यधिक रिक्तियों एवं अनुचित जनशक्ति नियोजन से परियोजना क्षेत्र में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं परिवीक्षण बुरी तरह प्रभावित रही।

(कंडिका 3.3.6)

पोषाहार हेतु अपर्याप्त बजट प्रावधान एवं जिला कार्यालयों को विलंब से बजट उपलब्ध कराने के कारण 52 से 62 प्रतिशत बच्चे एवं 46 से 59 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं एवं धात्री माताऐं पोषाहार से वंचित रही।

(कंडिका 3.3.7.1 एवं 3.3.7.2)

अमानक स्तर का दलिया, पोषाहार प्राप्ति हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना, अप्राप्त सामग्री हेतु भुगतान एवं उच्च दर पर भुगतान इत्यादि के फलस्वरूप 4.66 करोड़ रुपए का अनियमित क्रय एवं 10.51 करोड़ रुपए के परिहार्य व्यय के अलावा गुड़ एवं नमक क्रय किए बिना एक करोड़ रुपए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खाते में जमा किये गये।

(कंडिका 3.3.8.1 से 3.3.8.7 एवं 3.3.8.10)

टेकहोम राशन पर ईंधन व्यय पर 15.22 करोड़ रुपए के अनुचित एवं परिहार्य व्यय का भुगतान किया गया।

(कंडिका 3.3.8.9)

3.3.1. प्रस्तावना

प्रदेश में महिला एवं बाल विकास की स्थापना वर्ष 1988 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्न उद्देश्यों के लिए की गई थी (i) महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करना (ii) 6 वर्ष तक के वर्ग के बच्चों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं पोषण स्तर में सुधार तथा उन्हें कुपोषण से बचाना (iii) महिला कल्याण से संबंधित योजनाओं एवं कानूनों की जागरूकता लाना (iv) महिला एवं बाल विकास योजना क्रियान्वयन हेतु अन्य विभागों से समन्वय। विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है यथा-एकीकृत बाल विकास सेवायें, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, किशोरी शक्ति योजना, महिला जागृति शिविर का आयोजन

2001 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की 6.04 करोड़ जनसंख्या में से महिला एवं बच्चों (0-6 वर्ष वय की आयु) की जनसंख्या क्रमशः 2.89 करोड़ एवं 1.06 करोड़ थी।

3.3.2. संगठनात्मक संरचना

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव विभाग प्रमुख है। आयुक्त महिला एवं बाल विकास (आयुक्त) राज्य स्तर पर केन्द्रक अधिकारी है, एवं दैनंदिन योजना, पथप्रर्दशन, परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदाई है। जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास समन्वय, परिवीक्षण पर्यवेक्षण एवं योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी हैं जबकि बाल विकास परियोजना अधिकारी विकासखण्ड स्तर पर इस कार्य हेतु उत्तरदायी हैं।

एकीकृत बाल विकास सेवाएं प्रदान किए जाने वाले केन्द्रक स्थल ग्राम अथवा नगरीय वार्ड में लगभग 1000(700 आदिवासी क्षेत्रों में) में स्थापित आंगनबाड़ी हैं आंगनवाडी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत रहती है।

3.3.3. लेखापरीक्षा के उद्देश्य

महिला एवं बाल विकास विभाग की एकीकृत लेखापरीक्षा निम्न आवश्यकताओं के मूल्यांकन हेतु की गई थी:-

- अनधिकृत अधिक व्यय एवं बचतों का आधिक्य की सुरक्षा हेतु उपयुक्त एवं प्रभावी वित्तीय नियंत्रण।
- मितव्ययता एवं दक्षतापूर्ण क्रियान्वयन एवं हितग्राहियों को प्रदायित पोषाहार की गुणवत्ता।

- महिला एवं बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर पर एकीकृत बाल विकास सेवाओं के क्रियान्वयन का प्रभाव।
- योजनाओं के परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण का प्रभावी होना।

3.3.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड

एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन एवं प्रगति का निम्न संदर्भों में मूल्यांकन किया गया:-

- संचालनालय एवं जिला स्तर पर संधारित वित्तीय एवं व्यय नियंत्रण पद्धति।
- पोषाहार की आपूर्ति हेतु प्राप्ति, वितरण, संधारण, विशिष्ट, गुणवत्ता, से संबंधित मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देश।
- एकीकृत बाल विकास सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी नियमावली।
- आंगनबाड़ी केन्द्र के खोलने एवं हितग्राहियों के चयन हेतु भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं अनुदेश।

3.3.5 लेखापरीक्षा समावेशन

अप्रैल-सितम्बर 2005 एवं नवम्बर-दिसम्बर 2005 के दौरान संचालनालय एवं 43 जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी में से 4* जिला कार्यक्रम अधिकारी एंव 3@ जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के वर्ष 2000-05 के अभिलेखों का विश्लेषण किया गया। साथ ही राज्य के 336 बाल विकास परियोजना अधिकारियों में से 39# बाल विकास परियोजना अधिकारियों को भी समाविष्ट किया गया।

3.3.6 वित्तीय प्रबंधन

3.3.6.1 सतत् बचतें

विभाग द्वारा मांग संख्या 15, 41, 55, 64, 80 एवं 82 के अंतर्गत व्यय किया गया। वर्ष 2000-05 की अवधि में बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार है:-

---

* *दमोह, इंदौर, खण्डवा (बुरहानपुर सहित) एवं सीहोर।*

@ *मण्डला, मंदसौर एवं विदिशा।*

\# *दमोह (6), इंदौर (5), खण्डवा (2), मण्डला (9), मंदसौर (5), सीहोर (5), एवं विदिशा (7)*

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान	व्यय	बचतें	बचत का प्रतिशत
2000-01	272.97	199.62	73.35	27
2001-02	274.06	189.58	84.48	31
2002-03	335.86	261.78	74.08	22
2003-04	393.89	275.86	118.03	30
2004-05	408.86	283.50	125.36	31

दोषपूर्ण वित्तीय अनुमान के कारण 22 से 31 प्रतिशत सतत् बचतें।

क्षेत्रीय कार्यालय से आवश्यकता के अनुमानों को प्राप्त किए बिना तदर्थ आधार पर बजट अनुमान तैयार करने के कारण वर्ष 2000-05 की अवधि में 22 से 31 प्रतिशत की पर्याप्त एवं सतत् बचतें थीं। बचतें मुख्यतः रिक्त पदों पर नियुक्ति न करने के कारण थी। इस प्रकार सतत् पर्याप्त बचतें निधियों की मांग के बेहतर आंकलन की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

3.3.6.2 अनियमित पुनर्विनियोग

27.54 करोड़ रुपए का अनियमित पुनर्विनियोग किया गया।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी निर्देशों (अगस्त 1996) एवं वित्तीय नियमों के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना (शत प्रतिशत) केन्द्र सहाय्यित एवं शत प्रतिशत विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं से अन्य योजनाओं/राज्य क्षेत्रीय योजनाओं में पुनर्विनियोजन प्रतिबंधित है। वेतन एवं भत्तों एवं मजदूरी से बचतों का अन्य मदों में पुनर्विनियोग भी प्रतिबंधित है। फिर भी फरवरी 2004 में 27.54 करोड़ रुपए का केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना से राज्य क्षेत्रीय योजना में गलत पुनर्विनियोग किया गया। 27.54 करोड़ रुपए में से 13.84 करोड़ रुपए की बचतें वेतन एवं भत्तें से संबंधित थीं।

3.3.6.3 निधियां सिविल जमाओं एवं व्यक्तिगत जमा लेखाओं में रखा जाना।

70.01 करोड़ रुपए सिविल जमा खाते में रखे गये जिसमें से 5.47 करोड़ रुपए व्यपगत हो गए।

कोष नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कोषालय से कोई राशि आहरित नहीं की जायेगी जब तक कि तात्कालिक भुगतान की आवश्यकता न हो। यह दृष्टिगत हुआ कि वर्ष 2001-05 की अवधि में 70.01[a] करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता आहरित की गई तथा बजट प्रावधान व्यपगत होना टालने हेतु व्यय को बढ़ाकर दिखाते हुए इसे सिविल जमा में रखा गया। परवर्ती वर्षों में सिविल जमा से 52.86 करोड़ रुपए आहरित किए गए जबकि राशि जमा किए जाने के पश्चात 3 वर्षों तक इसका उपयोग न किए जाने के कारण मार्च 2005 में 5.47 करोड़ रुपए सरकार के पास व्यपगत होने दिए गए। शेष 11.68 करोड़ रुपए मार्च 2005 तक सिविल जमा में थे।

---

[a] *2001-02; 34.21 करोड़ रुपए, 2002-03; 18.52 करोड़ रुपए, 2003-04; 6.47 करोड़ रुपए तथा 2004-05; 10.81 करोड़ रुपए।*

कोषालय नियमों के विरुद्ध 5.24 करोड़ रुपए की राशि वर्ष 1999-2003 (2.92 करोड़ रुपए) एवं 2004-05 (2.32 करोड़ रुपए) में मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के व्यक्तिगत खातों में जमा की गई।

3.3.7 क्षेत्रीय कर्मचारियों के पदों की रिक्तियाँ

विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभाग में संस्वीकृत एवं उपलब्ध जनशक्ति की स्थिति निम्नानुसार थी:-

पदनाम	पदों की संख्या		
	संस्वीकृत	मार्च 2005 तक भरे गये	रिक्तियां
जिला कार्यक्रम अधिकारी	29	23	6
जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी	34	24	10
परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवायें	336	257	79
सहायक सांख्यिकी अधिकारी	241	171	70
सहायक परियोजना अधिकारी	108	88	20
सहायक महिला एवं बाल विकास विस्तार अधिकारी	592	529	63
पर्यवेक्षक	2063	1514	549
	3403	**2606**	**797**

प्रदेश में 50 से 75 प्रतिशत तक बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद रिक्त थे एवं 10 जिलों में 50 से 83 प्रतिशत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद रिक्त थे।

जिलों में 6 जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के रिक्त पदों के कारण विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, समन्वय, परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। परियोजना अधिकारी अपने परियोजना क्षेत्र में कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परिवीक्षण के लिए उत्तरदायी थे। परियोजना अधिकारी के 79 पद रिक्त होने से क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं परिवीक्षण बुरी तरह प्रभावित था। दतिया, खरगौन, मंदसौर, रायसेन, सीधी एवं शिवपुरी जिलों में परियोजना अधिकारी के 50 से 75 प्रतिशत तक पद रिक्त थे।

सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 70 पद रिक्त होने से परिवीक्षण एवं संसूचन का कार्य समुचित रूप से नहीं किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में आगे पाया गया कि 5 सहायक सांख्यिकी अधिकारी, बालाघाट, डिण्डोरी एवं उज्जैन जिलों (एक-एक प्रत्येक में) एवं संचालनालय (2) में स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कार्यरत थे, अनूपपुर में चार स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोई भी सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यरत नहीं था। दस जिलों [⊗] में इस श्रेणी के (47) पद रिक्त थे जो स्वीकृत पदों (64) के विरुद्ध 50 से 83 प्रतिशत संगणित हुए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता एवं मार्गदर्शन, हितग्राहियों को प्रेरित एवं संघटित करना, बाल विकास परियोजना अधिकारियों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच

[⊗] *अशोकनगर (3), भिण्ड (5), खण्डवा (4), मुरैना (5), राजगढ़ (3), रीवा (6), सागर (8), सीधी (4), शिवपुरी (5) एवं टीकमगढ़ (4)*

समन्वय का कार्य पर्यवेक्षकों के 549 पद रिक्त रहने से बुरी तरह प्रभावित हुआ। यद्यपि 6 पर्यवेक्षक, भोपाल (1) एवं जबलपुर (5) जिलों में स्वीकृत पदों से अधिक संख्या में कार्यरत थे तथापि सात जिलों[34] में 160 पर्यवेक्षकों के पद, स्वीकृत पदों (276) के 50 से 76 प्रतिशत रिक्त थे।

इस प्रकार, अनुपयुक्त जनशक्ति नियोजन एवं अधिसंख्य रिक्त पदों के कारण जिलों एवं क्षेत्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन, समन्वय तथा परिवीक्षण एवं पर्यवेक्षण बुरी तरह प्रभावित हुआ।

3.3.8 एकीकृत बाल विकास सेवाओं का निष्पादन।

विभाग द्वारा योजनाएं यथा, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन, किशोरी शक्ति योजना, महिला जागृति शिविर का आयोजन आदि क्रियान्वित की जाती हैं। विशेष पोषाहार कार्यक्रम के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का उपयोग पूरक पोषाहार पर किया जाना था एवं एकीकृत बाल विकास सेवाओं के प्रारंभ होने से विशेष पोषाहार कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाओं के साथ समेहित किया गया। 2000-05 के दौरान विभाग द्वारा किए गए कुल (1210.34 करोड़ रुपए) के व्यय में से 1088.62 करोड़ रुपए (90 प्रतिशत) एकीकृत बाल विकास सेवाओं पर व्यय किए गए जिसमें से 406.28 करोड़ रुपए (37.32 प्रतिशत) का पोषाहार पर किया गया व्यय शामिल था। शेष 682.34 करोड़ रुपए (62.68 प्रतिशत) एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों, मानदेय आदि पर व्यय किये गये। एकीकृत बाल विकास सेवा का क्रियान्वयन पांचवीं पंचवर्षीय योजना से किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य छः वर्ष तक के वय वर्ग के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक एवं सामाजिक विकास हेतु आधार बनाना, बाल मृत्यु, विकृति, कुपोषण एवं शाला छोड़ने को कम करना, माताओं की क्षमता को बढ़ाना, तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा था। एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत 2002-03 तक विश्व खाद्य संगठन/केयर से बिना पका खाद्य आहार प्राप्त होता था। योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई सेवाओं में पूरक पोषाहार, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा शामिल थी। योजना का क्रियान्वयन राज्य के 48 जिलों की 336 परियोजनाओं एवं 49784 आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा किया गया था।

3.3.8.1 चिन्हित हितग्राहियों को सहायता हेतु अपर्याप्त बजट प्रावधान।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार हितग्राहियों को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाना था। संचालनालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार प्रदाय करने हेतु नीचे दिए गए विवरणानुसार पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं था:-

---

[34] *अशोकनगर (13), भिण्ड (34), देवास (23), मंदसौर (25), राजगढ़ (25), सीधी (25) एवं उमरिया (15)*

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रतिदिन समावेशन हेतु चिन्हित हितग्राहियों की संख्या (लाख में)			चिन्हित हितग्राहियों की सहायता हेतु आवश्यक निधियां			वास्तविक व्यय	प्रावधान में कमी
	विश्व खाद्य कार्यक्रम केयर परियोजना	गैर विश्व खाद्य कार्यक्रम/केयर परियोजना	योग	विश्व खाद्य कार्यक्रम केयर परियोजना	गैर विश्व खाद्य कार्यक्रम/केयर परियोजना	योग		
2001-2002	21.01	37.04	58.05	8.85	131.99	140.84	65.78	75.06
2002-2003	21.73	40.71	62.44	9.14	144.35	153.49	84.39	69.10
2003-2004	4.54	60.39	64.93	1.25*	214.45	215.70	86.49	129.21
2004-2005	3.14	65.28	68.42	1.33	230.26	231.59	77.27	154.32
योग	**50.42**	**203.42**	**253.84**	**20.57**	**721.05**	**741.62**	**313.93**	**427.49**

* **कमी का कारण, विश्व खाद्य कार्यक्रम सर्वत्र अमेरिकी राहत के लिए सहयोग (केयर) से खाद्यान्न के वितरण की योजना का बंद होना था।**

पोषाहार प्रदाय करने हेतु किया गया व्यय आवश्यकता का केवल 42 प्रतिशत था।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि वर्ष 2001-05 के दौरान पोषाहार पर वास्तविक व्यय आवश्यकता का 42 प्रतिशत था। इस प्रकार पोषाहार हेतु अपर्याप्त बजट प्रावधान के परिणामस्वरूप चिन्हित हितग्राहियों की अधिकांश संख्या लाभ से वंचित रहीं।

3.3.8.2 हितग्राहियों का चयन एवं समावेशन।

राज्य में 2000-05 के दौरान चिन्हित सहायता प्रदत्त एवं हितग्राहियों की कमी का प्रतिशत निम्नानुसार था:-

(संख्या लाख में)

वर्ष	गर्भवती एवं धात्री मातायें			6 माह से 6 वर्ष के वय वर्ग के बच्चे		
	चिन्हित	सहायता प्रदत्त	कमी का प्रतिशत	चिन्हित	सहायता प्रदत्त	कमी का प्रतिशत
2000-01	8.49	3.45	59	39.27	14.89	62
2001-02	10.51	5.20	51	48.80	21.77	55
2002-03	11.06	5.77	48	51.38	24.26	53
2003-04	11.66	6.30	46	53.26	25.75	52
2004-05	12.03	6.24	48	56.39	26.24	53

46 से 62 प्रतिशत हितग्राही पोषाहार से वंचित रहे:-

इस प्रकार चिन्हित हितग्राहियों के संदर्भ में पोषाहार हेतु मुख्यतः अपर्याप्त बजट प्रावधान, जिलों को बजट आबंटन न किए जाने/देरी से किये जाने के कारण 52 से 62 प्रतिशत बच्चे एवं 46 से 59 प्रतिशत गर्भवती एवं धात्री मातायें पूरक पोषाहार से वंचित रहीं यद्यपि चिन्हित की गई थीं। नमूना जांच किए गए जिलों की स्थिति **परिशिष्ट-XXXV** में दर्शायी गई है।

नमूना जांच किए गए जिलों (मण्डला जिला छोड़कर) चिन्हित हितग्राहियों की 29 से 61 प्रतिशत गर्भवती एवं धात्री मातायें एवं 23 से 65 प्रतिशत बच्चे 2000-05 के दौरान

पोषाहार से वंचित थे। इस प्रकार पोषाहार हेतु अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण अधिकांश हितग्राही योजना के लाभों से वंचित रहे।

3.3.8.3 अपात्र एवं मानदण्डों से अधिक हितग्राहियों को सहायता।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पूरे परियोजना क्षेत्र के परिवारों के सर्वेक्षण का उद्देश्य पात्र हितग्राहियो की पहचान एवं उनमें कुपोषण स्तर सुनिश्चित करना तथा उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार करने के लिए पूरक पोषाहार प्रदाय हेतु नामांकित करना था। सर्वेक्षण तिमाही रूप से किया जाना था। मण्डला जिले के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2003) में पाया गया कि वर्ष 2000-01 की तुलना में 2001-02 में गर्भवती एवं धात्री माताओं की संख्या में 51 प्रतिशत एवं छः वर्ष की वय तक के बच्चों की 54 प्रतिशत की असामान्य वृद्धि थी। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने सूचित किया कि आसपास में स्थित गांवों/आवासों की सभी गर्भवती एवं धात्री माताओं एवं 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पोषाहार प्रदाय किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आसपास के गांवों/आवासों में इस उद्देश्य हेतु संचालित समीपवर्ती आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा सेवायें दी जानी थी।

3.3.8.4 आंगनबाडी केन्द्रों की अनुचित स्थापना।

एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 की औसत जनसंख्या (जनजातीय क्षेत्रों में 700) पर आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाना था। नमूना जांच में निम्न तथ्य पाये गयेः

दस विकासखण्डों में मानदण्डों से अधिक 306 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना की गई।

सीहोर जिलें में आवश्यक 884 आंगनबाड़ी केन्द्रों के विरुद्ध 690 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित थे। 194 आंगनबाड़ी केन्द्रों की कमी के कारण सीहोर जिले के 420 गांव एकीकृत बाल विकास सेवाओं की सुविधा से वंचित रहे। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार 10 विकासखण्डों* (खण्डवा (5) एवं मण्डला (5)) में 1135 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना होनी थी, जबकि 1441 आंगनवाड़ा केन्द्र स्थापित पाए गए परिणामतः 306 आंगनबाड़ी केन्द्र अधिक स्थापित किए गए। दूसरी ओर इन्हीं जिलों के 7 विकासखण्डों# में 1157 आंगनवाडी केन्द्रों की स्थापना होनी थी, जबकि केवल 996 आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित थे। परिणामतः 161 आंगनबाड़ी केन्द्र कम थे। इस प्रकार मानदण्डों के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित नहीं किए गए थे।

44 विकासखण्डों में निर्धारित मानदण्डों से अत्यधिक कम जनसंख्या वाले ग्रामों में स्थापित आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार हैः

---

* *खण्डवा (खण्डवा ग्रामीण, छः गांव नाखन, हरसूद, बलडी एवं खालवा) मण्डला (बीजाडांडी, मवई, मोहगांव, घुघरी एवं नैनपुर)*

\# *खण्डवा, (पुनासा, खण्डवा शहरी, पंधाना) एवं मण्डला (मण्डला, निवास नारायणगंज एवं बिछिया)*

जिला	कुल आंगनबाड़ी केन्द्र	खोले गए आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या				
		300 से कम जनसंख्या	301 से 500 जनसंख्या	501 से 700 जनसंख्या	701 से 999 जनसंख्या	योग
दमोह	756	12	64	150	173	399
इंदौर	892	3	32	49	108	192
खण्डवा	979	39	102	112	92	345
मण्डला	1282	102	227	233	--	562
मंदसौर	792	9	22	86	176	293
विदिशा	848	17	132	188	198	535
योगः	**5549**	**182**	**579**	**818**	**747**	**2326**

यह पाया गया कि मण्डला जिले में 4 आंगनबाड़ी केन्द्र गांवों में स्थापित किए गए जिनकी जनसंख्या 100 से भी कम थी।

जिला कार्यक्रम अधिकारी दमोह, एवं जिला महिला बाल विकास अधिकारी, विदिशा ने बताया कि ये आंगनबाड़ी केन्द्र पंचायत एवं ग्रामीण विभाग ने स्थापित किए थे एवं जन सामान्य के दबाव के कारण इन केन्द्रों की स्थिति बदलना संभव नहीं थी। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मण्डला ने बताया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना जनता की मांग एवं शासन की स्वीकृति के आधार पर की गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना निर्धारित मानदण्डों के अनुसार की जानी थी।

आगे मानदण्डों की अवहेलना करते हुए अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना के फलस्वरूप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन एवं भत्तों पर आवर्ती दायित्व हुआ जैसा कि वर्ष 2000-05 के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत स्थापना पर कुल व्यय का 66 प्रतिशत व्यय किया गया था।

3.3.8.5 आंगनबाड़ी केन्द्रों में अपर्याप्त सुविधायें।

बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना पर्याप्त स्थान वाले भवनों में की जानी थी। सुरक्षित पीने योग्य पानी एवं शौचालयों की समुचित सुविधायें प्रदान करना भी आवश्यक थीं। प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र तौल मशीन एवं बर्तनों से सुसज्जित किया जाना था।

अधिकांश आंगनबाड़ी केन्द्रों में बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नहीं थी।

शासकीय भवनों में, किराये के भवनों में, कार्यकर्ताओं के निवासों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुरक्षित पीने योग्य पानी, शौचालयों की स्थिति संचालनालय में उपलब्ध नहीं थी। नमूना जांच किए गए 6 जिलों [⊗] में, 5726 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से 4251 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों/कार्यकर्ताओं के निवासों में चल रहे थे जहाँ बच्चों के समुचित शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं था। मण्डला जिले में 185 आंगनबाड़ी केन्द्रों की वास्तविक स्थिति जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों को ज्ञात नहीं थी।

[⊗] *दमोह, इंदौर, खण्डवा, मण्डला, मंदसौर एवं विदिशा*

नमूना जांच से यह भी प्रकट हुआ कि इन जिलों में क्रमशः 3156 एवं 2595 आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मण्डला जिले में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार खाद्यों के भण्डारण, भण्डारण-पात्रों हेतु एवं दलिया पकाने हेतु उत्तम स्थिति के बर्तनों की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई थी।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मण्डला तथा विदिशा एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी दमोह ने सूचित किया कि अतिरिक्त बजट प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण इन सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया।

3.3.9 पूरक पोषाहार की प्राप्ति

सभी पात्र एवं पहचान किए गए हितग्राहियों को मानक के अनुसार पोषण महत्व का पूरक पोषाहार प्राप्त कराना विभाग के जिला अधिकारियों को दी गई। सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि **थी**। नमूना जांच में जानकारी में आई स्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

3.3.9.1 अमानक स्तर का दलिया प्राप्त करना

शासन के आदेशानुसार, प्रत्येक 80 ग्राम पोषाहार (73.6 ग्राम दलिया एवं 6.4 ग्राम गुड़ एवं नमक) में 300 कैलोरी एवं 10 ग्राम प्रोटीन होना था। भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद 1980 भारतीय खाद्यों का पोषक मूल्य के अनुसार गेहूँ, दलिया एवं सोयाबीन, हरी मूंग 9:1 अनुपात में होने पर ही दलिया के मिश्रण में उपर्युक्त पोषक मूल्य उपलब्ध होगा, फिर भी जांच किए गए जिलों में क्रय किए गए दलिया मिश्रण में गेहूँ, दलिया एवं सोयाबीन, हरी मूंग 22:1 था (विदिशा जिले में 2003-05 के दौरान 24:1 अनुपात था)। इस प्रकार वास्तविक तौर पर प्राप्त की गई आपूर्ति अनुपात से भिन्न अनुपात में प्रदान किए गए प्रति 80 ग्राम खाद्य में कैलारी 17 से 22 की मात्रा तक कम थी जबकि प्रोटीन 0.31 ग्राम से 1.32 ग्राम कम थी।

कम पोषकता के कारण 2.95 करोड़ रुपए की आनुपातिक कटौती नहीं की गई।

सात[@] जिलों में निजी आपूर्तिकर्ता एवं स्वसहायता समूहों से 2000-05 के दौरान 46.25 करोड़ रुपए मूल्य का 32532 टन पोषाहार खाद्य क्रय किया गया जिसमें भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद ने 1980 भारतीय खाद्यों के पोषक मूल्य में निर्धारित मानक से कम पोषकता थी। निजी आपूर्तिकर्ता एवं स्वसहायता समूहों से किए गए समझौते की शर्तों के अनुसार पोषक स्तर कम होने पर आनुपातिक कटौती की जानी थी। फिर भी लेखापरीक्षा की गई नमूना जांच में यह पाया गया कि आपूर्तिकर्ताओं से कम पोषकता की आपूर्ति पर देयकों से लगभग 2.95 करोड़ रुपए की अनुपातिक कटौती नहीं की गई।

[@] *दमोह, इंदौर, खण्डवा (बुरहानपुर सहित), मण्डला, मंदसौर, सीहोर एवं विदिशा*

मूंग दाल की कम आपूर्ति की कम आपूर्ति को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप स्व सहायता समूहों को 26.34 लाख रुपए का अनुचित लाभ हुआ ।

समझौते की शर्तों के अनुसार मण्डला जिले में समूहों को वर्ष 2001-05 के दौरान पोषाहार के 25 किलोग्राम के बैग में एक किलोग्राम मूंगदाल की आपूर्ति करनी थी। लेखापरीक्षा ने की गई नमूना जांच में पाया गया कि स्व सहायता समूहों द्वारा एक किलोग्राम के स्थान पर आधा किलोग्राम मूंग दाल की आपूर्ति की गई एवं शेष मात्रा में गेहँ, दलिया की आपूर्ति की गई। चूंकि मूंगदाल एवं गेहँ दलिया के मूल्य में 20 रुपए प्रतिकिलोगाम का अंतर था, अतः मण्डला जिले में वर्ष 2001-05 के दौरान 1317 क्विंटल की मूंगदाल की कम आपूर्ति की गई । कम आपूर्ति के लिए 26.34 लाख रुपए का अदेय लाभ दिया गया।

4.48 लाख रुपए मूल्य का कीटाणुयुक्त पोषाहार खाद्य स्वीकार किया गया।

स्व सहायता समूहों द्वारा इंदौर ग्रामीण परियोजना को जनवरी 2004 में एवं विदिशा जिले की ग्यारसपुर परियोजना को नवम्बर 2004 में आपूरित किया गया 418 क्विंटल पोषाहार खाद्य (4.48 लाख रुपए) कीटाणुयुक्त एवं मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त पाया गया (फरवरी एवं दिसंबर 2004), तथापि अनुबंध समाप्त करने की दण्डात्मक कार्यवाही के स्थान पर मार्च-अप्रैल 2004 एवं जनवरी 2005 में पूर्ण भुगतान कर दिया गया । जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, विदिशा ने बताया कि (सितम्बर 2005) की दलिये की सम्पूर्ण मात्रा स्व सहायता समूहों द्वारा बदल दी गई है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ग्यारसपुर विकास खंड के सम्बन्धित प्रभारी बाल विकास अधिकारी ने इस बात की पुष्टि कर दी थी कि दलिये को बदला नहीं गया था (सितम्बर 2005) आगे, अनुबंध को समाप्त करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की थी।

3.3.9.2 निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि क्रय अत्यधिक मितव्ययता से किया जाना चाहिए। शासन ने भी पोषाहार खाद्य क्रय करते समय वित्तीय एवं भण्डार क्रय नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करने पर पुनः जोर दिया था। शासन ने निर्देश दिया (मई 2003) कि स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किये गये दलिया का क्रय समिति द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाना चाहिए तथा लागत और नियत लाभ (कॉस्ट प्लस) आधार पर तथा दरों का निर्धारण करते समय, बी.पी.एल. गेहूँ की कीमत, प्रसंस्कृत सोयाग्रिट, प्रसंस्करण एवं परिवहन प्रभार, छीजन, पूंजी पर ब्याज एवं मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से स्व सहायता समूहों को होने वाले लाभ को ध्यान में रखा जाना था।

18314 टन दलिया की प्राप्ति करने वाले जिला कार्यालयों[@] के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दलिया के क्रय हेतु लागत और नियत लाभ (कॉस्ट प्लस) आधार पर दरों के निर्धारण में कोई एक रूपता नहीं थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(क) दमोह, मण्डला एवं विदिशा जिलों में दरें लागत और नियत लाभ (कॉस्ट प्लस) आधार पर तय नहीं की गई थीं क्योंकि प्रसंस्करण, परिवहन, छीजन, ब्याज आदि के रूप में लागत के पृथक अवयवों की गणना नहीं की गई थी, जो कि निर्दिष्ट किये गये थे।

[@] *दमोह, इंदौर, खण्डवा, मण्डला, मंदसौर, सीहोर एवं विदिशा*

(ख) खण्डवा, मंदसौर, एवं सीहोर जिलों में पिसे हुये आटे के विक्रय मूल्य को जो कि गेहूँ की पिसाई होने के बाद निकलना था, दरों की गणना में शामिल करना नहीं पाया गया।

(ग) खण्डवा जिले में (लाभ निर्दिष्ट) 10 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत की दर से मान लिया गया।

दरों के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप 5.25 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय।

इस प्रकार नमूना जांच किए गए जिलों में पोषाहार खाद्य की दरों का गलत निर्धारण करने के कारण 18314 टन पोषाहार खाद्य के क्रय पर 5.25[⊗] करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय किया गया क्योंकि दरों की गणना हेतु निर्धारित सूत्र का पालन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर जिला अधिकारियों ने बताया कि दरों का निर्धारण शासन द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर किया गया था। यह उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि दरें तय करने में शासन के आदेशों का पालन नहीं किया गया।

3.3.9.3 क्रय में अनुबंधों का उल्लंघन

अनुबंधों का उल्लंघन कर 50.72 लाख रुपए के दलिया का क्रय

निजी आपूर्तिकर्ताओं एवं स्व सहायता समूहों के साथ निष्पादित अनुबंध की शर्तो के अनुसार केवल उनके द्वारा उत्पादित पोषाहार खाद्य ही आपूरित किया जाना था। इस तरह अनुबंध के निबंधन के अनुसार आपूर्तिकर्ता/स्व सहायता समूहों को उनके अपने उत्पाद ही प्रदाय करने थे, किसी अन्य निर्माता से उत्पाद प्राप्त नहीं करना था। तथापि यह देखा गया कि तीन अनुबंधों में 2001-03 के दौरान 50.72 लाख रुपए मूल्य का जो 4180[♣] क्विंटल दलिया आपूरित किया गया वह वस्तुतः उन आपूर्तिकर्ता/स्व सहायता समूहों ने उत्पादित नहीं किया था जिन्होंने आपूर्ति हेतु अनुबंध निष्पादित किया था।

इस तथ्य की ओर इंगित करने पर यह बताया गया कि दूसरे फर्मो द्वारा उत्पादित दलिया इसलिये स्वीकार किया गया था क्योंकि मान्यता प्राप्त आपूर्तिकर्ताओं के संयंत्रों में तकनीकी खराबी थी। लेखापरीक्षा में किये गये सत्यापन से स्पष्ट हुआ कि संयंत्र में तकनीकी खराबी की सूचना के बारे में किया गया कोई पत्र-व्यवहार अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

3.3.9.4 पोषाहार खाद्य की आपूर्ति हेतु मध्यस्थ अधिकृत किया जाना

सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिये अवसर बढ़ाने, सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने एवं इसके द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि से स्व सहायता समूहों से पोषाहार खाद्य (दलिया) क्रय करने के लिये अनुदेश जारी किए (मई 2003)। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु

[⊗] *मंदसौर (88.15 लाख रुपए), खण्डवा (77.21 लाख रुपए), इंदौर (34.16 लाख रुपए), मण्डला (156.73 लाख रुपए), सीहोर (44.76 लाख रुपए), दमोह (39.23 लाख रुपए) एवं विदिशा (84.28 लाख रुपए)।*

[♣] *दमोह (1650 क्विंटल: 19.27 लाख रुपए), विदिशा (2530 क्विंटल 31.45 लाख रुपए)*

उच्च श्रेणी के स्व सहायता समूहों को, उनकी प्रबंधकीय एवं वित्तीय क्षमता का परीक्षण कर, पोषाहार आपूर्ति के आदेश दिये जाने थे। विदिशा जिले के अभिलेखों से यह प्रकट हुआ कि पोषाहार की आपूर्ति हेतु चयनित 8 स्व सहायता समूहों में से 6 स्व सहायता समूहों के पास, पिसाई, भण्डारण एवं परिवहन की सुविधा नहीं थी। इन चयनित स्व सहायता समूहों के पास आपूर्ति आदेशों के अनुपालन के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी भी नहीं थी। इस प्रकार स्व सहायता समूह ने इन आपूर्तियों के निष्पादन के लिए, विदिशा एवं गंजबासोदा स्थित फर्मों से अनुबंध किया एवं इनका (समूहों का) कार्य केवल देयक तैयार करने तक सीमित था। यह भी जानकारी में आया कि इनमें से एक स्व सहायता समूह की अध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी जबकि ऐसा होना भी अनुमत्य नहीं था। इन छः स्व सहायता समूहों ने वर्ष 2003-05 के दौरान 2.86 करोड़ रुपए मूल्य का कुल 22885 क्विंटल दलिया आपूरित किया।

2.86 करोड़ रुपए मूल्य से संबंधित आपूर्ति हेतु मध्यस्थ अधिकृत किया जाना शासन के आदेशों का उल्लंघन था।

इन छः स्व सहायता समूहों द्वारा आदेशों के निष्पादन एवं आपूर्ति हेतु अन्य ऐजेंसियों को मध्यस्थ के रूप में संलग्न किया जाना शासन के आदेशों का उल्लंघन था। इसके उत्तर में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, विदिशा ने बताया (सितम्बर 2005) कि मध्यस्थों के लिये आयुक्त ने अनुमति दी थी। लेखापरीक्षा में सत्यापन करने पर पाया गया कि आयुक्त ने ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए थे।

3.3.9.5 सामग्री प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान

सामग्री प्राप्त किए बिना आपूर्तिकर्ता को 16.35 लाख रुपए का भुगतान किया गया।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई सामग्री की आपूर्ति के भुगतान हेतु देयकों को चालानों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिन पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आपूर्ति की प्राप्ति की पावती अंकित होनी चाहिए थी तथापि यह पाया गया कि जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मण्डला ने 2001-05 के दौरान 1417 क्विंटल दलिया के लिये 16.35 लाख रुपए का भुगतान किया। यह दलिया तीन विकासखण्डों को आपूरित करना बताया गया। यद्यपि इन आपूर्ति के देयकों के साथ इन विकासखण्डों के बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा नियमानुसार पावती के अंकित चालान प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा में आगे की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि दलिया की पूर्वोक्त मात्रा इन विकासखण्डों की भण्डार पंजी में अंकित नहीं की गई थी। इन विकासखण्डों (बिछिया, मोहगांव एवं बीजाडांडी) के बाल विकास परियोजना अधिकारियों ने यह भी सूचित किया (जुलाई 2005) कि उपरोक्त बताई गई मात्रा उनके द्वारा प्राप्त नहीं की गई। जिला महिला बाल विकास अधिकारी, मण्डला ने इस संबंध में कोई कारण नहीं बताया कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करते हुए उन्होंने भुगतान कैसे किया।

3.3.9.6 मानकों से अधिक प्राप्ति

मानक से अधिक प्राप्ति होने के परिणामस्वरूप 1.28 करोड़ रुपए मूल्य का संदिग्ध क्रय किया गया

स्व सहायता समूहों को दलिया तैयार कर आपूर्ति करने के लिये बी.पी.एल. दरों पर गेहूँ प्रदाय किया गया था। जिला महिला बाल विकास अधिकारी विदिशा के अनुदेशों के अनुसार, स्व सहायता समूहों को उठाए गए बी.पी.एल. गेहूँ की मात्रा के 65 से 75 प्रतिशत मात्रा में दलिया आपूरित करना आवश्यक था। स्व सहायता समूहों ने 2003-05 के दौरान 20976 क्विंटल बी.पी.एल. गेहूँ उठाया एवं 75 प्रतिशत के मान से अधिकतम

15732 क्विंटल दलिया तैयार किया जाना था। फिर भी स्व सहायता समूहों ने इस अवधि में 27352 क्विंटल गेहूँ का दलिया आपूरित किया, जो कि स्व सहायता समूहों द्वारा उठाए गए गेहूँ से अपेक्षित गेहूँ दलिया की संभावित मात्रा से 173 प्रतिशत से भी अधिक था। इस प्रकार 1.28 करोड़ रुपए मूल्य के 11620 क्विंटल दलिया से भी अधिक की आपूर्ति संदिग्ध थी।

जिला महिला बाल विकास अधिकारी, विदिशा ने भविष्य में अनुपात बनाये रखना सुनिश्चित किये जाने का आश्वासन दिया (सितम्बर 2005)।

3.3.9.7 पूरक पोषाहार का प्रदाय

एक करोड़ रुपए का व्यय करने के बावजूद गुड़ एवं नमक का क्रय कर एवं हितग्राहियों को इसका प्रदाय नहीं किया गया।

योजना में प्रत्येक हितग्राही को वर्ष में 300 दिन पूरक पोषाहार प्रदाय करने का प्रावधान था। योजना के अनुसार, 80 ग्राम पोषाहार खाद्य में 73.6 ग्राम दलिया एवं 6.4 ग्राम गुड़ एवं नमक होना था। इंदौर एवं विदिशा जिलों में अक्टूबर 2000 से मार्च 2005 के दौरान 8576 टन दलिया क्रय कर प्रदाय किया गया एवं इन जिलों में 13 विकासखण्डों[#] में गुड़ एवं नमक के क्रय एवं वितरण हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में एक करोड़ रुपए जमा किए गए थे। भण्डार पंजी एवं फार्म-7 की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने न तो गुड़ एवं नमक क्रय किया और न ही हितग्राहियों को इसका प्रदाय किया। इसके स्थान पर हितग्राहियों को 80 ग्राम दलिया निर्धारित मात्रा में गुड़ एवं नमक मिलाए बिना प्रदाय किया गया। नमक एवं गुड़ प्रदाय करने एवं मिलाने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भुगतान की गई राशि की वसूली करने के लिये कोई कदम नहीं उठाए गए हैं।

3.3.9.8 स्व सहायता समूहों द्वारा पोषाहार की बाधित आपूर्ति

पोषाहार खाद्य की आपूर्ति की व्यवस्था स्व सहायता समूहों के माध्यम से की गई थी। स्व सहायता समूहों के साथ किए गए अनुबंध के शर्तों के अनुसार, पोषाहार आपूर्ति न किए जाने की स्थिति में दस रुपए प्रतिदिन की कटौती की जानी थी एवं योजना के अनुसार वर्ष में 300 दिन पोषाहार की आपूर्ति का प्रावधान था। सीहोर जिले में पांच परियोजनाओं के स्व सहायता समूहों के पास पोषाहार की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति हेतु अपर्याप्त स्त्रोतों के कारण (2003-04) तथा स्व सहायता समूहों को भुगतान में विलंब के कारण (2004-05) 690 आंगनबाड़ी केन्द्र 2003-04 के दौरान 4 से 7 माह तक एवं वर्ष 2004-05 के दौरान 6 माह तक पोषाहार प्रदाय करने में असफल रहे थे। इसी प्रकार जिला मण्डला के निवास विकासखण्ड में 87 आंगनबाड़ी केन्द्रों में 2004-05 के दौरान 45 दिनों तक बिछिया विकासखण्ड के माधोपुर-प्रथम केन्द्र में 2001-05 के दौरान 18 से 109 दिन तक हितग्राहियों को पोषाहार प्रदाय नहीं किया गया। 2003-05 के दौरान में ग्यारसपुर परियोजना के कई आंगनबाड़ी केन्द्रों में 11 से 170 दिनों तक आपूर्ति बाधित रही। दमोह में अक्टूबर 2003 से जून 2004 तक 166 आंगनबाड़ी केन्द्रों को कोई आपूर्ति नहीं की गई।

[#] इंदौर (6 विकासखण्ड: 65.44 लाख रुपए), विदिशा (7 विकासखण्ड: 34.56 लाख रुपए)

3.3.9.9 ईंधन प्रभारों पर परिहार्य व्यय

टेक होम राशन पर किया गया ईंधन प्रभार का 15.22 करोड़ रुपए का भुगतान अनियमित एवं परिहार्य था।

योजना के प्रावधान के अनुसार, आपूरित कच्चे दलिया के प्रति क्विंटल 62.50 रुपए की राशि, दलिया पकाने हेतु उत्तरदायी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ईंधन प्रभारों के रूप में भुगतान की जानी थी। योजना में दूसरा प्रावधान यह था कि गर्भवती एवं धात्री माताओं को निर्धारित मात्रा में बिना पका हुआ दलिया टेक होम राशन के रूप में स्वयं के ईंधन से पकाने हेतु दिया जाये। जैसा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को टेक होम राशन पर ईंधन प्रभार का भुगतान नहीं किया जाना था क्योंकि इस राशन को उनके द्वारा पकाया नहीं गया था। तथापि यह अवलोकन किया गया कि टेक होम राशन के रूप में वितरित किये गये 24.35 लाख क्विंटल कच्चे दलिया पर 15.22 करोड़ रुपए के ईंधन प्रभारों का भुगतान किया गया। इस प्रकार टेक होम राशन पर ईंधन प्रभार का किया गया भुगतान अनियमित था एवं परिहार्य भी था। उत्तर में आयुक्त ने बताया (सितम्बर 2005) कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को टेक होम राशन पर ईंधन प्रभार इसलिये दिया गया क्योंकि दलिया पकाने के अलावा उनके द्वारा प्राप्त किये गये ईंधन प्रभार अपर्याप्त थे। यह उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि टेक होम राशन पर ईंधन प्रभारों का भुगतान शासन के आदेशों के प्रतिकूल था।

3.3.9.10 पकाए हुए आहार पर अधिक भुगतान

सूखे दलिये के भार पर भुगतान नहीं किए जाने के कारण 1.84 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान।

शासन के अनुदेशों के अनुसार प्रदायकर्ताओं को शहरी परियोजनाओं एवं शहरी गंदी बस्तियों में हितग्राहियों को पका हुआ पोषाहार खाद्य (दलिया) प्रदाय करना था। प्रति 80 ग्राम दलिया में दस ग्राम प्रोटीन एवं 300 कैलोरी होना आवश्यक था। पानी के वजन के कारण पके हुए दलिया का वजन 80 ग्राम सूखे दलिया से बढ़कर 120 ग्राम होना था। यह पाया गया कि प्रदायकर्ताओं ने प्रतिहितग्राही 80 ग्राम पका हुआ दलिया प्रदाय किया था जिसमें सूखे दलिया का वजन 53.33 ग्राम था। अतएव 80 ग्राम पके दलिया में पोषक मात्रा 199.99 कैलोरी एवं 6.67 ग्राम प्रोटीन था। अक्टूबर 2001 से नवम्बर 2004 के दौरान जांच किए गए पांच[Ψ] जिलों में पदाय किए गए पके दलिया का सूखा वजन 3115 टन था जिस पर भुगतान किया जाना था परंतु संबंधित जिला अधिकारियों ने दलिया के सकल भार पर भुगतान प्राधिकृत किया चूंकि पके हुए खाद्य में निर्धारित पोषक मात्रा नहीं थी, जो कि दलिए में पानी की मात्रा के कारण नमीं की वजह से अधिक था। अतः प्रदायकर्ताओं के देयकों से अनुबंध में किये गये प्रावधान के अनुसार पोषक मात्रा में कमीं के लिये 33.33 प्रतिशत की दर से कटौती की जानी थी। ऐसी कोई कटौती नहीं करने के परिणामस्वरूप इन जिलों में प्रदायकर्ताओं को 1.84 करोड़ रुपए[⊗] का अधिक भुगतान किया गया।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी मण्डला एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी खण्डवा ने सूचित किया कि पका हुआ पोषाहार खाद्य शासन के अनुदेशों के अनुसार समय समय पर प्रयोगशाला में जांच के बाद प्रदाय किया गया। जिला महिला एवं बाल विकास

[Ψ] *दमोह, खण्डवा, मंदसौर, मण्डला एवं विदिशा*

[⊗] *दमोह (16.37 लाख रुपए), खण्डवा (95.25 लाख रुपए), मंदसौर (15.21 लाख रुपए), विदिशा (25.70 लाख रुपए), मण्डला (31.13 लाख रुपए)*

अधिकारी मण्डला ने भविष्य में सूखे दलिया के वजन के आधार पर भुगतान करने का आश्वासन दिया। जिला कार्यक्रम अधिकारी, दमोह ने बताया कि शासन के निर्देशो के अनुसार भुगतान किया गया। जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मंदसौर ने सूचित किया कि अप्रैल 2005 से सुधारात्मक उपाय किए गए थे। ये उत्तर धार्य नहीं थे क्योंकि विदिशा में अनुबंध दोषपूर्ण था और दमोह जिले में किया गया भुगतान अनियमित था। आयुक्त ने नवम्बर 2003 में सभी जिला अधिकारियों को सूखे वजन पर भुगतान करने हेतु स्मरण कराया था।

3.3.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

संचालनालय में लेखा अधिकारी के पर्यवेक्षण में एक पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा गठित की गई थी। इसमें संस्वीकृत पदों के अनुसार दो सहायक लेखा अधिकारी एवं दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक कार्य पर रखे गये थे।

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की विभागीय संहिताओं/नियम-पुस्तकों/स्थाई अनुदेशों में इकाइयों के चयन, लेखापरीक्षा के कार्यक्रम के निर्धारण, लेखापरीक्षा में जांच के लिये मूल क्षेत्रों की पहचान, दल के प्रत्येक सदस्य को सौंपे गये विस्तृत कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, उठाई गई आपत्तियों के निराकरण के उपाय एवं समय-सीमा इत्यादि के लिये कोई लेखापरीक्षा संबंधी दिशा निर्देश प्रदान नहीं किये गये थे।

वर्ष 2000-04 के दौरान कोई आंतरिक लेखापरीक्षा संपन्न नहीं की गई थी। तथापि 2004-05 के लिए तदर्थ आधार पर 14 जिला कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु कार्यक्रम तैयार किया गया था जिसमें से मार्च 2005 तक 9 इकाईयों की आंतरिक लेखापरीक्षा सम्पन्न की गई थी। मार्च 2005 तक जारी किये गये 5 जांच प्रतिवेदनों में से अप्रैल 2005 तक केवल दो प्रतिवेदनों के अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। इस प्रकार विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा प्रभावी नहीं थी।

3.3.11 परिवीक्षण एवं प्रभाव मूल्यांकन

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का परिवीक्षण मासिक प्रगति प्रतिवेदनों द्वारा किया जाना था जो प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा पर्यवेक्षक के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी को, बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला बाल विकास अधिकारी को एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी द्वारा आयुक्त को प्रस्तुत किये जाने थे, जिनका संकलन कर प्रतिवेदन भारत सरकार को प्रेषित किया जाना था। फिर भी यह पाया गया कि मासिक प्रगति प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित आंकड़ों की समीक्षा एवं विश्लेषण किसी भी स्तर पर नहीं किया गया था। पर्यवेक्षक/बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किये गये पर्यवेक्षण में भी कमीं थी। नमूना जांच किए गए जिलों के अभिलेखों में पाया गया कि मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में प्रति हजार जन्म पर 21 से कम मृत जन्म दर सूचित की गई थी जबकि जांच किए गए जिलों में वर्ष 2004-05 में प्रति हजार जन्म पर यह दर 24 से 30.47 थी। मण्डला जिले की घुघरी परियोजना में वर्ष 2004-05 में प्रति हजार पर मृत जन्म दर 44.50 तक अधिक थी। इसी तरह शिशु मृत्यु दर सभी मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में लगभग शून्य सूचित गई थी जबकि जिला (दमोह, मण्डला

एवं विदिशा) में वर्ष 2004-05 में प्रति हजार जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर 75.80 से 96 थी। यह भी कि मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में कोई मातृत्व मृत्यु नहीं दर्शायी गई थी। फिर भी इन जिलों में पाई गई मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 2004-05 में 324.55 से 700 प्रति लाख थी।

राष्ट्रीय पोषण परिवीक्षण सर्वेक्षण (2000) के अनुसार लगभग तीन चौथाई जनजातीय बच्चे कम भार वाले एवं कम ऊँचाई के थे, तथा 42 प्रतिशत जनजातीय बच्चे अत्यधिक कम भार के थे। चूंकि जनवरी 2005 तक की स्थिति में राज्य में 55 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित थे, शिशुओं को दूध छुड़ाने वाला खाद्य प्रदाय नहीं करने, अत्यधिक कुपोषित बच्चों को रोगापचार खाद्य नहीं देने से हितग्राहियों को आपूरित पोषाहार खाद्य में अपर्याप्त पोषकता होने तथा उसकी बाधित आपूर्ति के कारण बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर पर हितग्राहियों को आपूरित पोषाहार खाद्य का केवल न्यूनतम प्रभाव पड़ा।

3.3.12 निष्कर्ष

तदर्थ आधार पर बजट अनुमान तैयार करने के कारण होने वाली निरंतर बचतें, वास्तविक बचतों का आंकलन किए बिना निधियों का अविवेकपूर्ण समर्पण, सिविल निक्षेपों में निधियों का अंतरण आदि ने बजट संबंधी उचित नियंत्रण की कमी दर्शायी। रिक्त पदों की अधिक संख्या एवं जनशक्ति के उचित नियोजन की कमी के कारण विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं परिवीक्षण का कार्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के साथ मानदण्डों के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना न करना, अवमानक स्तर के पोषाहार का क्रय एवं प्रदाय तथा वितरण में बाधिक आपूर्ति के परिणामस्वरूप 55 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित रहे। आगे 46 से 62 प्रतिशत पहचान किए गए हितग्राही पोषाहार हेतु अपर्याप्त बजट प्रावधन होने एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को देरी से आबंटन देने के कारण पोषाहार सहायता से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त क्रय नियमों एवं हितग्राहियों को आपूर्ति में मानदण्डों का पालन न करने के कारण टेक होम राशन पर ईंधन प्रभार का परिहार्य व्यय योजना के प्रबंधन में कमी रहने का सूचक है।

3.3.13 अनुशंसाएं

- बजट अनुमान, विभाग के लिए निधियों की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण करने के पश्चात ही तैयार किए जाने चाहिए।

- बच्चों का उचित शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए, आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना पर्याप्त सुविधाओं के साथ मानदण्डों के अनुसार करने की आवश्यकता है।

- नियमों एवं मानदण्डों के अनुसार पोषाहार खाद्य की प्राप्ति एवं आपूर्ति दृढ़ता से सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

- प्रोटीन एवं कैलोरी की निर्धारित मात्रा में पोषाहार खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्रदायकर्ता/स्व सहायता समूहों/आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के निष्पादन की गुणवत्ता जांच एवं नियतकालिक समीक्षा की पद्धति लागू की जानी चाहिए।

यह प्रकरण सरकार की ओर सितम्बर 2005 में भेजा गया; उत्तर अप्राप्त है (दिसम्बर 2005)।

पशुपालन विभाग

3.4 पशु एवं भैंस प्रजनन के लिये राष्ट्रीय परियोजना का क्रियान्वयन

3.4.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने परिचालनों की दीर्घकालिकता (पोषणीयता) तथा प्रजनन आदानों और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्धेश्य से पशु एवं भैंस प्रजनन के लिये एक योजना बनायी (1997)। ये प्रयत्न राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी को केन्द्र द्वारा शत प्रतिशत सहायता अनुदान के साथ एक नई केन्द्र प्रवर्तित योजना-पशु एवं भैंस प्रजनन की राष्ट्रीय परियोजना में, प्रशीत वीर्य तकनीक का विस्तार और संतति जॉच कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय सांड़ प्रजनन कार्यक्रम जैसी, पशु एवं भैंस प्रजनन पर चालू केन्द्र प्रवर्तित योजना के विलय के साथ सम्पूर्ण हुये। इस परियोजना के लिये राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में दिसम्बर 2004 तक मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट पालन विकास निगम, भोपाल को पदनामित किया गया तत्पश्चात राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी के रूप में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी डेरी संघ, भोपाल को पदनामित किया गया। इस परियोजना की अवधि दो चरणों में पूर्ण किये जाने के लिये 10 वर्षो की अवधि के रूप में विस्तरित की गई थी। इस परियोजना प्रथम चरण 2000-05 की मध्य अवधि में पूर्ण किया जाना था।

इस परियोजना का मुख्य उद्धेश्य, पशुओं की आनुवंशिक गुणवत्ता तथा उनकी उपलब्धता में सुधार करने हेतु देशी पशु और भैंस की नस्लों के लिये प्रजनन सुधार कार्यक्रम प्रारंभ करने और अपह्रास एवं विलोप से नस्लों को बचाने हेतु महत्वपूर्ण देशी नस्लों के प्रजनन तंत्र में गुणवत्ता प्रजनन आदानों की व्यवस्था करने के लिये, कृत्रिम गर्भ-रोपण अथवा उच्च गुणवत्ता के सॉड़ों द्वारा प्राकृतिक गर्भरोपण के माध्यम से संगठित प्रजनन के अंतर्गत समस्त प्रजननयोग्य मादा पशुओं एवं भैंसों को लाने के लिये किसानों के घर द्वार पर संशोधित कृत्रिम गर्भरोपण सेवाएं प्रदान करने की व्यवस्था करना था।

3.4.2 वित्तीय प्रबंधन

उपलब्ध निधि के विरुद्ध प्राप्त अनुदानों एवं किये गये व्यय से सम्बन्धित स्थिति निम्नानुसार थी :

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त सहायता अनुदान	व्यय	वर्ष के अंत में शेष
2000-01	2.78*	3.31	2.94	3.15
2001-02	3.15	8.29	4.35	7.09
2002-03	7.09	--**	5.79	1.30
2003-04	1.30	6.60	6.98	0.92
2004-05	0.92	6.62	3.93	3.61***

* अप्रैल 2000 के लिये उपलब्ध 2.78 करोड़ रुपए, इस परियोजना को हस्तांतरित, प्रशीत वीर्य तकनीक के विस्तार एवं संतति जाँच कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय साँड़ प्रजनन कार्यक्रमों जैसी पशु एवं भैंस प्रजनन पर चालू केन्द्र प्रवर्तित योजना के अवशिष्ट शेष थे।

**2002-03 की अवधि में, 6.60 करोड़ रुपए की संस्वीकृत राशि के विरुद्ध निधियां प्राप्त नहीं हुई थी। ये निधियां 2003-04 के दौरान जारी की गईं।

***प्राकृतिक गर्भरोपण के लिये सांड़ों का उपार्जन न होने के कारण, इस परियोजना के प्रथम चरण के अंत में 3.61 करोड़ रुपये का व्यय नहीं किया गया।

यह अवलोकन किया गया कि राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी ने प्रत्येक संघटक से सम्बन्धित माहवार व्यय तथा उसके प्रगामी व्यय को दर्शानेवाली व्यय नियंत्रण पंजी संधारित नहीं की थी।

3.4.3 भारत सरकार के अनुमोदन के बिना अधिक व्यय

भारत सरकार के अनुमोदन के बिना दो संघटकों में किया गया अधिक व्यय

परियोजना को प्रभावी बनाने के लिये, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन, व्यय के अन्तर्वर्ती संघटकों के लचीलेपन की अनुमति दी गई थी। यह अवलोकन किया गया क मुख्यतः दो संघटकों में किया गया लगभग 6.76 करोड़ रुपए का व्यय संस्वीकृत राशि से अधिक था, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	संघटक का नाम	उपलब्ध निधियां	व्यय	अधिक व्यय
1.	स्थिर इकाइयों का चलित गर्भ रोपण इकाइयों में रूपान्तरण (2000-01 से 2004-05)	4.30	8.58	4.28
2.	प्राकृतिक गर्भरोपण के लिए साड़ों का प्रदाय (2000-01 से 2003-04)	1.30	3.78	2.48
	योग	**5.60**	**12.36**	**6.76**

ऊपर दर्शाये गये अधिक व्यय की पूर्ति, प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण, प्रशीत वीर्य केन्द्र एवं बैंक, निजी कृत्रिम गर्भरोपण कर्मियों को प्रशिक्षण, प्रशिक्षित व्यक्तियों को उपकरणों का प्रदाय और तरल नत्रजन का प्रदाय जैसे विभिन्न संघटकों के अन्तर्गत होनेवाली बचतों से की गई थी। राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा भारत सरकार से अधिक व्यय का अनुमोदन प्राप्त करना भी नहीं पाया गया।

3.4.4 कृत्रिम गर्भरोपण का लक्ष्य प्राप्त न करना

उपकरणों के प्रदाय में कमी के कारण कृत्रिम गर्भरोपण की उपलब्धि में कमी

राज्य के 93.17 लाख कुल प्रजनन योग्य पशुओं में से (पशुधन गणना 1997 के अनुसार) 2000-05 की मध्य अवधि (चरण-1) में 55 प्रतिशत (51.24 लाख) का समावेश किया जाना था। जिसमें से 60 प्रतिशत (30.74 लाख) का समावेश कृत्रिम गर्भरोपण के माध्यम से किया जाना था जिसके विरुद्ध कृत्रिम गर्भरोपण की उपलब्धि 23.73 लाख थी। इस प्रकार कृत्रिम गर्भरोपण 23 प्रतिशत कम हुआ। कृत्रिम गर्भरोपण की उपलब्धि में कमी, कृत्रिम गर्भरोपण केन्द्रों/कर्मियों को उपकरणों के प्रदाय में कमी रहने, समुचित आधारभूत संरचना एवं प्रशीतवीर्य बैंक का अभाव होने, कृत्रिम गर्भरोपण कर्मियों को प्रशिक्षण देने में कमी रहने के कारण रही जिसका विवरण निम्नानुसार है :

3.4.5 कृत्रिम गर्भरोपण के लिये अत्यावश्यक उपकरणों की व्यवस्था न करना

निष्पादन एजेन्सियों को कृत्रिम गर्भरोपण के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति न करना

चलित कृत्रिम गर्भरोपण तथा कृत्रिम गर्भरोपण घर के द्वार पर प्रदाय करने के लिये विद्यमान स्थिर शासकीय कृत्रिम गर्भरोपण केन्द्रों के चलित केन्द्रों में रूपान्तरण को प्रोत्साहित करने के लिये, क्रियान्वयन एजेन्सियों को प्रदाय करने हेतु 5155 तरल नत्रजन कन्टेनर, 3292 कत्रिम गर्भरोपण किटें तथा 2373 बधियाकार उपकरण क्रय किये गये। राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी जिला कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह अवलोकन किया गया कि क्रमशः 80.19 लाख रुपए, 11.38 लाख रुपए तथा 26.05 लाख रुपए (कुल 117.62 लाख रुपए) मूल्य के 495 तरल नत्रजन कन्टेनर, 809 कृत्रिम गर्भरोपण किटें तथा 674 बधियाकार उपकरण राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों तथा जिला कार्यालयों* के पास निष्कार्य पड़े हुये थे।

3.4.6 उपार्जित आधारभूत संरचना का उपयोग न होना

तरल नत्रजन के भण्डारण एवं परिवहन के लिए उपार्जित आधारभूत संरचना अप्रयुक्त रही

तरल नत्रजन का सरल एवं कारगर भण्डारण एवं प्रदाय औद्योगिक गैस निर्माताओं से प्रदाय का स्त्रोत निर्मित करके तथा तरल नत्रजन के विपुल परिवहन (बल्क ट्रांसपोर्ट) एवं विपुल भण्डारण के लिये आधारभूत संरचना स्थापित करके निष्पादित किया जाना था। तदनुसार राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी (मध्य प्रदेश राज्य पशु धन एवं कुक्कुट विकास निगम) ने 62.37 लाख रुपए मूल्य के छः भण्डारण धारक (कंटेनर) तथा तीन चैसिस क्रय किये जिनका विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	विवरण, मदों की संख्या और क्षमता	क्रय का माह	राशि
1.	वी.आई.सी.-5000 विपुल भण्डारण धारक (कन्टेनर्स)-3, 5000 लीटर	फरवरी 2002	27.87
2.	टाटा-709 कैब चैसिस-3	फरवरी 2002	13.79
3.	तरल नत्रजन परिवहन टेंक-3 2000 लीटर	अक्टूबर 2002	20.71
		योग	**62.37**

* भोपाल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, खरगौन, एवं सतना ।

यह अवलोकन किया गया है कि तरल नत्रजन के विपुल भण्डारण एवं परिवहन के प्रयोजन के लिये विशेष रूप से क्रय की गई उपर्युक्त आधारभूत संरचना फरवरी 2002 से अप्रयुक्त रही, जिसके परिणामस्वरूप चलित कृत्रिम गर्भरोपण केन्द्रों के माध्यम से दुर्गम स्थानों को प्रशीत वीर्य के भण्डारण एवं प्रदाय का उद्धेश्य पूरा नहीं हुआ।

3.4.7 कृत्रिम गर्भरोपण कर्मियों के प्रशिक्षण में कमी

लक्ष्य निर्धारित कृत्रिम गर्भरोपण कर्मियों के प्रशिक्षण में कमी रहने के परिणामस्वरूप कृत्रिम गर्भरोपण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

चरण-1 में निजी कृत्रिम गर्भरोपण कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिये निर्धारित लक्ष्य 2450(2000-01 : 650, 2001-02 : 800, 2003-04 : 800, 2004-05 : 200) था। लेखापरीक्षा में अवलोकन किया गया कि 2000-05 की स्थिति में केवल 810 कर्मी प्रशिक्षित किये गये थे।

प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भरोपण कर्मियों को, कृत्रिम गर्भरोपण के लिये अपेक्षित आवश्यक उपकरण प्रदान किये जाने थे। तथापि 810 प्रशिक्षित कर्मियों में से केवल 263 कर्मियों को आवश्यक उपकरणों एवं किटों से सुसज्जित किया गया था। अतः शेष 547 प्रशिक्षित कर्मी कृत्रिम गर्भरोपण सेवाएं प्रदान नहीं कर सके क्योंकि उन्हें आवश्यक उपकरण एवं किटें प्रदान नहीं की गई थीं।

प्रत्येक निजी कृत्रिम गर्भरोपण कर्मी के लिये विभाग द्वारा कृत्रिम गर्भरोपण के लिये निर्धारित लक्ष्य एक माह में 15 था। इस प्रकार चरण-1 में 10,44,000 कृत्रिम गर्भरोपण सेवाएं (2000-01: 4,68,000, 2001-02: 4,32,000 तथा 2003-04: 1,44,000) की जानी थी जिसके विरुद्ध निजी कृत्रिम गर्भरोपण कर्मियों द्वारा केवल 2,82,839 सेवाएं प्रदान की गई, परिणामस्वरूप 73 प्रतिशत की कमी रही।

3.4.8 घटिया गुणवत्ता के साड़ों का क्रय

विशिष्ट प्रजनन फार्मो के स्थान पर व्यापारियों से सांड़ों का क्रय

परियोजना के दिशा निर्देशों के अनुसार उच्च आनुवंशिक गुण के उत्तम नस्ल के सांड़ों को लाया जाना आवश्यक था तदनुसार साँड़ हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड तथा केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्मो जैसे विशिष्ट पशु प्रजनन फार्मा से उपार्जित किये जाने थे। ये साँड़ विशिष्ट गुणवत्ता के होना आवश्यक थे तथा उपार्जन उनके प्रजनन अभिलेखों के साथ किया जाना चाहिये था। कार्यक्रम के परिकल्पना के अनुसार साँड़ निजी व्यापारियों से उपार्जित नहीं किये जाने थे। तथापि यह अवलोकन किया गया कि 3.78 करोड़ रुपए मूल्य के 5349 साँड़ 2001-04 की मध्य अवधि में विशिष्ट पशु प्रजनन फार्मो के स्थान पर जिला कार्यालयों द्वारा उठाई गई माँग के आधार पर व्यापारियों से क्रय किये गये। राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, एक साँड़ को प्रति सप्ताह 2 से 3 गर्भरोपण (एक वर्ष में लगभग 100 गर्भरोपण) सम्पन्न करनी थी। तदनुसार 5349 सांड़ों द्वारा 9.72 लाख गर्भरोपण (2002-03: 1,32,100, 2003-04: 3,05,400 तथा 2004-05: 5,34,900) सम्पन्न करना आवश्यक थी परन्तु राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा उनकी गर्भरोपण सेवाओं का प्रतिवेदन संकलित नहीं किया गया तथा अभिलेख में नहीं रखा गया। निजी व्यापारियों से उपार्जित किये गये साँड़ों के समुचित प्रजनन अभिलेखों के अभाव में यह सत्यापित नहीं किया जा सका है कि प्रजनन योग्य मादा पशुओं एवं भैंसों को प्राकृतिक गर्भरोपण के माध्यम से संगठित प्रजनन के अन्तर्गत

लाने की परियोजना का उद्धेश्य किस मात्रा तक प्राप्त किया गया है। विशेषतः 2001-02 से उपार्जित किये सांड़ों की गुणवत्ता घटिया थी।

3.4.9 परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण न किया जाना

विभाग द्वारा राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी को परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण न करना

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी को पशुपालन संचालनालय से सम्बन्धित विद्यमान साँड़ प्रजनन गौशालाओं (बुल मदर फार्मो) वीर्य बैंकों आगार तरल नत्रजन संयंत्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों आदि जैसी परिसम्पत्तियों को या तो हस्तांतरण द्वारा अथवा उपयुक्त पट्टा अनुबंध के माध्यम से अपने अधिकार में लेना आवश्यक था। तथापि यह अवलोकन किया गया कि परियोजना का चरण-1 पूर्ण हो जाने के बावजूद, राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा 4 तरल नत्रजन संयंत्र, 5 प्रशिक्षण केन्द्र तथा प्रशीतवीर्य वितरण पद्धति अपने अधिकार में नहीं ली गई है। इस प्रकार राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी को सुदृढ़ बनाने के माध्यम से राज्य में इस कार्य में संलग्न प्रधान एजेन्सियों के मध्य साहचर्य विकसित करने का उद्धेश्य अपूर्ण ही रहा।

3.4.10 परिवीक्षण एवं मूल्यांकन

परियोजना के क्रियाकलापों का परिवीक्षण करने में कमी

परियोजना के क्रियाकलापों का परिवीक्षण करने के लिये, यद्यपि कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु बैठक आयोजित की गई थी परन्तु विभिन्न संघटकों, वस्तुओं की गुणवत्ता के नियंत्रण एवं सेवाओं के प्रक्षेपित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे। राज्य में सम्पूर्ण प्रजनन आधारभूत संरचना के सम्बन्ध में, 2004 में परियोजना के क्रियाकलापों का मूल्यांकन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा किया गया था तथा राज्य निष्पादन बहुत अधिक कम होना आकलित किया गया। भारत सरकार को भेजे जाने हेतु आवश्यक, सांड़ों की प्राकृतिक गर्भरोपण सेवा के निष्पादन, कृत्रिम गर्भरोपण, कृत्रिम गर्भ रोपण कर्मियों को प्रशिक्षण तथा कृत्रिम गर्भ रोपण के लिए आवश्यक उपकरणों के प्रदाय से सम्बन्धित नियतकालिक प्रगति प्रतिवेदन भी राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा नहीं भेजे गये थे।

3.4.11 उपसंहार

यह अवलोकन किया गया कि प्राकृति गर्भरोपण सेवा के लिये साँड विशिष्ट प्रजनन फार्मो से उपार्जित नहीं किये गये थे। कृत्रिम गर्भरोपण के लिये कर्मचारी लक्ष्य निधारित संख्या में प्रशिक्षित नहीं किये गये थे तथा अधिकांश प्रशिक्षित कर्मचारियों को आवश्यक उपकरण प्रदान नहीं किये गये थे, परिणामस्वरूप कृत्रिम गर्भरोपण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया। प्राकृतिक सेवाओं के अभिलेखों का अनुरक्षण न करने के कारण विशिष्ट फार्मो से अलग हटकर व्यापारियों से क्रय किये गये सांड़ों का निष्पादन सत्यापित नहीं किया जा सका। भारत सरकार के अनुमोदन के बिना ही राज्य क्रियान्वयन एजेन्सी द्वारा अधिक व्यय किया गया।

3.4.12 अनुशंसाएं

यह अनुशंसा की जाती है कि :

- साँड़ विशिष्ट गुणवत्ता के विशिष्ट प्रजनन फार्मो से उपार्जित किया जाना आवश्यक है।

- निजी कृत्रिम गर्भरोपण कर्मियों को निर्धारित लक्ष्य की संख्या में प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

- प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भरोपण कर्मियों को पर्याप्त कृत्रिम गर्भरोपण उपकरण प्रदान किया जाना आवश्यक है।

यह प्रकरण अक्टूबर 2005 में सरकार की ओर भेजा गया; उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

वित्त विभाग

3.5 कोषालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के माध्यम से पेंशन का भुगतान

3.5.1 प्रस्तावना

सरकार ने राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों को सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों के माध्यम से पेंशन के भुगतान की योजना आरंभ (जुलाई 1977)। योजना के अंतर्गत कोषालय से प्राप्त पेंशन भुगतान आदेशों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पेंशनरों द्वारा रखे खातों में मासिक पेंशन जमा करती है। राज्य में पेंशन के संवितरण के उद्धेश्य से भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के उपरांत सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैकों* की सेवाओं का उपयोग किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों ने योजना दो चरणों अर्थात संबद्ध शाखा एवं भुगतान करने वाली शाखा के स्तर पर क्रियान्वित की गई। प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने जिला मुख्यालयों की इसकी संबद्ध शाखा को नामांकित किया जो राज्य में स्थित इसकी भुगतान करने वाली शाखाओं के साथ समन्वय करती है।

पेंशन संचालक प्रधान वित्त विभाग मध्य प्रदेश सरकार के समग्र पर्यवेक्षण में मुख्य नियंत्रण अधिकारी होते हैं तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदाई होते हैं। संचालक पेंशन के सहायतार्थ जिला स्तर पर कोषालय अधिकारी तथा संभागीय स्तर पर सात संभागीय संयुक्त संचालक कोषालय एवं लेखा* होते हैं। ये कार्यालय पेंशन प्रकरणों को अंतिम रूप देते हैं एवं पेंशन भुगतान आदेश तैयार करते हैं तथा नामांकित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं में भेजे जाने हेतु जिला कोषालय अधिकारी की ओर अग्रेषित करते हैं। नामांकित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संबद्ध शाखाएं भुगतान

---

* *1.भारतीय स्टेट बैंक, 2. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, 3. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 4. बैंक आफ इंडिया, 5. पंजाब नेशनल बैंक, 6. इलाहाबाद बैंक, 7. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 8. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 9 युनाइटेड कमर्शियल बैंक तथा 10. देना बैंक।*

* *भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर एवं उज्जैन*

करने वाली संबद्ध शाखाओं की ओर इसे अंतरित करती हैं तथा साथ ही ऐसे अंतरणों हेतु अभिलेख संधारित करती है।

राज्य में जून-अगस्त 2005 के दौरान 48 में से 4 जिलों (भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर) में योजना की समीक्षा की गई चार जिलों में इन बैंकों की 425 शाखाओं में से 44 शाखाओं* जिनमें 30 शाखाएं संबद्ध एवं भुगतान शाखाएं दोनो ही थीं तथा 14 केवल भुगतान शाखाएं थीं के अभिलेखों की नमूना जांच की गई। इन चार जिलों में पेंशनरों की कुल संख्या 69511 थी (भोपाल 24000, ग्वालियर 15318, इंदौर 17780 तथा जबलपुर 12413) समीक्षा का उद्धेश्य यह देखना था कि क्या पेंशन का भुगतान ठीक प्रकार से तथा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार किया जा रहा था तथा यह भी देखना था कि क्या अभिलेखों का संधारण किया जा रहा था, उपयुक्त प्रकार से इसका आकलन करना था। नमूना जांच के परिणामों का आगामी कंडिकाओं में उल्लेख किया गया है।

3.5.2 जिला कोषालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रक्रिया का अनुपालन न किया जाना

जिला कोषालय अधिकारियों द्वारा संबद्ध शाखाओं को नमूना हस्ताक्षर एवं विशिष्ट सील की प्रतिकृति प्रस्तुत न की जाना

संबद्ध बैंक शाखा द्वारा कोषालय अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षरों से प्राप्त विशिष्ट सील की प्रतिकृति से मिलान करते हुए तथा कोषालय पेंशन भुगतान आदेशों की यथार्थता सुनिश्चित करने में सक्षम रहने की दृष्टि से जिला कोषालय अधिकारियों को अपेक्षित था कि वे निर्धारित स्थल के सरकारी कार्य निष्पादित करने वाले भारतीय स्टेट बैंक/स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के प्रबंधक/अभिकर्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अपने नमूना हस्ताक्षर एवं विशिष्ट सील की प्रतिकृति संबद्ध शाखाओं को भेजें। नमूना जांच की गई 30 संबद्ध शाखाओं में से किसी में भी किसी भी कोषालय अधिकारी ने ऐसे नमूना हस्ताक्षर एवं विशिष्ट सील की प्रतिकृतियां नहीं भेजीं।

विशिष्ट सील लगाए बिना सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पेंशन भुगतान प्रकरण भेजना।

जिला अधिकारियों को यह भी अपेक्षित था कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संबद्ध शाखाओं को अपनी विशिष्ट सील लगे पेंशन भुगतान आदेश भेजें। संबद्ध शाखाओं को अग्रेषित पेंशन भुगतान प्रकरणों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि तीन जिला कोषालयों (भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर) ने संबद्ध बैंक शाखाओं को अग्रेषित पेंशन भुगतान आदेश पत्रों पर अपनी विशिष्ट सील नहीं लगाई। पेंशन भुगतान प्रकरण के अग्रेषणपत्र पर विशिष्ट सील के अभाव में, झूठे पेंशन भुगतान आदेशों के प्रस्तुतीकरण को रोकने हेतु की जाने वाली जांच निष्प्रभावी हो गई।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को जानकारी प्रस्तुत न करना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खंड 1 की सहायक धारा 389 के प्रावधानों के अनुसार जिला कोषालय अधिकारियों को ऐसे पेंशनर जो एक वर्ष से अधिक तक अपनी पेंशन आहरित करने में विफल रहे उनकी छःमाही सूची महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की ओर भेजे। तथापि यह दृष्टिगत हुआ कि नमूना जांच किए गए जिलों के जिला कोषालय अधिकारियों ने वांछित जानकारी 2002-2005 के दौरान महालेखाकार (लेखा

---

* भोपाल - 17, ग्वालियर - 7, इंदौर - 11 एवं जबलपुर - 9

एवं हकदारी) की ओर नहीं भेजी यद्यपि ऐसे कई पेंशनर थे जिन्होनें एक वर्ष से अधिक की अवधि तक अपनी पेंशन आहरित नहीं की थी।

3.5.3 अनुपयुक्त अभिलेख संधारण

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन भुगतान आदेश की सूची संधारित न की जाना

योजना के दिशानिर्देशों में पेंशन के भुगतान हेतु भुगतान शाखाओं को अग्रेषित पेंशन भुगतान आदेशों के सम्पूर्ण विवरणों का अभिलेख रखने हेतु पेंशन भुगतान आदेश सूची पंजी संधारित करना निर्धारित है। इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों की संबद्ध एवं भुगतान शाखाओं द्वारा मासिक भुगतानों का अभिलेख रखने हतु पेंशन भुगतान सूची पंजी संधारित करना भी निर्धारित था (परिशिष्ट -III)। इन पंजियों में की जाने वाली प्रविष्टियों को प्रभारी अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित भी किया जाना था। नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 30 संयुक्त संबद्ध शाखाओं में से 23 ने तथा भुगतानकर्ता 14 शाखाओं में से 7 ने ये पंजियां संधारित नहीं की थीं।

पेंशनरों की वैयक्तिक नस्तियां संधारित न करना

पेशनरों/परिवार पेंशनरों द्वारा प्रस्तुत जीवन प्रमाण पत्र, सेवायोजन न होने, पुनः सेवायोजन, पुनर्विवाह तथा विवाह न होने के प्रमाण पत्र भी संबंधित पेंशनरों की वैयक्तिक नस्तियों में संलग्न किए नहीं पाए गए थे। पेंशनरों की वैयक्तिक नस्तियों में आवश्यक उक्त अभिलेखों के अभाव में अनियमितताओं का समय पर पता लगाना एवं परिणामतः अधिक भुगतानों को टालने हेतु त्वरित कार्यवाही करना कठिन था।

पेंशन भुगतानों की प्रविष्टियां पेंशन भुगतान आदेशों के संवितरक भाग में नहीं की गई थी।

भुगतानकर्ता शाखाओं द्वारा समय समय पर किए जाने वाले भुगतान पेंशन भुगतान आदेशों के संवितरक भाग में भी लेखांकित किए जाने थे तथा इन्हें शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित भी करना था। नमूना जांच के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि समस्त 44 शाखाओं ने पेंशन भुगतान आदेशों के संवितरक भाग में ये अभिवांछित प्रविष्टियां नहीं की थीं।

पेंशनरों द्वारा नामांकन प्रस्तुत न किए जाना

मध्य प्रदेश कोषालय संहिता खंड 1 के सहायक नियम 388 के प्रावधानों के अनुसार पेंशनरों से पेंशन की जीवन अवधि बकाया राशि के भुगतान हेतु नामांकन प्राप्त किये जाने चाहिये थे जिससे मृत्यु के समय उनके खातों से अनाहरित पेंशन की शेष राशि का समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित हो सके। यह दृष्टिगत हुआ कि ऐसे नामांकन भोपाल (17 शाखाएं) जबलपुर (9 शाखाएं) तथा इंदौर (11 शाखाएं) जिलों में प्राप्त नहीं किए गए।

3.5.4 छत्तीसगढ़ राज्य को पेंशन दायित्वों का आबंटन न करना

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में पेंशन भुगतान सूचियां संधारित न की जाना।

मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के पृथक्करण के परिणामस्वरूप परवर्ती दो राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ की देयताओं का निर्धारण करने हेतु भुगतानकर्ता शाखाओं को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र III एवं III(क) में मासिक पेंशन भुगतान सूचियां संधारित करना था। यह मध्य प्रदेश राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य पेंशन दायित्वों को विभाजित करने के लिए आवश्यक था। पृथक्करण के निर्णायक दिवस 1 नवम्बर 2000 से मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में देयताओं को समाविष्ट करने हेतु प्रपत्र III निर्धारित किया गया था। प्रपत्र III(क) उक्त राज्यो के अंतर्गत दी गई वास्तविक सेवाओं के आधार पर पृथक रूप में, अविभाजित मध्य

प्रदेश, परवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के वस्तुतः अंशों को संगणित करने हेतु था। इस प्रकार 1 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत्त पेंशनरों के पेंशन भुगतान प्रपत्र III में तथा 1 नवम्बर 2000 के उपरांत सेवा निवृत्त पेंशनरों के भुगतान प्रपत्र III(क) में समाविष्ट किए जाने थे। नमूना जांच में यह देखा गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंदौर मारवाड़ी रोड़ भोपाल तथा राजबाडा इंदौर को छोड़कर, 42 शाखाओं में से किसी ने भी इन प्रपत्रों को नहीं अपनाया एवं भुगतानों का आबंटन किया। तदनुसार 42 शाखाओं में छत्तीसगढ़ राज्य को विकलनीय अंश भेजे न जाते हुए पेंशन भुगतानों की समग्र राशि केवल मध्य प्रदेश राज्य को विकलित की गयी।

3.5.5 पेंशन एवं परिवार पेंशन का अधिक भुगतान

3.5.5.1 परिवार पेंशन का अधिक भुगतान

निर्धारित दिनांक के उपरान्त भी परिवार पेंशन का अधिक भुगतान

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1976 के प्रावधानों के अनुसार जब कोई सरकारी कर्मचारी सात वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात सेवा के दौरान दिवंगत होता है तब उसका परिवार शासकीय कर्मचारी की मृत्यु के दिनांक से 7 वर्ष की अवधि के लिए अथवा यदि वह सरकारी कर्मचारी जीवित रहता तो 67 वर्ष की आयु जब प्राप्त कर रहा होता, उसमें से जो भी पहले हो तब तक सामान्य दर से दो गुनी दर पर अथवा मृत्यु के समय दिवंगत सरकारी कर्मचारी द्वारा अंत में आहरित वेतन के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, उस राशि की पेंशन पाने का हकदार होता है।

जिला कोषालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि 137 प्रकरणों में नौ जिलों में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 53 शाखाओं* द्वारा पेंशन भुगतान आदेशों में दर्शाई गई अवधि से अधिक तक बढ़ी हुई दरों पर 33.57 लाख रुपए के परिवार पेंशन का अधिक भुगतान किया गया। पेंशन भुगतान आदेशों में दर्शाए गए दिनांक से कम दरों पर परिवार पेंशन लागू नहीं की गई।

3.5.5.2 परिपक्वता दिनांक के उपरांत परिवार पेंशन का अधिक भुगतान

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1976 के प्रावधानों के अनुसार पुत्र के प्रकरण में परिवार पेंशन उसके 25 वर्ष के वय तक भुगतान योग्य होती है तथा अविवाहित पुत्री के सम्बन्ध में परिवार पेंशन उसको 25 वर्ष के वय तक अथवा उसका विवाह जो भी पहले हो तक भुगतान योग्य होती है।

सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की शाखाओं के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि तीन प्रकरणों में स्वीकार्यता के दिनांक के उपरांत अनियमित रूप में

---

* *भोपाल: 6, ग्वालियर: 2, इंदौर: 7, जबलपुर: 10, दमोह: 5, सीहोर: 2, रायसैन: 6, होशंगाबाद: 8, तथा विदिशा: 7 ।*

0.72[#] लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया।

3.5.5.3 लघुकृत पेंशन का अधिक भुगतान

मध्य प्रदेश सरकार ने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं को 1 जनवरी 1996 को लागू किया तथा वेतनमान संशोधित किए। 01 जनवरी 1996 को अथवा उसके उपरांत सेवा निवृत्त शासकीय सेवकों के पेंशन प्रकरणों से संबंधित आदेश वित्त विभाग के पत्र दिनांक 14 जुलाई 1998 से जारी किए गए। इन आदेशों को जारी किए जाने के पूर्व अंतिम रूप दिए गए पेंशन प्रकरणों को बाद में संशोधित वेतन का लाभ देते हुए पुनः संशोधित किया गया।

पेंशन की संशोधित मासिक लघुकृत राशि की कटौती न किया जाना।

जिला जबलपुर, के कोषालय तथा इसके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि उक्त कोषालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सम्बद्ध शाखाओं को पूर्व में ही भुगतान किए गए लघुकृत मूल्य राशि को समायोजित करने के उपरांत तथा लघुकृत पेंशन की संशोधित राशि को घटाने के उपरांत पेंशन के लघुकृत मूल्य के भुगतान हेतु संशोधित प्राधिकारपत्र भेजे। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों ने पेंशनरों को पेंशन के संशोधित लघुकृत मूल्य का भुगतान किया परंतु संशोधित पेंशन के लघुकृत मूल्य की कटौती नहीं की तथा इसके बजाय पेंशन के पुराने लघुकृत मूल्य राशि की कटौती करना जारी रखा। परिणामतः 190 प्रकरणों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 31.50 लाख रुपए का अधिक भुगतान किया।

3.5.5.4 लघुकृत पेंशन की संशोधित राशि का समायोजन न किया जाना

मध्य प्रदेश सिविल सेवा (पेंशन लघुकृतिकरण) नियमावली 1996 के प्रावधानों के अनुसार मूलतः संस्वीकृत की गई पेंशन की राशि लघुकृत पेंशन मूल्य की एकमुश्त राशि के भुगतान दिनांक से अथवा लघुकृत मूल्य हेतु प्राधिकारपत्र जारी किए जाने के दिनांक से तीन माह उपरांत जो भी दिनांक पहले हो उससे कम की जानी थी।

जिला कोषालय बालाघाट के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च/अप्रैल 2005) में प्रकट हुआ कि 71 प्रकरणों में फरवरी 2002 से अप्रैल 2005 की अवधि के दौरान जिले के

[#] *(करोड़ रुपयों में)*

क्रम संख्या	*कोषालय का नाम*	*सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम*	*प्रकरणों का नाम*	*अधिक भुगतान की अवधि*	*भुगतान की गई अधिक राशि*
1.	*भोपाल*	*देना बैंक कोहे फिजा*	*1*	*20-04-99 से 28-02-2002*	*0.56*
2.	*जबलपुर*	*यूनियन बैंक आफ इंडिया, मालवीय चौक*	*1*	*08-07-2003 से 31-08-2003*	*0.03*
3.	*जबलपुर*	*इलाहाबाद बैंक कुंडम*	*1*	*11-05-2002 से 30.9.2002*	*0.13*
		योग	*3*		*0.72*

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पेंशन के लघुकृत मूल्य के भुगतान के दिनांक से लघुकृत पेंशन राशि की कटौती नहीं की। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पेंशनरों को 15.73 लाख रुपए का अधिक भुगतान किया।

3.5.6 परिवीक्षण तंत्र

पेंशन संचालनालय में पृथक से कोई परिवीक्षण तंत्र विद्यमान नहीं है। संचालनालय ने प्रभावकारी परिवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु जिला कोषालयों द्वारा प्रस्तुत किए जाने हेतु पेंशन भुगतान के संबंध में कोई आवधिक विवरण सूची/प्रतिवेदन निर्धारित नहीं किए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान केवल जिला कोषालयों से निपटाए गए पेंशन प्रकरणों के संबंध में मासिक जानकारी प्राप्त हो रही है।

संचालनालय, जिला कोषालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संबद्ध/भुगतानकर्ता बैंकों के स्तर पर कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंधन विद्यमान नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेंशन भुगतान की आंतरिक लेखापरीक्षा की आवधिकता निर्धारित नहीं की गई है। संचालक पेंशन विभाग ने 2003-04 एवं 2004-05 के दौरान 48 जिला कोषालयों में से क्रमशः केवल 10* एवं 15** कोषालयों की पेंशन लेखापरीक्षा की।

3.5.7 निष्कर्ष

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा पेंशन के भुगतान की योजना, योजना में निर्धारित प्रक्रिया एवं प्रणाली के अनुसार कोषालय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, दोनों के ही स्तर पर कार्यान्वित नहीं की जा रही थी। जिला कोषालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निर्धारित क्रिया का अनुपालन न किए जाने एवं अभिलेखों का संधारण नहीं किए जाने के प्रकरण दृष्टिगत हुए । मध्य प्रदेश राज्य एवं छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य पेंशन हेतु देयताओं के आवंटन से संबंधित जानकारी भुगतानकर्ता शाखाओं द्वारा संग्रहित नहीं की जा रही थी तथा उसे अभिलेख में नहीं रखा जा रहा था। योजना के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए विभिन्न स्तरों पर आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्थापन एवं परिवीक्षण तंत्र हेतु पर्याप्त प्रावधान निर्धारित नहीं किए गए थे।

3.5.8 अनुशंसाएं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान की योजना के क्रियान्वयन में सुधार लाने की दृष्टि से निम्नांकित अनुशंसाएं की जाती हैः-

- अधिक एवं अनियमित भुगतान के प्रकरणों को टालने हेतु कोषालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा योजना में निर्धारित प्रणाली एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

---

* 2003-04(10)- ग्वालियर : 2 ; भोपाल : 3 ; सीहोर, रायसेन, मुरैना, दतिया एवं विदिशा

** 2004-05(15) इंदौर : 2 ; जबलपुर : 2, खंडवा, धार, खरगौन, रतलाम, झाबुआ, नरसिंहपुर, बड़वानी, सिवनी, डिन्डोरी, बड़वानी एवं कटनी ।

- योजना के प्रभावकारी क्रियान्वयन हेतु संचालनालय स्तर पर परिवीक्षण एवं मूल्यांकन को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा कोषालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आंतरिक लेखापरीक्षा को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

- भुगतानकर्ता बैंक शाखाओं द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य एवं मध्य प्रदेश राज्य के मध्य पेंशन भुगतान की देयता के आबंटन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी संग्रहीत की जानी चाहिए तथा उसे संधारित किया जाना चाहिए।

मामला सरकार की ओर अक्टूबर 2005 में भेजा गया, उत्तर अप्राप्त है (जनवरी 2006)।

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

चौथा अध्याय

लेनदेन लेखापरीक्षा

4.1 कपटपूर्ण आहरण/गबन/हानियाँ

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.1.1 कपटपूर्ण भुगतान एवं ठेकेदार को अनुचित सहायता

चलित भुगतानों के लिये कपटपूर्ण एवं बढ़ाये हुए मापों के कारण 5.47 करोड़ रुपये के अधिक भुगतान एवं दोषी ठेकेदार से 31.09 करोड़ रुपये की विकलनीय अतिरिक्त लागत की वसूली न होना । असंतुलित दरों के कारण ठेके के प्रावधानों को लागू न करने से शासन को 2.52 करोड़ रुपये की हानि।

बरगी व्यपवर्तन परियोजना के लिऐ बरगी दांयी तट नहर आर.डी. 12 से 16 कि.मी., 16 से 20 कि.मी., 25 से 33 कि.मी. एवं पनागर एवं माटामार माइनर नहर वितरणिका आर.डी. 42 से 50 कि.मी. के 81.37 करोड़ रुपये प्राक्कलित लागत के निर्माण कार्य के 4 ठेके, ठेकेदार 'अ' को (अप्रैल एवं जुलाई 2002) के मध्य, मद दर निविदा के आधार पर 55.27 करोड़ रुपये के लिए सौंपे गये थे । ठेके प्राक्कलित लागत से 22.23 एवं 39.14 प्रतिशत कम पर सौंपे गये थे । कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र.7 जबलपुर एवं नर्मदा विकास संभाग क्र. 1 पनागर द्वारा 12 से 24 माह में कार्य पूर्ण करने के लिए कार्यादेश अप्रैल एवं जुलाई 2002 के दौरान जारी किये गये थे ।

निविदाकर्ता की कार्यक्षमता एवं संसाधनों को निविदा स्वीकृति के समय सुनिश्चित नहीं किया गया था इस कारण ठेकेदार निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुपातिक प्रगति देने में विफल रहे। नोटिसों के जारी (अक्टूबर 2003 एवं जनवरी 2004) करने के बावजूद ठेकेदार ने प्रगति को नहीं बढ़ाया एवं 21.20 करोड़ रुपये के कार्य करने के उपरांत ठेकेदार द्वारा कार्य रोक दिया गया । धीमी प्रगति के कारण नवंबर 2003 एवं फरवरी 2004 के दौरान दोषी ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर ठेके समाप्त किए गये थे । लेखापरीक्षा छानबीन में निम्न प्रकट हुआः

- तीन ठेकों के कार्य निरस्त करने पर अंतिम माप लिए गए तथापि, मात्रायें जो वास्तव में प्रारंभिक मापों के अनुसार निष्पादित एवं भुगतान की गयीं, अत्याधिक रूप से बढ़ी हुई थीं । उदाहरणार्थ, मुलायम चट्टान एवं विखंडित चट्टान में खुदाई की मात्राएं प्रारंभ में माप कर 13,16,890.615 घन मीटर के लिए भुगतान की गयीं जबकि अंतिम माप से प्रकट हुआ कि मुलायम चट्टान/विखंडित चट्टान में खुदाई केवल 6,27,517.61 घन मीटर थी । इसी प्रकार कड़ी चट्टान में खुदाई प्रारंभ में 3,25,040.87 घनमीटर प्रारंभिक माप के

अनुसार भुगतान की गयी जबकि अंतिम माप से ज्ञात होता है कि खुदाई अंतिम माप के अनुसार 1,15,026.87 घनमीटर थी। पूर्व में अधिक माप के लेखांकन एवं भुगतान के कारण, **परिशिष्ट XXXVI** में दिये गये विवरणानुसार संगणना में अंतिम देयक 5.47 करोड़ रुपये के लिए वसूली योग्य था। आगे लेखापरीक्षा छानबीन से प्रकट हुआ कि यह गलत माप के लेखांकन से था।

- निर्माण विभाग संहिता में प्रावधानित है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मापों के लेखांकन के बाद ही ठेकेदार को .चलित देयक का भुगतान करना चाहिये। ऐसे 10 प्रतिशत मापों की संभागीय अधिकारी द्वारा जाँच की जाना चाहिए। आवश्यक जाँच उचित रूप से नहीं की गयी थी। आर.डी. 25 से 33 कि.मी. में सभी प्रकार की विखंडित चट्टान एवं मुलायम चट्टान में शुष्क एवं आर्द्र खुदाई की वास्तविक निष्पादन की मात्रा माप पुस्तिका में अंकित मात्राओं के अनुसार 11,961.395 घनमीटर अंकित की गयी थीं तथापि सारांश माप पुस्तक में उपरोक्त मात्रा 1,19,611.30 घन मीटर अंकित की गई थी जिससे 1,07,649.905 घनमीटर मात्रा का अधिक भुगतान हुआ। इसी प्रकार अन्य दो समूहों में (आर.डी.12 से 16 किलोमीटर एवं आर.डी.16 से 20 किलोमीटर) में भी सारांश माप पुस्तिका में भुगतान के समय मात्रायें बढ़ायी गयीं। इस कारण 98 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ जैसा कि **परिशिष्ट XXXVII** में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा में अधिक भुगतान इंगित (मई 2005) किये जाने पर कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 7, जबलपुर, द्वारा कहा गया कि अंतिम देयक से वसूली की जाएगी या ठेकेदार के देयक से समायोजन किया जाएगा अथवा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आर.आर.सी.) जारी किया जाएगा । तथ्य वही थे कि बिना किसी उचित जाँच के बढ़े हुए माप के अनुसार भुगतान किए गए थे; अधिक भुगतान की वसूली के लिये कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गयी थी न ही इस अधिक भुगतान के लिये जून 2005 तक कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था ।

- ठेकों के बंद होने के पश्चात् छोड़े गये अपूर्ण कार्य को वर्ष 2004-05 में उच्च दरों पर अन्य ठेकेदारों को ठेकेदार 'अ' की जोखिम एवं लागत पर सौंपा गया । इस प्रकार एकल ठेकेदार को उसके सामर्थ्य एवं संसाधनों से उपर अन्यायोचित रूप से ठेका सौंपने से ठेका मध्य ही समाप्त करना पड़ा जिससे **परिशिष्ट XXXVIII** में दिये गये विवरणानुसार 31.09 करोड़ रुपये की ठेकेदार 'अ' से वसूली योग्य अतिरिक्त लागत आई ।

जून 2005 की स्थिति में सुरक्षा जमा, प्रतिभूति जमा एवं निष्पादन प्रतिभूति के रूप में 4.46 करोड़ रुपये की राशि विभाग के पास उपलब्ध थी । अनुबंध के अनुसार 4.46 करोड़ रुपये के जमा को ठेके के बंद करने के पूर्व राजसात किया जाना था तथापि, विभाग समय पर जमा का समायोजन करने में विफल रहा । ठेकेदार ने माननीय उच्च न्यायालय में जमा को राजसात करने के विरुद्ध प्रकरण दाखिल किया (मार्च 2005) एवं उच्च न्यायलय से जमा के संबंध में यथास्थिति का आदेश प्राप्त किया ।

इंगित किये जाने पर कार्यपालन यंत्री ने कहा (मई 2005) कि अपूर्ण कार्य की पूर्णता प्रगति पर है । इसलिये वसूली योग्य वास्तविक अधिक लागत का अभी भी निश्चित

किया जाना शेष है । उत्तर गलत था क्योंकि लोक लेखा समिति की सिफारिशों (अप्रैल 2000) के अनुसार अगली निविदा दरों के संदर्भ में अधिक लागत निकाली जा सकती थी । इस प्रकार वसूली प्रक्रिया को प्रारंभ करने में देरी अवांछनीय थी ।

- निविदा प्रपत्र की कंडिका 3.26 के अनुसार यदि अनुमोदन प्राधिकारी समझता है कि कुछ मदों के लिए निविदाकर्ता द्वारा असमानुपातिक उच्च दरें दी गई हैं या निविदा असंतुलित है, इस प्रकार की मदों का भुगतान प्राक्कलित दर पर निविदा का समग्र अधिक /कम प्रतिशत जोड़कर/घटाकर सीमित किया जाएगा एवं इस प्रकार की मदों का शेष भुगतान अतिरिक्त सुरक्षा जमा के रूप में रोका जायगा जिसे संपूर्ण कार्य की पूर्णता पर विमुक्त किया जाएगा । कार्य पूर्ण करने में विफलता पर संपूर्ण अतिरिक्त सुरक्षा जमा को राजसात किया जाएगा । नर्मदा घाटी विकास विभाग ने भी निर्देश (अप्रैल 1993) दिये थे कि मद-दर निविदाओं को उपरोक्त निर्धारणों के साथ स्वीकार किया जाए तथापि कंडिका दोषपूर्ण थी क्योंकि इसे अनिवार्य बनाने के बजाय अनुमोदन प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया ।

यद्यपि ठेकेदार द्वारा सभी प्रकार की मिट्टी, कड़ी मुरूम एवं कड़ी चट्टान में खुदाई के लिए असमानुपातिक उच्च दरें दी थी, अनुमोदन प्राधिकारी ने अतिरिक्ति जमा को रोक कर रखने की कंडिका को लागू नहीं किया एवं ठेकेदार को निविदा दर पर भुगतान किया गया। इस प्रकार इस कंडिका को प्रभावशील न रखने से विभाग को अतिरिक्त सुरक्षा जमा को रोक कर रखने का अवसर खोना पड़ा परिणामस्वरूप नीचे दिये गये विवरणानुसार 2.52 करोड़ रुपये की परिहार्य हानि हुई।

संभाग का नाम/ अनुबंध क्रमांक	कार्य की मद	निष्पादित मात्रा घ.मी. में	उद्धृत की गयी भुगतान की दर रुपये में	निविदा प्रतिशत मिलाकर भुगातन की दर रुपये में	वसूली योग्य अतिरिक्त सुरक्षा जमा रुपये
न.वि. संभाग क्रमांक 7 जबलपुर अनुबंध क्र. 1/01-02	2 कड़ी मिट्टी/मुरुम में खुदाई	430150.60 56584.70	70.00 66.14	67.66 67.66	10,06,552 (-) 86,009
	3(अ) मुलायम मिट्टी में खुदाई	7521.78	156.50	121.81	2,60,931
	3(ब) कड़ी मिट्टी में खुदाई	127897.80	110.00	103.63	8,14,709
न.वि. सं. क्र. 7 जबलपुर अनुबंध क्र. 2/02-03	2 कड़ी मिट्टी/मुरुम में खुदाइ	330789.26	70.00	65.10	16,20,867
	3. कड़ी चट्टान मे खुदाई	182394.82	120.00	110.27	17,74,702
न.वि. संभाग क्रमांक 7 जबलपुर अनुबंध क्र 3/02-03	2 कड़ी मिट्टी/मुरुम में खुदाई	499366.05	60.00	43.89	80,44,787
	3. कड़ी चट्टान में खुदाई	14748.85	180.00	92.32	12,93,179
न.वि. संभाग क्रमांक 1 पनागर अनुबंध क्र 1/01-02	1 सभी प्रकार की मिट्टी में खुदाई	392669.059	30.00	20.01	39,22,764
	3 कड़ी चट्टान में खुदाई	106153.85	180.00	118.77	64,99,800
				योग रुपये	**2,51,52,282**

इसे इंगित करने पर कार्यपालन यंत्री ने कहा (अगस्त 2004) कि अनुमोदन प्राधिकारी ने इस कंडिका को आवश्यक नहीं समझा । उत्तर से पुष्टि होती है कि अनुमोदन

प्राधिकारी की कार्यवाही शासन के हितों की सुरक्षा के लिए जारी नर्मदा घाटी विकास विभाग के निर्देशों के अनुरूप नहीं थी।

इस प्रकार बढ़ाये गये एवं कपटपूर्ण मापों, विकलनीय अतिरिक्त लागत की वसूली न होने, अतिरिक्त सुरक्षा जमा की कंडिका को लागू न करने के कारण 39.08 करोड़ रुपये की हानि हुई ।

मामला शासन को जुलाई 2005 में सूचित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (सितंबर 2005) ।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4.1.2 संदिग्ध गबन

रोकड़ पुस्तकों में जाली अंतरणों को दर्शाने एवं आहरणों का लेखांकन न किए जाने से 35.20 लाख रुपए का संदिग्ध गबन।

4.1.2.1 मध्यप्रदेश सरकार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल ने अक्टूबर 1995 में त्रिस्तरीय पंचायत कर्तव्यों के गठन के लिए विस्तृत अनुदेश जारी किए। पूर्वोक्त अनुदेशों की कंडिका 2.4.4 के अनुसार यह पुनरुक्ति की गई थी कि विकास खण्ड अधिकारी कोषालय से धन निकालने एवं वितरण करने के लिए उत्तरदायी है। मध्यप्रदेश कोष संहिता खण्ड-I के नियम 53(ii) के अनुसार कोषालय से निकाले गये धन को रोकड़ पुस्तक में प्राप्ति की तरफ दर्शाया जाना चाहिए एवं व्यय अथवा शेष के रूप में प्रतिमुख दर्शाया जाना चाहिए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, चन्देरी के अभिलेखों की नमूना जांच (मई 2005) में प्रकट हुआ कि 20.20 लाख रुपए की धनराशि को मई 2000 से जुलाई 2001 के दौरान ज्ञात देयकों के माध्यम से कोषालय से निकाला गया था एवं विकासखण्ड की रोकड़ पुस्तक में व्यय की तरफ संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (जनपद) को अंतरण के रूप में दर्शाया गया था। संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (जनपद) की रोकड़ पुस्तक एवं बैंक खातों की जांच में पाया गया कि अन्तरित की गई धनराशियां न तो उनकी रोकड़ पुस्तक में लेखांकित की गई थीं और न ही उनकी प्रविष्टी बैंक खातों में पाई गई। इस प्रकार विकासखण्ड की रोकड़-पुस्तक में व्यय के रूप में दर्शाई गई धनराशि का संदिग्ध गबन हुआ। इसी प्रकार के 10.93 लाख रुपए के गबन की सूचना जिलाध्यक्ष, अशोकनगर ने दी थी (अगस्त 2004)। परंतु सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (मई 2005) मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उत्तर दिया कि सम्बद्ध अभिलेख पूर्व लेखापाल द्वारा सौंपे नहीं गए थे।

4.1.2.2 अभिलेखों की नमूना जांच से आगे यह भी प्रकट हुआ कि अप्रैल 2000 से फरवरी 2002 की अवधि के दौरान 4.07 लाख रुपए का आहरण मुख्य कार्यपालन

अधिकारियों के स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर शाखा, चंदेरी के बैंक खाता क्रमांक 3989 से किया गया था जिसका लेखांकन मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की रोकड़ पुस्तक में नहीं किया गया था तदनुसार 4.07 लाख रुपए के संदिग्ध गबन से इंकार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उत्तर दिया कि सम्बद्ध अभिलेख पूर्व लेखापाल द्वारा सौंपा नहीं गया था तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी लिखवा दी गई है (मई 2002)।

मामला सरकार को जून 2005 में भेजा गया था, उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है।

4.2 निष्फल व्यय/अपव्यय और अधिक भुगतान

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.2.1 ठेकेदारों को मूल्यवृद्धि का अधिक भुगतान

मूल्यवृद्धि के लिए आधार सूचकांक के गलत अपनाने से 34.19 लाख रुपये का अधिक भुगतान।

इंदिरा सागर परियोजना में आर.डी. 45.431 से आर.डी. 51.506 किलो मीटर में 9 स्ट्रक्चर्स सहित मुख्य नहर के निर्माण कार्य हेतु 11.37 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की निविदायें 21 मार्च 2001 को खोली गयीं थी एवं कार्य एक ठेकेदार को 6.99 करोड़ रुपये में सौंपा गया था (दिसंबर 2001) । ठेकेदार को अगस्त 2004 में 7.38 करोड़ रुपये की समग्र राशि का भुगतान किया गया था । चलित भुगतानों की छानबीन से निम्न प्रकट हुआः

अनुबंध में प्रावधानित था कि मूल्यवृद्धि की संगणना के लिए आधार सूचकांक निविदा खोलने की तिथि पर औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा । यह ध्यान में आया कि निविदायें 21 मार्च 2001 को खोली गयी एवं श्रम तथा सामग्री के लिये आधार सूचकांक क्रमशः 455 एवं 159.1 था, तथापि मूल्यवृद्धि की संगणना करते समय संभाग ने गलत रूप से क्रमशः 444 एवं 155.7 का सूचकांक अपनाया । इसके अलावा पी.ओ.एल. के मूल्य समायोजन की गणना भी गलत थी । यद्यपि पी.ओ.एल. का मूल्य सूचकांक सही था परंतु गणना में गलती थी । 9.50 लाख रुपये भुगतान योग्य राशि के विरुद्ध विभाग ने संगणना कर 10.74 लाख रुपये का भुगतान किया । श्रम एवं सामग्री के लिये गलत सूचकांक एवं पी.ओ.एल. की गलत संगणना के कारण ठेकेदार को 15.02 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

इंगित करने पर मुख्य अभियंता ने कहा (सितंबर 2005) कि 15.02 लाख रुपये का अधिक भुगतान जैसा कि निकाला गया है उसकी वसूली बकाया भू-राजस्व के रूप में की जायगी ।

इसी तरह, रानी अवंती बाई लोधी सागर की दायीं तट मुख्य नहर में 18.65 करोड़ रुपये अनुमानित लागत वाले नहर के स्ट्रक्चर्स, मिट्टी कार्य एवं सीमेंट कांक्रीट लाइनिंग के निर्माण कार्य की निविदायें दो समूहों में 4.जून.2002 को खोली गयीं एवं कार्य न्यूनतम ठेकेदार को 20.79 करोड़ रुपये के लिए कार्यपालन यंत्री दांयी तट नहर संभाग क्रमांक II जबलपुर द्वारा सितंबर 2002 में सौंपा गया । ठेकेदार को मई 2005 तक 1.37 करोड़ रुपये की मूल्यवृद्धि के साथ 20.68 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया । अभिलेखों की छानबीन से प्रकट हुआ कि 4 जून 2002 को निविदा खोलते समय हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी.) का मूल्य 21.17 रुपये प्रति लिटर था जिसके विरुद्ध एच.एस.डी. का आधार मूल्य 19.55 रुपये प्रति लीटर अपनाने से 19.17 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

इंगित करने पर कार्यपालन यंत्री ने कहा (जून 2005) कि गणना का पुनः परीक्षण किया जाएगा एवं यदि कोई अधिक भुगतान होगा तो वसूली की जायगी । सितंबर 2005 तक कोई वसूली नहीं की गयी ।

इस प्रकार मूल्य सूचकांक के गलत अपनाने से ठेकेदारों को 34.19 लाख रुपये के अधिक भुगतान का अवसर प्रदान किया गया ।

मामला शासन को जुलाई 2005 में प्रतिवेदित किया गया, उत्तर सितंबर 2005 तक प्रतीक्षित था ।

4.2.2 ठेके की दोषपूर्ण शर्तों के कारण शासन को हानि

कार्य की मदों की असंतुलित दरों हेतु अतिरिक्त सुरक्षा जमा की शर्तों को लागू न करने से शासन को 41.57 लाख रुपये की परिहार्य हानि।

बरगी बांयी तट नहर आर.डी. 20 से 25 किलोमीटर 17.27 करोड़ रुपये प्राक्कलित लागत का निर्माण कार्य कार्यपालन यंत्री ने एक ठेकेदार को 12.54 करोड़ रुपये में (यू.एस.आर. 1998 से 27.39 प्रतिशत से कम मूल्यांकित किया गया) कार्य प्रारंभ करने की तिथि से 12 माह में पूर्ण करने के लिए सौंपा (जून 2002) । निर्धारित अवधि तक कार्य अपूर्ण रहने से अक्टूबर 2003 में मार्च 2004 तक की समय वृद्धि दी गयी । धीमी प्रगति के कारण एवं दिसंबर 2003 तक कार्य प्रारंभ करने में विफलता के कारण ठेका दोषी ठेकेदार की जोखिम एवं लागत पर समाप्त कर दिया गया (जनवरी 2004) । तथापि, ठेकेदार को मार्च 2004 तक 4.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया । लेखापरीक्षा छानबीन (अगस्त 2004) में निम्न प्रकट हुआः

अनुबंध की शर्तों के अनुसार यदि अनुमोदन प्राधिकारी समझता है कि कुछ मदों के लिए निविदाकर्ता द्वारा असमानुपाती उच्च दरें दी गई है या निविदा असंतुलित है, इस प्रकार की मदों का भुगतान प्राक्कलित दर पर निविदा का समग्र अधिक/कम प्रतिशत जोड़कर/घटाकर किया जाएगा एवं इस प्रकार की मदों का शेष भुगतान अतिरिक्त सुरक्षा जमा के रूप में रोका जाएगा जिसे संपूर्ण कार्य की पूर्णता पर विमुक्त किया जाएगा । कार्य पूर्ण करने में विफलता पर संपूर्ण अतिरिक्त सुरक्षा जमा को राजसात किया जाएगा । नर्मदा घाटी विकास विभाग ने भी निर्देश दिए थे (अप्रैल 1993) कि

मद दर निविदाओं को उपरोक्त निर्धारणों के साथ स्वीकार किया जाए । यह शर्त इस सीमा तक दोषपूर्ण थी की इसे बंधनकारी एवं अनिवार्य बनाने के बजाए अनुमोदन प्राधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया था ।

यद्यपि ठेकेदार ने कड़ी मिट्टी एवं कड़ी चट्टान में खुदाई के लिए 24.55 रुपये प्रति घन मीटर एवं एल.डी.पी.ई फिल्म की आपूर्ति एवं वांछित स्थान पर लगाने के लिए 12.41 रुपये प्रति वर्ग मीटर की अनुमानित दरों के विरुद्ध क्रमशः 30 रुपये प्रति घन मीटर एवं 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की असमानुपाती दरें उद्घृत की थीं, अनुमोदन प्राधिकारी ने अतिरिक्त सुरक्षा जमा को रोक कर रखने की शर्त लागू नहीं की एवं ठेकेदार को उसको निविदा दरों पर भुगतान किया । यदि स्वीकृती प्राधिकारी द्वारा शर्त लागू की जाती तो दोनों मदों के लिऐ भुगतान योग्य दरें क्रमशः 17.83 रुपये प्रति घन मीटर एवं 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की निकलती । ठेकेदार ने कड़ी मिट्टी एवं कड़ी मुरूम में खुदाई की अनुमानित मात्रा 4,86,675.24 घन मीटर के विरुद्ध 3,28,456 घन मीटर एवं एल.डी.पी.ई फिल्म की अनुमानित मात्रा 3,20,962.10 वर्ग मीटर के विरुद्ध 7,612 वर्ग मीटर की मात्रा निष्पादित की । इस प्रकार शर्त लागू न करने से विभाग ने अतिरिक्त सुरक्षा जमा को रोक कर रखने का अवसर पूर्व में ही खो दिया जिससे 41.57 लाख रुपये* की हानि हुई ।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित करने पर (अगस्त 2004) कार्यपालन यंत्री ने कहा (अगस्त 2004) कि अनुमोदन प्राधिकारी ने इस शर्त को आवश्यक नहीं समझा । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुमोदन प्राधिकारी की कार्यवाही शासकीय हितों की सुरक्षा के लिए नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के निर्देशों के दृष्टि से न्यायोचित नहीं थी ।

मामला शासन को 1 सितंबर 2004 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितंबर 2005) ।

पुनर्वास विभाग

4.2.3 बन्द सीमेन्ट कांक्रीट निर्माण इकाइयों पर निष्फल व्यय

मई 1998 में सीमेन्ट कांक्रीट निर्माण इकाई इटारसी एवं हरदा के बंद के बावजूद भी जून 1998 एवं जुलाई 2005 के मध्य निष्क्रिय कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों इत्यादि पर 92.51 लाख रुपए का व्यय किया गया था।

सरकार ने, सीमेन्ट कंक्रीट निर्माण इकाइयों इटारसी एवं हरदा को जो कि 1988-89 से हानि में चल रही थीं, बंद करने का निर्णय लिया (मई 1998)। इकाइयों की स्थाई

---

* *मिट्टी/मुर्रम की खुदाई-निष्पादित मात्रा 328456.00 घन मीटर X दर में अंतर (30-17.83) 12.17* — *39,97,310 रुपए*

एल.डी.पी.ई. फिल्म-निष्पादित मात्रा 7612.00 वर्ग मीटर X दर अंतर (30.9.01) 20.99 — *1,59,776 रुपए*

योग — ***41,57,086*** रुपए

परिसम्पत्तियों का निराकरण करने के इकाइयों में नियोजित अतिशेष कर्मचारियों को भी अतिशेष घोषित करने एवं उनका अन्य विभागों में विलय करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त पुनर्वास, मध्यंप्रदेश भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2004) एवं अगस्त 2005 में और एकत्रित की गई जानकारी से यह प्रकट हुआ कि सीमेन्ट कंक्रीट निर्माण इकाइयों के बंद होने (मई 1998) के बावजूद 22 में से 11 अतिशेष कर्मचारियों का विलय अन्य विभागों में नहीं किया गया है तथा उनको रोककर रखा गया है। जून 1998 से जुलाई 2005 के दौरान 90.17 लाख रुपए का व्यय अतिशेष कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर एवं 2.34 लाख रुपए का व्यय कार्यालयीन मदों पर किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर आयुक्त ने बताया (अगस्त 2004) कि दोनों इकाइयों के कर्मचारियों को अतिशेष घोषित किया गया था एवं उनका विलय करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं परंतु कोई अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार सीमेन्ट कंक्रीट निर्माण इकाइयों के कर्मचारीगण निष्क्रिय रहे तथा 92.51 लाख रुपए का निष्फल व्यय हुआ जो कि बंद इकाइयों के कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों तथा कार्यालयीन मदों पर किया गया।

मामला सरकार को मार्च 2005 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जुलाई 2005)।

जल संसाधन विभाग

4.2.4 दोषपूर्ण भू जलीय अध्ययन के कारण योजना बंद होने से अपव्यय

दोषपूर्ण/अपर्याप्त भू जलीय अध्ययन के कारण किशनपुरा नाला बाढ़ सुरक्षा योजना को बंद करने से 28.64 लाख रुपये का अपव्यय हुआ।

होशंगाबाद शहर के निचले क्षेत्र की बाढ़ समस्या से निपटने के लिए शासन ने किशनपुरा नाला बाढ़ सुरक्षा योजना के लिए 1.24 करोड़ रुपये का प्रशासकीय अनुमोदन दिया (मार्च 2000) । योजना में 2 जल द्वारों के साथ मिट्टी के बांध का निर्माण प्रावधानित था । मुख्य अभियंता द्वारा सितंबर 2000 में 1.39 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी गयी । बांध का मिट्टी कार्य विभागीय मशीनों से प्रारंभ किया गया एवं मई 2001 से फरवरी 2002 तक 37,000 घन मीटर मिट्टी कार्य निष्पादित किया गया । लेखापरीक्षा छानबीन में निम्न प्रकट हुआः

सचिव जल संसाधन विभाग ने फरवरी 2002 में स्थल निरीक्षण के दौरान कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि योजना के जल विज्ञान की पुनः जॉच की जाए । तद्नुसार ब्यूरो ऑफ डिजाइन एवं हायड्रोलोजिकल इन्वेस्टीगेशन (बोधी) ने जल विज्ञान की पुनः जॉच की एवं विभाग को सूचित किया (जून 2002) कि योजना असाध्य थी क्योंकि जमा किए गए बाढ़ एवं वर्षा के आंकड़े दोषपूर्ण/गलत थे एवं इन आंकड़ों को पुनः संग्रह करने का सुझाव दिया। मुख्य अभियंता ने मई 2003 में प्रकरण बोधी को पुनः

प्रस्तुत किया । बोधी ने योजना का निराकरण नहीं किया एवं सूचित किया (सितंबर 2003) कि योजना तकनीकी रूप से आसाध्य है क्योंकि बाढ़ की मात्रा का एवं अन्य जल विज्ञान के आंकड़े दोषपूर्ण थे एवं योजना में बाढ़ के पानी के निकास के लिए कोई प्रावधान नहीं था । मुख्य अभियंता ने प्रकरण केन्द्रीय जल आयोग को जल विज्ञान की पुनः जाँच के लिए संदर्भित किया (मई 2005) ।

यह ध्यान में आया कि मार्च 2000 से 95.36 लाख रुपये सिविल डिपॉजिट में पड़े थे । संभागीय अधिकारी ने 28.64 लाख रुपये व्यय करने के पश्चात योजना को जून 2002 में बंद कर दिया था । इस प्रकार दोषपूर्ण/ अपर्याप्त जल विज्ञान आंकड़ों के कारण योजना के लिए निधियों की उपलब्धता के बावजूद योजना को बंद करना पड़ा जससे 28.64 लाख रुपये का संपूर्ण व्यय अपव्यय हुआ एवं मूल उद्देश्य की प्राप्ति विफल रही ।

लेखा परीक्षा में इंगित करने पर मुख्य अभियंता ने कहा (जूलाई 2005) कि जब तक केन्द्रीय जल आयोग से जल विज्ञान की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तब तक बाढ़ सुरक्षा योजना के उपर किया गया व्यय अपव्यय नहीं हो सकता । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि तकनीकी स्वीकृति योजना के जल विज्ञान के आंकड़ों की बिना पर्याप्त अध्ययन/जाँच के दी गयी थी । आगे, समय बीतने के साथ योजना के लिए किया गया मिट्टी कार्य अपव्यय था ।

मामला शासन को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2005); उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितंबर 2005) ।

4.2.5 सर्वेक्षण कार्य पर अपव्यय

पूर्व सर्वेक्षण का उपयोग न करने से 1.03 करोड़ रुपये का अपव्यय।

सिंध परियोजना चरण II का कार्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्वालियर एवं भिण्ड जिले की 74650 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु नवबंर 1991 में 607.67 करोड़ रुपये के लिए प्रशासकीय रूप से अनुमोदित किया गया था । कार्य में हरसी उच्च स्तरीय नहर का 78.13 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत का निर्माण कार्य सम्मिलित था । हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग ग्वालियर द्वारा 2000-01 तक सर्वेक्षण पर 1.03 करोड़ रुपये (नहर संभाग ग्वालियर 64.99 लाख रुपये एवं सिंध परियोजना आर.बी.सी. संभाग नरवर 38.42 लाख रुपये) का व्यय किया गया । कार्य नये रूप से गठित (जून 2003) हरसी उच्च स्तरीय संभाग शिवपुरी को स्थानांतरित किया गया था यह संभाग बाद में डबरा स्थानांतरित हुआ (जून 2004) ।

आगे, छानबीन से प्रकट हुआ कि हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग ने पूर्व सर्वेक्षण के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण ठेका आधार पर नया सर्वेक्षण प्रारंभ किया है । मुख्य अभियंता राजघाट नहर परियोजना शिवपुरी के भू-अर्जन प्रकरणों के साथ बिना यह बताये कि पूर्व में सर्वेक्षण 2000-2001 में किया गया था, सर्वे, डिजाइन, ग्रिड की तैयारी, कंटूर प्लान के लिए संभाग ने 1.36 करोड़ रुपये का विस्तृत प्राक्कलन दिसंबर 2003 में प्रस्तुत किया । नये सर्वेक्षण कार्य पर मई 2005 तक 33.35 लाख रुपये का व्यय हुआ । इस प्रकार 1.03 करोड़ रुपये का पूर्व सर्वेक्षण का व्यय अपव्यय हुआ ।

लेखापरीक्षा में इंगित करने पर संभागीय अधिकारी ने कहा (मई 2005) कि कार्य स्थल पर हुए परिवर्तन के कारण एवं संबंधित अभिलेख न मिलने से पूर्व संभाग द्वारा किया गया सर्वेक्षण अप्रभावी था । संभागीय अधिकारी का उत्तर इस तथ्य की पुष्टि में था कि पूर्व में किया गया सर्वेक्षण अपव्यय था ।

मामला शासन को प्रतिवेदित जून 2005 में किया गया परंतु उत्तर जूलाई 2005 तक प्रतीक्षित था।

4.2.6 सी.एन.एस. (चिपकने, न फूलने वाली सामग्री)सामग्री का न्यून विशिष्टता का कार्य

53.06 लाख रुपये की लागत पर उपलब्ध की गयी सी.एन.एस. सामग्री न्यून विशिष्टता की थी।

दतिया सिंचाई नहर के किलोमीटर 0 से 16 में, 7.50 करोड़ रुपए अनुमानित लागत के डब्ल्यू.बी.एम. सर्विस रोड़ एवं 33 पक्की संरचनाओं सहित नहर लाइनिंग हेतु मिट्टी कार्य का निर्माण आयटम रेट निविदा पर 6.89 करोड़ रुपए में 18 माह में पूर्ण करने हेतु एक ठेकेदार को दिया गया था (मई 2000)। नवंबर 2001 में पूर्ण होने के लिए नियत कार्य अपूर्ण रहा था तथा ठेकेदार को 60 वें चलित देयक के लिए 7.07 करोड रुपए का भुगतान नवंबर 2004 में किया गया था। लेखा परीक्षा छानबीन में निम्न प्रकट हुआः-

मिट्टी फूलने से उत्पन्न दबाव को हटाने के लिये एवं ठोस लाइनिंग की सामग्रियों (सीमेंट कांक्रीट) को बिगड़ने से बचाने के लिए एक फूलने व न चिपकने वाली सामग्री (सी.एन.एस.) की आवश्यकता होती है जिसकी मोटाई मिट्टी के फूलने के दबाव पर निर्भर करती है एवं इसे मिट्टी और ठोस लाइनिंग सामग्री के मध्य की परतों में डाला जाता है। जहाँ मिट्टी के फूलने का दबाव 0.50 कि.ग्रा./वर्ग से.मी. से कम हो तो चिपकने एवं न फूलने वाली सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। विशिष्टियाँ निर्धारित करती है कि फूलने के दबाव एवं फ्री स्वेल इण्डेक्स की जाँच, उपचार की रीति का निर्णय करने से पूर्ण स्थल पर उपलब्ध मिट्टी पर की जाएगी।

- विशिष्टियाँ जो अनुबंध का हिस्सा थीं में प्रावधानित है कि नहरें जिनका प्रवाह 2 क्यूमेक्स एवं मिट्टी के फूलने वाला दबाव 0.5 से 1.5 किलोग्राम/वर्ग से.मी. हो वहाँ फूलने एवं न चिपकने वाली सामग्री की न्यूनतम मोटाई 75 से.मी. होना चाहिए। छानबीन में पता चला कि नहर का प्रवाह 12.712 क्यूमेक्स था एवं मिट्टी के फूलने का दबाव 5 रीचेस में 0.52 एवं 0.56 कि.ग्रा./वर्ग से.मी. था। इसलिये इन रीचेस में विशिष्टियों की शर्तो के अधीन 75 से.मी. मोटी सी.एन.एस. की आवश्यकता थी। तथापि, मापों से पता चला उपरोक्त की पूर्ण अवहेलना के साथ 21181.87 घन मीटर सी.एन.एस. 60 से.मी. की मोटाई में डाली गई जिससे 53.06 लाख रुपए की सी.एन.एस. का कार्य न्यून विशिष्टियों का था।

इसे इंगित करने पर कार्यपालन यंत्री ने 11 कि.मी. में मिट्टी के फूलने का दबाव कम स्वीकारते हुए कहा (जुलाई 2005) कि मिट्टी के नमूने 0 से 16 कि.मी. में प्रत्येक किलोमीटर में प्राक्कलन तैयार करते समय परीक्षण किये गये थे। प्राक्कलन में सी.एन.एस. केवल 33 प्रतिशत रीचेस में डालना थी इसे सिद्ध करने के लिए परीक्षण जुलाई 2005 में पुनः किये गये थे। तथ्य फिर भी वहीं है कि सी.एन.एस. का निष्पादन अवमानक स्तर का था।

मामला शासन को जुलाई 2005 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर अगस्त 2005 तक प्रतीक्षित था।

4.3 *संविदागत दायित्व का उल्लंघन*

नर्मदा घाटी विकास विभाग

4.3.1 संविदागत दायित्व का उल्लंघन

कड़ी चट्टान के चट्टे लगाने के, वास्तव में न किए गए कार्य हेतु भुगतान-37.75 लाख रुपये।

इंदिरा सागर परियोजना की 45.431 किलो मीटर से 58.856 किलोमीटर तक की मुख्य नहर की खुदाई का कार्य, 19 कंक्रीट संरचनाओं सहित (प्राक्क्लित लागत 29.86 करोड़ रुपये) 6.99 करोड़ रुपये एवं 15.57 करोड़ रुपये के मद-दर ठेकों पर, 36 माह एवं 24 माह में पूर्ण करने हेतु, दो ठेकेदारों को क्रमश दिसम्बर 2001 एवं मार्च 2003 में सौंपा गया । इन अनुबंधों के विरुद्ध ठेकेदारों के 7.38 करोड़ रुपये एवं 9.27 करोड़ रुपये के 24 वें एवं 18 वें चल लेखा देयकों का भुगतान क्रमश अगस्त एवं सितम्बर 2004 में किया किया गया ।

लेखा परीक्षा जाँच (अक्टूबर 2004) से निम्नानुसार प्रकट हुआः

"सभी प्रकार की कड़ी चट्टान में सूखी व गीली खुदाई " के मद के अंतर्गत कार्य के कार्यक्षेत्र (स्कोप) में, अन्य बातों के साथ ही, सामग्री का ढेरों में चट्टा लगाना सम्मिलित था । साथ ही, ठेकों का भाग बनी विशिष्टियों में यह प्रावधान भी था कि ठेकेदारों से खोदी गई कड़ी चट्टान के उनके श्रेणीकरण के अनुसार, यथा मेसनरी स्टोन, रबल, पिचिंग स्टोन, बोल्डर्स इत्यादि, इस प्रकार चट्टे बनाना अपेक्षित था कि उन्हें अन्य कार्यों हेतु सुगमता से हटाया या परिवहन किया जा सके ।

तथापि, यह पाया गया कि ठेकेदारों ने खोदी गई कड़ी चट्टान के चट्टे नहीं बनाए और सामग्री-क्षेत्र (स्टाक यार्ड) में उसका ढेर लगा दिया । चूंकि चट्टे नहीं बनाए गए थे अतः खुदाई की दर में से चट्टा बनाने का प्रभार 6.30 रुपए एवं समग्र निविदा प्रतिशत जोड़ या घटाकर प्रति घनमीटर तक कम किया जाना चाहिए था । तथापि, ठेकेदारों को,

वास्तव में न किए गए कार्य हेतु कोई कटौती किए बिना, पूरी दरों से भुगतान किया गया । इसके परिणामस्वरूप 8,29,494.85 घन मीटर हेतु 37.75 लाख[1] रुपये का अधिक भुगतान हुआ ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर मुख्य अभियन्ता ने बताया (सितम्बर 2005) कि मद की भाषा में कड़ी चट्टान के "चट्टे" बनाने का कार्य सम्मिलत नहीं है जैसा की सामान्यतः माना गया है । अतः, ठेकेदार को किए गए भुगतान में इस आधार पर कोई अतिरिक्त भुगतान सन्निहित नहीं है । सभी मुख्य अभियंताओं को जारी किए गए (मार्च 2003) विभागीय अनुदेशों के परिप्रेक्ष्य में, कि सामग्री को चट्टा में रखना खुदाई की मद का एक अभिन्न अंग है तथा उसके पूर्ण होने पर ही मद का भुगतान अनुमत्य है, उत्तर स्वीकार्य नहीं है । तथ्य यह है कि भुगतान करते समय, न किए गए कार्य हेतु, दरें कम नहीं की गईं।

प्रकरण जून 2005 में शासन को प्रतिवेदित किया गया, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2005) ।

लोक निर्माण विभाग

4.3.2 संविदागत दायित्वों का उल्लंघन / ठेकेदार के प्रति अनुचित अनुग्रह

विशिष्टि का अनुसरण न करने से 48.93 लाख रुपये का अवमानक कार्य निष्पादित हुआ तथा 34.27 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत एवं क्षतिग्रस्त कार्य की लागत वसूली न होना भी ध्यान में आया।

"राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के किलोमीटर 571 से 573 में इम्प्रूवमेन्ट आफ राइडिंग क्वालिटी पेवमेन्ट" (आई आर क्यू पी) का 1.34 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत का कार्य एक ठेकेदार "ए" को प्रतिशत-दर ठेके पर दर अनुसूची एस.ओ.आर. से 34.94 प्रतिशत कम पर, चार माह में पूर्ण करने हेतु सौंपा गया (नवम्बर 2002) । नियत दिनांक तक पूर्ण करने में विफलता के कारण मुख्य अभियंता द्वारा 15 दिसम्बर 2003 तक की समयवृद्धि प्रदान की गई (अक्टूबर 2003) । ठेकेदार 60.37 लाख रुपये मूल्य का कार्य निष्पादित कर सका परंतु 48.93 लाख रुपये का भुगतान हीं किया गया क्योंकि कार्यपालन यंत्री द्वारा तीसरा देयक निरस्त कर दिया गया । समय वृद्धि प्रदान किए जाने के उपरांत भी ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण न किए जाने के कारण ठेका विखण्डित कर दिया गया (नवम्बर 2003) तथा शेष कार्य कार्यपालन यंत्री, राष्ट्रीय

---

[1] अनुबंध क्र. 1/2003-04 (15.76 % कम) 392434.85 घन मीटर x 5.31 रुपये = 20,83829
अनुबंध क्र. 7/2001-02 (38.61 % कम) 437060.002 घन मीटर x 3.87 रुपये = 16,91,422
योग = ***37,75,251 रुपये***

राजमार्ग संभाग इन्दौर द्वारा ठेकेदार "ए" की जोखिम एवं लागत पर ठेकेदार "बी" को, दर अनुसूची से 1.81 प्रतिशत अधिक पर, सौंप दिया गया (फरवरी 2004)।

अभिलेखों की जाँच से निम्निलिखित अनियमिताएँ परिलक्षित हुईं:

- विशिष्टियों के अनुसार बिटुमिनस मेकेडम (बी एम) कार्य को, आवागमन हेतु मार्ग खोलने के पूर्व 48 घण्टे के अंदर, या तो अगले पेवमेन्ट कोर्स से या वियरिंग कोर्स से ढंका जाना था । यदि कोई देर संभावित थी तो, ठेकेदार की लागत पर, सतह को कार्य हेतु प्रासंगिक रूप में सील कोट से ढंका जाना था । जनवरी एवं जून 2003 के मध्य ठेकेदार ने 3127.64 घनमीटर बी एम बिछाया था परंतु, मार्ग को आवागमन हेतु खोलने के पूर्व, ठेकेदार द्वारा न तो अगला पेवमेन्ट कोर्स/वियरिंग कोर्स न ही सील कोट सतह पर बिछाया गया । इस प्रकार, 48.93 लाख रुपये मूल्य का समग्र कार्य ***अवमानक*** हुआ जो विभाग द्वारा पर्यवेक्षण की कमी दर्शाता है । इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को, सील कोट न बिछाने से, 4.54 लाख रुपये की अनुचित वित्तीय सहायता मिली ।

- कार्यस्थल के निरीक्षण (सितम्बर 2003) के दौरान अधीक्षण यंत्री ने पाया कि, सतह को वियरिंग कोर्स या सील कोट से न ढंकने के कारण, बी एम कार्य कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था । अधीक्षण यंत्री ने, किलोमीटर 573 में, जहां सतह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई थी, बी एम को उखाड़कर पुनः बिछाने के आदेश दिए । कार्यपालन यंत्री ने 8774.41 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिछाए गए 12.18 लाख रुपये मूल्य के 334.155 घन मीटर बी एम को अस्वीकृत कर दिया (अक्टूबर 2003) इसके अतिरिक्त, उखाड़ने (स्केरिफिकेशन) पर भी 1.97 लाख रुपये का व्यय हुआ इस प्रकार, ठेकेदार से 14.15 लाख रुपये की राशि भी वसूली योग्य थी ।

- ठेका विखण्डन के पश्चात्, ठेकेदार "ए" ने, अनुबध की धारा 29 के अंतर्गत, माध्यस्थम् (आर्बिट्रेशन) में मुख्य अभियंता के समक्ष एक अपील दायर की । तथापि, मुख्य अभियन्ता ने ठेका विखण्डित करने की कार्यपालन यंत्री की कार्रवाई को जायज ठहराया (नबम्बर 2004) । चूंकि शेष कार्य, दोषी ठेकेदार "ए" की जोखिम एवं लागत पर निष्पादित एवं पूर्ण किया गया अतः 28.53 लाख रुपये की मूल्यांकित अतिरिक्त लागत उससे वसूली योग्य थी । ठेकेदार की 8.41 लाख रुपये (निष्पादन प्रतिभूति 7.40 लाख रुपए एवं बयाना राशि 1.01 लाख रुपए) की राशि विभाग के पास उपलब्ध थी; इसे शासन को देय राशियों के विरूद्ध समायोजित कर लिया गया । शेष अतिरिक्त लागत एवं क्षतिग्रस्त कार्य की लागत वसूल करने की कोई कार्रवाई विभाग द्वारा अगस्त 2005 तक प्रारम्भ नहीं की गई थी ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने (मार्च 2004) पर मुख्य अभियंता ने बताया (जुलाई 2005) कि ठेकेदार ने बी एम को सील करने हेतु कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अतः ठेका विखण्डित करने की कार्यपालन यंत्री की कार्रवाई सही थी और जायज ठहराई गई । माध्यस्थम् मण्डल (आर्बिट्रेशन बोर्ड) गठित करने का प्रकरण अभी राज्य शासन के निर्णयाधीन है । निर्णयोपरांत वसूली की जाएगी ।

प्रकरण मार्च 2005 में शासन को प्रेषित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2005) ।

4.3.3 संविदागत दायित्वों का उल्लंघन / ठेकेदार के प्रति अनुचित अनुग्रह

विशिष्टि का अनुसरण न करने के कारण 29.41 लाख रुपये का अवमानक कार्य निष्पादित हुआ तथा 25.62 लाख रुपये की अतिरिक्त लागत की वसूली नहीं हुई।

"राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 3 के किलोमीटर 543 से 546, 549,551 एवं 556 से 561 में इम्प्रूवमेन्ट आफ राइडिंग क्वालिटी पेवमेन्ट (आई आर क्यू पी) का, 2.52 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत वाला, कार्य ठेकेदार "ए" को प्रतिशत-दर ठेके पर, दर अनुसूची (एस.ओ.आर.) से 34.20 प्रतिशत कम पर, 4 माह में पूर्ण करने हेतु सौंपा गया (मार्च 2002) । नियत तिथि तक पूर्ण करने में विफलता के कारण मुख्य अभियंता द्वारा मार्च 2003 तक की समय-वृद्धि प्रदान की गई (फरवरी 2003) ठेकेदार 29.41 लाख रुपये मूल्य का कार्य निष्पादित कर सका एवं (जनवरी 2003) तक उसका भुगतान किया गया । चूंकि बढ़ाई गई अवधि के दौरान भी कार्य अधूरा ही रहा अतः ठेका विखण्डित कर दिया गया (मार्च 2003) तथा शेष कार्य कार्यपालन यंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग इंदौर द्वारा, मूल ठेकेदार "ए" की जोखिम एवं लागत पर, ठेकेदार "बी" को दर अनुसूची से 22 प्रतिशत कम पर सौंप दिया गया (मई 2003)।

अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित अनियमितताएं परिलक्षित हुईं :

विशिष्टियों के अनुसार, मार्ग को आवागमन हेतु खेलने के पूर्व, बिटुमनस मेकेडम बी एम कार्य को 48 घण्टे के अंदर या तो अगले पेवमेन्ट कोर्स या वियरिंग कोर्स से ढंका जाना था । यदि कोई देर संभावित थी तो, ठेकेदार की लागत पर, सतह को कार्य हेतु प्रासंगिक रूप में सील कोट से ढंका जाना था । ठेकेदार ने नबम्बर एवं दिसम्बर 2002 के मध्य 20986 वर्ग मीटर सतह क्षेत्र पर बी एम बिछाया था परंतु, मार्ग को आवागमन हेतु खोलने के पूर्व, ठेकेदार द्वारा न तो सतह के ऊपर अगला पेवमेन्ट कोर्स/वियरिंग कोर्स न ही सील कोट बिछाया गया । साथ ही, अभिलिखित मापों (माप पुस्तिका क्र. 5852 पृष्ठ 38 से 43) की जाँच से प्रकट हुआ कि किलोमीटर 543 से 545 में बिछाए गए बी. एम. की मोटाई विशिष्टियों में निर्धारित 50 मिलीमीटर की न्यूनतम के विरुद्ध 28 से 40 मिलीमीटर के मध्य थी । इस प्रकार, 29.41 लाख रुपये मूल्य का समग्र कार्य विशिष्टि से न्यून था ।

ठेका विखण्डन के पश्चात् ठेकेदार ने, अनुबध की धारा 29 के अंतर्गत, माध्यस्थम् (आर्बिट्रेशन) में मुख्य अभियंता के समक्ष एक अपील दायर की । तथापि, मुख्य अभियन्ता ने ठेका विखण्डित करने के कार्यपालन यंत्री के निर्णय को जायज ठहराया (जून 2005) । चूंकि शेष कार्य, दोषी ठेकेदार "ए" की जोखिम एव लागत पर निष्पादित एवं पूर्ण किया गया, अत 25:62 लाख रुपये की मूल्यांकित अतिरिक्त लागत उससे

वसूली योग्य थी । अतिरिक्त लागत वसूल करने की कोई कार्रवाई विभाग द्वारा (जून 2005) तक प्रारंभ नहीं की गई थी ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (मार्च 2004) कि कार्यस्थल की स्थितियों के अनुसार कार्य किया गया था एवं क्षेत्रीय अधिकारी (आर ओ) भोपाल द्वारा अनुमोदित भी किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बी एम का कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं था । जहां तक अतिरिक्त लागत की वसूली का संबंध है, कार्यपालन यंत्री ने बताया कि उसकी वसूली की जाएगी । जून 2005 तक कोई वसूली नहीं की गई थी ।

प्रकरण दिसम्बर 2004 में शासन को प्रतिवेदित किया गया, उत्तर सितम्बर 2005 तक प्रतीक्षित था ।

जल संसाधन विभाग

4.3.4 संविदागत दायित्वों का उल्लंघन / ठेकेदार के प्रति अनुचित अनुग्रह

संविदागत प्रावधानों का अनुसरण न करने के कारण ठेकेदार को अधिक एवं अस्वीकार्य भुगतान हुआ 1.35 करोड़ रुपये।

"बाणसागर दायीं तट नहर हेतु दो एक्वेडक्ट्स का निर्माण" कार्य, 2.68 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत पर, एक ठेकेदार को 2.39 करोड़ रुपये के एक मुश्त ठेके पर, वर्षाकाल सहित 21 माह में पूर्ण करने हेतु सौंपा गया (जुलाई 2002)। 26 अप्रैल 2004 तक पूर्ण होने हेतु नियत कार्य, 26 अक्टूबर 2004 तक दी गई समयवृद्धि के बावजूद अपूर्ण रहा । अतिरिक्त कार्य हेतु 1.25 करोड़ रुपये एवं मूल्यवृद्धि हेतु 0.22 करोड़ रुपये सहित 3.74 करोड़ रुपये की राशि के, ठेकेदार के 16 वें चल लेखा देयक का जून 2004 में भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा में जाँच (अगस्त 2004 एवं जून 2005) से निम्नानुसार परिलक्षित हुआः

ठेके में प्रावधान था कि ठेकेदार, कार्यस्थल एवं नींव की भू-पर्तीय स्थितियों के आधार पर अपने स्वयं के रूपांकन (डिजाइन) के अनुसार दरें उद्घृत कर सकता है। इस स्थिति में, ठेकेदार को, रूपांकन सही व सुस्थित होने, विशिष्टि एवं प्रस्तुत किए गए रूपांकन संबंधी गणनाओं के बारे में, मुख्य अभियंता को संतुष्ट करना होगा । इस में विफल होने पर, प्रस्तुत किए गए रूपांकन के विवरणों में ठेकेदार को ऐसे संशोधन स्वीकार करने होंगे जो आवश्यक हों एवं इस कारण ठेकेदार किसी अतिरिक्त भुगतान का पात्र नहीं होगा । साथ ही, अनुबन्ध में प्रावधान था कि इस ठेके से उद्भूत अतिरिक्त कार्य मात्र प्राचलों (पैरामीटर्स) में परिवर्तन, यथा लम्बाई संरचना स्तर, नींव स्तर, विस्तृत रूपरेखा विवरण एवं रूपांकन जलीय आंकडें के कारण ही भुगतान योग्य होगा तथा इसका मूल्यांकन व भुगतान प्रचलित दर-अनुसूची (सी.एस.आर) से 80

प्रतिशत अधिक पर होगा । इसी प्रकार, कार्य के कार्यक्षेत्र में कमी हेतु कटौती (रिबेट) प्रचलित दर अनुसूची से सममूल्य पर घटाई जाएगी ।

सामान्य व्यवस्थापन रेखांकन (जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग - जी ए डी) पर कार्य सौंपे जाने के उपरांत ठेकेदार ने, दोनों छोरों पर पियर्स के स्थान पर एबटमेन्ट्स का प्रावधान करते हुए एक्व.डक्ट्स (जल सेतुओं) हेतु अपना वैकल्पिक रूपांकन प्रस्तुत किया, जिसे, अनुबंध की उपरोक्त धारा की शर्तों के अनुसार, मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। इस प्रस्तावित परिवर्तन से अतिरिक्त भुगतान हेतु उत्तरदायी कोई पैरामीटर्स प्रभवित नहीं हुए एवं अनुबध की शर्तों के अनुसार कार्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस प्रकार, ठेकेदार अपनी स्वयं के वैकल्पिक रूपांकन से उद्भूत कार्यों हेतु किसी अतिरिक्त भुगतान का पात्र नहीं था । तथापि, यह देखा गया कि मुख्य अभियंता ने, ऐसे परिवर्तनों के कारण निर्मित मदों के लिए अतिरिक्त कार्य मानते हुए, अतिरिक्त भुगतान हेतु अनुमति प्रदान कर दी । इसके परिणाम स्वरूप ठेकेदार को, मूल्यवृद्धि के 9.28 लाख रुपये सहित, 1.35 करोड़[2] रुपये का अधिक व अस्वीकार्य भुगतान हुआ ।

इसे इंगित किए जाने पर प्रमुख अभियंता ने सूचित किया (मई 2005) कि अतिरिक्त भुगतान का दावा शासन द्वारा अक्टूबर 2004 में निरस्त कर दिया गया था; अत: ठेकेदार से 1.35 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी । तथापि, 0.34 करोड़ रुपये मात्र की राशि वसूल की गई थी (मई 2005) ।

प्रकरण जुलाई 2005 में शासन को भेजा गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2005)।

4.3.5 संविदागत दायित्वों का उल्लंघन / ठेकेदार के प्रति अनुचित अनुग्रह

असंतुलित मदों हेतु दरों के अनियमन के परिणामस्वरूप संविदागत दायित्वों का उल्लंघन हुआ/ठेकेदार के प्रति अनुचित अनुग्रह के फलस्वरूप 30.02 लाख रुपये का अधिक भुगतान।

वृहद् परियोजनाओं हेतु नियंत्रण मण्डल, जल संसाधान विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने माही सहायक (सबसिडियरी) बांध के निर्माण हेतु मद दर निविदा, 7.59 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत के विरुद्ध, 6.79 करोड़ रुपये की लागत पर स्वीकार की (मार्च 2001) जिसका मूल्यांकन प्राक्कलित लागत से समग्र रूप से 10.45 प्रतिशत कम था। कार्य प्रारंभ करने एवं 24 माह के अंदर पूर्ण करने हेतु कार्यादेश अप्रैल 2001 में जारी किया गया। तथापि, दिसम्बर 2004 तक बढ़ाई गई समयावधि के दौरान भी कार्य अधूरा रहा। 4.64 करोड़ रुपये मूल्य के कार्य निष्पादन के पश्चात्, कार्य पूर्ण करने में विफलता के कारण ठेका दिसम्बर 2004 में विखण्डित कर दिया गया। जॉच से निम्नानुसार परिलक्षित हुआ:

---

[2] *अतिरिक्त कार्य 1,38,57,833 रुपये (-) कटौती 13,27,721 रुपये = 1,25,30,112 रुपये + अतिरिक्त पर मूल्य वृद्धि 9,27,924 रुपये = 1,34,58,036 रुपये*

स्वीकृति पत्र में, जो कि ठेके का एक भाग था अन्य बातों के साथ ही यह विनिर्दिष्ट था कि उन मदों[⊗], जिनके लिए ठेकेदार ने प्राक्कलित दरों से उच्चतर दर उद्घृत की थी, का भुगतान, कार्य पूर्ण होने तक, प्राक्कलित दरों पर, समग्र निविदा प्रतिशत जोड़ या घटाकर किया जाए । इस प्रकार, मदों हेतु असंतुलित दरों का नियमन विभाग द्वारा किया जाना था । उपरोक्त संविदागत प्रावधान के बावजूद भी ठेकेदार को भुगतान प्राक्कलित दरों पर, समग्र निविदा प्रतिशत जोड़ या घटाकर, करने के बजाय, उसकी निवदत्त दरों पर किया गया इसके फलस्वरूप, न केवल ठेकेदार के प्रति अनुचित अनुग्रह हुआ वरन 30.02 लाख* रुपये का अधिक भुगतान भी करना पड़ा ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (फरवरी 2005) मुख्य अभियन्ता ने बताया (जुलाई 2005) कि कार्यपालन यंत्रियों द्वारा किया गया बिलों का भुगतान नियमानुकूल था । कार्य पूर्ण होने तक असंतुलित दरों के नियमन हेतु स्वीकृत पत्र में विशिष्ट उल्लेख को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं था ।

प्रकरण जून 2005 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (सितम्बर 2005)।

4.4 परिहार्य/अधिक/निष्फल व्यय

कृषि विभाग

4.4.1 विद्युत प्रभारों पर परिहार्य व्यय

जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय; जबलपुर के परिसर में आवासगृहीताओं के घरेलू उपयोग के लिए उच्चतर दरों से विद्युत प्रभारों का भुगतान करने के कारण 1.01 करोड़ रुपए की हानि।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के पास मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से अपने तथा कमचारियों के आवासों के परिसरों में विद्युत आपूर्ति के लिए उच्च दाब संयोजन

⊗ *मद क्रमांक 28, 33, 34 एवं 40*

*

सरल क्र.	*मद क्रमांक*	*निष्पादित मात्रा*	*प्राक्कलित दरें (रुपये)*	*समग्र निविदा प्रतिशत*	*भुगतान योग्य दरें (रुपये)*	*भुगतान की गई दरें (रुपये)*	*अधिक भुगतान (लाख रुपये में)*
1.	एम-20 नियंत्रित कंक्रीट	7611.40 घन मीटर	1472.35	10.45 % से कम	1318.48	1700	29.04
2.	300 मिलीमीटर स्टोव वेयर पाइप	128 मीटर	326.40	10.45 % से कम	292.29	1000	0.91
3.	फिटिंग हेतु कडी चट्टान में खुदाई	63.80 घन मीटर	108.26	10.45 % से कम	96.95	200	0.07
							30.02

था, अतः कर्मचारियों से वसूली उच्च दाब शुल्क दर से की जानी थी जब तक कि पृथक से निम्न दाब घरेलू संयोजन कर्मचारियों के आवासों के लिए नहीं ले लिया जाता।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2001 एवं आगे सितम्बर 2003) से प्रकट हुआ कि विश्वविद्यालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के परिसर में आवास आबंटियों को विद्युत संयोजन मुख्य उच्च दाब संयोजन से उपलब्ध कराए गए थे। विश्वविद्यालय द्वारा कर्मचारियों से विद्युत प्रभारों की वसूली घरेलू दरों पर उनके उपयोग के आधार पर (सब मीटरों के द्वारा वसूल) की जा रही थी जिसके लिए प्रति यूनिट कम दरें लागू होना थी।

1999-2004 की अवधि के दौरान कर्मचारियों से 1 करोड़ रुपए की धनराशि की वसूली घरेलू दरों पर विद्युत प्रभारों के रूप में की गई थी जिसके विरुद्ध विद्युत मण्डल को उच्च दाब उपभोक्ता दर से उसी उपभोग के लिए 2.01 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान/हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (सितम्बर 2003) जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने उत्तर दिया (जनवरी 2005) कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल से इस विसंगति को दूर करने के लिए तथा अधिक भुगतान की गई धनराशि की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु मामले की सूचना सरकार को दे दी गई थी। आगे मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल, जबलपुर से भी अपने आवासीय भवनों को विद्युत आपूर्ति घरेलू दरों से किए जाने तथा प्रत्येक आवास में शीघ्र व्यक्तिगत संयोजन उपलब्ध कराने का निवेदन भी किया गया था (अगस्त 2001)।

मामले की सूचना सरकार को दी गई थी (दिसम्बर 2004) सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2005) कि मामले का निराकरण कर दिया गया है क्योंकि सरकार द्वारा निर्मित एक नई कम्पनी मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, जबलपुर जो कि इस क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के स्थान पर 11 किलोवाट की पृथक लाईन को विशेष रूप से आवासीय भवनों के लिए उपलब्ध कराने हेतु सहमत हो गई है (अप्रैल 2005)। इस प्रकार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा समय से कार्यवाही प्रारंभ करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ।

4.4.2 मैक्रो प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता का अधिक भुगतान

मैक्रो प्रबंधन योजना के अंतर्गत 2002-2003 के दौरान 1.59 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का अधिक भुगतान।

भारत सरकार, कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग, नीति एवं योजना प्रभाग (भारत सरकार) ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं यथा, एकीकृत फल विकास, वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन, शाक बीजों का उत्पादन एवं आपूर्ति, राज्य के प्रयासों से औषधीय पौधों का विकास कार्य योजनाओं (मैक्रो मैनेजमेंट) के माध्यम से दसवी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान करने का अनुमोदन किया (जुलाई 2002) जो कि अनुमोदित दिशा निर्देशों के

अनुसार इस शर्त के साथ होना था कि प्रति कृषक अथवा प्रति क्रियाकलाप आर्थिक सहायता **(परिशिष्ट-XXXIX)** लागत की 25 प्रतिशत अथवा वर्तमान आर्थिक सहायता के स्तर, जो भी कम हो की दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

संचालक, उद्यान भोपाल (संचालक) के अभिलेखों की नमूना जाँच (फरवरी 2005) एवं आगे और एकत्रित की गई जानकारी (मई 2005) से प्रकट हुआ कि 2002-2003 के दौरान **(परिशिष्ट-XXXIX)**1.59 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता का भुगतान निर्धारित सीमा से अधिक किया गया।

संचालक ने बताया (मई 2005) कि मध्यप्रदेश सरकार से आदेश नवम्बर 2002 में प्राप्त हुए थे जबकि आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए विगत वर्ष के मानदण्डों की प्रक्रिया को अपनाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के आदेश जुलाई 2002 में प्राप्त हो गये थे और आर्थिक सहायता का भुगतान उसके पश्चात मार्च 2003 में किया गया था। इस प्रकार भारत सरकार के आदेशों का अनुपालन नहीं करने के परिणामस्वरूप आर्थिक सहायता का अधिक भुगतान हुआ।

मामले की सूचना सरकार को भेज दी गई थी (फरवरी 2005); उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2005)

आवास एवं पर्यावरण विभाग

4.4.3 ब्याज का परिहार्य भुगतान

नेशनल हाउसिंग बैंक से बिना आवश्यकता के ऋण का अधिक आहरण करने से अनुपयोगी ऋण के विलम्बित पुनर्भुगतान करने के परिणामस्वरूप 57.49 लाख रुपए के ब्याज का भुगतान हुआ।

कटरा हिल्स हाउसिंग योजना की 495 आवासीय इकाईयों के निर्माण के लिए वित्त प्रबंधन की सहमति (14 जून 2001) नेशनल हाउसिंग बैंक एवं मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड के मध्य हुई थी। ऋण अनुबंध की धारा 3.12 के अनुसार उधारगृहीता को ऋण घटक की अनुपयोगी धनराशि को छह माह में वापस करना था, जिसमें असफल रहने पर ब्याज की विद्यमान दर के अतिरिक्त दो प्रतिशत की दर से दाण्डिक ब्याज का भुगतान बैंक को करना पड़ेगा अथवा बैंक द्वारा ऋण की निकासी के दिनांक से वापसी के दिनांक तक उस उच्चतर दर से, जो बैंक के द्वारा निर्धारित की जाएगी, भुगतान करना पड़ेगा।

आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल, भोपाल के अभिलेखों की नमूना जांच (जनवरी 2005) से यह प्रकट हुआ कि 15.64 करोड़ रुपए के ऋण घटक में से 14.31 करोड़ रुपए का आहरण 495 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए दो किस्तों में मार्च 2002

एवं सितम्बर 2002 में किया गया था। जिसमें से 354 आवासीय इकाइयां 11.51 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण हुईं (अक्टूबर 2003) तथा 2.80 करोड़ रुपए (14.31 करोड़ रुपए-11.51 करोड़ रुपए) का शेष ऋण अनुपयोगी हो गया जिसे 31 दिसम्बर 2003 को वापस किया गया इस प्रकार अनुपयोगी ऋण की राशि को विलंब से वापस करने के परिणामस्वरूप 48.95 लाख रुपए के ब्याज का भुगतान एवं 8.54 लाख रुपए के दाण्डिक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर (जनवरी 2005) आयुक्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत अपर्याप्त पंजीयन (मांग) के कारण कमी का प्रस्ताव नेशनल हाउसिंग बैंक को दिया गया था (सितम्बर 2003)।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है कि क्योंकि ऋण की अधिक राशि को अनुसचित विलंब से (461 दिन से 644 दिन की सीमा में) वापस किया गया जिसके परिणामस्वरूप 57.49 लाख रुपए के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामले की सूचना सरकार को अप्रैल 2005 में दी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जून 2005)।

वित्त विभाग

4.4.4 कोषालयों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्फल व्यय

दिसम्बर 1999 से जनवरी 2000 एवं जनवरी 2001 से मार्च 2001 के मध्य 203 पी-3 कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति पर 1.30 करोड़ रुपए का व्यय वृहद् रूप से निष्फल हो गया, क्योंकि कोषालयों को संचालनालय एवं वित्त विभाग से जोड़ने का लक्ष्य प्राप्त न हो सका।

'मध्यप्रदेश सरकार लोक वित्त सुधार एवं संस्थागत सुदृढ़ीकरण योजना' के अंतर्गत एशियन विकास बैंक (बैंक) ने प्रभावी व्यय नियंत्रण के लिए कोषालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु 1,30,000$ की सहायता उपलब्ध कराई। सभी कोषालयों के तंत्र को संचालक एवं वित्त विभाग के साथ जोड़ने के लिए सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर का क्रय बैंक के माध्यम से किया जाना था।

संचालक कोष एवं लेखा भोपाल (संचालक) के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2004) से यह प्रकट हुआ कि बैंक ने, 158 कम्प्यूटरों (पी-3) एवं अतिरिक्त उपकरण जिनका मूल्य एक करोड़ रुपए था, की आपूर्ति (दिसम्बर 1999 से जनवरी 2000) की व्यवस्था सिंगापुर की एक फर्म के भारतीय प्रतिनिधि के माध्यम से की थी। उपर्युक्त कम्प्यूटरों को राज्य के समस्त कोषालयों में प्रतिष्ठापित करवाया गया था। तदुपरांत 15 नए जिलों का गठन होने के बाद संचालक ने 15 नए जिलों के लिए 29.56 लाख रुपए के 45 कम्प्यूटरों (पी-3) एवं अतिरिक्त उपकरणों का क्रय (जनवरी से मार्च 2001) भोपाल की एक फर्म से मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से किया। यह देखा गया कि तकनीकी कठिनाइयों के कारण कम्प्यूटरों के माध्यम से कोषालयों को

संचालनालय एवं वित्त विभाग से जोड़ने का इच्छित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका जिसके कारण 1.30 करोड़ रुपए का व्यय वृहद रूप से निष्फल हुआ। इस प्रकार राज्य के समस्त कोषालयों में 203 (158+45) कम्प्यूटरों पी-3 (के प्रतिष्ठापन के पश्चात योजना का लक्ष्य (ई-नेटवर्क के माध्यम से आंकड़ों का प्रेषण) एवं संचालक को कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से अन्य सूचनाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त न हो सका।

यह इंगित किए जाने पर संचालक ने उत्तर दिया (सितम्बर 2004) कि प्रणाली में तकनीकी दोषों के कारण वित्त विभाग के साथ नेटवर्क व्यवस्थाओं का प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। यह भी बताया गया कि इन कम्प्यूटरों के माध्यम से बजट नियंत्रण एवं पारित किए गए देयकों की प्रविष्टियों को सुनिश्चित किया जा रहा था।

विभाग का यह दावा स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोषालयों को कम्प्यूटरीकृत करने की योजना एवं उनको संचालनालय तथा वित्त विभाग से जोड़कर प्रभावी व्यय नियंत्रण का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

इस प्रकार 203 (पी-3) कम्प्यूटरों के क्रय पर 1.30 करोड़ रुपए का किया गया व्यय वृहद रूप से निष्फल सिद्ध हो गया।

मामला सरकार को मई 2005 में भेजा गया था; उत्तर प्राप्त नही हुआ है।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

4.4.5 औषधियों का क्रय उच्चतर दर पर किए जाने से परिहार्य अधिक भुगतान

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित दरों की तुलना में उच्चतर दरों पर औषधियों का क्रय 2003-05 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति फर्मों से किए जाने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बड़वानी, भिण्ड, रतलाम, शहडोल एवं सिविल सर्जन, रतलाम द्वारा किया गया 1.04 करोड़ रुपए मूल्य का परिहार्य व्यय।

सरकार ने भण्डार क्रय नियमावली के नियम 14 में संशोधन किया एवं अनुदेश जारी किए (फरवरी 2003) कि आरक्षित मदों की मांग का कम से कम 30 प्रतिशत क्रय, प्राधिकृत निगम/मण्डल से मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की दरों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति फर्मो से करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार ने क्रय करने के लिए उक्त आदेशों एवं अनुदेशों का अनुपालन दृढ़ता से करने हेतु अनुदेश (नवंबर 2004 एवं फरवरी 2005) जारी किए।

चार* मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा एक सिविल सर्जन के अभिलेखों की नमूना जांच (फरवरी 2005 एवं अगस्त 2005 के मध्य) में प्रकट हुआ कि 2003-05 के दौरान औषधियों का क्रय विभिन्न अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन्जाति फर्मों से किया गया था जो कि आयुक्त उद्योग, भोपाल द्वारा पंजीकृत थीं तथा जिनकी दरें मध्यप्रेदश लघु उद्योग निगम की अनुमोदित दरों की तुलना में उच्चतर थी इसके परिणामस्वरुप 1.04 करोड़ रुपए का परिहार्य अधिक भुगतान हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन ने उत्तर दिया (फरवरी-अगस्त 2005) कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति फर्मो से औषधियों का क्रय उनकी दरों पर क्रय नीति के अनुसार किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार आपूर्ति आदेशों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति फर्मों को मध्यप्रदेश लघु उद्योग नगम की दरों पर उनके माध्यम से जारी किया जाना चाहिए था न कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति फर्मों द्वारा स्वयं उनके द्वारा निर्धारित की गई दरों पर किया जाना चाहिए था जो कि मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम की दरों की तुलना में उच्चतर थी।

मामले की सूचना सरकार को जुलाई 2005 में दी गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2005)।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

4.4.6 भारतीय चिकित्सा परिषद से बिना मान्यता के पांच सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति पर निष्फल व्यय

स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रारंभ न किए जाने के कारण वेतन एवं भत्तों पर 59.95 लाख रुपए का निष्फल व्यय।

सरकार ने ^^ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला^^ को मनोरोग विज्ञान स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण संस्थान घोषित किया (अक्टूबर 1994)। इस उद्देश्य के लिए ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला को गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर से जोड़ा गया था (मई 1997) तथा जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से संबद्ध किया गया था तथा विभिन्न संवर्गो में 88 अस्थायी पद निर्मित किए गए थे

---

* *मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बड़वानी (अगस्त 2005) 34.69 लाख रुपए, भिण्ड (अप्रैल-2005); 15.45 लाख रुपए, रतलाम (फरवरी 2005); 35.58 लाख रुपए एवं शहडोल (जून 2005); 2.59 लाख रुपए एवं सिविल सर्जन रतलाम (अप्रैल 2005); 6.70 लाख रुपए (+) वाणिज्यिक कर 9.2 प्रतिशत की दर से यथा 8.74 लाख रुपए।*

(सितम्बर 1996) इस संस्थान को भारतीय चिकित्सा परिषद के साथ प्रामणिक शिक्षण संस्थान के रूप में पंजीकृत कराना आवश्यक था।

संचालक, ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला (संचालक) के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2005) में यह प्रकट हुआ कि प्राध्यापक एवं रीडर के स्थान पर स्नातकोत्तर एवं डिप्लोमा कक्षाओं को शिक्षण प्रदान करने के लिए नवम्बर 1997 से फरवरी 2003 के मध्य सरकार द्वारा 5 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई थी एवं नवम्बर 1997 से मई 2005 के दौरान उनके वेतन एवं भत्तों पर 55.95 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। संस्थान ने विद्यार्थियों के नामांकन के लिए पाठ्यक्रमों का विज्ञापन नहीं दिया अतः इन पाठ्यक्रमों के लिए किसी भी छात्र/विद्यार्थी का नामांकन न हो सका। इस प्रकार वेतन एवं भत्तों पर किया गया व्यय निष्फल हो गया। अंततोगत्वा, जुलाई 1998 में संस्थान के द्वारा पूर्वोक्त मान्यता के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद को 4 लाख रुपए की राशि प्रेषित की गई थी। भारतीय चिकित्सा परिषद ने मान्यता प्रदान नहीं की (अक्टूबर 2003) क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदण्डों के अनुसार अपेक्षित आधारिक संरचना का सृजन नहीं किया गया था इसलिए 4 लाख रुपए की राशि को जब्त कर लिया जिसके परिणामस्वरूप संस्थान को 4 लाख रुपए की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किए जाने पर (जून 2005) संचालक ने बताया कि समस्त नियुक्तियां सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार की गई थीं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर्मचारियों की नियुक्ति के पूर्व संचालक को पंजीकरण इत्यादि के लिए आवश्यक अपेक्षित शर्तों को पूरा करना चाहिए था तथा भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त कर लेनी चाहिए थीं।

मामले की सूचना सरकार को भेजी दी गई थी (जुलाई 2005); उत्तर अप्राप्त है।

राजस्व विभाग

4.4.7 विद्युत उपभोग पर निरर्थक व्यय

उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल एवं ग्वालियर द्वारा अपेक्षित विद्युत भार का अशुद्ध निर्धारण एवं विद्युत तत्व का निर्धारित स्तर पर संधारण न कर पाने के कारण ऊर्जा के उपभोग पर 44.85 लाख रुपए का परिहार्य भुगतान हुआ।

शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर एवं शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल (मुद्रणालय) द्वारा संयंत्र एवं मशीनों के प्रचालन के लिए 235 किलोवाट एम्पियर एवं 282 किलोवाट एम्पियर के उच्च दाब संयोजन लिए गए थे। मुद्रणालयों एवं मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल के मध्य उच्च दाब लाइनों पर उच्च दाब की आपूर्ति के लिए अनुबंधों का निष्पादन किया गया था (अप्रैल 1988)। इसके साथ साथ संविदा में यह भी निहित था कि चाहे ऊर्जा का उपभोग हो न हो, संविदा मांग की 75 प्रतिशत मांग, न्यूनतम मासिक देयक मांग के रूप में वसूल की जावेगी। इतना ही नहीं मुद्रणालय 90 प्रतिशत विद्युत

तत्व का संधारण करने के लिए उत्तरदायी थे तथा इसमें असफल रहने पर अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान मण्डल को किया जाना था।

ग्वालियर एवं भोपाल मुद्रणालय के अभिलेखों की नमूना जांच (मार्च 2005 एवं दिसंबर 2004) तथा आगे जुलाई 2005 में और संग्रहीत की गई जानकारी से प्रकट हुआ कि मुद्रणालय संविदत्त मांग के 90 प्रतिशत के अपेक्षित विद्युत तत्व को संधारित करने में विफल रहे तथा न्यून विद्युत तत्व के अर्थदण्ड के रूप में 32.55 लाख रुपए का भुगतान किया (ग्वालियर 11.93 लाख रुपए, जनवरी 2002 से फरवरी 2005 एवं भोपालः 20.62 लाख रुपए, फरवरी 2002 से जून 2005)।

यह भी देखा गया कि ग्वालियर मुद्रणालय द्वारा वास्तविक विद्युत उपभोग 40 से 75 किलोवाट एम्पियर की परिसीमा में था (जनवरी 2002 से फरवरी 2005 के दौरान) तथा भोपाल का 102 से 164 किलोवाट एम्पियर की परिसीमा में था (फरवरी 2002 से जून 2005 तक) जो कि क्रमशः 176 एवं 212 किलोवाट एम्पियर की संविदत्त मांग के 75 प्रतिशत से बहुत कम था जिसके लिए मुद्रणालयों को ऊर्जा का उपभोग किए बिना ही 12.30 लाख रुपए का (ग्वालियरः 6.74 लाख रुपए एवं भोपालः 5.56 लाख रुपए उपरोक्त अवधि के दौरान) अतिरिक्त परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

यह इंगित किए जाने पर उप नियंत्रक मुद्रणालय, ग्वालियर ने उत्तर दिया (मार्च 2005) कि विद्युत आपूर्ति प्रणाली में संधारित्र (कैपिसिटर) पूर्व से ही विद्यमान था तथा तकनीकी विशेषज्ञों ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट (दिसम्बर 2004) में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी। भोपाल मुद्रणालय ने उत्तर दिया कि संविदत्त मांग के 50 प्रतिशत उपभोग का मामला मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल एवं लोक निर्माण विभाग के साथ जुलाई 2005 में उठाया गया है तथा शासकीय मुद्रणालय ग्वालियर ने अपनी संविदत्त मांग 235 किलोवाट से 180 किलोवाट एम्पियर में मात्र दिसम्बर 2005 में संशोधन किया।

मुद्रणालय प्राधिकारियों द्वारा आवश्यक विद्युत तत्व का सही सही निर्धारण करने में तथा विद्युत तत्व का संधारण इच्छित स्तर पर करने के लिए समय पर प्रबंधन सुनिश्चित करने में विफल रहने के कारण 44.85 लाख रुपए का अनावश्यक एवं परिहार्य भुगतान हुआ।

मामले की सूचना सरकार को जून 2005 में दी गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

जल संसाधन विभाग

4.4.8 अवास्तविक प्राक्कलन के कारण अतिरिक्त व्यय

राजघाट बायी तट नहर की वितरणियों एवं माइनर्स पर मिट्टी कार्य एवं कंक्रीट संरचनाओं के निर्माण हेतु दोषपूर्ण एवं अवास्तविक प्राक्कलन के कारण निविदा का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन एवं 33.10 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ

विशिष्टियों मे प्रावधान है कि सिंचाई परियोजनाओं के लिए समुचित प्राक्कलन तैयार करने हेतु उप सतह का अन्वेषण या तो अनुसंधानमूलक छिद्र (एक्सप्लोरेटरी बोर) करके

या नहर की पूर्ण प्रदाय गहराई के बराबर गहराई तक या रूपांकित स्तर से 2 मीटर नीचे तक, जो भी कम हो, प्रत्येक 150 मीटर पर गढ्ढे खोदकर किया जाना है ।

उपरोक्त के विपरीत, राजघाट बायीं तट नहर की वितरणियों एवं माइनर्स पर मिट्टी कार्य एवं कंक्रीट संरचनाओं के निर्माण हेतु, जिसकी प्राक्कलित लागत 4.28 करोड़ रुपये थी, निविदाएँ, अधीक्षण यंत्री, राजघाट नहर मण्डल चंदेरी द्वारा नहरों एवं संरचनाओं के प्रारंभिक सर्वेक्षण पर तैयार किए गए प्राक्कलनों के आधार पर आमंत्रित की गई (सितम्बर 2000) । 4.21 करोड़ रुपये (एकीकृत दर अनुसूची यू एस आर 1998 से 1.62 प्रतिशत कम पर मूल्यांकित) का प्राप्त ठेकेदार "ए" का न्यूनतम प्रस्ताव शासन द्वारा अप्रैल 2001 में स्वीकृत किया गया । कार्यपालन यंत्री, राजघाट बायीं तट नहर डिस्ट्रेक्ट संभाग खनियाधाना द्वारा कार्य प्रारंभ करने एवं 15 माह के अंदर पूर्ण करने हेतु कार्यादेश जारी किया गया (जून 2001) । ठेकेदार को सितम्बर 2004 तक 5.10 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ था ।

लेखापरीक्षा में जाँच से परिलक्षित हुआ कि कार्य की विभिन्न मदों की मात्राएँ असामान्य रूप से बढ़/घट गईं थीं । नहर एवं कंक्रीट संरचनाओं हेतु सभी प्रकार की मिट्टी, विखण्डित चट्टान एवं नरम चट्टान में खुदाई की मात्रा में बढ़ोत्तरी 31 से 76 प्रतिशत के मध्य रही जबकि कड़ी चट्टान में नहर की खुदाई एवं संरचनाओं की खुदाई में कमी 59 से 95 प्रतिशत के मध्य रही जैसा कि **परिशिष्ट XL** में विवरणित है । यह असामान्य घट-बढ़ प्राक्कलन तैयार करने हेतु अपर्याप्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान की द्योतक है ।

सितम्बर 2004 तक निष्पादित की गई मात्राओं के आधार पर कार्य की लागत, द्वितीय न्यूनतम निविदाकार की दरों पर, जो कि प्रचलित दर अनुसूची यू एस आर 1998 से 1.14 प्रतिशत अधिक मूल्यांकित हुई, 4.59 करोड़ रुपये आती, जबकि वर्तमान प्रथम न्यूनतम ठेकेदार को 4.92 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया । इस प्रकार, दोषपूर्ण एवं अवास्तविक प्राक्कलन के परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन एवं 33.10 लाख रुपये का परिहार्य अतिरिक्त व्यय भी हुआ ।

इसे इंगित किए जाने पर कार्यपालन यंत्री ने यह तथ्य स्वीकार किया कि मात्राओं में घट-बढ़ नहर के प्रारंभिक सर्वेक्षण पर आधारित अवास्तविक प्राक्कलनों तथा संरचनाओं के नमूना (सैम्पल) प्राक्कलनों के कारण हुई । प्रकरण फरवरी 2005 में शासन को प्रतिवेदित किया गया उत्तर जुलाई 2005 तक प्रतीक्षित था ।

4.5 नियामक वादविषय एवं अन्य मुद्दे

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

4.5.1 पूंजीगत निवेश आर्थिक सहायता एवं उस पर ब्याज की वसूली न होना

उन इकाइयों को जिन्होंने अपना उत्पादन, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर बंद कर दिया था पूंजीगत निवेश आर्थिक सहायता एवं पर ब्याज की वसूली न किए जाने के परिणामस्वरूप 72.71 लाख रुपए के ब्याज सहित 38.82 लाख रुपए का अनुचित लाभ।

राज्य निवेश आर्थिक सहायता स्वीकृति नियमावली 1989 की धारा 11.1 (ख) के अनुसार यदि कोई इकाई जिसने निवेश अर्थिक सहायता का लाभ उठाया है, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों की अवधि के भीतर उत्पादन बंद कर देती है तो भुगतान की गई आर्थिक सहायता की राशि भू-राजस्व के बकायाओं के रूप में ब्याज सहित वसूल की जावेगी। वसूली का उत्तरदायित्व संवितरण एजेंसी का था। आगे नियम 11.2 में वर्णित किया गया है कि आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली औद्योगिक इकाई अपनी संवितरण एजेंसी को वार्षिक लेखाबंदी से 9 माह की अवधि में वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे एवं तुलनपत्र भेजेगी। 31 मार्च 1996 एवं 31 मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिका 3.4 एवं 3.10 में इसी विषय पर उल्लेख किया गया था। लोक लेखा समिति ने यह टिप्पणी की थी कि राजस्व वसूली प्रमाणपत्र का जारी किया जाना अंतिम कार्यवाही नहीं है, तथा ऐसी परिस्थितियों का परिहार करने के लिए अनुशंसा की कि निर्दिष्ट समय में वसूली के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही की जाय; वसूली न किए जाने के लिए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाय अथवा वसूली में शिथिलता एवं औद्योगिक इकाइयों की चल/अचल सम्पत्तियों को बंधक रखने हेतु प्रावधान करने पर विचार किया जाना चाहिए था।

महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, मालनपुर जिला भिण्ड के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2003 एवं अगस्त 2004) एवं आगे जुलाई 2005 में और एकत्रित की गई जानकारी से प्रकट हुआ कि **परिशिष्ट XLI** में दर्शाए गए विवरण के अनुसार अक्टूबर 1991 से अक्टूबर 2000 की अवधि के दौरान 9 इकाइयों को राज्य पूंजीगत निवेश आर्थिक सहायता के रूप में 38.82 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया गया था। चूंकि इन इकाइयों ने उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादन करना बंद कर दिया था, अतः भुगतान की गई आर्थिक सहायता की वसूली मय ब्याज के जो कि 1.12 करोड़ रुपए बनती थी, मार्च 2005 तक वसूली योग्य थी। तथापि इन इकाइयों के बंद हो जाने के 3 से 8 वर्षों के बाद भी कोई वसूली नहीं की गई है। छः प्रकरणों में राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए थे (जनवरी 2003;1 प्रकरण, जून 2003; 1 प्रकरण एवं नवंबर 2004; 4 प्रकरण)। राजस्व वसूली प्रमाणपत्रों

को जारी करने के पश्चात से विभाग ने देयधन की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की थी।

यह भी ध्यान में लाया गया कि लेखाओं के प्रमाणित वार्षिक विवरण तुलन पत्रक एवं प्रगति प्रतिवेदन इकाइयों से समय पर प्राप्त नहीं किए गए थे जैसा कि नियमों के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मालनपुर ने बताया (जुलाई 2005) कि वसूली हेतु कार्यवाही प्रगत्याधीन है। इस प्रकार के प्रकरणों में की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही के असाधारण विलंब के परिप्रेक्ष्य में उत्तर मान्य नहीं है।

मामले की सूचना सरकार को नवम्बर 2004 में दी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2005)।

योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

4.5.2 अनुज्ञेय निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन पर अनियमित व्यय

विधानसभा चुनाव क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अननुज्ञेय अस्थाई प्रकृति के निर्माण कार्यों पर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी दतिया, देवास, ग्वालियर, उमरिया एवं राजगढ़ द्वारा 2.58 करोड़ रुपए का कार्यान्वयन किया जाना।

विधानसभा चुनाव क्षेत्र विकास योजना (1994) (योजना) के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थाई प्रकृति के निर्माण कार्य अनुज्ञेय हैं। सरकार ने आगे पुनरावृत्ति की थी (सितम्बर 2003) कि सड़क निर्माण कार्यों के लिए मिट्टी कार्य/मुर्रमीकरण/पानी कुटी गिट्टी का कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, दतिया, देवास, ग्वालियर, राजगढ़ एवं उमरिया के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2004 से अप्रैल 2005 तक) से प्रकट हुआ कि अस्थाई प्रकृति के 325[Ψ] निर्माण कार्य यथा मिट्टी कार्य, मुर्रमीकरण एवं पानी कुटी

Ψ

सरल क्रमांक	जिले का नाम	वर्ष	निर्माण कार्यों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1	दतिया	2000-01 से 2002-03	26	31.20
2	देवास	2000-01 से 2003-04	184	127.17
3	रायगढ़	2001-02 से 2003-04	85	69.66
4	उमरिया	2000-01 से 2002-03	4	10.47
5	ग्वालियर	2003-04	26	19.50
			325	**258.00 अथवा 2.58 करोड़ रुपए**

गिट्टी इत्यादि के कार्यान्वयन पर 2.58 करोड़ रुपए व्यय किया गया जो कि योजना के दिशा निर्देशों के अधीन कार्यान्वयन हेतु अनुज्ञेय नहीं थे क्योंकि यह निर्माण कार्य अस्थाई प्रकृति के थे जो कि अक्सर वर्षा ऋतु में बह जाते हैं।

यह इंगित किये जाने पर जिला पंचायत एवं सांख्यिकी अधिकारियों ने बताया (अगस्त 2004 से अप्रैल 2005) कि निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन ऐसी सड़कों के निर्माण के निषेध से संबंधित पूर्वोकत अनुदेशों के जारी होने के पूर्व किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार के निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन न करने के लिए दिशानिर्देश योजना के प्रारंभ से ही पूर्व में विद्यमान थे। इस प्रकार उन निर्माण कार्यों पर व्यय किया गया जो कि इस योजना के अंतर्गत अनुज्ञेय नहीं थे।

मामले की सूचना सरकार को जून 2005 में दी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

लोक निर्माण विभाग

4.5.3 ग्रामीण सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का अवमानक कार्य

विशिष्टियों का अनुसरण न करने कारण चौड़ी करण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का अवमानक निष्पादन हुआ जिसके फलस्वरूप समय पूर्व विफल हुआ 1.19 करोड़ रूपये

एक ग्रामीण सड़क सांवेर - क्षिप्रा के 1 से 20 किलोमीटर का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, जिसकी प्राक्किलित लागत 3.49 करोड़ रुपये थी , एक ठेकेदार को प्रतिशत दर ठेके पर दर अनुसूची (जून 2000) से 7.77 प्रतिशत कम पर सौंपा गया (सितम्बर 2001) कार्य जिसका अगस्त 2002 तक पूर्ण होना नियत था वास्तव में मार्च 2003 तक 3 करोड़ रूपए की लागत से पूर्ण हुआ । यह पाया गया कि विद्यमान पेवमेन्ट एवं चौडीकृत भाग दोनों के ही क्रस्ट कार्य पूर्ण होने के 6 माह के अंदर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए । ठेकेदार ने दायित्व अवधि के अंदर दोषों का परिशोधन नहीं किया । लेखापरीक्षा में जाँच (मई 2005) से परिलक्षित हुआ कि सडक की समय-पूर्व क्षति हेतु निम्नांकित विसंगतियां उत्तरदायी थीं ।

- भारतीय सड़क कांग्रेस व्दारा प्रकाशित ग्रामीण सड़कों की निदेशिका (रूरल रोड्स मैनुअल आई आर सी- एस.पी 20-2002) में प्रावधान है कि, "वर्तमान वाणिज्यिक वाहन प्रतिदिन (सी व्ही डी कामर्शियल वेहिकल पर डे) एवं उनकी वृध्दि दर का उपयोग करते हुए, रूपांकित जीवन हेतु वाणिज्यिक वाहनों की प्रक्षेपित (प्रोजेक्टेड) संख्या के आधार पर पेवमेन्ट की मोटाई रूपांकित की जाती है" । साथ ही, इसमें कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो (सीबी आर) के रूप मे सब-ग्रेड की सामर्थ्य अपेक्षित होती है । एक बार रूपांकित यातायात (डिजाइन ट्रेफिक) एवं सब-ग्रेड का सी.बी.आर. मालूम हो जाने पर आई आर सी. 37 में दिए गए रूपांकन वक्र (डिजाइन कर्व) का उपयोग करके सीधे ही पेवमेन्ट की कुल मोटाई निकाली जा सकती है ।

विद्यमान पेवमेन्ट की क्रस्ट मोटाई 156 सी.व्ही.डी. की यातायात तीव्रता के साथ, 250 मिलीमीटर थी तथा सब ग्रेड का सी.बी. आर. मात्र 2 प्रतिशत था। तदनुसार, वृद्धि दर (7.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष) वाहन क्षति गुणांक (2.5) एवं रूपांकित जीवन (15 वर्ष) को ध्यान में रखते हुए, कुल पेवमेन्ट मोटाई (आई.आर.सी 37 के रूपांकन वक्र के अनुसार) 760 मिलीमीटर आती है, जैसा कि **परिशिष्ट XLII** में विवरणित है। इसके विरुद्ध, विभाग ने 2.5 मीटर चौड़े चौड़ीकृत भाग में 600 मिलीमीटर की मोटाई का प्रावधान किया एव 3.00 मीटर चौड़ी विद्यमान क्रस्ट पर मात्र 50 मिली मीटर किया। अतः चौडीकृत भाग पर क्रस्ट में कमी 160 मिलीमीटर की एवं विद्यमान भाग पर 460 मिलीमीटर की थी। इस प्रकार, विद्यमान एवं चौड़ीकृत भाग में न्यून एवं विषम क्रस्ट मोटाई ने क्रस्ट के समय पूर्व विफल होने में योगदान दिया जिससे चौड़ीकृत भाग के सुदृढ़ीकरण का कार्य अवमानक हुआ।

सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय (एम ओ आर टी एण्ड एच) विशष्टियों, जो कि ठेके का एक भाग थीं, में प्रावधान था कि बिल्टअप स्प्रे ग्राउट (बी यू एस जी) की मोटाई ***75 मिलीमीटर होगी एवं पेवमेन्ट संरचना में एक एकल कोर्स में उपयोग की जाएगी***। उपरोक्त के बावजूद, माप पुस्तिकाओं में अभिलिखित मापों से प्रकट हुआ कि विद्यमान पेवमेन्ट पर बी यू एस जी से 7141.51 वर्गमीटर क्षेत्र पर 75 मिलीमीटर प्रत्येक के 2 कोर्स (150 मिलीमीटर मोटा) एवं 4976.41 वर्ग मीटर क्षेत्र पर 112.50 मिलीमीटर मोटा एकल कोर्स बिछाया गया तथा 1631.08 घनमीटर हेतु 19 लाख रुपये का भुगतान किया गया। इस प्रकार, बी.यू.एस.जी. का दो कोर्सों में निष्पादन व एकल कोर्स में अधिक मोटाई विशिष्टियों के विपरीत थी। इस प्रकार, तकनीकी विशिष्टियों का अनुसरण न करने से 1.19 करोड़ रुपये की लागत के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य का अवमानक निष्पादन हुआ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (मई 2005) कि पूरा कार्य अनुमोदित प्राक्कलनों के अनुसार किया गया था। यह भी कि, विभाग के पास उपलब्ध ठेकेदार की जमा राशियों से सुधार कार्य कराया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 51.30 लाख रुपये के सुधार प्राक्कलन में मात्र पैच सुधार का ही प्रावधान था न कि सुदृढ़ीकरण का, वह भी अगस्त 2005 तक स्वीकृत नहीं हुआ था। तथ्य यह है कि त्रुटिपूर्ण एवं अपर्याप्त क्रस्ट रूपांकन के परिणाम स्वरूप समय पूर्व विफलता हुई।

प्रकरण जुलाई 2005 में शासन को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर सितम्बर 2005 तक भी प्रतीक्षित था।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

4.5.4 भण्डार सामग्री का अनियमित क्रय

सहायक आयुक्त, जनजाति विकास सीधी ने 1994-02 के दौरान 1.03 करोड़ रुपए मूल्य की भण्डार सामग्री का क्रय बिना बजट प्रावधान के किया। संहिता के प्रावधानों के विपरीत 92.94 लाख रुपए के भुगतान को चार से दस वर्षों तक की अवधि के लिए लंबित रखा गया।

वित्तीय नियमों में व्यवस्था है कि लोक निधियों से भुगतान नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि (क) इसे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो (ख) प्राधिकृत अनुदानों में पर्याप्त निधियां उपलब्ध हों। मध्यप्रदेश कोष संहिता भाग I नियम 283 के अनुसार वास्तव में किए गए समस्त प्रभारों का भुगतान एवं आहरण तुरंत किया जाना चाहिए तथा किसी भी परिस्थिति में दूसरे वर्ष के अनुदान से भुगतान हेतु लंबित नहीं रखने चाहिए। आगे, भण्डार क्रय नियमों में व्यवस्था है कि भण्डार सामग्री की वास्तविक आवश्यकता को अधीनस्थ इकाइयों से प्राप्त किया जाना चाहिए तथा भण्डार सामग्री का क्रय, विभागीय क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार दरों को आमंत्रित कर, विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जाना चाहिए।

सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, सीधी के अभिलेखे की नमूना जांच (फरवरी 2005) से प्रकट हुआ कि 1994-95 से 2001-02 के दौरान विभागीय छात्रावासों/आश्रमों एवं शिक्षण संस्थानों के लिए 1.03 करोड़ रुपए का क्रय किया गया था। यह पाया गया कि इन क्रयों को सहायक आयुक्त ने बिना किसी बजट प्रावधान के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना संबंधित इकाइयों से बिना मांग के एवं क्रय के लिए निर्धारित प्रक्रिया यथा खुली निविदाएं/बाजार दरों को आमंत्रित करने एवं क्रय समिति का गठन करने का पालन किए बिना ही किया। प्राप्तियों, विभिन्न इकाइयों को किए गए वितरण एवं उसका लेखा जोखा भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। निधियों की अनुपलब्धता के कारण 92.94 लाख रुपए के क्रयों के भुगतान फरवरी 2005 तक नहीं किए जा सके। यह भी देखा गया कि सहायक आयुक्त, जनजाति विकास द्वारा बजट आबंटन की मांग करने पर आयुक्त जनजाति विकास ने सीधी के जिलाध्यक्ष को क्रय प्रक्रिया एवं भण्डार लेखाओं की जांच पड़ताल के लिए निदेशित किया (अगस्त 2005)।

यह इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त, जनजाति विकास ने इन तथ्यों की पुष्टि की। इस प्रकार सहायक आयुक्त जनजाति विकास सीधी द्वारा 1.03 करोड़ रुपए के अनियमित क्रय संहितागत प्रावधानों का उल्लंघन करके किए जाने से 92.94 लाख रुपए के दायित्व चार से दस वर्षों तक की अवधि के बाद भी सरकार पर बकाया हैं।

मामले की जानकारी सरकार को अप्रैल 2005 में दी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

4.5.5 अपात्र अशासकीय शिक्षण संस्थानों को अनुदान की अनियमित निकासी

सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, छिंदवाड़ा एवं जबलपुर ने 2001-02 एवं 2004-05 के मध्य पांच अशासकीय शिक्षण संस्थानों को प्रत्येक सत्र में अनुसूचित जनजाति छात्रों के अपेक्षित 85 प्रतिशत का नामांकन किए बिना ही 1.37 करोड़ रुपए के अनुदान की अनियमित निकासी की।

सहायक अनुदान नियमावली 1985 के अनुसार, उन अशासकीय शिक्षण संस्थानों को शिक्षण क्रियाकलापों के लिए जो प्रत्येक सत्र में कम से कम 50 प्रतिशत जनजाति छात्रों का नामांकन करते हैं, सहायक अनुदान का भुगतान किया जा सकता है। सरकार द्वारा जनजातियों के कल्याणार्थ इस सीमा को बढ़ाकर नवम्बर 1999 से 85 प्रतिशत कर दिया गया।

सहायक आयुक्त जनजाति विकास, जबलपुर एवं छिंदवाड़ा के अभिलेखों की नूना जांच (नवंबर 2004 से मई 2005) से प्रकट हुआ कि 2000-01 एवं 2004-05 के मध्य उन पांच* अशासकीय शिक्षण संस्थानों को 1.37 करोड़ रुपए की राशि के अनुदानों की निकासी की गई जिन्होंने प्रत्येक सत्र में अनुसूचित जनजाति छात्रों के कुल नामांकन का 41 से 73 प्रतिशत का ही संधारण किया, ***परिशिष्ट XLIII***। जिससे जनजातियों के कल्याणार्थ बनाई गई सीमा का यथार्थ उद्देश्य ही विफल हो गया।

यह इंगित किये जाने पर सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, जबलपुर ने उत्तर दिया (नवम्बर 2004 एवं अगस्त 2005) कि अनुदानों की निकासी सहायक अनुदान नियमावली 1985 के अनुसार की गई थी जिसके अधीन जनजाति क्षेत्रों में कार्यरत निजी शिक्षण संस्थानों को अनुदान की पात्रता थी बशर्ते कि नामांकित छात्रों की संख्या का 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति से संबधित हो। सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, छिंदवाड़ा ने उत्तर दिया कि (मई 2005) कि अनुदानों की निकासी 70 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति छात्रों के नामांकन के प्रावधान के सरकारी आदेशों (अगस्त 2000) के परिप्रेक्ष्य में की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 50 प्रतिशत की सीमा को नवंबर 1999 में संशोधित करके 85 प्रतिशत कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त सरकारी आदेशों में वार्षिक अनुदान की 20 प्रतिशत की वार्षिक कटौती अनुदान से करने की व्यवस्था नहीं है, यदि अनुसूचित जनजाति छात्रों का नामांकन शैक्षणिक सत्र के दौरान 70 प्रतिशत रहता है। इस प्रकार उन संस्थानों की सहायक अनुदान की निकास अनियमित थी जिन्होंने 2000-01 से आगे अनुसूचित जनजाति छात्रों के निर्धारित 85 प्रतिशत का संधारण नहीं किया।

मामले की सूचना सरकार को जून 2005 में दी गई थी; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

---

* *छिंदवाड़ा; ग्राम कल्याण सेवा समिति, सोनपुर, जय ग्रामोत्थान शिक्षा समिति रामबाग, जबलपुर; न्यू अमर ज्योति सतना, आदिवासी महासंघ जबलपुर, गंगा मैया शिक्षा समिति जबलपुर।*

4.5.6 अपात्र गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान की निकासी

सहायक अनुदान नियमावली 1985 के विपरीत एक अपंजीकृत गैर-सरकारी संगठन को 76.79 लाख रुपए मूल्य के अनुदान की निकासी की गई थी एवं 2001-2004 के दौरान छः गैर सरकारी संगठनों को उनसे आय एवं व्यय विवरण-पत्रक प्राप्त किए बिना 3.44 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था।

सहायक अनुदान नियमावली 1985 (नियमावली) में व्यवस्था है, कि मध्यप्रदेश समिति पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत गैर-सरकारी संगठन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि कोई विशेष अथवा सामान्य संस्वीकृति/अनुमति के अधीन शिथिलता प्रदान न की गई हो। नियमों में आगे व्यवस्था है कि अनुदान के लिए अभिप्रेत संगठनों को आवेदन, संबंधित स्वीकृति प्राधिकारी को आवश्यक दस्तावेज विगत वर्ष से संबंधित आय एवं व्यय विवरण पत्रकों सहित, जो कि पंजीकृत सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित हों, प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, झाबुआ के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2004) से प्रकट हुआ कि 2001-2004 के दौरान 76.79 लाख रुपए मूल्य के अनुदान की निकासी गैर सरकारी संगठन* को की जो कि मध्यप्रदेश समिति पंजीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीकृत भी नहीं थी। यह भी देखा गया कि झाबुआ स्थित छः गैर-सरकारी संगठनों ने 3.44[ψ] करोड़ रुपए के अनुदान के लिए 2001-04 के वर्षों से सम्बन्धित अपेक्षित आय एवं व्यय के विवरण पत्रक प्रस्तुत भी नहीं किये थे फिर भी वार्षिक अनुदानों की निकासी अनुदानों के उपयोग का सत्यापन किए बिना ही की गई थी।

यह इंगित किए जाने पर सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, झाबुआ ने उत्तर दिया (अगस्त 2004) कि संगठन को अनुदान की निकासी दिल्ली स्थित पंजीकरण

---

* दयानंद सेवाश्रम संघ थांदला मुख्यालय (झाबुआ)

ψ (लाख रुपयों में)

	2001-02	2002-03	2003-04	योग
(1) राजेन्द्र आश्रम, कटठीवाड़ा	27.94	27.55	24.03	79.52
(2) ग्रामीण सेवा केन्द्र/ग्राम स्वराज आश्रम मंडलीनाल	23.61	22.15	22.05	67.81
(3) आदिम जाति ग्रामीण कल्याण केन्द्र, बैगईवाड़ी	15.34	18.25	16.22	49.81
(4) आदिवासी शिक्षा, संस्कृति एवं पर्यावरण केन्द्र धमनीचम्मा	7.94	10.82	8.12	26.88
(5) भील सेवा संघ, झाबुआ	40.44	41.68	30.80	112.92
(6) वनवासी कल्याण परिषद भोपाल	1.91	2.98	2.24	7.13
	117.18	**123.43**	**103.46**	**344.07**

प्राधिकरणों के आधार पर की गई थी। यह भी जोड़ा गया कि अनुदान की निकासी जिला योजना समिति एवं जिलाध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात की गई थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुदान की अनियमित निकासी गैर सरकारी संगठन को की गई थी जो कि मध्य प्रदेश समिति पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अधीन पंजीकृत नहीं था। विभाग द्वारा संबंधित गैर सरकारी संगठन अनुदान की निकासी के लिए सहायक अनुदान नियमावली 1985 के अधीन अपेक्षित कोई विशेष/सामान्य अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई थी।

मामले की सूचना सरकार को जून 2005 में भेजी गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (दिसम्बर 2005)।

पांचवा अध्याय

सरकारी विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

पांचवा अध्याय

सरकारी विभागों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

5.1 चिकित्सा शिक्षा विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

विशेषताएं

चिकित्सा शिक्षा विभाग राज्य में चिकित्सा शिक्षा बढ़ाने एवं सुधार करने के लिए समग्र जिम्मेदारियां वहन करता है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा से विभाग में निष्प्रभावी तथा अपूर्ण नियंत्रण प्रकट हुआ। सरकार ने उन महाविद्यालयों के कामकाज पर बड़ा खर्च करना जारी रखा जो कि समितियों को स्थानांतरित हो चुके हैं, यद्यपि उनके द्वारा अर्जित राजस्व समितियों द्वारा रख लिया गया था। अस्थायी पदों की निरन्तरता के लिए स्वीकृति के बिना वेतन एवं भत्तें पर किया गया खर्च अनियमित था। कर्मचारियों के वेतन से अंशदायी भविष्य निधि के लिए अंशदान का कटौत्रा नहीं किया जा रहा था। अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं किये जाने तथा निधियों का उपयोग नहीं किये जाने के प्रकरण भी देखे गये। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

महाविद्यालयों तथा अस्पतालों में एकत्रित किया गया 56.68 करोड़ रुपए का सेवा प्रभार, छात्र शुल्क इत्यादि का शासकीय लेखे में कोषालय में प्रेषण नही किया गया बल्कि समिति द्वारा रख लिया गया, जबकि इन संस्थाओं पर खर्च सरकार द्वारा वहन किया गया था।

(कंडिका 5.1.5)

विभाग ने उन अस्थायी पदों के सम्बंध में वेतन एवं भत्ते पर 3.95 करोड़ रुपए अनियमित रूप से खर्च किये जिनके लिए वर्ष 2000-2005 के दौरान निरन्तरता हेतु स्वीकृति नहीं पायी गयी।

(कंडिका 5.1.6)

समितियों द्वारा न तो कर्मचारियों के वेतन से उनके हिस्से का 59.93 लाख रुपए काटा गया और न ही अंशदायी भविष्य निधि के विरुद्ध 67.20 लाख रुपए का अंशदान का अनुरूप हिस्सा जमा किया गया।

(कंडिका 5.1.6)

विभाग प्रमुख एवं महाविद्यालय प्रमुख द्वारा विभागीय निरीक्षण की प्रणाली में कमीं देखी गयी।

(कंडिका 5.1.8)

21.09 लाख रुपए कीमत की दवाओं के बैच अनुसार खरीदे गये नमूने, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि द्वारा जाँचे/परीक्षित नहीं किये गये।

(कंडिका 5.1.10.1)

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा निष्प्रभावी थी क्योंकि वर्ष 2000-2005 के दौरान अमले की वास्तविक कमीं के कारण 70 इकाइयों में से किसी की भी लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

(कंडिका 5.1.11.1)

5.1.1 प्रस्तावना

आंतरिक नियंत्रण/आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली संचालन तथा वित्तीय मामलों में त्रुटियों तथा अनियमितताओं के विरुद्ध सुरक्षा करती है। यह दायित्वपूर्ण प्रबंधन के औचित्य पर वरिष्ठ प्रबंधन को आश्वस्त भी करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रवृत्त करती है कि सरकार द्वारा उल्लिखित संहिताओं, नियम पुस्तिकाओं तथा नियमों के प्रावधान, विभिन्न स्तर के अमले को कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों का सुगम निष्पादन करने के लिए त्रुटिहीन एवं कार्य योग्य प्रणाली का प्रावधान करते हैं। इन उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा, संचालन तथा वित्तीय मामलों में त्रुटियों तथा अनियमितताओं के विरुद्ध सुरक्षा करने में सहायक होती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग का लक्ष्य है, राज्य में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा सुधार करना और चिकित्सा महाविद्यालयों से सम्बद्ध अस्पतालों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं में उच्च गुणवत्ता विकसित करना।

5.1.2 संगठनात्मक संरचना

राज्य सरकार के स्तर पर चिकित्सा शिक्षा विभाग[1] में प्रमुख सचिव द्वारा अध्यक्षता की **जाती है जिसे संचालक** चिकित्सा शिक्षा द्वारा अध्यक्षता किये जाने वाले संचालनालय द्वारा **उनकी सहायता** की जाती है। संचालनालय के अंतर्गत एक अधिष्ठाता, प्राचार्य, दंत **चिकित्सा महाविद्यालय** इंदौर, प्राचार्य नर्सिंग महाविद्यालय इंदौर, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान का **संचालक, भोपाल** और संचालक मानसिक रोग अस्पताल, ग्वालियर द्वारा अध्यक्षता **किये जाने वाले** पाँच[2] चिकित्सा महाविद्यालय हैं। राज्य में इन चिकित्सा महाविद्यालयों **से सम्बद्ध दस**[3] अस्पताल थे। संचालनालय में, वित्त एवं आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा से **सम्बंधित मामलों** के लिए एक उप संचालक, वित्त जिम्मेदार हैं।

---

[1] ***चिकित्सा शिक्षा*** *विभाग में उपचार की दो प्रणालियाँ सम्मिलित हैं यथा-भारतीय आयुर्वेद पद्धति तथा होम्योपैथी* ***और इनके*** *अधीनस्थ महाविद्यालय एवं अस्पताल, एवं एलोपैथी पद्धति। वर्तमान समीक्षा में* ***संचालक, चिकित्सा*** *शिक्षा द्वारा नियंत्रित एलोपैथी पद्धति तथा संचालक चिकित्सा शिक्षा के अधीन* ***कार्यरत अधीनस्थ*** *महाविद्यालय और अस्पताल समाविष्ट हैं।*

[2] *चिकित्सा* ***महाविद्यालय****- भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर एवं रीवा।*

[3] ***संबद्ध अस्पताल-भोपाल*** *में दो, ग्वालियर में एक, इंदौर में चार, जबलपुर में दो तथा रीवा में एक।*

5.1.3 लेखापरीक्षा समावेशन

भोपाल स्थित संचालक, चिकित्सा शिक्षा कार्यालय तथा चिकित्सा महाविद्यालयों के पाँच में से चार[4] तथा 10 अस्पतालों में से पाँच[5] के अधीक्षकों के कार्यालयों के वर्ष 2000-01 से 2004-05 तक के अभिलेखों की नमूना जाँच अप्रैल से अक्टूबर 2005 के दौरान की गयी थी। नमूना जाँच के परिणाम आगामी कंडिकाओं में दिये गये हैं

5.1.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

समीक्षा का उद्देश्य था निम्नांकित का औचित्य एवं प्रभावशीलता का निर्धारण करना:-

- बजट नियंत्रण
- व्यय पर नियंत्रण
- नगद राशि पर नियंत्रण
- प्रशासकीय नियंत्रण
- संचालन नियंत्रण
- भण्डार प्रबंधन नियंत्रण और
- आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली

5.1.5 बजट नियंत्रण

5.1.5.1 निरंतर बचतें

वर्ष 2000-2001 से 2004-2005 तक की अवधि के लिए संचालक, चिकित्सा शिक्षा के विनियोग लेखे के अनुसार बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय के विवरण निम्नानुसार थे:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	आधिक्य (+) बचत (-)
1	2	3	4
2000-01	103.60	92.28	(-)11.32
2001-02	92.62	76.36	(-)16.26
2002-03	102.48	98.28	(-)04.20
2003-04	109.12	95.23	(-)13.89
2004-05	119.42	103.02	(-)16.40
महायोग	**527.24**	**465.17**	**(-)62.07**

*** अनुदान संख्या 79- चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्यय।**

---

[4] *चिकित्सा महाविद्यालय-भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रीवा।*

[5] *अस्पताल-भोपाल में हमीदिया अस्पताल, सुलतानिया अस्पताल, इंदौर में महाराजा यशवंतराव तथा केन्सर अस्पताल, रीवा में महात्मा गांधी स्मारक/संजय गांधी स्मारक अस्पताल।*

दोषपूर्ण बजट नियंत्रण के परिणामस्वरूप लगातार बचतें हुई।

इस अनुदान के अंतर्गत 2000-05 के दौरान 4.20 करोड़ रुपए से 16.40 करोड़ की सीमा में लगातार बचतें हुई। यह विभाग अनुदान संख्या 4 - आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत एवं अनुदान संख्या 64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना के अंतर्गत मुख्यतः अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति संवर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति जारी करने के लिए भी व्यय करता रहा है।

संचालक चिकित्सा शिक्षा ने प्रतिवर्ष 15 जनवरी के बाद कोषालय से आहरण पर वित्त विभाग द्वारा लगाई गयी रोक और मितव्ययिता स्वीकार करने के लिए बजट प्रावधानों पर 10 प्रतिशत कटौती आरोपित किये जाने को लगातार बचतों का जिम्मेदार बताया (अप्रैल 2005)। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आहरणों पर रोक तथा बजट प्रावधानों पर 10 प्रतिशत कटौती प्रतिवर्ष नियमित रूप से होती रही जिन्हें बजट अनुमान तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए था।

5.1.5.2 विभागीय प्राप्तियों का कोषालय में प्रेषण नहीं किया जाना।

विभागीय प्राप्तियां, चिकित्सा महाविद्यालयों की स्वशासी समितियों द्वारा रख ली गयीं

मध्यप्रदेश सरकार ने सभी चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उनसे सम्बद्ध अस्पतालों को एक अधिसूचना (मार्च 1997) द्वारा स्वशासी निकाय घोषित कर दिया था, जो मध्यप्रदेश पंजीयन अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पंजीकृत समितियों द्वारा शासित होने थे। सरकार ने समिति के लेखे में जमा की जाने वाली प्राप्ति का प्रकार और चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों के खर्च के लिए प्राप्ति का उपयोग, मार्च 1997 की अधिसूचना में निर्दिष्ट नहीं किया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रकट हुआ कि विभाग द्वारा बजट अनुमान तैयार करते समय वर्ष 2000-05 के दौरान छात्रों से एकत्रित किये गये शुल्क शासकीय भवन/सम्पत्ति का किराया, पैथोलॉजी एवं एक्स-रे प्रभार ऑपरेशन प्रभार इत्यादि के खाते की सम्पूर्ण प्राप्ति 56.68 करोड़ रुपए को प्राप्ति शीर्षो 0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा शोध, 105-ऐलोपैथी के अंतर्गत विभागीय प्राप्ति के रूप में नहीं दर्शाया गया था, जैसा कि अधिसूचना जारी होने के पहले दर्शाया जाता रहा था एवं विभाग के प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत बजट अनुमानों में केवल एक सांकेतिक प्रावधान किया गया था। इन चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों पर सरकार द्वारा वर्ष 2000-05 के दौरान 465.17 करोड रुपए का व्यय किया गया था जबकि उनके द्वारा अर्जित किये गये राजस्व को समितियों द्वारा रख लिया गया था।

5.1.6 व्यय नियंत्रण

5.1.6.1 व्यय के आंकड़ों का पुनर्मिलान नहीं किया जाना।

चिकित्सा शिक्षा पर किए गए व्यय का विभाग द्वारा पुनर्मिलान नहीं किया जाना।

वित्तीय नियमों में अपेक्षित है कि विभागीय नियंत्रण अधिकारी, व्यय के विभागीय आंकड़ों का समय समय पर उन आंकड़ों से मिलान करें, जो महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा दर्ज किये गये हैं, जिससे कि लेखे की शुद्धता, त्रुटियों की पहचान, चूक, गलत वर्गीकरण, जालसाजी की खोज इत्यादि सुनिश्चित हो सके। संचालक चिकित्सा शिक्षा के अभिलेख की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 2000-05 के दौरान किसी भी वर्ष में

विभागीय आँकड़ों का पुनर्मिलान नहीं किया गया था। व्यय के विभागीय आंकड़े तथा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा दर्ज किये गये आंकड़ों के बीच अंतर निम्नानुसार था:-

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	वर्ष	व्यय		विनियोग लेखे के आंकड़ों के संदर्भ में अंतर
		विभाग द्वारा दर्शाए गये	विनियोग लेखे के अनुसार	
1	2000-01	90.58	92.28	(-) 1.70
2	2001-02	74.46	76.36	(-) 1.90
3	2002-03	94.58	98.28	(-) 3.70
4	2003-04	95.78	95.23	(+) 0.55
5	2004-05	98.50	103.02	(-) 4.52
	योग	**453.90**	**465.17**	

इस प्रकार, किसी भी वित्तीय वर्ष में व्यय के विभागीय आंकड़ों का पूरी तरह मिलान नहीं किया गया, और 2000-2005 के दौरान 0.55 करोड़ रुपए से 4.52 करोड़ रुपए तक की सीमा में अंतर छोड़ दिया गया। पुनर्मिलान नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप व्यय पर नियंत्रण निष्प्रभावी हुआ। संचालक चिकित्सा शिक्षा ने बताया (अप्रैल 2005) कि यद्यपि यह कार्य संयुक्त संचालक, जयारोग्य अस्पताल समूह, ग्वालियर को सौंपा गया था, तथापि पुनर्मिलान अभी तक अपूर्ण है जिसके लिए संयुक्त संचालक से कारण पूछे गये हैं।

5.1.6.2 संस्वीकृत कर्मचारी संख्या तथा, कार्यरत कर्मचारियों की पंजी का संधारण नहीं किया जाना

कर्मचारियों की संस्वीकृत संख्या की तुलना में कार्यरत अमले की उचित पंजियां नहीं रखे जाने के परिणामस्वरूप अमले के वेतन एवं भत्तों का अनियमित आहरण

संचालक चिकित्सा शिक्षा का कार्यालय स्थायी एवं अस्थायी पदे की स्वीकृति/सृजन तथा अस्थायी पदों की निरन्तरता के लिए स्वीकृति के विवरण समाहित करने वाली संरक्षण नस्तियों का संधारण नहीं कर रहा था। स्थायी एवं अस्थायी पदों के जारी रहने की स्वीकृतियां और स्वीकृत पदों के प्रत्येक वर्ग के विरूद्ध संस्थान अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दर्शाने वाली पंजियां भी विभाग द्वारा नहीं रखी जा रही थीं।

अभिलेख की छानबीन से प्रकट हुआ कि गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग ने 1987-88 के दौरान हमीदिया अस्पताल, भोपाल के लिए तृतीय श्रेणी के 19[6] तथा चतुर्थ श्रेणी के 25 पद स्वीकृत किये थे। इन अस्थायी पदों की निरंतरता के लिए अंतिम स्वीकृति फरवरी 1991 तक अनुमत्य थी। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 1994-95 के दौरान हमीदिया अस्पताल, भोपाल में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए स्टाफ नर्स के छः पद और चतुर्थ श्रेणी के 12 पद स्वीकृत किये थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने हमीदिया

---

[6] *स्टाफ नर्सः 6, भैषजिकः 3, लिपिकः 6, वाहन चालकः 4*

अस्पताल, भोपाल तथा महात्मा गांधी स्मारक अस्पताल, रीवा में ब्लड बैंक के सुदृढ़ीकरण हेतु 1996-97 के दौरान द्वितीय श्रेणी के 4[7], तृतीय श्रेणी के 22[8] तथा चतुर्थ श्रेणी के 6[9] अस्थायी पद स्वीकृत किये थे। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 1998-99 के दौरान गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में कार्डियल सेंटर की स्थापना के लिए तृतीय श्रेणी के 14 तथा चतुर्थ श्रेणी के 2 अस्थायी पद स्वीकृत किये थे।

इस प्रकार 1987-88 से 1998-99 तक की अवधि के दौरान सरकार द्वारा द्वितीय श्रेणी के 4 पद, तृतीय श्रेणी के 61 एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 45 पद स्वीकृत किये थे। तथापि 2000-2005 के दौरान इन पदों के जारी रहने की स्वीकृतियां नही पायी गयी थीं, अतः 2000-2005 की अवधि के दौरान उपरोक्त पदों के विरूद्ध द्वितीय श्रेणी के 4, तृतीय श्रेणी के 54 तथा चतुर्थ श्रेणी के 51 पदों के संबंध में वेतन एवं भत्तों के लेखे में 3.95 करोड़ रुपए अनियमित रूप से आहरित किये गये थे। संचालक चिकित्सा शिक्षा ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2005) कि मामले की जाँच की जाएगी।

5.1.6.3 कर्मचारियों के वेतन से अंशदायी भविष्य निधि के लिए अंशदान नहीं काटा जाना।

अंशदायी भविष्य निधि के लिए समितियों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से न तो कर्मचारियों का अंशदान और न ही अंशदान के समतुल्य हिस्सा काटा गया।

स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय के संवर्धन एवं संविलयन सम्बंधी नियम 1998 के नियम 17(ख) के साथ पठित आनुबंधिक सेवा भर्ती नियम, 2000 के नियम 7(छ) के अनुसार इन नियमों के अंतर्गत स्थिर वेतन पर संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति ऐसे अंशदायी भविष्य निधि के हकदार हैं, जो समय समय पर समिति द्वारा निर्धारित की जाए और अंशदान के बराबर समतुल्य हिस्सा समिति द्वारा देय होगा। चार स्वशासी संस्थाओं के अभिलेख की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि इन नियमों के प्रतिकूल न तो कर्मचारियों के वेतन से उनके हिस्से के 59.93[10] लाख रुपए काटे गये और न ही अंशदायी भविष्य निधि के लिए 2001-2005 के दौरान 67.20[11] लाख रुपए के अंशदान का समतुलय हिस्सा समिति द्वारा दिया गया। संचालक चिकित्सा शिक्षा ने स्वीकार किया (जून 2005) कि संविदा सेवा भर्ती नियम 2000 संस्थाओं की स्वशासी समितियों द्वारा भर्ती किये गये कर्मचारियों पर लागू होते है।

5.1.6.4 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन नहीं होना।

---

[7] *रीवा अस्पताल- संबद्ध रक्त अंतरण अधिकारीः 1, सहायक शल्य चिकित्सकः 3,*

[8] *स्टाफ नर्स, भोपाल में 2 और रीवा में 1, स्टोरकीपर; भोपाल और रीवा, प्रत्येक के लिए एक; प्रयोगशाला मिस्त्री/प्रयोगशाला सहायक भोपाल में 10 और रीवा में 7*

[9] *वार्ड बॉय/प्रयोगशाला सहायक; भोपाल और रीवा, प्रत्येक के लिए 3*

[10] *स्वशासी समिति भोपालः 6.24 लाख रुपए, ग्वालियरः 15.66 लाख रुपए, इंदौरः 13.97 लाख रुपए और रीवाः 24.06 लाख रुपए।*

[11] *स्वशासी समिति भोपालः 7.08 लाख रुपए, ग्वालियरः 15.66 लाख रुपए, इंदौरः 13.97 लाख रुपए और रीवा 30.49 लाख रुपए।*

अस्थायी अग्रिम एक से लेकर 20 वर्षों तक के लिए असमायोजित बने रहे।

मध्य प्रदेश कोष संहिता खण्ड-1 के नियम 53(IV) में उल्लेख है कि अस्थायी अग्रिम, जितना जल्दी हो सके, समायोजित कर दिये जाने चाहिए और तीन माह से अधिक के लिए लम्बित नहीं रहने चाहिए। यह देखा गया कि कि मार्च 2005 के अंत में अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल (5.50 लाख रुपए) और रीवा (1.22 लाख रुपए), अधीक्षक, हमीदिया अस्पताल, भोपाल (0.78 लाख रुपए), और अधिष्ठाता संजय गांधी स्मारक अस्पताल, रीवा (1.58 लाख रुपए), के कार्यालय में कुल 9.08 लाख[12] रुपए के अस्थायी अग्रिम असमायोजित पड़े थे। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बताया कि इन अग्रिमों की वसूली/समायोजन के लिए कार्यवाही की जाएगी।

5.1.6.5 निधियों का उपयोग नहीं किया जाना।

अध्ययन के लिए आवश्यक उपकरण नहीं खरीदे जाने के कारण केन्द्रीय निधियां अप्रयुक्त पड़ी रहीं।

भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग ने पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित मरीजों, के बारे में अध्ययन के लिए चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर को 2001-2002 के दौरान 27.71 लाख रुपए की एक परियोजना स्वीकृत की थी। यह अध्ययन तीन वर्षों के अंदर पूरा होना था। कथित अध्ययन के लिए ब्रोन्कोस्कोप नाम का एक उपकरण आवश्यक था। अभिलेख की छानबीन से प्रकट हुआ कि यद्यपि निधियों की उपलब्धता थी, तथापि आवश्यक ब्रोन्कोस्कोप नहीं खरीदा गया। इसलिए, अनुबंधित समय में अध्ययन पूर्ण नहीं हो सका। पूछे जाने पर, परियोजना के प्रभारी प्रोफेसर ने बताया (मई 2005) कि ब्रोन्कोस्कोप की खरीद को कार्यवाही चल रही थी।

5.1.7 नकद राशि नियंत्रण

5.1.7.1 रोकड़ पुस्तिका एवं बिल पंजी का दोषपूर्ण संधारण

मूल लेखा अभिलेख का दोषपूर्ण संधारण एवं रोकड़ नियंत्रण

मध्यप्रदेश कोष संहिता खण्ड-1 के नियम 53 के अनुसार, रोकड़ पुस्तिका के प्रभारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी को रोकड़ शेष के विश्लेषण का अभिलेख रखना तथा प्रत्येक माह के अंत में इसे अपने तारीख सहित हस्ताक्षरों से सत्यापित करना चाहिए। रोकड़ पुस्तिका के दैनिक योग की जाँच की जानी थी और आहरणों का पाक्षिक सत्यापन कोषालय प्रमाणक पर्ची के साथ किया जाना था।

8[13] आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि किसी भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ शेष के मासिक विवरण कभी नहीं रखे गये। यद्यपि रोकड़ पुस्तिका के दैनिक योग की जाँच की गयी थी, किन्तु कोषालय प्रमाणक पर्ची/अनुसूची के साथ आहरणों का पाक्षिक सत्यापन भी किसी आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा रोकड़ पुस्तिकाओं में किया हुआ नहीं पाया गया था।

---

[12] 20 वर्ष से अधिकः 0.09 लाख रुपए, 16-20 वर्ष पुरानेः 0.31 लाख रुपए, 11-15 वर्ष पुरानेः 0.31 लाख रुपए, 6-10 वर्ष पुराने 1.98 लाख रुपए, 1-5 वर्ष पुरानेः 6.39 लाख रुपए

[13] *आहरण एवं संवितरण अधिकारी चिकित्सा माहविद्यालयः भोपाल, इंदौर और रीवा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी संबद्ध अस्पतालः हमीदिया अस्पताल एवं सुलतानिया अस्पताल, भोपाल, एम.वाय. अस्पताल, केन्सर अस्पताल, इंदौर और संजय गांधी स्मारक अस्पताल, रीवा।*

2000-05 के दौरान छः[14] आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से किसी के भी द्वारा रोकड़ का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया, जबकि 2000-05 के दौरान हमीदिया अस्पताल तथा सुल्तानिया अस्पताल भोपाल के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा क्रमशः 14 एवं 52 महीनों में रोकड़ का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

मध्य प्रदेश कोष संहिता खण्ड-1 के नियम 197 के अनुसार, प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को मासिक रूप से बिल पंजी की समीक्षा करना चाहिए और उसके द्वारा की गयी इस समीक्षा के परिणाम अंकित करना चाहिए। यह देखा गया कि 2000-2005 के दौरान 8 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों[15] में से किसी ने भी बिल पंजी की समीक्षा नहीं की थी।

5.1.7.2 बैंकों के साथ पुनर्मिलान नहीं किया जाना

बैंकों के साथ समय समय पर पुनर्मिलान नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शेष राशियों में भारी अंतर हुआ।

आठ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से चार के अभिलेख की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि समितियों की निधियां अनुसूचित बैंकों में खोले गये बचत बैंक खातों में रखी गयी थी, और मार्च 2005 के अंत में 3.60 करोड़ रुपए जमा किये गये थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि रोकड़ पुस्तिकाओं तथा बैंक विवरण पत्रक/पासबुक में दर्शाए गये शेष के बीच निम्नानुसार भारी अंतर थाः

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	31 मार्च 2005 को रोकड़ पुस्तिका के अनुसार शेष	बैंक विवरण पासबुक के अनुसार शेष	रोकड़ पुस्तिका के संदर्भ में अंतर
1.	महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर	96.95	204.49	(+)107.54
2.	महाराजा यशवंतराव अस्पताल, इंदौर	4.06	17.44	(+)13.38
3.	गजराराजा चिकित्सा महाविद्यालय, ग्वालियर	153.47	128.90	(-)24.57
4.	संजय गांधी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा	105.57	132.43	(+)26.86

---

[14] *आहरण एवं संवितरण अधिकारी चिकित्सा माहविद्यालयः भोपाल, इंदौर और रीवा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी संबद्ध अस्पतालः हमीदिया अस्पताल एवं सुलतानिया अस्पताल, भोपाल, एम.वाय. अस्पताल, केन्सर अस्पताल, इंदौर और संजय गांधी स्मारक अस्पताल, रीवा।*

[15] *आहरण एवं संवितरण अधिकारी चिकित्सा माहविद्यालयः भोपाल, इंदौर और रीवा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी संबद्ध अस्पतालः हमीदिया अस्पताल एवं सुलतानिया अस्पताल, भोपाल, एम.वाय. अस्पताल, केन्सर अस्पताल, इंदौर और संजय गांधी स्मारक अस्पताल, रीवा।*

आंकड़ों/शेष राशियों के दो समूहों में भारी अंतर होना दर्शाता है कि नमूना जाँच की गयी किसी भी इकाई में सावधि पुनर्मिलान की पद्धति अस्तित्व में नहीं थी। लेखे की शुद्धता सुनिश्चित करने, त्रुटियों की पहचान, चूक एवं धोखे की पड़ताल के लिए सावधि पुनर्मिलान किया जाना आवश्यक था। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बताया (अप्रैल-अक्टूबर 2005) कि पुनर्मिलान यथासम्भव शीघ्र कर लिया जाएगा।

5.1.7.3 रोकड़/भण्डार का कार्य करने वाले व्यक्तियों से प्रतिभूति जमा न कराया जाना

मरीजों से सेवा शुल्क एकत्रित करने के लिए नियुक्त कर्मचारियों से प्रतिभूति राशि जमा नहीं करायी गयी।

मध्यप्रदेश वित्त संहिता, खण्ड-1 के नियम 282 के अनुसार, रोकड़ तथा भण्डार का कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रतिभूति जमा के रूप में 5000/- रुपए जमा करना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा ने देखा कि चार[16] चिकित्सा महाविद्यालयों तथा उनके संबद्ध अस्पतालों में मरीजों से प्रभार वसूल करने के लिए जिम्मेदार बनाये गये किसी भी व्यक्ति से अपेक्षित जमा राशि प्राप्त नहीं की गयी थी। कार्यालय प्रमुख ने बताया (अप्रैल-अक्टूबर 2005) कि सम्बंधित व्यक्तियों से अपेक्षित प्रतिभूति जमा राशि अब प्राप्त कर ली जाएगी।

5.1.8 प्रशासकीय नियंत्रण

लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रशासकीय नियंत्रण तंत्र प्रभावशाली नहीं था, क्योंकि विभाग द्वारा अपनी संरचना से एक दशक बीत जाने पर भी विभागीय नियम पुस्तक एवं संहिता तैयार नहीं की गई थी। संचालक चिकित्सा शिक्षा ने क्षेत्रीय कार्यालयों का अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया, जैसा कि नीचे वर्णित है:-

5.1.8.1 विभागाध्यक्ष तथा संस्था प्रमुख द्वारा निरीक्षण

संचालक चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं के विभागीय निरीक्षण की अपर्याप्तता

विभाग के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का औचित्य एवं प्रभावशीलता जानने के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जाना महत्वपूर्ण है। संचालनालय में तैयार की गयी नामावली के अनुसार, संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा किये जाने वाले 90 निरीक्षणों के विरुद्ध 2000-2005 के दौरान केवल 40 निरीक्षण ही किये गये थे।

महाविद्यालय का मासिक निरीक्षण, चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा किया जाना और उसकी अभ्युक्तियां तथा सिविल/निर्माण कार्य, दवाओं के केन्द्रीय भण्डार का रख रखाव, मशीन तथा उपकरण, एम्बुलेंस तथा वाहन, केन्द्रीय कार्यशाला, पुस्तकालय अध्ययन कक्ष, छात्रावास, कर्मचारियों तथा छात्रों के कॉमन रूम और प्रकाश, पेयजल तथा स्वच्छता इत्यादि के प्रबंध से सम्बंधित अन्य सूचना/आंकड़ें अंकित किया जाना अपेक्षित था। यह देखा गया कि 2000-2005 के दौरान किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा मासिक निरीक्षण नहीं किया गया था।

---

[16] *चिकित्सा महाविद्यालय-भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं रीवा।*

5.1.8.2 एम्बुलेंस सेवाएं

अस्पतालों की एम्बुलेंस मरीजों, चिकित्सकों तथा कर्मचारियो को उनके ड्यूटी समय के बाद अस्पताल में आपात प्रकरणों को देखने के लिए उनके आवास से लाने हेतु उपयोग की जाती रही है। नमूना जाँच के दौरान यह देखा गया कि सुल्तानिया जनाना अस्पताल, भोपाल में उपलब्ध चार एम्बुलेंस में से दो एम्बुलेंस ने जुलाई 2002 से मार्च 2005 के दौरान कुल 31,058 किलोमीटर की दूरी तय की थी, किन्तु मरीजों को लाने ले जाने के लिए कभी भी उपयोग नहीं की गयीं, क्योंकि एक एम्बुलेंस तो स्टाफ कार के रूप में उपयोग की जा रही थी और दूसरी अस्पताल के अधीक्षक के आदेशाधीन थी।

5.1.9 क्रियात्मक नियंत्रण

जैसा कि उपविधियों में परिकल्पित है, स्वशासी समितियों को साधारण सभा कार्यचालन समिति, वित्तीय समिति और अस्पताल परामर्शदात्री समिति के माध्यम से अपने कार्यकलाप नियंत्रित करना था। कार्यों पर नियंत्रण में निम्नांकित कमियां देखी गयीं-

साधारण सभा : समिति की साधारण सभा सर्वोच्च प्राधिकारण है जो अन्य 20 सदस्यों के साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनाई जाती है। महाविद्यालय का अधिष्ठाता/प्राचार्य साधारण सभा का सदस्य सचिव होता है। समिति की साधारण सभा से अपेक्षित था कि वह महाविद्यालय तथा अस्पताल की व्यापक नीतियों एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करें और नीतियों के कार्यान्वयन की समय समय पर समीक्षा करें तथा राज्य सरकार द्वारा, उपलब्ध करायी गयी निधियों के पूरक के रूप में अपने निजी संसाधन सृजित करने के लिए महाविद्यालय तथा अस्पताल को सक्षम बनाने हेतु साधनों का उपाय करें। साधारण सभा की बैठकें प्रतिवर्ष दो बार आयोजित की जानी थीं। किन्तु भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और रीवा के चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध अस्पतालों में, 2000-2005 के दौरान अपेक्षित 40 के विरुद्ध केवल 17[17] बैठकें ही आयोजित हुईं। यह भी देखा गया कि 2003-2005 में ग्वालियर में कोई बैठक आयोजित नही हुई।

वित्तीय समिति क्रियाशील नहीं होने के कारण कार्यपालन समिति द्वारा बजट अनुमानों की जाँच नहीं की गयी।

वित्तीय समिति : समिति के उपविधि की कंडिका 13(ग) के अनुसार, वित्तीय समिति, वित्तीय प्रबंधन में कार्यपालन समिति को सहायता एवं सहयोग करेगी, मुख्य रूप से (i) समिति को निधियों से व्यय के लिए उपविधि प्रारूप की संरचना, (ii) वार्षिक बजट तैयार करने तथा आने वाले वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व कार्यपालन समिति द्वारा इसका अनुमोदन सुनिश्चित करना और (iii) उपकरण/औजार/सामग्री की खरीद के लिए सभी प्रस्तावों के संबंध में छानबीन तथा अनुशंसाएं करना और पूंजीगत एवं अन्य व्यय स्वीकृत करना। वित्तीय समिति को आवश्यकता अनुसार किन्तु माह में कम से कम एक बार बैठक करना अपेक्षित है। तथापि भोपाल, ग्वालियर एवं रीवा के चिकित्सा महाविद्यालयों में समितियां गठित नहीं की गयीं। इन महाविद्यालयों में वित्तीय समितियों के कार्यकलाप नहीं होने के कारण समय पर बजट अनुमान तैयार नहीं किये जा रहे थे

---

[17] *भोपाल:6, ग्वालियर:3, इंदौर:4 एवं रीवा:4*

और वार्षिक वित्त अनुमान तथा वार्षिक लेखा, कार्यपालन समिति द्वारा नहीं जाँचा जा रहा था।

अस्पताल परामर्शदात्री समिति: अस्पताल परामर्शदात्री समिति सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में तथा सदस्य सचिव के रूप में, संबद्ध अस्पताल के अधीक्षक के साथ गठित की जाती है। इस समिति का मुख्य कार्य है, अस्पताल सेवाओं में सुधार तथा नवीन सेवाएं आरम्भ करने के लिए कार्यपालन समिति को अनुशंसाएं करना। इस समिति को आवश्यकता अनुसार, किन्तु वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करना अपेक्षित था। चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 2000-2005 की अवधि के दौरान अपेक्षित 10 के विरूद्ध केवल दो बैठके आयोजित हुईं। भोपाल, इंदौर तथा रीवा अस्पतालों में अब तक (अक्टूबर 2005) ऐसी कोई समिति गठित नहीं की गयी है। चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाओं द्वारा समिति गठित न किये जाने के लिए कोई विस्तृत कारण नहीं बताए गए।

5.1.10 भण्डार प्रबंध नियंत्रण

विभाग में भण्डार एवं सामग्री लेखे तैयार नहीं किये गये

5.1.10.1 मध्यप्रदेश वित्त संहिता खण्ड-1 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक शासकीय कार्यालय को निर्धारित प्रारूप में भण्डार एवं सामग्री लेखा संधारित करना चाहिए। संयंत्र, मशीनें, उपकरण, सज्जा सामग्री की विवरण सूची तैयार की जानी चाहिए और उसके निरीक्षण के समय नियंत्रण अधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए। वर्ष में एक बार भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए। कम/अधिक पाये गये सामान की सूचना दी जानी चाहिए और मरम्मत के अयोग्य सामान को सक्षम अधिकारी द्वारा अपलेखित किये जाने हेतु समाप्त करने के लिए अनुशंसित किया जाना चाहिए। नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 2000-2005 के दौरान चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, केन्सर अस्पताल इंदौर तथा सुल्तानिया अस्पताल भोपाल में भण्डार एवं सामग्री लेखे तैयार नहीं किये गये थे। भौतिक सत्यापन के दौरान शरीर शास्त्र विभाग की 78 वस्तुएं, जैसे कि डायनोमेटा एण्ड्रास, माइक्रोंप्रोजेक्शन एप्रेटस, यूनिवर्सल कैमरा के लिए रिफ्लेक्स अटेचमेंट, कार्डियोमीटर तथा ऑन्कोमीटर इत्यादि, 65 पत्रिकाएं और 111 पुस्तकें कम पायी गयी थीं।

औषधियों के नमूने प्रयोगशाला में परीक्षित नहीं कराये गये।

औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 के प्रावधानों तथा मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश (अगस्त 1984) के अनुसार, खरीदी गयी औषधियों के वर्ग के अनुसार औषधियों का उपयोग करने से पहले नमूनों का प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाना चाहिए था। केन्सर अस्पताल, इंदौर के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 21.09 लाख रुपए मूल्य की औषधियों के बैच अनुसार नमूने प्रयोगशाला में परीक्षित नहीं किये गये थे। अस्पताल के अधीक्षक ने बताया (मई 2005) कि औषधियों के नमूने भविष्य में प्रयोगशाला में परीक्षित कर लिये जाएंगे।

हमीदिया अस्पताल, भोपाल में खरीदे गये (जुलाई 2004) जेन्टामाइसिन इंजेक्शन 7500 तथा 20,000 सिप्रोफ्लोक्सिन टेबलेट, प्रयोगशाला जाँच के दौरन अवमानक स्तर के पाये गये थे। ये 1582 जेन्टोमाइसिन इंजेक्शन तथा 1912 सिप्रोफ्लोक्सिन टेबलेट, अस्पताल के विभिन्न वार्ड में मरीजों को वितरित कर दिये गये थे। अधीक्षक ने बताया (अगस्त 2005) कि अवमानक स्तर की औषधियों को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

भारतीय परमाणु ऊर्जा विनयमन प्राधिकरण से समय पर अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं करने के कारण ब्रीचीथेरेपी मशीन का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा सका।

5.1.10.2 भारत सरकार ने 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय केन्सर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में ब्रीची थेरेपी इकाई स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपए स्वीकृत किये थे। यह इकाई खरीदी गयी और महाविद्यालय में स्थापित कर दी गयी (मई 2000)। इस थेरेपी में रेडियोएक्टिव आइसोटोप नामक इरीडियम सोर्स प्रयोग किया जाता है जिसके लिए भारतीय परमाणु ऊर्जा विनियमन प्राधिकरण मुंबई से अनापत्ति प्रमाणपत्र आवश्यक था। भारतीय परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण से अब तक (जुलाई 2005) प्राप्त नहीं किया गया है। अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं करने के कारण इस मशीन का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका है।

5.1.11 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रबंध

5.1.11.1 चिकित्सा शिक्षा विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा स्थापना

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा में अमले की नितान्त कमी

संचालक चिकित्सा शिक्षा के कार्यालय में उप संचालक, वित्त के पर्यवेक्षण में एक पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना हुई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के लिए दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक, तीन कनिष्ठ लेखापरीक्षक और एक उप लेखापरीक्षक के पद स्वीकृत किये गये थे। संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या के विरुद्ध केवल एक वरिष्ठ लेखापरीक्षक ही कार्यरत था।

आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के लिए अमले की कमी थी तथा आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा के लिए कर्मचारी नियुक्त करने हेतु कोई आंतरिक व्यवस्था नहीं की गयी थी।

5.1.11.2 लेखापरीक्षा के समावेश, योजना की उपयुक्तता एवं आवधिकता

इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए योजना का अभाव

आंतरिक लेखापरीक्षा की योजना, जोखिम विश्लेषण के माध्यम से पुष्टि होने पर जोखिम सूचकों पर आधारित होना चाहिए। लेखापरीक्षा की आवधिकता इकाई के व्यय तथा आकार पर आधारित होनी चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि इकाई की आंतरिक लेखापरीक्षा किसी नामावली, समयचक्र तथा आवधिकता को देखे बिना तदर्थ आधार पर तैयार की गयी थी। लेखापरीक्षा मार्गदर्शिका जारी नहीं की गयी, और न ही लेखापरीक्षा दल के प्रत्येक सदस्य को विस्तृत कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सौंपे गये थे।

नामावली के अनुसार 70 इकाइयों की लेखापरीक्षा की जानी थी किंतु विगत पाँच वर्षों (2000-2005) के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा एक भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं की गयी। संचालक चिकित्सा शिक्षा ने बताया (अप्रैल 2005) कि अमले की कमी के कारण इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं करायी जा सकी।

5.1.12 निष्कर्ष

साढ़े आठ वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों को स्वतंत्र रूप से तथा स्वनिर्भर तरीके से संचालित करने हेतु स्वायत्तता प्रदान करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। अंशदायी भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों का अंशदान नहीं काटे जाने तथा नियोक्ता द्वारा समतुल्य हिस्से का अंशदान नहीं किये जाने के मामले देखे गये। अस्थायी पदों की निरन्तरता के लिए स्वीकृति नहीं ली गयी और इसके परिणामस्वरूप कोषालय से वेतन एवं भत्तों का अनियमित आहरण हुआ।

पुनर्मिलान नहीं किए जाने के कारण रोकड़ पुस्तिका और बैंक खाते में दर्शाए गये शेष के बीच भारी अन्तर उत्पन्न हो गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा कमजोर, अपर्याप्त एवं निष्प्रभावी थी। विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की स्थापना के उद्देश्य अपूर्ण रह गये, क्योंकि अमले की कमी के कारण विगत पाँच वर्षो के दौरान एक भी इकाई की लेखापरीक्षा नहीं करायी गयी। विभागीय अधिकारी क्रमसूची के अनुसार निरीक्षण नहीं कर रहे थे।

5.1.13 अनुशंसाएं

- व्यय के आंकड़ों का पुनर्मिलान अविलम्ब किया जाना चाहिए तथा बैंक से पुनर्मिलान की पद्धति को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
- रोकड़ पुस्तिका के संधारण के लिए संहिता में निहित प्रावधानों को दृढ़ता से लागू किया जाना चाहिए।
- अस्थायी पदों को जारी रखने के लिए उचित पंजियां तथा नियंत्रण निर्धारित किया जाना चाहिए।
- पर्याप्त कर्मचारियों को काम पर लगाते हुए एवं विभिन्न इकाइयों की लेखापरीक्षा की नियतकालिकता तथा समयचक्र निर्धारित करते हुए लेखापरीक्षा योजना की पद्धति प्रस्तावित करके आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए।

ग्वालियर
दिनांक

(जयनारायण गुप्ता)
प्रधान महालेखाकार
(सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विजयेन्द्रनाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट I

(संदर्भ कंडिका 1.1, पृष्ठ 2)

पहले अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा दर्शाने वाला विवरण पत्र

1. वार्षिक लेखाओं का प्रारूप

राज्य सरकार के लेखे दो खण्डों यथा वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में तैयार किये जाते हैं। वित्त लेखे शासकीय लेखाओं में सम्यक् वर्गीकरण के अधीन प्राप्तियों एवं व्यय दोनों से संबंधित समस्त लेनदेनों के विवरण प्रस्तुत करते हैं। विनियोग लेखे बजट अनुदानों में विधान मण्डल द्वारा प्राधिकृत राशियों की तुलना में राज्य सरकार द्वारा किये गये व्याज के विवरण प्रस्तुत करते है। अनुदानों से अधिक किये गये किसी प्रकार के व्यय के लिये विधान मण्डल द्वारा नियमन की आवश्यकता होती है।

भाग 2- पहले अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की सूची और उनकी संगणना का आधार

शब्द	संगणना के आधार
मानदण्डों की उत्प्लावकता	मानदण्डों की वृद्धि दर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि
मानदण्ड (भ) की अन्य मानदण्ड (म) के संदर्भ में उत्प्लावकता	मानदण्ड (भ) की वृद्धि दर मानदण्ड (म) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि)-1]*100
प्रवृत्ति/औसत	5 वर्ष की अवधि में वृद्धि की प्रवृत्ति (एल.ओ.जी.ई.एस.टी.)(1997-98 की राशि: 2002-03 की राशि-1)*100
शेयर अंतरण/मानदण्ड की अंतरण दर	राजस्व अथवा व्यय जैसा भी प्रकरण हो में मानदण्डों के पाँच वर्षों की अवधि पर प्रतिशतता शेयर की प्रवृत्ति
विकास व्यय	सामाजिक सेवायें+आर्थिक सेवायें
भारित ब्याज दर (राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज)	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100
फैला हुआ ब्याज	सकल राज्य घरेलू उत्पाद भारित ब्याज दरें
दिये गये ऋण के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(ऋण तथा अग्रिमों का प्रारंभिक शेष+अंतशेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ- राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूंजीगत व्यय+निवल ऋण तथा अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष	2048-कमी अथवा त्याज्य ऋणों हेतु विनियोग के अंतर्गत विल्लनों को छोड़कर समस्त आयोजना अनुदानों तथा आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाकर राजस्व प्राप्तियाँ

परिशिष्ट- II

(संदर्भः कंडिका 1.1, पृष्ठ 2)

पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य की 31 मार्च 2005 को परिसंपत्तियों एवं देयताओं का उत्तरवर्ती मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र

(करोड़ रुपये में)

मदें	31 अक्टूबर 2000 को शेष	विभाजन		विभाजन लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश के लेखाओं में रोककर रखे गये शेष	वित्त लेखे की विवरण संख्या का संदर्भ
		मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I- देयताएं-					
1. लघु बचतें, भविष्य निधियां आदि	7371.51	5570.57	1239.45	561.49	4, 16 एवं 17
2. निक्षेप	1872.19	1516.32	358.05	(-)2.38	4 एवं 16
3. आरक्षित निधियां	657.94(क)	45.49	11.55	102.46(ख)	4 एवं 16
4. उचन्त एवं विविध शेष	39.58	25.46	5.93	8.19(ग)	16
II-परिसम्पत्तियां-					
1.सकल पूंजीगत परिव्यय	15760.57	4950.27	1484.59	9325.71	2 एवं 13
2. ऋण एवं अग्रिम	2883.18	559.83	135.91	2187.44(घ)	5 एवं 18
गारंटियां	9709.60	--	--	10773.99(ङ)	

टिप्पणी: और अधिक विवरणों हेतु वित्त लेखे देखे।

(क) मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 42(i) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार कुल 657.94 करोड़ रुपये में से 493.44 करोड़ रुपये कम हुए।

(ख) भारत सरकार का निर्णय लंबित होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

(ग) विवरण के अभाव में मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

(घ) उत्तराधिकारी राज्यों से निर्णयों/विवरणों के प्राप्त न होने के कारण मध्यप्रदेश में रोककर रखे गये।

(ङ) (i) 63.81 करोड़ रुपए की पुरानी गारंटी निरस्त होने एवं

(ii) 1.50 करोड़ रुपए की पुरानी गारंटी प्राप्त होने के कारण। 2003-04 की 10836.32 करोड़ रुपए की राशियों की तुलना में अंतर ।

परिशिष्ट III

(संदर्भः कंडिका 1.4 पृष्ठ 5)

31 मार्च 2005 को मध्यप्रदेश सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपये में)

31.03.2004 को	देयताएं	31.03.2005 को
18601.89	**आंतरिक ऋण**	**24156.09**
7845.83	ब्याज सहित बाजार कर्जे	9298.91
2.63	ब्याज रहित बाजार कर्जे	2.88
4123.08	अन्य संस्थाओं से कर्ज (स्वशासी निकाय)	5725.06
266.78	अर्थोपाय पेशगियां	--
--	भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	--
6363.57	केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत योजनाओं हेतु जारी विशेष प्रतिभूति	9129.24
9208.75	**केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियां**	**9112.17**
255.31	1984-85 से पूर्व के कर्जे	220.46
299.90	योजनेतर कर्जे	270.97
8500.96	राज्य आयोजनागत योजना हेतु कर्जे	8464.94
36.20	केन्द्रीय आयोजनागत योजना हेतु कर्जे	33.39
116.38	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु कर्जे	122.41
39.00	**आकस्मिक व्यय निधि**	**40.00**
6361.34	**अल्प बचतें, भविष्य निधियां आदि**	**7501.47**
2231.49	**निक्षेप**	**2260.64**
881.86	**आरक्षित निधियां**	**1217.53**
37824.33		**44287.90**

टिप्पणीः मध्यप्रदेश राज्य के पुनर्गठन के निर्धारित दिवस अर्थात 1 नवम्बर 2000 के तत्काल पूर्व के संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के लोक ऋणों को छोड़कर परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के बटवारें को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

31.03.2004 को	परिसम्पत्तियां	31.03.2005 को
21466.32	**स्थाई परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय**	**26417.31**
1737.30	कंपनी, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	4151.65
19729.02	अन्य पूंजीगत परिव्यय	22265.66
2608.42	**कर्जे एवं पेशगियां**	**5866.09**
984.41	विद्युत परियोजनाओं हेतु कर्जे	4195.93
1583.21	अन्य विकास कर्जे	1637.01
40.80	सरकारी कर्मचारियों को कर्जे तथा विविध कर्जे	33.15
--	आरक्षित निधि निवेश	
6.17	**पेशगियां**	**6.29**
457.61	**प्रेषण शेष**	**441.64**
200.65	**उचंत एवं विविध**	**23.29**
94.21	**रोकड़-**	**259.84**
(-)5.18	कोषालयों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	1.90
69.50	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	22.99
11.69	स्थाई नकद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	17.10
18.20	रोकड़ शेष निवेश एवं उद्धिष्ट निधियों का निवेश	217.85
12990.95	**सरकारी लेखे में घाटा**	11273.44
8849.51	(i) अग्रेनीत संचित घाटा	12990.95
4475.76	(ii) चालू वर्ष का राजस्व घाटा	(-) 1716.88
--	**(iii) अन्तर्राज्यीय निपटारा**	--
(-)334.32	(iv) सरकारी लेखे में राशि का संवरण	(-) 0.63 $
37824.33		**44287.90**

$ **छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अन्तरण 0.63 करोड़ रुपए**

33

परिशिष्ट IV

(संदर्भः कंडिका 1.4 पृष्ठ 5)

वर्ष 2004-05 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश

(करोड़ रुपये में)

2003-04			2004-05	2003-04		2004-05		
						योजनेतर	आयोजना	योग
		अनुभागः क राजस्व						
14288.96	I.	-राजस्व प्राप्तियां	19743.25		I. राजस्व व्यय	14861.20	3165.17	18026.37
6788.86		-कर राजस्व	7772.97	6573.58	सामान्य सेवायें	7424.94	43.41	7468.35
				5321.65	सामाजिक सेवायें	3902.12	1770.33	5672.45
1479.82		-कर भिन्न राजस्व	4461.86	2355.34	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	2214.82	337.58	2552.40
				760.83	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	549.84	306.33	856.17
4247.14		-संघ करों का राज्यांश	5076.68	458.75	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास	260.75	218.26	479.01
376.38		-योजनेतर अनुदान	458.82	20.33	सूचना एवं प्रसारण	22.97	0.27	23.24
				876.32	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति/अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	478.09	528.52	1006.61
776.40		-राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1313.75	57.48	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	45.42	12.09	57.51
				781.66	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	319.03	367.28	686.31
620.36		-केन्द्रीय और केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं हेतु अनुदान	659.17	10.94	अन्य	11.20	--	11.20

2003-04			2004-05	2003-04		2004-05		
						योजनेतर	आयोजना	योग
				6278.58	**-आर्थिक सेवायें**	**2797.39**	**1171.52**	**3968.91**
				1148.05	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	822.75	421.02	1243.77
				605.92	ग्रामीण विकास	119.23	584.00	703.23
					-विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--
				270.13	-सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	222.64	77.04	299.68
				3954.34	-ऊर्जा	1424.17	41.77	1465.94
				66.54	-उद्योग एवं खनिज	37.18	40.85	78.03
				190.28	-परिवहन	140.48	--	140.48
				4.07	-विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	1.26	3.57	4.83
				39.25	-सामान्य आर्थिक सेवायें	29.68	3.27	32.95
				590.91	**सहायतानुदान एवं अंशदान**	**736.75**	**179.91**	**916.66**[@]
4475.76	II.	अनुभाग-ख को अग्रनीत राजस्व घाटा	--	--	II-अनुभाग ख को अग्रनीत राजस्व बचत	**1716.88**	--	**1716.88**
18764.72		**योग**	**19743.25**	**18764.72**	**योग**	**16578.08**	**3165.17**	**19743.25**
		अनुभाग-ख						
-91.30	III	स्थाई पेशगियों तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	94.21		III.-भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक अधिविकर्ष	--	--	--
				2678.64	**IV.-पूंजीगत परिव्यय**	**1383.00**	**3567.98**	**4950.98**
	IV	विविध पूंजीगत प्राप्तियां		**36.25**	**-सामान्य सेवायें**	**64.20**	**82.00**	**146.20**
				535.34	**-सामाजिक सेवायें**	**2.36**	**429.24**	**431.60**
				20.43	-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	--	23.58	23.58

@ स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिये गये 27.60 करोड़ रुपए के सहायतानुदान का राजस्व व्यय के स्थानपर 9पूंजीगत व्यय के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण किया गया

2003-04			2004-05	2003-04		2004-05		
						योजनेतर	आयोजना	योग
				38.39	-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.49	42.17	42.66
				361.20	जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगरीय विकास	1.60	240.14	241.74
					-सूचना एवं प्रसारण	--	--	--
				102.99	अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति/अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण	--	109.67	109.67
				12.10	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	0.27	13.28	13.55
				0.23	अन्य सामाजिक सेवायें	--	0.40	0.40
				2107.05	**आर्थिक सेवायें**	**1316.45**	**3056.73**	**4373.18**
				50.20	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	4.02	54.91	58.93
				226.59	ग्रामीण विकास	--	305.03	305.03
				1081.32	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	--	1699.06	1699.06
				328.22	ऊर्जा	1308.28	438.76	1747.04
				8.02	उद्योग एवं खनिज	0.15	9.49	9.64
				407.37	परिवहन	4.00	542.72	546.72
				5.33	सामान्य आर्थिक सेवायें	--	6.76	6.76
		योग		**2678.64**	**योग**	**1383.00**	**3567.98**	**4950.98**

2003-04			2004-05	2003-04		2004-05
35.84	**V**	**कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियाँ**	**53.20**	**204.36**	**V. संवितरित कर्जे एवं पेशगियाँ**	**3310.86**
--		-विद्युत परियोजनाओं से	9.03	126.33	-विद्युत परियोजनाओं के लिये	3220.55
10.30		-सरकारी कर्मचारियों से	7.96	0.66	-सरकारी कर्मचारियों को	0.30
25.54		-अन्य से	36.21	77.37	-अन्य को	90.01
	VI	**अन्तर्राज्यीय निपटारा**	**--**	**--**	**VI. अन्तर्राज्यीय निपटारा**	**--**
	VII	**अधनीत राजस्व बचत**	**1716.88**	**4475.76**	**VII. अधनीत राजस्व घाटा**	**--**
9938.42	**VIII**	**लोक ऋण प्राप्तियां**	**8849.00**	**2275.08**	**VIII. लोक ऋण का प्रतिभुगतान**	**3391.38**
7948.72		-अर्थोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	6967.99	277.85	-अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष के अलावा आंतरिक ऋण	1147.01
1722.92		-केन्द्र सरकार से कर्जे एवं पेशगियाँ	1881.01	1997.23	-केन्द्र सरकार को कर्जे तथा पेशगियों का प्रतिभुगतान	1977.59
266.78		-अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन देन	--	--	-अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय पेशगियों के अधीन निवल लेन देन	266.78
--	**IX**	**आकस्मिक व्यय निधि को विनियोग**	**--**	**--**	**IX. आकस्मिक व्यय निधि को विनियोग**	**---**
0.05	**X**	**आकस्मिक व्यय निधि को अंतरित राशि**	**1.00**	**1.00**	**X. आकस्मिक निधि से व्यय**	**--**
22285.06	**XI**	**लोक लेखा प्राप्तियाँ**	**24790.22**	**22439.02**	**XI. लोक लेखा संवितरण**	**23591.45**
1200.18		-लघु बचते एव भविष्य निधि	1810.50	1108.41	-लघु बचतें एवं भविष्य निधियाँ	1169.75
366.51		-आरक्षित निधियाँ	350.69	11.78	-आरक्षित निधियाँ	15.03
12155.79		-उचंत एंव विविध	13435.69	12425.60	-उचंत एवं विविध	13258.34
4436.76		-प्रेषण	5318.04	4435.12	-प्रेषण	5302.06
4125.82		-जमा एवं पेशगियाँ	3875.30	4458.11	-जमाऐं एवं पेशगियाँ	3846.27
-	**XII**	**भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम अधिविकर्ष**	**--**	**94.21**	**XII. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष**	**259.84**
			--	- 5.18	-कोषालयों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	1.90
			--	69.50	-रिजर्व बैंक में जमा	22.99
			--	11.69	-स्थाई नकद अग्रदाय सहित विभागीय रोकड़ शेष	17.10
			--	18.20	-रोकड़ शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निधि निवेश	217.85
32168.07		**योग**	**55247.76**	**32168.07**	**महायोग**	**55247.76**

परिशिष्ट- V

(संदर्भः कंडिका 1.4 पृष्ठ 5)

निधियों के स्रोत एवं उपयोग

(करोड़ रुपये में)

2002-03		स्रोत	2003-04	
राशि	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत
14288.96	63.69	राजस्व प्राप्तियाँ	19743.25	74.64
35.84	0.16	कर्जे एवं पेशगियों की वसूलियाँ	53.20	0.20
7663.35	34.16	लोक ऋण में वृद्धि	5457.62	20.63
448.14	1.99	लोक लेखे से प्राप्तियाँ	1198.77	4.53
91.78	--	क- अल्प बचतों में वृद्धि	640.75	--
--	--	ख- जमा एवं पेशगियों में वृद्धि	29.03	--
354.73	--	ग- आरक्षित निधियों एवं आरक्षित निधि निवेश में वृद्धि	335.66	--
1.63	--	घ- प्रेषण लेन देनों का प्रभाव	15.97	--
--	--	ड- उचंत एवं विविध में वृद्धि	177.36	--
22436.29	--	**योग**	**26452.84**	--
		उपयोग		
18764.72	83.64	राजस्व व्यय	18026.37	68.14
2678.64	11.94	विकास एवं अन्य उद्देश्यों हेतु उधार देना	4950.98	18.72
204.36	0.91	पूंजीगत व्यय	3310.86	12.52
0.95	--	आकस्मिक निधि लेन देनों का निवल प्रभाव	(-)1.00	(-) 0.01
--		अंतर्राज्यीय निपटारे का निवल प्रभाव	--	--
572.38	2.55	लोक लेखे से उपयोग	--	--
240.09		क- उचंत एवं विविध का निवल प्रभाव	--	--
--		ख- विविध शासकीय लेखे	--	--
332.29		ग- जमा एवं अग्रिमों में कमी	--	--
--		घ- प्रेषण लेन देनों का प्रभाव	--	--
215.24	0.96	अंतिम रोकड़ शेष में वृद्धि	165.63	0.63-
22436.29		**योग**	**26452.84**	

विवरण पत्र 1, 2 एवं 3 की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1. उपरोक्त विवरण पत्रों में दर्शाये गये संक्षिप्त लेखे वित्त लेखे में दी गई टिप्पणियों एवं स्पष्टीकरणों के साथ ही पढ़े जायें।

2. सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण विवरण पत्र 1 में यथादर्शित सरकारी लेखे में घाटा वाणिज्य लेखे में उपार्जित आधार के विपरीत रोकड़ आधार पर स्थिति का सूचक है परिणामतः भुगतान योग्य अथवा प्राप्ति योग्य मदें या भण्डार के आंकड़ों इत्यादि में मूल्यह्रास अथवा भिन्नता जैसी मदें लेखे में नहीं दर्शाई गई हैं।

3. उचंत एवं विविध शेषों में जारी किये गये परन्तु भुगतान नहीं किये गये चेक राज्य की ओर से किये गये 9भुगतान तथा अंतर्विभागीय और सरकारों के मध्य भुगतान एवं अन्य लंबित निपटारे आदि सम्मिलित हैं।

4. स्थानीय निकायों/संस्थाओं को दिया गया 27.60 करोड़ रुपये का सहायतानुदान का योजनेतर राजस्व व्यय के बजाय पूंजीगत (आयोजना) व्यय के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण वर्गीकृत किया गया।

5. "रिजर्व बैंक में निक्षेप" के अंतर्गत लेखे में दर्शाये गये 2298.98 लाख रुपये (विकलन) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित 2104.10 लाख रुपये (विकलन) के आंकड़ों में 194.88 लाख रुपये (विकलन) का अंतर था। जून 2005 का लेखाबंद करने के उपरान्त समाधान किया जाने वाला निवल अंतर 177.36 लाख रुपये (विकलन) का था।

परिशिष्ट VI

(संदर्भः कंडिका 1.4 पृष्ठ 5)

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के समयबद्ध आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

	2000-01			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
	अप्रैल अक्टूबर 2000	नवम्बर 2000-मार्च 2001	योग				
1. राजस्व प्राप्तियाँ	**7136**	**5703**	**12839**	**11211**	**13391**	**14289**	**19743**
(i) कर राजस्व	3225	2415	5640 (44)	4679(42)	6165(46)	6789(48)	7773(39)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	1568	1198	2766 (49)	2361(50)	2906(47)	3293(49)	3913(51)
राज्य आबकारी	674	301	975 (17)	705(15)	890(15)	1086(16)	1193(15)
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	298	179	477 (8)	445(10)	535(9)	614(9)	789(10)
वाहनों पर कर	257	149	406 (7)	393(8)	429(7)	455(6)	489(6)
अन्य कर	428	588	1016(19)	775(17)	1405(22)	1341(20)	1389(18)
(ii) कर भिन्न राजस्व	1020	704	1724 (13)	1602(14)	1635(12)	1480(10)	4462(23)
(iii) संघ करों एवं शुल्कों में राज्यांश	2318	1637	3955 (31)	3439(31)	3729(28)	4247(30)	5077(26)
(iv) भारत सरकार से सहायतानुदान	574	946	1520 (12)	1491(13)	1862(14)	1773(12)	2431(12)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	--	--	--	--	--	--	--
3. कुल राजस्व एवं ऋणेतर पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2)	**7136**	**5703**	**12839**	**11211**	**13391**	**14289**	**19743**
4. कर्जे एवं पेशगियों की वसूली	**(-) 6**	**19**	**13**	**1588**	**43**	**36**	**53**
4 क अंतर्राज्यीय निपटारा				--			
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	**2171**	**930**	**3101**	**3281**	**4949**	**9938**	**8849**
आंतरिक ऋण (अर्धोपाय पेशगियाँ एवं अधिविकर्ष छोड़कर)	1308	568	1876(61)	1830(56)	3169(64)	7949(80)	6968(79)
भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियां[3]	632	362	994(32)	1451(44)	1780(36)	1722(17)	1881(21)
अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष में निवल लेन देन	231	-	231(7)	--	--	267(3)	--
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (3+4+5)	**9301**	**6652**	**15953**	**16080**	**18383**	**24263**	**28645**
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	**7**	**-**	**7**	**--**	**--**	**--**	**1**
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	**9882**	**6638**	**16520**	**15013**	**20120**	**22285**	**24790**
9. सरकार की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	**19190**	**13290**	**32480**	**31093**	**38503**	**46548**	**53436**
10. राजस्व व्यय	**8938**	**6047**	**14985 (91)**	**14369(87)**	**14560(83)**	**18765(87)**	**18026(69)**
आयोजनागत	1217	1466	2683 (18)	2516(18)	3520(24)	2816(15)	3165(18)
योजनेतर	7721	4581	12302 (82)	11853(82)	11040(76)	15949(85)	14861(82)
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	3364	1959	5323 (36)	5049(35)	5445(37)	6574(35)	7468(41)
सामाजिक सेवायें	3639	2197	5836 (39)	4583(32)	5284(36)	5322(28)	5672(32)
आर्थिक सेवायें	1585	1713	3298 (22)	4364(30)	3425(24)	6278(34)	3969(22)
सहायतानुदान एवं अंशदान	350	178	528 (3)	373(3)	406(3)	591(3)	917(5)
11. पूंजीगत व्यय	**524**	**586**	**1110 (7)**	**1471(9)**	**2455(14)**	**2679 (12)**	**4951(19)**
आयोजनागत	518	587	1105(100)	1466(100)	2449(100)	2673(100)	3568(72)
योजनेतर	06	(-) 01	05	05	6	6	1383(28)
सामान्य सेवायें	05	11	16(2)	22(1)	36 (1)	36(1)	146(3)
सामाजिक सेवायें	38	98	136(12)	172(12)	536(22)	535(20)	432(9)
आर्थिक सेवायें	. 481	477	958(86)	1277(87)	1883(77)	2108(79)	4373(88)

- जारी..

[3] भारत सरकार से अर्धोपाय पेशगियां समाविष्ट हैं ।

परिशिष्ट VI (जारी)

(करोड़ रुपये में)

	2000-01			2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
	अप्रैल- अक्टूबर 2000(*)	नवम्बर 2000- मार्च 2001	योग				
12. कर्जे एवं पेशगियों का वितरण	33	263	296(2)	599(4)	481 (3)	204(1)	3311(12)
12 क अंतर्राज्यीय निपटारा	-	-		5-	-	--	--
13. कुल व्यय (10+11+12)	9495	6896	16391	16444	17496	21648	26288
14. लोक ऋण का प्रतिभुगतान	271	547	818	522	1494	2275	3391
- आंतरिक ऋण (अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्ष को छोड़कर)	51	72	123	150	153	278	1147
- अर्थोपाय पेशगियों एवं अधिविकर्षों के अधीन निवल लेनदेन	-	294	294	--	-	--	267
- भारत सरकार से कर्जे एवं पेशगियाँ$	220	181	401	372	1341	1997	1977
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-	-	--	--	-	--	--
196. -समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	9766	7443	17209	16966	18990	23923	29679
17. -आकस्मिकता निधि संवितरण	13	(-) 13	--	--	-	--	--
18. -लोक लेखा संवितरण	9690	6146	15836	13569	19935	22439	23591
19. -सरकार द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	19469	13576	33045	30535	38925	46362	53270
20. -राजस्व घाटा/बचत(+)	1802	344	2146	3158	1169	4476	(+)1717♦
21. -राजकोषीय घाटा (3+4-13)	2365	1174	3539	3645	4062	7323	6492
22. -प्रारंभिक घाटा (21-23)	858	270	1128	1391	1560	4117	2831
भाग- घ - अन्य आंकड़े							
923. - ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1507	904	2411	2254	2502	3206	3661
24. -राजस्व बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)	-	-	347 (5)	204(3)	839 (11)	758[$] (9)	34(0.28)
25. - स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	224	589	813	2304	525	3324	1143
26. -ली गई अर्थोपाय पेशगियाँ/अधिविकर्ष (दिन)	70/9	95/38	165/47	117/172	103/176	200/60	127/00
27. - अर्थोपाय पेशगियाँ/अधिविकर्ष पर ब्याज	6/2	2/1	8/3	11/5	11/7	13/4	4/00
28. -सकल राज्य घरेलू उत्पाद	-		88445(@)	81286(थ)	83011(थ)	101027(थ)	107926[क]
29. -बकाया ऋण (वर्षान्त)	-	22548	22548	26487	30340	37525	44235
30. -बकाया गारंटियाँ (वर्षान्त)	-	-	467	472	585	974	2016
31. - गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	-	-	9673	9701	11572	12131	12507
32. - अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	-	-	185	180	301	453	436
33. - अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	-	-	4983	5589	6459	7447	9031

(थ) *उत्तराधिकारी मध्यप्रदेश राज्य हेतु त्वरित अनुमान।*

(@) *उत्तराधिकारी मध्यप्रदेश राज्य हेतु पूर्ण वर्ष के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनंतिम आंकड़े (73165 करोड़ रुपये) तथा अप्रैल- अक्टूबर 2000 हेतु छत्तीसगढ़ के लिये उसकी आनुपातिक राशि (15280 करोड़ रुपये)।*

(*) *संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में।*

($) *कतिपय प्रमुख राजस्व शीर्षों के राजस्व आंकड़े ,*

(क) *अग्रिम अनुमान*

(♦) *राजस्व बचत से संबंधित राशि*

परिशिष्ट- VII

(संदर्भः कंडिका 1.7.2 पृष्ठ 17)

दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि के विभागवार आंकड़े

क्रम संख्या	मुख्यशीर्ष एवं विभाग का नाम	प्रकरणों की संख्या	राशि (रुपयो में)	संवर्ग	अभ्युक्तियाँ
1.	2210- चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	133	1,19,24,177.80	दुर्विनियोग व्यपहरण हानियाँ आदि	
2.	2245- प्राकृतिक आपदाएं तथा सहायता	2	46,83,536.05	-------"-------	
3.	2051- लोक सेवा आयोग	1	23109.71	-------"-------	
4.	2040- विक्रय कर	1	85518.50	-------"-------	
5.	2014- न्याय प्रशासन	8	692086.01	-------"-------	
6.	2054- कोषालय एवं लेखे (वित्त विभाग)	10	3299026.50	-------"-------	
7.	2029- भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त	16	602702.29	-------"-------	
8.	2053- वित्त तथा सामान्य प्रशासन	9	348291.94	-------"-------	
9.	2058- मुद्रण तथा लेखन सामग्री	1	66739.00	-------"-------	
10.	2211- परिवार कल्याण विभाग	19	710520.00	-------"-------	
11.	2853- अलौह खनन	03	57179.00	-------"-------	
12.	2403- पशुपालन विभाग	24	1284424.06	-------"-------	
13.	2225- अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिमजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण	51	2522661.51	हानियां/दुर्निविनियोग	
14.	2030- मुद्रांक तथा पंजीयन	1	95980.00	-------"-------	
15.	2055- पुलिस	196	7151435.33	हानियाँ	
16.	2041- परिवहन	1	563756.00	दुर्विनियोग, व्यपहरण हानियाँ आदि	
17.	2235- पंचायत तथा समाज कल्याण	6	155254.15	-------"-------	
18.	2235- महिला एवं बाल कल्याण	9	451623.00	-------"-------	
19.	2235- पुनर्वास विभाग	5	30460.49	-------"-------	
20.	2401- कृषि विभाग	26	1076632.88	-------"-------	
21.	2402- कृषि विभाग	9	194991.55	अन्य	
22.	2851- ग्रामोद्योग	3	287287.40	-------"-------	
23.	2230- श्रम	9	787647.00	-------"-------	
24.	2039- राज्य उत्पाद कर	12	480303.72	-------"-------	
25.	2408- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	2	53457.35	-------"-------	
26.	2425- सहकारिता	2	111774.00	-------"-------	
27.	2202- स्कूल शिक्षा विभाग	123	5062451.11	दुर्विनियोग	
28.	2202- उच्च शिक्षा विभाग	14	1092057.65	-------"-------	
29.	2203- तकनीकी शिक्षा विभाग	5	885115.00	-------"-------	
30.	2205- कला एवं संस्कृति विभाग	2	1337117.70	-------"-------	
31.	2405- मछली पालन विभाग	1	60600.00	दुर्विनियोग व्यपहरण हानियाँ आदि	
32.	2501, 2505, 2515 ग्रामीण विकास विभाग	13	734039.77	-------"-------	
33.	2217-नगरीय विकास विभाग	1	2000.00		
34.	2852- उद्योग	1	103000.00		

परिशिष्ट VIII

(संदर्भ कंडिका 1.7.2 पृष्ठ 17)

दुर्विनियोग, व्यपहरण इत्यादि के विभागवार/वर्षवार विवरण

(राशि रुपयों में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	मार्च 2001 तक		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		कुलयोग	
			प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	133	11924177.80	--	--	--	--	--	--	--	--	133	11924177.80
2.	2245	प्राकृतिक आपदाएं तथा सहायता	2	4683536.05	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4683536.05
3.	2051	लोक सेवा आयोग	1	23109.71	--	--	--	--	--	--	--	--	1	23109.71
4.	2040	विक्रय कर	1	85518.50	--	--	--	--	--	--	--	--	1	85518.50
5.	2014	न्याय प्रशासन	7	322536.20	1	369549.81	--	--	--	--	--	--	8	692086.01
6.	2054	कोषालय एवं लेखे (वित्त विभाग)	10	3299026.50	--				--	--	--	--	10	3299026.50
7.	2029	भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त	16	602702.29	--	--	--	--	--	--	--	--	16	602702.29
8.	2053	वित्त तथा सामान्य प्रशासन	8	236791.14	--	--	--	--	1	111500.80	--	--	9	348291.94
9.	2058	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	1	66739.00	--	--	--	--	--	--	--	--	1	66739.00
10.	2211	परिवार कल्याण विभाग	19	710520.00	--	--	--	--	--	--	--	--	19	710520.00
11.	2853	अलौह खनन	--	--	1	30579.00	--	--	1	23600.00	1	3000.00	3	957179.00

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	मार्च 2001 तक		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		कुलयोग	
			प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
12.	2403	पशुपालन विभाग	14	1116683.43	1	609.00	2	34616.63	--	--	7	132515.00	24	1284424.06
13.	2225	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण	51	2522661.51	--	--	--	--	--	--	--	--	51	2522661.51
14.	2030	मुद्रांक एवं पंजीयन	1	95980.00	--	--	--	--	--	--	--	--	1	95980.00
15.	2055	पुलिस	116	4303968.83	35	1127580.00	34	1029234.50	5	403601.00	6	287051.00	196	7151435.33
16.	2041	परिवहन	1	563756.00	--	--	--	--	--	--	--	--	1	563756.00
17.	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	19	506235.64	--	--	--	--	--	--	1	131102.00	20	637337.64
18.	2401	कृषि विभाग	17	519622.88	--	--	2	99292.00	3	266878.00	4	190840.00	26	1076632.88
19.	2402	कृषि विभाग	6	96103.55	1	5388.00	1	90000.00	1	3500.00	--	--	9	194991.55
20.	2851	ग्रामोद्योग	2	282287.40	--	--	--	--	1	5000.00	--	--	3	287287.40
21.	2230	श्रम	5	717427.00	--	--	1	13000.00	1	43905.00	2	13315.00	9	787647.00
22.	2039	राज्य आबकारी	8	441243.72	2	30431.00	2	8629.00	--	--	--	--	12	480303.72
23.	2408	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	52357.35	--	--	--	--	--	--	1	1100.00	2	53457.35
24.	2425	सहकारिता	2	111774.00	--	--	--	--	--	--	--	--	2	111774.00
25.	2202	स्कूल शिक्षा विभाग	109	3394706.11	3	469563.00	9	746603.00	2	451579.00	--	--	123	5062451.11
26.	2202	उच्च शिक्षा विभाग	12	1082082.65	--	--	1	6430.00	--	--	1	3545.00	14	1092057.65

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	मार्च 2001 तक		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05		कुल योग	
			प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
27.	2203	तकनीकी शिक्षा विभाग	--	--	3	223651.00	--	--	2	661464.00	--	--	5	885115.00
28.	2205	कला एवं संस्कृति विभाग	1	1312117.70	--	--	--	--	--	--	1	25000.00	2	1337117.70
29.	2405	मछली पालन विभाग	--	--	--	--	--	--	1	60600.00	--	--	1	60600.00
30.	2501, 2505, 2515	ग्रामीण विकास विभाग	11	594008.77	1	7031.00	1	133000.00	--	--	--	--	13	734039.00
31.	2217	नगरीय विकास विभाग	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2000.00	1	2000.00
32	2852	उद्योग	--	--	--	--	--	--	--	--	1	103000.00	1	103000.00
		योग	**574**	**39667673.73**	**48**	**2264381.81**	**53**	**2160805.13**	**18**	**2031627.80**	**26**	**892468.00**	**719**	**47016956.47**

9 परिशिष्ट IX

(संदर्भ कंडिका 1.7.3 पृष्ठ 17)

हानियों का अपलेखन आदि

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	विभाग	प्रकरणों की संख्या	राशि (रुपयों में)
1.	2039	राज्य आबकारी	1	30000.00
2.	2055	पुलिस	27	463290.00
3.	2202	स्कूल शिक्षा	18	132226.08
4.	2202	उच्च शिक्षा	8	185395.94
5.	2230	श्रम	2	119474.76
6.	2235	पंचायत एवं समाज कल्याण	1	8412.70
7.	2401	कृषि	1	3241.00
8.	2403	पशुपालन	3	10166.95
9.	2405	मत्स्यपालन	1	2723.09
10.	2408	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1	6062.50
11.	2501, 2505, 2515	ग्रामीण विकास	2	187442.00
12.	2851	ग्रामोद्योग	3	67400.00
13.	2853	खनिकर्म	2	29344.00
		योग	**70**	**1245179.67**

परिशिष्ट - X

(संदर्भ कंडिका 1.8.3 पृष्ठ 18)

9 वित्तीय वर्ष 2004-05 के 31 मार्च के अंत में हानि में चल रहे सांविधिक निगमों/सरकारी कंपनियों की 12.08.2005 को वित्तीय स्थिति

क्रम संख्या	कंपनी/निगम का नाम	वर्ष के अंत में निवेश की गई (प्रदत्त पूंजी) राशि				वर्ष के 31 मार्च के अंत में संचित हानि (-)	वर्ष जब तक के लेखे प्रस्तुत किए गए
		राज्य	केन्द्र	अन्य	योग		
		(लाख रुपए में)					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
क	कंपनियां						
1.	मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम मर्यादित भोपाल	209.50	120.00	-	329.50	(-)32.15	2001-02
2.	मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरधा विकास निगम मर्यादित भोपाल	1.70	52.00	72.46	126.16	(-)208.63	2000-01
3.	मध्य प्रदेश पुलिस केन्द्र विकास निगम मर्यादित भोपाल	600.00	--	--	600.00	(-)94.68	2002-03
4.	मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) मर्यादित रीवा	--	--	80.00	80.00	(-)498.68	2002-03
5.	मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित भोपाल	8109.18	--	--	8109.18	(-)64867.91	2003-04
ख	निष्क्रिय कंपनियां						
6.	मध्य प्रदेश उद्वहन सिंचाई निगम मर्यादित भोपाल	592.29	--	--	592.29	(-)629.73	1992-93
7.	ऑप्टेल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड रायसेन	--	--	1500.00 896.71 (निजी अंशधारक)	2396.71	(-)6480.94	2002-03
8.	मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल	1511.67	--	--	1511.67	(-)4883.39	2002-03
9.	मध्य प्रदेश राज्य वस्त्रोद्योग निगम मर्यादित भोपाल	685.95	--	--	685.95	(-)10021.06	2003-04

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
10.	मध्य प्रदेश राज्य सेतु निगम मर्यादित भोपाल	500.00	--	--	500.00	(-)205.04	1989-90
ग	**619- ख**						
11.	मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र निगम मर्यादित भोपाल	126.00	24.00	--	150.00	(-)378.00	1989-90
घ	**सांविधिक निगम**						
12.	मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मण्डल	16961.71	--	--	16961.71	(-)236139.10	2003-04
13.	मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम	14140.34	4096.38	--	18236.72	(-)73589.50	2003-04
14.	मध्य प्रदेश वित्त निगम	6253.91	--	2554.45	8808.36	(-)22193.56	2004-05
	योग	**49692.25**	**4292.38**	**5103.62**	**59088.25**	**(-)420222.37**	

टिप्पणी 1. इस भाग द्वारा अंतिम रूप दिये गये प्रमाणित लेखाओं के उपरांत ही अद्यतन स्थिति नहीं दी जा सकती क्योंकि इस भाग में अनन्तिम लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।

परिशिष्ट XI

(संदर्भ कंडिका 2.3.1, पृष्ठ क्रमांक 29)

वे प्रकरण जिनमें व्यय एक करोड़ रुपए से अधिक कम तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक कम रहा।

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान	बचत राशि (प्रावधान का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
	क-राजस्व-दत्तमत		
1	01-सामान्य प्रशासन	122.89	28.52(23.2)
2	04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	10.49	1.96(18.7)
3	06-वित्त	1591.92	208.45(13.1)
4	07-वाणिज्यिक कर	358.65	59.93(16.7)
5	08-भूराजस्व एवं जिला प्रशासन	351.41	54.41(15.5)
6	11-वाणिज्य एवं उद्योग	45.93	7.06(15.4)
7	13-कृषि	329.16	56.44(17.1)
8	15-अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राजसंस्थाओं को वित्तीय सहायता	265.35	36.73(13.8)
9	16-मछलीपालन	12.27	1.64(13.4)
10	17-सहकारिता	46.43	10.74(23.1)
11	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	618.06	91.44(14.8)
12	21-आवास एवं पर्यावरण	44.19	11.63(26.3)
13	22-नगरीय प्रशासन एवं विकास नगरीय निकाय	4.13	1.24(30.0)
14	25-खनिज संसाधन	10.40	2.59(24.9)
15	26-संस्कृति	18.17	1.83(10.1)
16	28-राज्य विधान मण्डल	23.03	2.93(12.7)
17	29-विधि एवं विधायी कार्य	223.28	79.24(35.5)
18	31-योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी	25.97	8.78(33.8)
19	36-परिवहन	28.48	16.60(58.3)
20	40-जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-कमान क्षेत्र विकास	2.29	1.26(55.0)
21	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	595.27	73.03(12.3)
22	44-उच्च शिक्षा	332.19	37.38(11.3)
23	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	52.91	10.83(20.5)
24	48-नर्मदा घाटी विकास	11.04	7.03(63.7)
25	49-अनुसूचित जाति कल्याण	43.03	5.18(12.0)
26	51-धार्मिक न्यास एवं धर्मादा	9.81	2.08(21.2)
27	52-कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	6.18	1.30(21.0)
28	53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	13.26	2.94(22.2)
29	55-महिला एवं बाल विकास	333.24	102.36(30.7)
30	58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	241.70	139.95(57.9)
31	61-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना	24.67	13.96(56.6)
32	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना	366.46	82.96(22.6)
33	68-ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन - पंचायत	55.91	8.12(14.5)
34	71-जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी	2.20	1.39(63.2)
35	72-गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	28.28	5.73(20.3)
36	74-वित्त विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5.00	5.00(100)
37	78-नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5.85	5.85(100)
38	83-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना को वित्तीय सहायता - नगरीय निकाय	8.83	1.78(20.2)

(1)	(2)	(3)	(4)
39	87-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	3.34	1.55(46.4)
40	88-ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन - न्यायिक	4.61	2.55(55.3)
41	93-त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	74.07	69.07(93.2)
42	95-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	440.33	79.07(18.0)
	योग (क)	**6790.68**	**1342.53**
	ख-राजस्व-भारित		
43	01-सामान्य प्रशासन	7.12	1.24(17.4)
44	06-वित्त	2.65	2.18(82.3)
45	08-भूराजस्व एवं जिला प्रशासन	1.19	1.00(84.0)
	योग (ख)	**10.96**	**4.42**
	ग-पूंजीगत दत्तमत		
46	07-वाणिज्यिक कर	1.51	1.23(81.5)
47	11-वाणिज्य एवं उद्योग	8.56	1.80(21.0)
48	14-पशुपालन	4.83	4.83(100)
49	17-सहकारिता	40.22	18.30(45.5)
50	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	114.30	19.72(17.3)
51	21-आवास एवं पर्यावरण	59.77	15.00(25.1)
52	23-जल संसाधन विभाग	671.34	84.05(12.5)
53	24-लोक निर्माण कार्य - सड़कें एवं पुल	443.35	70.41(15.9)
54	27-स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	10.06	3.69(36.7)
55	36-परिवहन	14.00	4.90(35.0)
56	37-पर्यटन	13.03	6.26(48.0)
57	39-खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	26.92	16.38(60.8)
58	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	742.30	150.73(20.3)
59	42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	103.00	48.75(47.3)
60	45-लघु सिंचाई निर्माण कार्य	38.23	20.02(52.4)
61	55-महिला एवं बाल कल्याण	24.59	11.46(46.6)
62	57-जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	91.90	16.00(17.4)
63	64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना	237.92	83.57(35.1)
64	67-लोक निर्माण कार्य-भवन	69.74	32.14(46.1)
65	75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	160.50	28.80(17.9)
66	76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित नाबार्ड एवं विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	242.01	150.37(62.1)
67	85-ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन का स्तरोन्नयन - पुलिस	6.62	3.91(59.1)
68	87-तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	6.65	3.24(48.7)
69	93-त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	74.07	69.07(93.2)
70	94-सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय	45.00	14.36(31.9)
	योग - (ग)	**3250.42**	**878.99**
	घ- पूंजीगत - भारित		
71	- लोक ऋण	11641.25	6015.13(51.7)
	योग - (घ)	**11641.25**	**6015.13**
	महायोग (क+ख+ग+घ)	**21693.31**	**8241.07(38)**

परिशिष्ट XII

(संदर्भ कंडिका 2.3.1, पृष्ठ क्रमांक 30)

प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत संपूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखाशीर्ष	अप्रयुक्त बजट प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
	क - केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं		
1	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-102-0701-8219- कम्प्यूटर की स्थापना	1.49
2	20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	4215-01-800-0701-693- उपकरण एवं संयंत्र	1.18
3	24-लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	5054-03-337-0701-4336- राज्य में सड़कों का निर्माण-राज्य राजमार्ग	54.18
4	24-लोक निर्माण कार्य - सड़कें एवं पुल	5054-04-337-0701-6651- रेल ओव्हरब्रिज का निर्माण	2.60
5	41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिवासी कल्याण विभाग 4225-02-796-800-0702-6521- आदिवासी संग्रहालय भवन	1.91
6	43-खेल एवं युवा कल्याण	2204-103-0701-8841- मूलभूत सुविधाओं का विकास-स्टेडियम आदि	1.28
7	48-नर्मदा घाटी विकास	2405-109-0701-3313- मछलीपालन वर्द्धन	1.51
8	48-नर्मदा घाटी विकास	4701-80-800-0701-7434- नर्मदा नदी के तालाबों में जलमार्ग परिवहन की व्यवस्था	1.00
9	64-अनुसूचित जातियो हेतु विशेषांश योजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग- 4225-01-789-277-0703-5220- महाविद्यालय छात्रावास	1.72
10	81-नगरीय निकायों को वितीय सहायता	2215-01-192-0701-7885- संशोधित नगरीय जल आपूर्ति योजना	1.00
11	95-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	2202-02-109-0701-4196- कक्षा परियोजना के अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था	13.00
		योग -क	**80.87**
	ख-केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएं		
12	11-वाणिज्य एवं उद्योग	2852-80-800-0801-705- औद्योगिक क्षेत्र/संस्थाओं में विकास एवं निर्माण कार्य	2.70
13	18-श्रम	2230-01-101-0801-5019- मंडियों में कार्यरत हम्मालों हेतु आवास योजना	1.05
14	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-800-0801-1801- टी सी ए कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री एवं सजावट की लागत	10.17
15	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-2498- पारंपरिक गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	10.00
16	19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	32211-800-0801-6106- विश्वव्यापी टीकाकरण	15.00
17	27-स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-102-0801-6344- मदरसों का आधुनिकीकरण	6.41
18	55-महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0801-8687- बालिका समृद्धि योजना	6.00
19	55-महिला एवं बाल विकास	2236-02-101-0801-7098- राष्ट्रीय पूरक पोषाहार मिशन	2.95
		योग - (ख)	**54.28**
		महायोग (क+ख)	**135.15**

परिशिष्ट XIII

(संदर्भ कंडिका 2.3.1, पृष्ठ क्रमांक 30)

योजनाओं के अंतर्गत प्रचुर आधिक्यों वाले प्रकरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	योजनाओं का नाम	आधिक्य की राशि	आधिक्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5
	क-राजस्व दत्तमत			
1	08- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029-102-2503- बंदोवस्त सर्वेक्षण एवं भूअभिलेख संकार्य	6.79	135
2	23- जल संसाधन विभाग	2701-80-799-0101-1051- भण्डार	8.24	164.8
3	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिवासी कल्याण विभाग 2225-02-796-800-0102-8011- सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रोत्साहन	5.00	सांकेति प्रावधान
4	44- उच्च शिक्षा	2202-03-104-0101-7043- महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय आधार पर भरने हेतु लोक सहभागिता समितियों को अनुदान	5.40	5403.9
5	58- प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-7102- तहसीलदारों के माध्यम से राहत निर्माण कार्यो का कार्यान्वयन	9.59	570.4
6	58- प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-02-101-2018- नकद सहायता	24.61	447.4
7	58- प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-80-800-8030- पुनर्स्थापना एवं अन्य निर्माण कार्यो हेतु अनुदान	10.02	167.8
8	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-800-0103-4722- अनुसूचित जाति कॉलोनियों का विकास	5.88	117.6
9	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	2059-80-799-1051- भण्डार	8.76	109.5
10	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	2216-80-001-2300- निदेशन एवं प्रशासन (अनुदान संख्या 67 मुख्यशीर्ष 2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना प्रभार का आनुपातिक अंश	11.49	18738.7
		योग (क)	**95.78**	
	ख - राजस्व भारित			
11	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-01-101-6767- 5.85% मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2015	40.36	313.6
12	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-60-701-4192- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)	30.75	332.5
13	ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-60-701-4209- शासकीय कर्मचारी परिवार हित (कल्याण निधि पर ब्याज)	35.31	149
		योग (ख)	**106.42**	

1	2	3	4	5
	(ग) पूंजीगत दत्तमत			
14	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4210-02-103-0101-4143- आधारभूत सेवाओं हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	8.74	181.9
15	24- लोक निर्माण कार्य -सड़कें एवं पुल	5054-03-337-0101-4336- राज्य में सड़कों का निर्माण राज्य राजमार्ग	41.69	416.9
16	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिवासी कल्याण विभाग 4202-04-796-106-0802-8846- पुरातत्वीय संग्रहालय का उन्नयन एवं विकास (अनुच्छेद 275(1))	5.92	591530
17	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिवासी कल्याण विभाग 4225-02-796-277-0802-8848- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय भवनों का निर्माण (अनुच्छेद 275(1))	6.53	652970
18	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4515-800-1201-5853- डी.पी.आई.पी.योजना	47.00	प्रावधान-निरंक
		योग (ग)	**109.88**	
		महायोग (क+ख+ग)	**312.08**	

परिशिष्ट XIV

(संदर्भ कंडिका 2.3.1, पृष्ठ क्रमांक 30)

योजनाओं के अंतर्गत प्रचुर बचतों वाले प्रकरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	योजना का नाम	बचत राशि	बचत का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	क- राजस्व - दत्तमत			
1	3- पुलिस	2070-107-7867- नगर सेना का आधुनिकीकरण	5.30	100
2	6- वित्त	2070-800-6409- स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु एकमुश्त प्रावधान	10.00	100
3	6- वित्त	2070-800-7738- पेंशन पर राहत	62.40	100
4	6- वित्त	2071-01-102-9998- परवर्ती मध्यप्रदेश राज्य हेतु	24.35	93.6
5	6- वित्त	2071-01-102-9999- संयुक्त मध्यप्रदेश राज्य हेतु	95.68	95.7
6	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-06-800-0801-1801- टी.सी.ए कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री एवं सजावट की लागत	10.17	100
7	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2221-800-0801-2498- पारंपरिक गर्भनिरोधकों की आपूर्ति	10.00	100
8	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2211-800-0801-6106- विश्वव्यापी टीकाकरण	15.00	100
9	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0101-2498- पारंपरिक गर्भ निरोधकों की आपूर्ति	10.00	100
10	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0101-4245- मलेरिया	10.00	100
11	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3606-237-0101-6106- विश्वव्यापी टीकाकरण	15.00	100
12	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215-01-799-001- भण्डार	6.60	82.5
13	23- जल संसाधन विकास	2701-80-001-0101-3556- मुख्यालय स्थापना इकाई -I	7.26	100
14	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-001-3491- माध्यमिक विद्यालय	15.43	100
15	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-101-0101-7419- राष्ट्रीय कन्या प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम हेतु राजीव गांधी मिशन को अनुदान	8.77	100
16	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	2202-01-102-0801-6344- मदरसों का आधुनिकीकरण	6.41	100
17	36- परिवहन	2041-001-7638- स्मार्टकार्ड योजना	12.75	100
18	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिवासी कल्याण विभाग 2225-02-794-0602-5313- आदिवासी क्षेत्र में स्थानीय विकास कार्यक्रम	6.14	97.4
19	55- महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0801-8687- बालिका समृद्धि योजना	6.00	100
20	55- महिला एवं बाल विकास	2236-02-101-0801-8743- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	49.38	82.3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	58- प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-01-101-8874- सूखाराहत एवं रोजगार हेतु अतिरिक्त प्रावधान	80.80	89.8
22	58- प्राकृतिक आपदा एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	2245-05-101-475- आरक्षित निधि एवं जमा लेखे को अंतरण-प्राकृतिक आपदा अव्ययित मार्जिन मनी निधि-सूखा राहत निधि	76.13	100
23	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना	55- अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 2225-01-789-277-0803-5204- अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिवासी विद्यार्थियों की योग्यता में उन्नयन	8.75	84.8
24	68- ग्यारहवे वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तर का उन्नयन-पंचायत	2515-101-0101-1560- कम्प्यूटरीकरण एवं डाटाबेस की तैयारी हेतु स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	6.29	100
25	74- वित्त विभाग से संबंधित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2052-091-0101-8451- राज्य पुनर्गठन निधि की स्थापना (राज्य पुनः प्रवर्तन निधि)	5.00	100
26	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210-05-105-4968- चिकित्सा महाविद्यालय	5.39	95.5
27	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202-01-103-8403- आधारभूत न्यूनतम सेवा हेतु शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान	42.66	99.9
28	93- त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	2801-02-800-0101-8729- त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को सहायता	69.07	93.3
29	95 स्कूल शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर) से संबंधित अन्य व्यय	2202-02-105-0701-3504- विकलांग बच्चों हेतु एकीकृत शिक्षा योजना	38.98	91.2
30	95- स्कूल शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर) से संबंधित अन्य व्यय	2202-02-109-0701-4196- शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा परियोजना के अंतर्गत कम्प्यूटर की व्यवस्था	13.00	100
		योग (क)	**732.71**	
	ख - राजस्व भारित			
31	-- ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवा	2049-01-101-7887- 5.85% मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2017	46.80	100
		योग - (ख)	**46.80**	
32	06- वित्त	6075-800-6788- सरकारी उपक्रमों एवं अधीनस्थ संस्थानों द्वारा जारी एस.एल.आर.बांडों के निपटारे हेतु प्रावधान	5.00	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ग- पूंजीगत दत्तमत			
33	12- ऊर्जा	6801-800-0101-2967- विद्युत मंडल को अन्य ऋण	12.51	100
34	17- सहकारिता	4425-107-0101-2759- मुख्य भूमि विकास बैंकों की अंशपूजी में निवेश	15.05	312.4*
35	23- जल संसाधन विभाग	4701-01-215-0101-2884- नहर एवं संबद्ध निर्माण कार्य	6.49	86.6
36	23- जल संसाधन विभाग	4701-03-800-0101-2304- निदेशन एवं प्रशासन	22.01	100
37	24- लोक निर्माण कार्य- सड़कें एवं पुल	5054-03-337-0701-4336- राज्य में सड़कों का निर्माण राज्य राजमार्ग	54.18	100
38	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	25- आदिवासी कल्याण विभाग 4225-02-796-102-0802-7881- आदिवासी उपयोजना क्षेत्र(अनुच्छेद-275 (I))में विविध विकास कार्य	43.25	89.1
39	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	27- नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701-01-796-235-0102-9091- ओंकारेश्वर परियोजना	47.01	92.1
40	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	4702-800-0101-2304- निदेशन एवं प्रशासन	19.40	100
41	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4701-01-249-1201-7049- जल क्षेत्र सीमाबंधक	9.38	93.9
42	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	4702-101-0101-2304- निदेशन एवं प्रशासन	9.30	100
43	76- लोक निर्माण विभाग से संबंधित नाबार्ड एवं विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	5054-03-337-1201-7085- सड़क निर्माण कार्य (ए.डी.बी.)	119.78	97.4
44	78- नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजना	4801-01-203-0101-6401- इंदिरा सागर नहर तलहटी पावर हाऊस	8.04	98.2
45	93- त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	6801-800-0101-8729- त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल को सहायता	69.07	93.3
		योग (ग)	**440.47**	
	घ - पूंजीगत - भारित			
46	-- लोकऋण	6003-110-779- कमी को पूरा करने हेतु अग्रिम	2500.00	100
		योग - घ	**2500.00**	
			3719.98	

* ऋणात्मक व्यय के कारण

परिशिष्ट XV

(संदर्भ कंडिका 2.3.2, पृष्ठ क्रमांक 30)

सतत बचतों के प्रकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	बचत की राशि (बचत का प्रतिशत कोष्ठक में)		
		2002-03	2003-04	2004-05
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	क - राजस्व			
1.	17- सहकारिता	14.19(29)	16.90(34.3)	10.74(23.1)
2	25- खनिज संसाधन	1.79(20.8)	2.80(29)	2.59(24.9)
3	29- न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	48.64(33.4)	60.11(32.3)	79.24(35.5)
4	40- जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-कमान क्षेत्र विकास विभाग	3.56(69)	3.51(69)	1.26(55.1)
5	48- नर्मदा घाटी विकास	3.81(45.7)	3.97(43.1)	7.03(63.7)
6	51- धार्मिक न्यास एवं धर्मादा	1.12(20.7)	2.10(20.8)	2.08(21.2)
7	52- कृषि विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	1.93(37.1)	1.29(24.7)	1.30(21.0)
8	55- महिला एवं बाल विकास	69.99(23.8)	89.74(27.9)	102.36(30.7)
9	64- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना	70.55(22)	118.07(29.4)	82.96(22.6)
10	72- गैस त्रासदी एवं पुनर्वास राहत व्यय	16.51(45.2)	18.32(47.1)	5.73(20.3)
11	74- वित्त विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	56.72(37.8)	22.17(100)	5.00(100)
12	88- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन - न्याय प्रशासन	3.05(64.1)	3.18(65.8)	2.55(55.3)
13	93- त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	48.24(77.6)	28.98(55.2)	69.07(93.3)
	ख - पूंजीगत दत्तमत			
14	07- वाणिज्यिक कर	4.30(23.6)	6.38(62.9)	1.23(81.5)
15	11- वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	3.80(23.6)	12.00(68.2)	1.80(21)
16	17- सहकारिता	22.63(56.5)	53.53(48.3)	18.30(45.5)
17	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	7.68(47.4)	14.13(100)	3.69 (36.7)
18	39- खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	6.36(20.5)	19.26(48.1)	16.38(60.8)
19	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	46.04(47.4)	34.85(36.1)	48.75(47.3)
20	55- महिला एवं बाल कल्याण	1.36(87.2)	14.42(55.7)	11.46(46.6)
21	64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना	58.48(28.3)	39.88(21.3)	83.57(35.1)
22	67- लोक निर्माण कार्य - भवन	37.95(68.6)	29.94(54.6)	32.14(46.1)
23	85- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन - पुलिस	1.78(52.7)	3.96(41.7)	3.91(59.2)
24	93- त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	48.24(77.6)	28.98(55.2)	69.07(93.3)

परिशिष्ट XVI

(संदर्भ कंडिका 2.3.5, पृष्ठ क्रमांक 32)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संख्या	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क - राजस्व दत्तमत				
1.	01- सामान्य प्रशासन	119.41	3.48	94.36	28.53
2.	03- पुलिस	1029.97	22.69	970.28	82.38
3.	04- गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	10.14	0.35	8.53	1.96
4.	07- वाणिज्यिक कर	347.74	10.91	298.72	59.93
5.	08- भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	351.34	0.08	297.01	54.41
6.	09- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	23.03	0.79	21.93	1.89
7	11- वाणिज्य एवं उद्योग	44.10	1.82	38.86	7.06
8.	13- कृषि	287.57	41.59	272.72	56.44
9.	14- पशुपालन	157.67	1.80	147.89	11.58
10.	15- अनुसूचित जाति हेतु विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं को वित्तीय सहायता	252.85	12.50	228.62	36.73
11.	17- सहकारिता	45.87	0.56	35.69	10.74
12.	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	616.56	1.50	526.63	91.43
13.	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	245.06	16.04	240.43	20.67
14.	26- संस्कृति	17.59	0.57	16.33	1.83
15.	28- राज्य विधान मंडल	22.90	0.13	20.10	2.93
16.	29- विधि एवं विधायी कार्य	222.79	0.49	144.04	79.24
17.	32- जनसंपर्क	39.96	1.46	39.79	1.63
18.	33- आदिमजाति कल्याण	444.90	2.24	425.89	21.25
19.	34- समाज कल्याण	22.02	0.37	21.45	0.94
20.	37- पर्यटन	4.94	0.03	4.45	0.52
21.	39- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	75.68	1.13	71.38	5.43
22.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	570.25	25.01	522.23	73.03
23.	44- उच्च शिक्षा	332.03	0.16	294.81	37.38
24.	46- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	3.09	0.06	3.03	0.12
25.	47- तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण	111.94	0.13	103.10	8.97
26.	48- नर्मदा घाटी विकास	10.47	0.57	4.01	7.03
27.	49- अनुसूचित जाति कल्याण	42.11	0.92	37.85	5.18

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28	55- महिला एवं बाल कल्याण	320.91	12.33	230.89	102.35
29.	62- पंचायत	45.87	0.68	44.60	1.95
30.	63- अल्प संख्यक कल्याण	2.27	0.09	2.04	0.32
31	64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना	348.35	18.11	2 83.50	82.96
32.	66- पिछड़ा वर्ग कल्याण	57.68	0.19	54.85	3.02
33.	68- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-पंचायत	51.54	4.37	47.80	8.11
34.	72- गैस दुर्घटना राहत एवं पुनर्वास	27.70	0.58	22.55	5.73
35	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग	183.49	13.37	178.08	18.78
36	82- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं	386.99	18.55	374.65	30.89
37.	88- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों को उन्नयन - न्याय प्रशासन	4.54	0.07	2.06	2.55
	योग (क)	**6881.32**	**215.72**	**6131.15**	**965,89**
	ख - राजस्व				
38	01- सामान्य प्रशासन	6.65	0.47	5.88	1.24
39	06- वित्त	1.79	0.86	0.47	2.18
40	08- भूराजस्व एवं जिला प्रशासन	1.17	0.02	0.19	1.00
41	10- वन	13.25	0.12	13.11	0.26
42	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	1.00	0.21	0.63	0.58
	योग (ख)	**23.86**	**1.68**	**20.28**	**5.26**
	ग - पूंजीगत दत्तमत				
43	11- वाणिज्य एवं उद्योग	8.46	0.10	6.76	1.80
44	17- सहकारिता	35.50	4.72	21.92	18.30
45	21- आवास एवं पर्यावरण	53.85	5.92	44.77	15.00
46	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	386.57	56.78	372.94	70.41
47	36- परिवहन	10.00	4.00	9.10	4.90
48	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	95.77	7.23	54.25	48.75
49	48- नर्मदा घाटी विकास	2668.63	94.23	2489.02	273.84
50	76- नाबार्ड एवं लोक निर्माण कार्य से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना	195.21	46.80	91.64	150.37
	योग - (ग)	**3453.99**	**219.78**	**3090.40**	**583.37**
	महायोग (क+ख+ग)	**10359.17**	**437.18**	**9241.83**	**1554.52**

परिशिष्ट XVII

(संदर्भ कंडिका 2.3.5, पृष्ठ क्रमांक 32)

प्रकरण जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुए

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क - राजस्व - दत्तमत				
1.	02- सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	17.14	1.15	17.17	1.12
2.	10- वन	472.82	30.77	476.34	27.25
3.	12- ऊर्जा	951.19	500.52	1438.36	13.35
4.	18- श्रम	42.50	3.78	43.05	3.23
5.	21- आवास एवं पर्यावरण	28.16	16.03	32.56	11.63
6.	23- जल संसाधान विभाग	259.68	7.25	264.22	2.71
7.	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	1212.01	240.85	1395.43	57.43
8	30- ग्रामीण विकास	71.24	137.49	203.83	4.90
9	43- खेल एवं युवा कल्याण	7.69	2.25	9.09	0.85
10	56- ग्रामोद्योग	20.92	9.21	27.13	3.00
11	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	710.95	84.19	734.85	60.29
	योग (क)	**3794.30**	**1033.49**	**4642.03**	**185.76**
	ख - राजस्व - प्रभारित				
12	29- विधि एवं विधायी कार्य	16.74	2.46	18.25	0.95
	योग (ख)	**16.74**	**2.46**	**18.25**	**0.95**
	ग - पूंजीगत - दत्तमत				
13	03- पुलिस	11.55	64.51	73.85	2.21
14	08- भूराजस्व एवं जिला प्रशासन	0.57	10.28	9.98	0.87
15	12- ऊर्जा	2797.31	2766.36	5247.58	316.09
16	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	78.35	35.95	94.58	19.72
17	23- जल संसाधन विभाग	478.	192.50	587 29	84.05
18	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	579.95	162.34	591 56	150.73
19	57- जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	71.90	20.00	75 90	16.00
20	67- लोक निर्माण कार्य - भवन	25.76	43.98	37.59	32.15
21	72- गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	0.63	0.42	0.69	0.36
22	75- जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	130.50	30.00	131.70	28.80
23	81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	6.52	14.71	20.23	1.00
	योग (ग)	**4181.88**	**3341.05**	**6870.95**	**651.98**
	महायोग (क+ख+ग)	**7992.92**	**4377.00**	**11531.23**	**838.69**

अतिरिक्त मांग :- रुपए **11531**.23 करोड़ रुपए (-) रुपए **7992**.92 करोड़ रुपए = रुपए **3538**.31 करोड़ रुपए

परिशिष्ट XVIII

(संदर्भ कंडिका 2.3.5, पृष्ठ क्रमांक 32)

प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	मूल अनुदान/ विनियोग	पूरक अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	क - राजस्व - दत्तमत				
1	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	98.24	25.00	137.01	13.77
2.	67- लोक निर्माण कार्य-भवन	194 87	4.68	224.42	24.87
	योग (क)	**293.11**	**29.68**	**361.43**	**38.64**
	ख - पूंजीगत - दत्तमत				
3	06- वित्त	18.12	23.23	43.94	2.59
4.	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं	--	39.66	72.59	32.93
5	84- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन के स्तरों का उन्नयन	26.44	0.30	30.72	3.98
	योग (ख)	**44.56**	**63.19**	**147.25**	**39.50**
	महायोग (क+ख)	**337.67**	**92.87**	**508.68**	**78.14**

परिशिष्ट XIX

(संदर्भ कंडिका **2.3.7**, पृष्ठ क्रमांक **33**)

अविवकपूर्ण/अनियमित/दोषपूर्ण पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण

(क) ऐसे कुछ प्रकरण जिनमें पूर्व में ही लेखे में प्रावधान से अधिक व्यय दर्शाया गया था फिर भी पुनर्वियोग/अभ्यपूर्ण द्वारा निधियों का अविवेकपूर्ण आहरण किया गया ।

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्ष का विवरण	मूल एवं पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोग के पूर्व आधिक्य	पुनर्विनियोग/ अभ्यर्पण	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी** 2215-01-192-0701-8305-71- नगरीय जल आपूर्ति योजना	53.80	54.44	0.64	(-)1.53	2.17
2.	**23- जल संसाधन विभाग** 2701-80-799-0101-1051- भण्डार	5.00	13.24	8.24	(-)2.38	10.62
3.	**30- ग्रामीण विकास** 2515-001-0101-1033- विकास खण्ड कार्यालय	33.10	34.63	1.53	(-)3.32	4.85
4	**41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना** 20- स्कूल शिक्षा विभाग 2202-01-796-101-0702-8810- सर्वशिक्षा अभियान	45.51	53.28	7.77	(-)6.10	13.87
5	**41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना** 25- आदिवासी कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0802-5232- मध्यप्रदेश आवासीस विद्यालय समिति को अनुदान (अनुच्छेद 275(1))	6.00	6.80	0.80	(-)1.45	2.25

(ख) कुछ ऐसे प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत की तुलना में पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण द्वारा निधियां अधिक आहरित की परिणामस्वरूप **10** लाख रुपए से अधिक का अंतिम आधिक्य

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं लेखाशीर्ष का विवरण	मूल एवं पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग/ अभ्यर्पण	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**01- सामान्य प्रशासन** 2015-101-6757- स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	40.45	26.41	14.04	(-)14.23	0.19
2.	**05- जेल** 2056-101-938- केन्द्रीय एवं जिला जेलें	61.21	57.98	3.23	(-)3.39	0.16
3.	**07- वाणिज्यिक कर** 2039--001-123- अधीक्षण	153.11	150.18	2.93	(-)5.90	2.97
4.	**07- वाणिज्यिक कर** 2040-0. .-0101-8808- सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित निर्माण कार्य	1.76	0.58	1.18	(-)1.32	0.14

(करोड़ रुपए में)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	**08- भूराजस्व एवं जिला प्रशासन** 2029-102-1058- चकबंदी	4.98	3.58	1.40	(-)2.63	1.23
6.	**08- भूराजस्व एवं जिला प्रशासन** 2029-102-2193- नजूल स्थापना	9.88	8.44	1.44	(-)1.65	0.21
7.	**08- भूराजस्व एवं जिला प्रशासन** 2029-102-2833- कार्यालय पूर्वानुमान अधिकारी एवं बंदोबस्त अधिकारी	23.59	17.16	6.43	(-)8.58	2.15
8.	**10- वन** 2406-01-102-0101-6699- वन विकास उपकर निधि से व्यय	12.77	8.36	4.41	(-)4.64	0.23
9.	**15- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राजसंस्थाओं को वित्तीय सहायता** 34- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 2215-01-789-107-0703-5206- ग्रामीण सफाई कार्यक्रम	12.30	4.93	7.37	(-)8.25	0.88
10.	**15- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता** 58- ग्रामीण विकास विभाग 2505-01-789-702-0703-9376- राष्ट्रीय कार्यक्रम ग्रामीण पूर्णतः ग्रामीण रोजगार योजना	42.83	37.00	5.83	(-)6.40	0.57
11.	**17- सहकारिता** 2425-001-0101-123- अधीक्षण	14.91	12.73	2.18	(-)2.85	0.67
12.	**18- श्रम** 2230-01-103-0701-8352- राज्य में बीडी श्रमिकों हेतु आवासों का निर्माण	1.39	0.36	1.03	(-)1.39	0.36
13.	**20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी** 2215-02-107-0701-6263- ग्रामीण मलव्ययन योजना (समग्र सफाई अभियान)	10.62	8.57	2.05	(-)5.98	3.93
14.	**20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी** 4215-01-800-0701-9938-भूजल स्त्रोतों का संभरण	4.00	2.4	1.59	(-)2.00	0.41
15.	**21- आवास एवं पर्यावरण** 2217-01-001-0701-1409- छोटे एवं मध्यम नगरों हेतु एकीकृत विकास योजना	22.83	12.90	9.93	(-)12.34	2.41
16.	**23- जल संसाधन विभाग** 4711-01-800-0101-6359- स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण योजना चरण II	7.84	4.17	3.67	(-)3.84	0.17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17.	**24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल** 5054-03-101-0101-6651- रेल ओवरब्रिज का निर्माण	5.51	3.60	1.91	(-)4.51	2.60
18.	**24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल** 5054-03-337-0101-948- केन्द्रीय सड़क निधि	60.00	44.23	15.77	(-)17.65	1.88
19.	**24- लोक निर्माण विभाग- सडकें एवं पुल** 5054-04-800-0101-7087- उन्नयन, बिटुमिनीकरण, नवीकरण	100.00	74.28	25.72	(-)27.30	1.58
20.	**24- लोक निर्माण विभाग-सडकें एवं पुल** 5054-05-337-0701-6331- अंतर्राज्यीय आर्थिक महत्व की सड़कों का निर्माण	7.50	3.90	3.60	(-)4.19	0.59
21	**29- विधि एवं विधायी कार्य** 2014-105-4497- सामान्य स्थापना	96.77	90.38	6.39	(-)6.97	0.58
22	**30- ग्रामीण विकास** 2515-800-0101-1208- ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	31.58	30.05	1.53	(-)15.90	14.37
23	**41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना** 50- महिला एवं बाल विकास विभाग 2236-02-796-101-0102-414- आदिवासी क्षेत्रों में विशेष पोषाहार कार्यक्रम	28.32	24.96	3.36	(-)3.60	0.24
24	**41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना** 34- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 4215-01-796-800-0702-9938- भूजल स्रोतों का संभरण	2.00	1.32	0.68	(-)1.00	0.32
25	**42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल** 5054-04-796-800-0102-2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	13.97	7.56	6.41	(-)6.77	0.36
26	**42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल** 5054-04-796-800-0102-3539- मुख्य जिला सड़कें	2.46	0.63	1.83	(-)2.46	0.63
27	**42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल** 5054-04-796-800-0102-7563- वाटरबाउण्ड मेकेडम सड़कों का बिटुमिनीकरण (नाबार्ड)	3.04	1.88	1.16	(-)2.95	1.79
28	**48- नर्मदा घाटी विकास** 4701-01-233-0101-2884- नहर एवं संबद्ध निर्माण कार्य	224.41	151.71	72.70	(-)76.39	3.69
29	**55- महिला एवं बाल विकास** 2235-02-102-0801-5354- एकीकृत सेवा योजना (विदेश से सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत)	94.68	75.52	19.16	(-)20.77	1.61
30	**55- महिला एवं बाल विकास** 2236-02-101-0101-9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम-विशेष पोषाहार कार्यक्रम	60.21	51.41	8.80	(-)9.65	0.85

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	**64- अनुसूचित जातियो हेतु विशेषांश योजना** 19- लोक निर्माण् कार्य विभाग 5054-04-789-800-0103-9002- अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	13.12	3.29	9.83	(-)10.17	0.34
32	**75- जल संसाधान विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजना** 4701-01-207-0101-974- कोलार परियोजनाएं	2.50	1.51	0.99	(-)1.55	0.56
33	**76- लोक निर्माण विभाग से संबंधित नाबार्ड एवं विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं** 5054-04-800-0101-6590- नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत सड़कों का निर्माण	82.71	68.30	14.41	(-)50.04	35.63
34	**76- लोक निर्माण विभाग से संबंधित नाबार्ड एवं विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं** 5054-04-800-0101-6657- नाबार्ड ऋण सहायता को अंतर्गत जिला वाटर बाउण्ड मेकेडन सड़कों का विटुमिनीकरण	1.00	0.45	0.55	(-)1.00	0.45
35	**80- त्रिस्तरीय पंचायती राजसंस्थाओं को वित्तीय सहायता** 2501-01-101-0701-8701-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	18.83	13.25	5.58	(-)5.91	0.33
36	**80- त्रिस्तरीय पंचायती राजसंस्थाओं को वित्तीय सहायता** 2501-02-800-0701-2725- प्रशिक्षण	3.36	2.54	0.82	(-)1.04	0.22
37	**80- त्रिस्तरीय पंचायती राजसंस्थाओं को वित्तीय सहायता** 2501-02-800-0701-9465- जल संग्रहण् सामुदायिक संगठन	3.36	2.58	0.78	(-)1.04	0.26
38	**82- त्रिस्तरीय पंचायती राजसंस्थाओं को वित्तीय सहायता** 34- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 2215-02-796-107-0702-5206-	9.50	3.31	6.19	(-)6.45	0.26

(ग) उपलब्ध बचत के बावजूद निधियों का अनावश्यक आवद्धंन

(करोड़ रुपये में)

9 क्रम संख्या	अनुदान एवं लेखाशीर्ष का विवरण	मूल तथा पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुर्नविनियोग	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**08- भूराजस्व एवं जिला प्रशासन** 2053-093-1509- जिला स्थापना	53.15	46.69	6.46	(+)1.25	7.71
2	**19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** 4210-02-103-0101-7871-मूलभूत सेवाओं हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	8.00	5.28	2.72	(+)2.45	5.17
3	**23- जल संसाधन विभाग** 2701-01-201-2894-बेराज एवं नहरें	14.30	10.35	3.95	(+)1.33	5.28
4	**48- नर्मदा घाटी विकास** 4701-01-241-0101-9000- रानी अवन्तीवाई सागर परियोजना जबलपुर इकाई II	0.50	निरंक	0.50	(+)2.50	3.00

(घ) वे प्रकरण जिनमें अधिक व्यय को पूरा करने हेतु पुनर्विनियोग द्वारा अभिवांछित राशि से अधिक निधियां आवर्द्धित की गईं

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान एवं लेखाशीर्ष का विवरण	मूल तथा पूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	उपलब्ध बचत	पुनर्विनियोग	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**11- वाणिज्य एवं उद्योग** 2230-02-101-7878- दीनदयाल स्वरोजगार योजना	0.01	2.53	2.52	(+) 5.82	3.30
2	**41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना** 25- आदिवासी कल्याण विभाग 2225-02-796-800-0102-8011- सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रोत्साहान	सांकेतिक	5.00	5.00	(+)5.88	0.88
3	**41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना** 27- नर्मदा घाटी विकास विभाग 4701-03-796-201-0102-5223- मान परियोजना (नाबार्ड)	2.40	5.38	2.98	(+)4.24	1.26
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	**44- उच्च शिक्षा** 2202-03-104-0101-7043- महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय आधार पर भरने हेतु सार्वजनिक सहभागिता समिति को अनुदान	0.10	5.50	5.40	(+)8.00	2.60
5	**48- नर्मदा घाटी विकास** 4701-01-241-0101- 2428- कार्यपालन स्थापना इकाई I एवं II	9.44	10.47	1.03	(+)1.21	0.18
6	**82- आदिवासी क्षेत्र उप योजना-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता** 25- अनुसूचित आदिवासी कल्याण विभाग 2225-02-796-277-0102-1392- छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति	7.89	12.25	4.36	(+)5.08	0.72
7	**82- आदिवासी क्षेत्र उप योजना-त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता** 25-**अनुसूचित आदिवासी कल्याण विभाग** -2225- 02-796-277-0102-8805- छात्राओं को प्राथमिक स्तर तक छात्रवृत्ति	10.78	13.01	2.23	(+)2.62	0.39

परिशिष्ट XX

(संदर्भ कंडिका 2.3.8(क), पृष्ठ क्रमांक 33)

महत्वपूर्ण बचतें अभ्यर्पित न करना (5 करोड़ रुपए एवं इससे अधिक)

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान एवं विनियोग की संख्या नाम	कुल उपलब्ध बचत	अनभ्यर्पित राशि (कुल बचत का प्रतिशत कोष्ठक में)
(1)	(2)	(3)	(4)
	क - राजस्व - दत्तमत		
1.	01- सामान्य प्रशासन	28.52	5.67(19.9)
2.	03- पुलिस	82.38	73.85(89.7)
3.	06- वित्त	208.45	199.09(95.5)
4	07- वाणिज्यिक कर	59.93	13.12(21.9)
5	08- भूराजस्व एवं जिला प्रशासन	54.41	16.76(30.8)
6.	10- वन	27.25	10.15(37.3)
7.	11- वाणिज्य एवं उद्योग	7.06	6.93(98.2)
8.	13- कृषि	56.44	54.40(96.4)
9	15- अनुसूचित जातियों हेतु विशेषांश योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	36.73	10.70(29.1)
10	19- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	91.44	91.01(99.5)
11	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20.67	11.59(56.1)
12.	27- स्कूल शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा)	57.43	9.71(16.9)
13	29- विधि एवं विधायी कार्य	79.24	25.81(32.6)
14	31- योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग	8.78	8.78(100)
15	33- आदिवासी कल्याण	21.25	20.40(96)
16.	36- परिवहन	16.60	16.60(100)
17.	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	73.03	14.27(19.5)
18.	44- उच्च शिक्षा	37.38	34.95(93.5)
19.	58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	139.95	139.95(100)
20.	61- लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	13.96	13.96(100)
21	64- अनूसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना	82.96	35.81(43.2)
22	68- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन - पंचायत	8.12	8.12(100)
23.	79- चिकित्सा शिक्षा विभाग	18.78	18.78(100)
24.	80- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	60.29	38.26(63.5)
25.	81- नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	64.33	57.52(89.4)
26.	93 - त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	69.07	47.83(69.2)
27	95- स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा को छोड़कर)	79.07	19.29(24.4)
	योग (क)	**1503.52**	**1003.31**
	ख राजस्व - भारित		
28	-- ब्याज भुगतान एवं ऋण सेवाएं	32.26	32.26(100)
	योग (ख)	**32.26**	**32.26**
	ग - पूंजीगत - दत्तमत		
29	12- ऊर्जा	316.10	10.81(3.4)
30	17- सहकारिता	18.30	11.70(63.9)
31	20- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	19.72	14.28(72.4)

(करोड़ रुपए में)

(1)	(2)	(3)	(4)
32	23- जल संसाधान विभाग	84.05	44.05(52.4)
33	39- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	16.38	16.38(100)
34	41- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	150.73	52.02(34.5)
35	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	20.02	19.92(99.5)
36	48- नर्मदा धाटी विकास	273.84	27.25(10)
37	64- अनुसूचित जातियों के लिए विशेषांश योजना	83.57	14.99(17.9)
38	67- लोक निर्माण कार्य - भवन	32.14	31.69(98.6)
39	75- जल संसाधान विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	28.80	16.47(57.2)
40	93- त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	69.07	47.83(69.2)
41	94- सिंहस्थ मेला 2004 से संबंधित व्यय	14.36	14.36(100)
	योग (ग)	**1127.08**	**321.75**
	घ - पूंजीगत भारित		
42	-- लोकऋण	6015.13	6015.13(100)
	योग (घ)	**6015.13**	**6015.13**
	महायोग (क+ख+ग+घ)	**8677.99**	**7372.45(85)**

परिशिष्ट XXI

(संदर्भ कंडिका 2.3.9, पृष्ठ क्रमांक 33)

अविवेकपूर्ण/अवास्तविक अभ्यर्पणों के प्रकरण

(क) वे प्रकरण जिनमें उपलब्ध बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	उपलब्ध बचत	अभ्यर्पित राशि
	क - राजस्व - दत्तमत		
1	05- जेल	3.77	3.93
2	12- ऊर्जा	13.35	13.50
3	17- सहकारिता	10.74	12.53
4	21- आवास एट पर्यावरण	11.63	14.57
5	23- जल संसाधन विभाग	2.71	6.35
6	30- ग्रामीण विकास	4.90	22.81
7	32- जनसंपर्क	1.63	1.82
8	39- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	5.43	5.48
9	55- महिला एवं बाल विकास	102.36	104.49
10	56- ग्रामोद्योग	3.00	3.18
	योग (क)	**159.52**	**188.66**
	(ख) राजस्व भारित		
11	01- सामान्य प्रशासन	1.24	1.26
12	29- विधि एवं विधायी कार्य	0.95	1.24
	योग (ख)	**2.19**	**2.50**
	ग - पूंजीगत - दत्तमत		
13	24- लोक निर्माण कार्य-सड़कें एवं पुल	70.41	79.54
14	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य - सड़कें एवं पुल	48.75	50.81
15	73- आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	2.40	2.46
	योग (ग)	**121.56**	**132.81**
	घ - पूंजीगत - भारित		
16	24- लोक निर्माण कार्य - सड़कें एवं पुल	0.62	0.72
	योग (घ)	**0.62**	**0.72**
	महायोग (क+ख+ग+घ)	**283.89**	**324.69**

(ख) वे प्रकरण जहां प्रावधान से अधिक राशि पूर्ण होने पर भी अभ्यर्पण किया गया

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	प्रावधान से अधिक राशि	अभ्यर्पित राशि
	क - राजस्व - दत्तमत		
1	67- लोक निर्माण कार्य - भवन	24.87	0.02
	योग (क)	**24.87**	**0.02**
	ख - पूंजीगत - दत्तमत		
2	06- वित्त	2.59	0.01
3	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	32.93	0.66
4	66- पिछड़े वर्गो का कल्याण	0.29	0.09
	योग (ख)	**35.81**	**0.76**
	ग - पूंजीगत - भारित		
5	45- लघु सिंचाई निर्माण कार्य	0.03	0.05
	योग (ग)	**0.03**	**0.05**
	महायोग (क+ख+ग+घ)	**60.71**	**0.83**

परिशिष्ट XXII

(संदर्भ कंडिका 2.3.10, पृष्ठ क्रमांक 33)

बिना बजट प्रावधान किया गया व्यय

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखाशीर्ष	व्यय की राशि
	क - राजस्व - दत्तमत		
1	21- आवास एवं पर्यावरण	2216-02-190-0101-4385- समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो हेतु आवास योजना	10.00
2	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजना	2501-01-800-1201-7755- मध्यप्रदेश ग्रामीण रोजगार परियोजना	70.00
3	59- ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित विदेश से सहायता प्राप्त परियोजना	2501-01-800-0101 -7755- मध्यप्रदेश ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना	30.00
4	92- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित प्रशासन का स्तरोन्नयन-संस्कृति	2205-800-1301-5062- ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत संग्रहालयों का उन्नयन	0.01
		योग (क)	**110.01**
	ख - पूंजीगत - दत्तमत		
5	06- वित्त	7610-202-5297- अन्य शासकीय सेवकों को ऋण	(-)53.96
6	06- वित्त	7610-204-5274- सरकारी सेवकों को व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रय हेतु अग्रिम	24.85
7	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना	4515-800-1201-5853- डी.पी.आई.पी.योजना	4700.00
8	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना	4515-800-0101-5853- डी.पी.आई.पी.योजना	59.20
		योग (ख)	**4730.09**
		महायोग (क+ख)	**4840.10**

परिशिष्ट XXIII

(संदर्भ कंडिका 2.4, पृष्ठ क्रमांक 34)

वर्ष 2004-05 के लिए मिलान नहीं किए गए व्यय के आंकड़े

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	लेखाशीर्ष	अनुदान संख्या	वर्ष के दौरान समाधान नहीं किए गए व्यय की राशि
1.	2.	3.	4.
1.	2029	08,32,41,64,	52.88
2.	2041	36	1.24
3.	2054	06,82,89,	6.84
4.	2059	01,67	149.49
5.	2202	15,27,32,41,44,64,67,80,81,91,95	592.30
6.	2215	20	56.76
7.	2235	01,02,29,41,64	3.36
8.	2402	10	0.05
9.	2406	41,64	13.08
10.	2515	15,30,32,33,41,58,62,64,67,68,80,82	453.21
11	2853	25	0.88
12	4853	25	0.05
13	6202	87	0.18
योग	मुख्य शीर्ष 13	अनुदान संख्या – 28	**1330.32** कुल व्यय का 3.9 प्रतिशत

परिशिष्ट XXIV

(संदर्भ कंडिका 2.5, पृष्ठ क्रमांक 34)

पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण के लिए दोषपूर्ण संस्वीकृतियां

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	संस्वीकृत्तियों की संख्या	अनुदान संख्या	राशि	अनियमितताओं का विवरण
1	8	02, 08, 31, 36, 38, 41, 64, 79.	16.79	संस्वीकृतियां वित्त वर्ष 2004-05 की समाप्ति के पश्चात जारी की गईं
2	13	09, 10, 15, 41, 53,64,80, 81, 83	32.57	महालेखाकार (लेखा एवं हक.) कार्यालय में संस्वीकृतियों की विलंब से अर्थात लेखाओं के बंद होने तथा अंतिम रूप देने के पश्चात प्राप्ति
3	8	19, 14, 17,20.21, 51, 77, 95.	67.34	जिन शीर्षों से पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण संस्वीकृति किए गए उनके अंतर्गत प्रावधान की अनुपलब्धता.
4	3	19, 58, 67.	102.90	जिन योजनाओं से अभ्यर्पण/पुनर्विनियोग संस्वीकृत किया गया उनका विवरण प्रस्तुत न करना
5	1	01	0.02	"कार्यालय व्यय" शीर्ष में निधियों में पुनर्विनियोग द्वारा वृद्धि
6	1	44	19.53	बचत मदों हेतु पृथक अभ्यर्पण संस्वीकृति तथा आधिक्य वाली मदों के विरुद्ध पृथक पुनर्विनियोग संस्वीकृति जारी न करना
7	2	29	0.28	भारित से दत्तमत में पुनर्विनियोग
8	1	81	18.74	योजनेतर से आयोजना में पुनर्विनियोग
9	1	80	0.75	एक अनुदान से दूसरे अनुदान को पुनर्विनियोग
10	2	17, 26.	(-) 0.05	ऋणात्मक अभ्यर्पण
योग	**40**	**30**	**258.97**	

परिशिष्ट XXV

(संदर्भ कंडिका 2.6, पृष्ठ क्रमांक 34)

मार्च 2005 के दौरान व्यय की अधिकता

(राशि करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	कुल प्रावधान	व्यय			मार्च 2005 तक कुल व्यय	मार्च 2005 में व्यय	कुल व्यय से मार्च के व्यय का प्रतिशत
			6/2004 तक	9/2004 तक	12/2004 तक			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	12- ऊर्जा	7290.45	314.64	331.49	953.94	6961.00	4357.09	62.6
2	30- ग्रामीण विकास	250.76	34.97	56.97	91.83	245.87	140.10	57.0
3	59- ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	39.66	31.00	34.59	34.59	73.59	39.00	53.0
4	69- सूचना प्रौद्योगिकी	0.99	0.10	0.11	0.26	0.74	0.48	64.9
5	71- जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी	2.20	0.04	0.09	0.34	0.81	0.47	58.0
6	84- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-- राजस्व	27.44	0.60	1.43	4.29	31.40	23.36	74.4
7	90- ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन - लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	12.16	--	--	--	11.81	11.81	100
8	93- त्वरित विद्युत विकास से संबंधित व्यय	148.15	--	--	--	10.00	10.00	100

टीप :- अनुदान संख्या 84 एवं 90 के कॉलम (7) में दर्शाए गए व्यय में क्रमश 17.07 करोड़ रुपए एवं 11.81 करोड़ रुपए की कुल मिलाकर 28.88 करोड़ रुपए की राशि समाविष्ट है जिसे 31 मार्च 2005 को मुख्य शीर्ष 8443 - सिविल जमा - 800 अन्य जमा में जमा किया गया।

परिशिष्ट XXVI

(संदर्भ कंडिका 2.7, पृष्ठ क्रमांक 35)

चयनित अनुदानों की योजनाओं के अंतर्गत सारभूत बचतें

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं योजना का नाम	बचत (प्रतिशतता)		
		2004-05	2003-04	2002-03
	03- पुलिस			
1.	2055-109-194 अन्य पुलिस	4.20(41.2)	5.31(53.9)	7.65(80.8)
2.	2055-115-2643 पुलिस बल का आधुनिकीकरण	62.97(51.6)	25.26(23.8)	49.18(46.4)
3.	2070-107-7867 नगर सेना का आधुनिकीकरण	5.30 (100)	--	--
	12- ऊर्जा			
4.	4801-06-190-0101-222 अमरकंटक ताप विद्युत गृह इकाई नंबर - 5 के संवर्धन हेतु निवेश	5.00(29.4)	--	--
5.	4801-80-101-6787 गारंटीयुक्त कर्जो के निपटारे हेतु प्रावधान	146.44(29.3)	--	--
6.	6801-800-0101-2967 विद्युत मण्डलों को अन्य कर्जे	12.51(100)	512.19(83.3)	334.56 (66.6)
7.	6801-800-0101-6454 ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (एम.एन.पी.)	8.00(50.0)	--	--
8.	6801-800-0101-8743- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	5.25(50.0)	--	--
9.	6801-800-0401-2967 विद्युत मंडल को के अन्य ऋण	172.27(64.9)	--	--
	13- कृषि			
10.	2401-102-0701-921 दलहन फसल उत्पादन की केन्द्र प्रायोजित योजना	2.17(29.1)	0.85(28)	1.61(61.8)
11.	2401-113-0701-1580 मेक्रो प्रबंधन योजना	3.14(61.8)	--	--
12.	2401-119-0701-1580 मेक्रो प्रबंधन योजना	2.20 (39.8)	--	--
13.	2401-800-0701-1580 मेक्रो प्रबंधन योजना	24.84 (53.5)	--	--
	39- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण			
14.	2408-01-102-3229 मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति में हानि की प्रतिपूर्ति	2.00(100)	2.82(56.4)	4.61(92.1)
15.	4408-02-190-173 खाद्यान्नों का क्रय	11.46(52.1)	14.25(40.7)	3.81 (15.3)
16.	6408-02-190-1074 मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति हेतु ऋण	2.42(100)	2.50 (100)	2.50(100)
17.	6408-02-190-3349 मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति हेतु ऋण	2.50(100)	2.50(100)	--
	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल			
18.	5054-03-796-101-0102-5225 पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	13.98 (72.6)	1.27(15)	--
19.	5054-04-796-800-0102-2457 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	6.41(45.9)	1.33(20.6)	--
20.	5054-04-796-800-0102-5226 ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	7.28(36.1)	--	--
21.	5054-04-796-800-0102-7081 राज्य राजमार्ग/मुख्य जिला सड़कों का नवीकरण उन्नयन	19.02(55.3)	15.48(38.7)	--

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं योजना का नाम	बचत (प्रतिशतता)		
		2004-05	2003-04	2002-03
	48- नर्मदा घाटी विकास			
22.	2402-102-0701-1580 मेक्रो प्रबंधन योजना	3.25(51.5)	--	--
23.	4701-01-233-0101-2884 नहर एवं संबद्ध निर्माण कार्य	72.70(32.4)	--	--
24.	4701-80-800-0101-6399- इंदिरा सागर परियोजना इकाई - I	73.21(25.2)	100.93 (92)	9.81 (100)
25.	4801-01-206-0101-6797 जलग्रहण क्षेत्र उपचार	7.66(48.6)	--	--
26.	4801-80-800-0101-3561 मुख्यालय स्थापना	5.28(47.1)	--	--
27.	4801-80-800-0101-4406 सरदार सरोवर के डूब में आए क्षेत्र का भूअर्जन तथा अन्य कार्य पर व्यय	114.73(37.7)	166.56(42.3)	264.24 (66.1)
28.	4801-80-800-0101-9133- सरदार सरोवर परियोजना	2.46(100)	--	--
	55- महिला एवं बाल कल्याण			
29	2235-02-102-0801-5354- एकीकृत सेवा योजना (विदेश से सहायता प्राप्त योजना)	19.16(20.2)	36.56(30.3)	18.77(20.6)
30	2235-02-102-0801-5355- एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनवाडि कार्यकताओं को प्रशिक्षण (विदेश से सहायता प्राप्त योजना के अंतर्गत)	2.45(34.4)	12.23(59.3)	2.68(19.9)
31	2235-02-103-0801-8687- बालिका समृद्धि योजना	6.00(100)	5.25(87.4)	4.27(71.2)
32	2236-02-101-0801-7098- राष्ट्रीय पूरक पोषाहार मिशन	2.95(100)	7.19(89.9)	--
33	2236-02-101-0801-8743- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	49.38(82.3)	--	--
34	4235-02-102-0701-5360- आंगनवाडी केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण (विदेश से सहायता प्राप्त)	8.55(47.4)	17.12(66.9)	0.80(100)
35	4235-02-102-0801-5357- सी.डी.पी.ओ.कार्यालय सह गोदाम का निर्माण (विदेश से सहायता प्राप्त)	2.77(44.2)	--	--
	योग -	**889.91**	**929.60**	**704.49**

परिशिष्ट XXVII

(संदर्भ कंडिका 2.7, पृष्ठ क्रमांक 35)

चयनित योजनाओं के अंतर्गत सारभूत आधिक्य

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या एवं योजना का नाम	आधिक्य (प्रतिशत)		
		2004-05	2003-04	2002-03
	03- पुलिस			
1.	2055-001-1011 क्षेत्रीय महानिरीक्षक एवं संभागीय स्थापना	2.83(145.7)	3.11(126.5)	2.68(118.9)
2	2055-003-195 अन्य पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय	1.04(7.0)	बचत	बचत
3	2055-104-4492 सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	4.69(2.3)	बचत	--
	12- ऊर्जा			
4	4801-05-190-1201-7697 मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल को एशियन विकास बैंक से प्राप्त परियोजना सहायता का भुगतान	64.25(77.9)	--	--
5	6801-190-1201-7697 **मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल को एशियन विकास बैंक से प्राप्त परियोजना सहायता का भुगतान**	164.82(85.6)	--	--
	39- खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण			
6	2408-01-102-3248 मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न की अधिप्राप्ति में हानियों की प्रतिपूर्ति	1.38 (13.8)	बचत	बचत
	42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण-सड़कें एवं पुल			
7	5054-04-796-800-0802-7654 **आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों/पुलों का निर्माण (अनुच्छेद 275(1))**	1.55(21.4)	बचत	बचत
	48- नर्मदा घाटी विकास			
8	4701-01-241-0101-2428 कार्यपालन स्थापना इकाई I एवं II	1.03(10.9)	1.89(46.8)	5.41(135.4)
9	4801-01-205-0101-9133 सरदार सरोवर परियोजना	47.85(7.2)	बचत	--
10	4801-80-800-0101-2422 कार्यपालन स्थापना (मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परियोजना)	2.04(510)	0.80(80.0)	--
	योग-	**291.48**	**5.80**	**8.09**

परिशिष्ट XXVIII

(संदर्भ कंडिका 2.7, पृष्ठ क्रमांक 38)

(क) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों में योजनाओं के अंतर्गत पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान एवं योजना का विवरण	अप्रयुक्त पूरक प्रावधान की राशि
(1)	(2)	(3)
	3- पुलिस	
1.	2055-101-279 अभियोजन संचालनालय	0.32
	13- कृषि	
2.	2401-001-119 अधीनस्थ एवं विशेषज्ञ कर्मचारी (जिला एवं अधीनस्थ स्तरीय कर्मचारी)	2.45
3.	2401-113-0701-1580 माइक्रो प्रबंधन योजना	1.00
4.	2401-119-3902 वर्तमान रोपणियों एवं उद्यानों के विकास हेतु योजना	0.26
5.	2401-800-0701-1580 माइक्रो प्रबंधन योजना	7.00
	39- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	
6.	2408-01-001-629 उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ	0.92
	48- नर्मदा घाटी विकास	
7.	2801-01-001-0101-6818 सरदार सरोवर परियोजना मध्यप्रदेश विद्युत मंडल को विक्रय कार्यान्वयन एवं संधारण व्यय	0.57
8.	4701-80-800-0701-7434 नर्मदा नदी के तालाबों में जलमार्ग परिवहन व्यवस्था	1.00
	योग -	**13.52**

(ख) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों में योजना के अंतर्गत पूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान एवं योजना का विवरण	मूल	पूरक	व्यय	बचत (-)
	12- ऊर्जा				
1	4801-06-190-0101-222 अमरकंटक ताप विद्युतगृह इकाई नंबर 5 की वृद्धि हेतु निवेश	निरंक	17.00	12.00	5.00
	13- कृषि				
2.	2401-102-0701-921 दलहन फसल उत्पादन की केन्द्र प्रायोजित योजना	3.19	4.26	5.28	2.17
3.	2401-108-0701-4325 सघन जिला कपास विकास कार्यक्रम की केन्द्र प्रायोजित योजना	3.24	1.42	3.86	0.80
4.	2401-108-0701-927 राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना	10.27	3.85	11.66	2.46
5.	2401-119-655 एकीकृत उद्यान विकास योजना	निरंक	0.48	0.02	0.46

55- महिला एवं बाल विकास					
6.	2236-02-101-0101-9050 न्यूनतम आवश्यकता विशेष पोषाहार कार्यक्रम	47.88	12.33	51.41	8.80
	योग-	**64.58**	**39.34**	**84.23**	**19.69**

(ग) वे प्रकरण जिनमें चयनित अनुदानों में योजना के अंतर्गत पूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुआ

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	अनुदान एवं योजनाओं का विवरण	मूल	पूरक	व्यय	आधिक्य(+)
3- पुलिस					
1.	2055-104-4492 सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	206.36	0.51	211.56	4.69
42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना/संबंधित लोक निर्माण कार्य - सड़कें एवं पुल					
2.	25- आदिवासी कल्याण विभाग - 5054-04-796-800-0802-7654 आदिवासी क्षेत्रों मे सड़कों /पुलों का निर्माण (अनुच्छेद 275(1))	सांकेतिक	7.23	8.78	1.55
	योग -	**206.36**	**7.74**	**220.34**	**6.24**

परिशिष्ट - XXIX

(संदर्भः कंडिका 3.1.4, पृष्ठ क्रमांक 42)

सर्वेक्षण के निष्कर्ष

कार्य निष्पादक सारांश

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की वित्तीय अवस्था की जानकारी प्राप्त करने के क्रम में, स्वतंत्र उपभोक्ता, शिकायतें, निर्माता/सेवा उपलब्ध कराने वाले तथा समुचित प्रयोगशालाएं इस सर्वेक्षण के अंतर्गत समाहित किये गये थे। मध्यप्रदेश राज्य में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में फैले हुए कुल 2234 उपभोक्ताओं से सम्पर्क किया गया था। 448 शिकायतकर्ताओं के अतिरिक्त, 11 निर्माताओं/सेवा उपलब्ध कराने वालों तथा 2 गैर सरकारी संगठनों का साक्षात्कार लिया गया था। यह सर्वेक्षण जुलाई के द्वितीय सप्ताह से अगस्त 2005 के चौथे सप्ताह के दौरान संचालित किया गया था।

सर्वेक्षण के निष्कर्षः

- समग्रतः 76 प्रतिशत स्वतंत्र उपभोक्ताओं ने उपभोक्ता अधिकारों को जानने को महत्व दिया, किन्तु 81 प्रतिशत, उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं थे और 87 प्रतिशत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से अभी तक अनभिज्ञ थे।
- अधिनियम में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को लाभान्वित करना परिकल्पित है किन्तु ग्रामीण आबादी के केवल 5 प्रतिशत ने ही इसके बारे में सुन रखा था।
- इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में सरकार कोई प्रयास कर रही है, केवल 17 प्रतिशत ने सकारात्मक उत्तर दिया बाकी अन्य ने नकारात्मक रूख अपनाया अथवा इसके बारे में जानकारी से इंकार किया।
- जागरूकता के औपचारिक स्त्रोत-इलेक्ट्रानिक एवं मुद्रण मीडिया क्रमशः 84 एवं 61 प्रतिशत रहा और मुश्किल से किसी एक जागरूक उपभोक्ता ने ही गैर सरकारी संगठनों से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी।
- लगभग 30 प्रतिशत स्वतंत्र जागरूक उपभोक्ता, अधिनियम के बारे में केवल पिछले 2 वर्षों में ही जान सके थे, जबकि यह अधिनियम विगत 19 वर्षों से अस्तित्व में बना हुआ है।
- समग्रतः, केवल 12 प्रतिशत न ही किसी निवारण संस्था के अस्तित्व की जानकारी सूचित की। इस विषय की जानकारी शहरी क्षेत्रों में अधिक थी।
- किसी निवारण संस्था के बारे मे जानकारी रखने वाले लगभग 23 प्रतिशत लोग उनके जिलों में जिला न्यायाधिकरण की स्थिति के बारे मे नहीं जानते थे।
- ज्यादातर शिकायतकर्ता शहरी क्षेत्रों में रहते थे (92 प्रतिशत), और लगभग सभी सुशिक्षित थे (98 प्रतिशत)। सम्पर्क किये गये शिकायतकर्ताओं की मासिक पारिवारिक आय औसतन 11953/- रुपए थी। इससे ध्वनित होता है कि निवारण संस्थाओं द्वारा

उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं सामान्यतः शहरी क्षेत्र के निवासियों और वह भी समाज के मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए थी।

- अधिकांश शिकायतें सेवाओं के विरूद्ध थीं (82 प्रतिशत) जैसे कि बिजली, बैंकिंग, बीमा, संचार एवं अन्य वित्तीय सेवाएं जबकि केवल लगभग 18 प्रतिशत शिकायतें उत्पादों, ज्यादातर उपभोग टिकाऊपन (60 प्रतिशत) के विरूद्ध थीं।
- अधिकांश शिकायतकर्ताओं ने निवारण संस्थाओं के बारे मे जानकारी, इलेक्ट्रोनिक मीडिया (13 प्रतिशत), मुद्रण मीडिया (9 प्रतिशत) एवं अन्य यथा मित्रों/रिश्तेदारों (58 प्रतिशत) के माध्यम से प्राप्त की थीं। गैर सरकारी संगठन जागरूकता के लोकप्रिय स्त्रोत नहीं थे (2 प्रतिशत)।
- करीब 34 प्रतिशत शिकायतकर्ता प्रकरण दर्ज कराने के लिए मुद्रापत्र का उपयोग करते थे और ज्यादातर मामलों में (85 प्रतिशत) वकील/एजेन्ट उन्हें ऐसा करने की सलाह देते थे।
- सैंतालीस प्रतिशत शिकायतकर्ताओं ने, जिन्होंने मार्च 2003 के पहले अपनी शिकायतें पंजीकृत करायी थीं, न्यायालय शुल्क जमा कराया जाना सूचित किया था, बिना यह तथ्य जाने हुए, कि न्यायालय शुल्क केवल मार्च 2003 में ही आरम्भ किया गया था।
- प्रकरणों की विभिन्न अवस्थाओं में लगने वाले समय के विश्लेषण ने दर्शाया कि एक मामले को पंजीकृत कराने के लिए औसतन 2.5 दिन खर्च हुए और ज्ञापन भेजने में 17 दिन लगे, पहली सुनवाई दो सप्ताह बाद आयोजित हुई थी।
- मामले का निवारण करने में औसतन 6.9 सुनवाई अपेक्षित होती हैं। लगभग 26 प्रतिशत मामले लगभग 9 सुनवाइयों के बाद भी अभी तक अनसुलझे थे और इनमें से अधिकांश मामले बीमा सेवाओं के विरूद्ध (20 प्रतिशत) थे।
- एक मामले का निवारण करने में औसतन 25 माह लगे। अनसुलझे मामलों की स्थिति में वे औसतन पिछले 38 माह से लंबित रहे।
- 78 ऐसे मामले थे जिनमें डिक्री पारित हुई थी और अभी तक क्षतिपूर्ति प्राप्त किया जाना शेष था। क्षतिपूर्ति औसतन लगभग 5 वर्षो के लिए देय थी। जिन्होंने क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली थी उन्होंने औसतन 4 माह की अवधि में प्राप्त की थी।
- एक औसत के अनुसार शिकायतकर्ता को मामले के निवारण पर 2453/- रुपए खर्च करने पड़े जिसका एक बड़ा हिस्सा (औसत राशि 2034/- रुपए) वकील की फीस में समाहित था।
- निर्माता एवं सेवा उपलब्ध कराने वाले, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसके विपरीत अधिनियम अथवा निवारण प्रणाली के बारे में जानने वाले स्वतंत्र उपभोक्ता अधिक नहीं थे।
- गैर सरकारी संगठन, तात्विक गतिविधियों में संलग्न हैं, जैसे कि उपभोक्ता शिक्षण, वकालात, सेमिनार/शिविरों का आयोजन इत्यादि। वे उपभोक्ताओं को मामले दर्ज कराने में भी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और एजेंट की तरह कार्य कर रहे हैं।
- समग्रतः सभी व्यापारी तथा शिकायतकर्ता, सहज तथा सस्ता निराकरण प्राप्त कर लेते हैं किन्तु बहुत शीघ्रता से नहीं।

परिशिष्ट - XXX

(संदर्भः कंडिका 3.1.9.1, पृष्ठ क्रमांक 49)

खाद्य निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण एवं नमूने एकत्रित करने में हुई कमी का विवरण

निरीक्षण										
वर्ष	निरीक्षण किये जाने की अपेक्षित संख्या (निरीक्षणों का लक्ष्य 180 प्रति वर्ष)	खाद्य निरीक्षकों द्वारा वस्तुतः किये गये निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षणों का प्रतिशत	निरीक्षण किये जाने में हुई कमी	निरीक्षणों में हुई कमी का प्रतिशत	नमूने एकत्रित किये जाने की अपेक्षित संख्या (नमूनों का लक्ष्य 120 प्रति वर्ष)	खाद्य निरीक्षकों द्वारा एकत्रित किये गये नमूनों की संख्या	नमूने एकत्रित किये जाने का प्रतिशत	नमूने एकत्रित करने में हुई कमी	नमूने एकत्रित करने में हुई कमी का प्रतिशत
2000-01	12780	11980	94	800	6	8520	3846	45	4674	55
2001-02	9360	7669	82	1691	18	6240	4114	66	2126	34
2002-03	8100	7964	98	136	2	5400	4192	78	1208	22
2003-04	6480	5042	78	1438	22	4320	2808	65	1512	35
2004-05	7020	5802	83	1218	17	4680	3021	65	1659	35

परिशिष्ट - XXXI

(संदर्भः कंडिका 3.1.9.1, पृष्ठ क्रमांक 50)

दायर किये गये अभियोग पत्र, न्यायालय द्वारा 31 मार्च 2005 तक निर्णीत एवं 2000-05 के दौरान न्यायालय में लम्बित रहे मामलों का वर्षवार विवरण

वर्ष	वर्ष के आरंभ में लम्बित मामले	वर्ष के दौरान दायर किये गये अभियोग	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले					मामलों की संख्या जिनमें विभाग द्वारा अपील की गयी	वर्ष के अंत में लम्बित मामले
			दोष सिद्ध	दोष सिद्ध का प्रतिशत	दोष मुक्त	दोष मुक्त का प्रतिशत	योग		
2000-01	9811	524	233	55	190	45	423	--	9912
2001-02	9912	484	162	52	150	48	312	--	10084
2002-03	10084	360	143	50	143	50	286	--	10158
2003-04	10158	192	45	57	42	48	87	--	10263
2004-05	10263	303	199	69	90	31	289	--	10277
योग		**1863**	**782**		**615**		**1397**	**--**	**---**

परिशिष्ट- XXXII

(संदर्भः कंडिका 3.1.9.3, पृष्ठ क्रमांक 51)

निरीक्षकों के स्वीकृत एवं कार्य पर स्थित (एम.आई.पी.) पद, निरीक्षणों का लक्ष्य एवं उपलब्धि और अपराधियों के विरूद्ध मामले तैयार किये जाने का विवरण

वर्ष	निरिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या	कार्य पर स्थित निरीक्षकों की संख्या	निरीक्षकों के रिक्त पद	रिक्त पदों का प्रतिशत	प्रति निरीक्षक प्रति माह 250 निरीक्षणों का लक्ष्य अर्थात प्रति निरीक्षक, प्रति वर्ष 3000	वर्तमान निरीक्षकों द्वारा वस्तुतः किये गये निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण किये जाने में हुई कमी	निरीक्षण किये जाने में हुई कमी का प्रतिशत	अपराधियों के विरूद्ध मामले तैयार किये जाने का लक्ष्य प्रति माह 20 अर्थात प्रत्येक के लिए 240 वार्षिक	वर्तमान निरीक्षकों द्वारा तैयार किये गये मामलों की संख्या	मामले तैयार करने में हुई कमी	मामले तैयार करने में हुई कमी का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2000-01	109	73	36	33	219000	176086	42914	20	17520	7824	9696	55
2001-02	109	70	39	36	210000	186221	23779	11	16800	7530	9270	55
2002-03	109	70	39	36	210000	105392	104608	50	16800	6076	10724	64
2003-04	109	90	19	17	270000	123789	146211	54	21600	6555	15045	70
2004-05	109	90	19	17	270000	204729	65271	24	21600	9618	11982	55

परिशिष्ट--XXXIII

(संदर्भः कंडिका 3.1.9.3, पृष्ठ क्रमांक 51)

अपराधियों के विरूद्ध तैयार किये गये मामले, समझौता किये गये और न्यायालय में दायर किये गये मामलों का विवरण

वर्ष	अपराधियों के विरूद्ध तैयार किये गये मामलों की संख्या	समझौता किये गये मामलों की संख्या	अपराधियों से वसूल हुइ राशि (लाख रुपयों में)	विभाग में लंबित मामलों की संख्या	न्यायालय में अपराधियों के विरूद्ध दायर किये गये मामलों की संख्या	निर्णीत मामलों की संख्या			न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या
						दोष सिद्ध	दोष मुक्त	योग	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
2000 01	7824	6649	20.43	1143	32	--	--	--	32
2001-02	7530	6199	23.74	1277	54	--	--	--	54
2002-03	6076	5117	21.45	940	19	--	--	--	19
2003-04	6555	5701	28.60	811	40	3	--	3	37
2004-05	9618	8168	26.85	1423	27	--	--	--	27
योग	**37603**	**31834 (85%)**	**121.07**	**5594 (14.6%)**	**172**	**3**	**--**	**3**	**169**

परिशिष्ट -XXXIV

(संदर्भ कंडिका 3.2.9.1, पृष्ठ क्रमांक 68)

नाम मात्र की शास्ति आरोपित करने से ठेकेदारों को अनधिकृत सहायता

(लाख रुपयों में)

संभाग	अनुबंध क्रमांक	ठेके की संभाव्य राशि	किए गए कार्य का मूल्य	पूर्णता की नियत तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	विलंब के दिन (6-5)	ठेकेदार पर अनारोपणीय विलंब	का.यं. द्वारा अनुशंसित ठेकेदार पर आरोपणीय विलंब (7-8)	कालम 4 के 6 प्रतिशत तक 1/6 प्रतिशत प्रति सप्ताह तक लगाने योग्य शास्ति	वास्तविक रूप से लगाई गई शास्ति		अदेय वित्तीय सहायता (10-12)
										शास्ति का प्रतिशत	शास्ति की राशि	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
होशंगाबाद	106/ 2002-03	196.05	221.49	10-08-2003	31-10-2004	174	निरंक	174	3.43	0.4375 (7/16%)	0.97	2.46
झाबुआ	45/2002-03	242.50	215.12	15-03-2003	12-07-2003	119	निरंक	119	2.29	0.10	0.22	2.07
झाबुआ	46/2002-03	339.00	297.29	15-05-2003	15-08-2003	91	19	72	2.04	0.06	0.18	1.86
झाबुआ	58/2002-03	277.00	292.88	07-06-2003	25-03-2005	651	70	581	15.19	0.75	2.20	12.99
झाबुआ	71/2002-03	477.50	468.63	30-09-2003	30-03-2004	182	30	152	6.44	0.20	0.94	5.50
झाबुआ	41/2001-02	132.47	122.83	23-07-2002	30-12-2002	161	40	121	1.38	0.10	0.12	1.26
झाबुआ	69/2001-02	304.00	324.65	14-09-2003	26-07-2004	315	167	148	4.29	0.20	0.65	3.64
गुना	15/2002-03	107.42	85.95	16-06-2003	25-04-2004	313	69	244	1.88	0.10	0.09	1.79
धार	42/2002-03	300.00	271.80	06-05-2003	05-11-2003	183	90	93	2.38	0.10	0.27	2.11
धार	40/ 2002-03	296.00	255.63	06-05-2003	29-02-2004	269	निरंक	269	6.14	0.10	0.26	5.88
धार	80/ 2001-02	294.32	250.28	13-09-2002	30-04-2003	229	15	214	4.85	0.20	0.50	4.35
धार	23/ 2002-03	166.00	166.29	18-01-2003	16-08-2003	210	निरंक	210	3.12	0.1875 (3/16 %)	0.31	2.81
मंडला	53/2002-03	577.89	621.02	01-10-2003	कार्य प्रगति पर	243	निरंक	243	13.58	1.00	6.21	7.37
दमोह	100/2002-03	472.59	514.01	02-01-2004	15-07-2004	195	निरंक	195	8.95	एकमुश्त (Rs. 20,000)	0.20	8.75
योग												**62.84**

परिशिष्ट-XXXV

(संदर्भः कंडिका 3.3.8.2, पृष्ठ क्रमांक 81)

पहचान किए गए एवं सहायता प्रदत्त हितग्राहियों का विवरण

(संख्या लाख में)

संवर्ग		2000-01			2001-02			2002-03			2003-04			2004-05		
		पहचान किये गये	सहायता प्राप्त	कमी का प्रतिशत	पहचान किये गये	सहायता प्राप्त	कमी का प्रतिशत	पहचान किये गये	सहायता प्राप्त	कमी का प्रतिशत	पहचान किये गये	सहायता प्राप्त	कमी का प्रतिशत	पहचान किये गये	सहायता प्राप्त	कमी का प्रतिशत
गर्भवती एवं धात्री मातायें	दमोह	0.15	0.07	53	0.17	0.09	47	0.16	0.09	44	0.17	0.09	47	0.17	0.08	53
	इंदौर	0.23	0.09	61	0.27	0.15	44	0.24	0.14	42	0.24	0.14	42	0.25	0.14	44
	खण्डवा	0.19	0.09	53	0.29	0.19	34	0.25	0.16	36	0.23	0.13	43	0.22	0.11	50
	मण्डला	0.14	0.12	14	0.21	0.18	14	0.23	0.19	17	0.26	0.23	12	0.25	0.22	12
	मंदसौर	0.11	0.05	55	0.13	0.09	31	0.13	0.08	38	0.13	0.06	54	0.14	0.10	29
	सीहोर	0.19	0.10	47	0.21	0.14	33	0.25	0.16	36	0.20	0.12	40	0.19	0.08	58
	विदिशा	0.14	0.08	43	0.17	0.11	35	0.20	0.14	30	0.23	0.16	30	0.22	0.17	23
6 माह से 6 वर्ष के बच्चे	दमोह	0.77	0.27	65	0.84	0.35	58	0.82	0.37	55	0.87	0.37	57	0.88	0.34	61
	इंदौर	1.10	0.42	62	1.37	0.77	44	1.31	0.75	43	1.28	0.73	43	1.30	0.62	52
	खण्डवा	0.89	0.39	56	1.14	0.62	46	1.12	0.61	46	1.07	0.53	50	1.08	0.44	59
	मण्डला	0.58	0.42	28	0.90	0.66	27	0.93	0.65	30	0.92	0.73	21	0.94	0.73	22
	मंदसौर	0.50	0.20	60	0.60	0.36	40	0.60	0.35	42	0.67	0.32	52	0.80	0.50	37
	सीहोर	0.82	0.42	49	0.92	0.57	38	1.00	0.60	40	0.90	0.51	43	0.90	0.34	62
	विदिशा	0.60	0.34	43	0.79	0.55	30	0.88	0.62	30	0.96	0.66	31	0.93	0.72	23

परिशिष्ट - XXXVI

(संदर्भ कंडिका 4.1.1, पृष्ठ क्रमांक 106)

अतिरंजित मापों के कारण अधिक भुगतान दर्शाने वाला प्रपत्र

(क) अनुबंध क्रमांक 1/2001-02 (आर.डी.कि.मी. 12 से कि.मी. 16)

अनुसूची की मद	कार्य का नाम	पिछले बिल में भुगतान की गई राशि (नौवां चल देयक)	ठेकेदार द्वारा निष्पादित वास्तविक मात्रा	भुगतान की गई अधिक मात्राएं	दर (रुपयों में)	राशि (रुपयों में)
1	कड़ी मिट्टी में खुदाई	203471.820	146324.48	57147.340	20	1142946.8
2	विखंडित/नरम चट्टान की खुदाई (अ)	430150.600	308615.53	121535.070	70	8507454.9
	(ब)	56584.705		56584.705	66.14	3742512.389
3	कड़ी चट्टान की खुदाई (अ)		21.78	7500.000	156.5	1173750
	(ब)	127897.800	66498.28	61399.520	110	6753947.2
					योग (अ)	**21320611.29**
	(ब) अनुबंध क्रमांक 2/2002-03 (आर.डी.कि.मी. 16 से कि.मी.20)					
1	कड़ी मिट्टी में खुदाई	121164.170	108437.35	12726.820	19	241809.58
2	विखंडित/नरम चट्टान की खुदाइ	330789.260	240067.08	90722.180	70	6350552.6
3	कड़ी चट्टान की खुदाई	182394.820	128745.09	-	-	-
					योग	**13030329.78**
					घटाईये 2.5 % छूट	**325758**
					योग (ब)	**12704571.78**
	(स) अनुबंध क्रमांक 3/2002-03 (आर.डी.कि.मी. 25 से कि.मी.33)					
1	कड़ी मिट्टी में खुदाई	1056259.950	1280816	-224556.050	18	-4042008.9
2	विखंडित/नरम चट्टान की खुदाई	499366.050	78835	420531.050	60	25231863
3	कड़ी चट्टान की खुदाई	14748.850	14748.85	-	-	-
					योग	**21189854.10**
					घटाईये 2.3 % छूट	**487366.64**
					योग (स)	**20702484.46**
				योग (अ+ब+स)		**5,47,27,670.53**

रुपये 5.47 करोड़

परिशिष्ट - XXXVII

(संदर्भ कंडिका 4.1.1, पृष्ठ क्रमांक 106)

ठेकेदार को कपटपूर्ण भुगतान दर्शाने वाला प्रपत्र

अनुबंध क्रमांक	सं.	सारांश माप पुस्तक क्र.	मद संख्या	घन मीटर में भुगतान की मात्रा	माप पुस्तक क्र./पृष्ठ संख्या	निष्पादित मात्रा	अंतर	दर (रुपये में)	अधिक भुगतान की राशि (रुपये में)
3/ 2002-03 आर.डी.25 से 33 किलोमीटर	1.	216/47	2	119611.30	26075/90 26077/92 26109/24	11961.395 घ.मी.	107649.905	60	6458954
1/2001 आर.डी. 12 से 16 किलोमीटर.	2	26010/9	2	88991.81	26050/74	85991.62	3000.19	70	210000
	3	26010/6	3(b)	11810	25056/54	7493	4317	110	474870
	4	26010/10	3(b)	18132	26050/74	17782	400	110	44000
	5	26010/11	1	17194.88	26046/	13194	4000.88	20	80017
	6	26010/11	1	43818.36	26056/87	43245	573.36	20	11467
	7	26010/12	3(a)	2572	26056/87	257.22	2314.78	156	362263
	8	26010/12	3(b)	21618	26056/87	21218.9	399.1	110	43901
2/ 2002-03 आर.डी. 16 से 20 किलोमीटर	9	26021/7	2	149437.70	26043/86	148612.9	824.8	70	57736
	10	26021/9	1	6479	26061/18	6469	10	19	190
	11	26021/9	2	16438.39	26061/16	15406	1032.39	70	72267
	12	26021/14	3	9737	माप पुस्तक में दर्ज नहीं	-	9737	120	1168440
	13	26021/32	3	7000	माप पुस्तक में दर्ज नहीं	-	7000	120	840000
							योग		**9824145**

परिशिष्ट - XXXVIII

(संदर्भ कंडिका 4.1.1, पृष्ठ क्रमांक 106)

विकलनीय अतिरिक्त लागत दर्शाने वाला विवरण

मद संख्या	शेष मात्रा	इकाई	नये ठेकेदार को भुगतान योग्य दरें (रुपये में)	मूल ठेकेदार की दरें (रुपये में)	अंतर (रुपये में)	अतिरिक्त लागत (रुपये में)
	किलोमीटर 12 से 16 (अनुबंध क्रमांक 1(2001-2003)					
1	339969.52	घ.मी.	34	20	14	4759573.28
3(ए)	17151.22	घ.मी.	208	156.5	51.5	883287.83
3(बी)	78728.72	घ.मी.	195	110	85	6691941.2
4(ए)	174546	घ.मी.	16	7	9	1570914
5	39682	घ.मी.	60	25	35	1388870
6	38970	घ.मी.	5.5	2.5	3	116910
7	8000	मीटर	12	7.4	4.6	36800
8	2794	घ.मी.	80	50	30	83820
9	16260	घ.मी.	170	65	105	1707300
10	438	घ.मी.	2590	1100	1490	652620
11	326403.71	घ.मी.	35	20.31	14.69	4794870.5
12(ए)	1800	सं.	175	110	65	117000
12(बी)	936	सं.	290	150	140	131040
13	12000	मीटर	3.25	2.72	0.53	6360
14	42190	घ.मी.	6.5	5.49	1.01	42611.9
15	225570	घ.मी.	2.5	2.11	0.39	87972.3
16	3952.702	सं.	1930	750	1180	4664188.36
17	720	घ.मी.	200	172.42	27.58	19857.6
18(ए)	2927	घ.मी.	2230	1100	1130	3307510
18(बी)	17446	घ.मी.	2270	1300	970	6922620
19	346	घ.मी.	1930	950	980	339080
20	28118	घ.मी.	5	15	-10	-281180
21	96291	मीटर	16	5	11	1059201
22	40	घ.मी.	840	1558	-718	-28720
23	1494	घ.मी.	1930	800	1130	1688220
24	25837	घ.मी.	175	80	95	2454515
25(ए)	84	घ.मी.	2520	2200	320	26880
25(बी)	2897.1	घ.मी.	3000	2400	600	1738260
26	2118	घ.मी.	40	35.35	4.65	9848.7
27(ए)	39.5	घ.मी.	150	40	110	4345
27(बी)	7.5	घ.मी.	200	60	140	1050
27(सी)	33.5	घ.मी.	180	80	100	3350
27(डी)	10	घ.मी.	220	100	120	1200
27(ई)	10	घ.मी.	250	120	130	1300
28	1.636	घ.मी.	40000	3570	36430	59599.48
29	34	घ.मी.	480	200	280	9520
30	78	घ.मी.	675	582	93	16554
31	383.6	घ.मी.	150	40	110	42196
32	34360	घ.से.मी.	2	1	1	34360
33	122	घ.मी.	360	5.49	354.51	43250.22
34	35	प्रतिनग	480	100	380	13300
35	0.302	घ.मी.	2300	600	1700	513.4
36	105	घ.मी.	690	4	686	72030
37	28	घ.मी.	40	200	-160	-4480

मद संख्या	शेष मात्रा	इकाई	नये ठेकेदार को भुगतान योग्य दरें (रुपये में)	मूल ठेकेदार की दरें (रुपये में)	अंतर (रुपये में)	अतिरिक्त लागत (रुपये में)
38	2483	घ.मी.	50	19	31	76973
39	528	घ.मी.	50	11.5	38.5	20328
40	151	घ.मी.	360	200	160	24160
41	102	घ.मी.	80	80	0	0
42	50	घ.मी.	140	60	80	4000
43	1500	घ.मी.	60	80	-20	-30000
				योग		**55385720.8**
	किलोमीटर 16 से 20 अनुबंध क्रमांक 2/2003-2003					
1	51086.65	घ.मी.	41	19	22	1123906
2	92906.92	घ.मी.	52	70	-18	-1672325
3(ए)	236393.59	घ.मी.	200	120	80	18911487
4(ए)	9874	घ.मी.	40	40	0	0
4(बी)	52632	घ.मी.	15	4	11	578952
5	129900	घ.मी.	5.75	2	3.75	487125
6	4000	घ.मी.	15	5	10	40000
7	329.75	घ.मी.	300	40	260	85735
8	16418.1	घ.मी.	160	40	120	1970172
9	366.258	घ.मी.	2490	900	1590	582350.2
10	327888.84	घ.मी.	35	18	17	5574110
11(ए)	1752	सं.	200	90	110	192720
11(बी)	937	सं.	350	125	225	210825
12	12465	घ.मी.	310	100	210	2617650
13	42919.21	घ.मी.	6	5.4	0.6	25751.53
14	180802	घ.मी.	14	12	2	361604
15	18.9	घ.मी.	1730	900	830	15687
16	757	घ.मी.	250	172	78	59046
17	2724.13	घ.मी.	1710	850	860	2342752
18	20791.08	घ.मी.	2140	900	1240	25780939
19	30968.11	घ.मी.	5	10	-5	-154840.6
20	93527.32	घ.मी.	13	5	8	748218.6
21(ए)	944.452	घ.मी.	1860	700	1160	1095564
21(बी)	889.968	घ.मी.	1930	700	1230	1094661
22(ए)	2990.04	घ.मी.	2800	1550	1250	3737550
23	23.98	घ.मी.	2400	2200	200	4796
24	744.82	घ.मी.	40	30	10	7448.2
25	270.846	घ.मी.	620	200	420	113755.3
26	465.3	घ.मी.	65	50	15	6979.5
27	0.398	घ.मी.	60000	20000	40000	15920
28	64.26	घ.मी.	450	300	150	9639
29	30	घ.मी.	1200	70	1130	33900
30	110	घ.मी.	700	6	694	76340
31	90.37	घ.मी.	270	200	70	6325.9
32	86.24	घ.मी.	100	80	20	1724.8
33	4880	घ.मी.	90	60	30	146400
34	15.164	घ.मी.	872	900	-28	-424.592
35	361.099	घ.मी.	2040	1200	840	303323.2

मद संख्या	शेष मात्रा	इकाई	नये ठेकेदार को भुगतान योग्य दरें (रुपये में)	भूल ठेकेदार की दरें (रुपये में)	अंतर (रुपये में)	अतिरिक्त लागत (रुपये में)
36	42.984	घ.मी.	130	200	-70	-3008.88
37	100	घ.मी.	190	80	110	11000
38	724	घ.मी.	121	500	-379	-274396
				योग		**66269363**
	किलोमीटर 25 से 33 (अनुबंध 3/2002-2003)					
1	114691.3	घ.मी.	37.5	18	19.5	2236480.4
2	485075.39	घ.मी.	60	60	0	0
3	68526.15	घ.मी.	65	180	-115	-7880507.3
4(ए)	12459	घ.मी.	35	20	15	186885
4(बी)	796652	घ.मी.	10	1	9	7169868
5	261521	घ.मी.	6	1	5	1307605
6	15500	घ.मी.	10	5	5	77500
7	6419.88	घ.मी.	100	35	65	417292.2
8	30648.82	घ.मी.	200	35	165	5057055.3
9	851.196	घ.मी.	2600	900	1700	1447033.2
10	687739.72	कि.ग्रा.	29	17	12	8252876.6
11(ए)	3600	सं.	175	90	85	306000
11(बी)	1868	सं.	275	125	150	280200
12	21979.2	व.मी.	265	50	215	4725528
13	86266.6	व.मी.	8	5	3	258799.8
14	348766.56	व.मी.	13	10	3	1046299.7
15	11946.96	व.मी.	2100	700	1400	16725744
16	1680	सं.	190	55	135	226800
17(ए)	218	घ.मी.	1800	1250	550	119900
17(बी)	107	घ.मी.	2100	1350	750	80250
18	39690.32	घ.मी.	2050	800	1250	49612900
19	55633.82	घ.मी.	25	10	15	834507.3
20	186056	घ.मी.	14	5	9	1674504
21	1804	घ.मी.	2100	700	1400	2525600
22(इ)	3720	घ.मी.	2700	1050	1650	6138000
22(ई)	127	घ.मी.	1800	1300	500	63500
23	2200	घ.मी.	30	30	0	0
24	246	व.मी.	600	200	400	98400
25	3.55	मी.ट.	40000	22000	18000	63900
26	264	व.मी.	350	200	150	39600
27	160		600	6	594	95040
28	63	घ.मी.	200	200	0	0
29	150	सं.	150	60	90	13500
30	176	घ.मी.	350	125	225	39600
31	28	सं.	100	150	-50	-1400
				योग		**10323926**
	कि.मी. 42 से 50 (अनुबंध 1/2002-2003)					
1	314850.3	घ.मी.	30	30	0	0
2	56316.21	घ.मी.	90	70	20	1126324.2

मद संख्या	शेष मात्रा	इकाई	नये ठेकेदार को भुगतान योग्य दरें (रुपये में)	मूल ठेकेदार की दरें (रुपये में)	अंतर (रुपये में)	अतिरिक्त लागत (रुपये में)
3	9249.41	घ.मी.	110	180	-70	-647458.7
4(ए)	165595.13	घ.मी.	63	40	23	3808688
4(बी)	253801.03	घ.मी.	18	7	11	2791811.3
5	8065.08	घ.मी.	81	25	56	451644.48
6	269980.066	घ.मी.	4	4	0	0
7	16000	घ.मी.	12	5	7	112000
8	6521.24	घ.मी.	200	50	150	978186
9	32109.88	घ.मी.	150	50	100	3210988
10	862.46	घ.मी.	2700	1100	1600	1379936
11	510346.37	कि.ग्रा.	30	19	11	5613810.1
12(ए)	3600	सं.	90	110	-20	-72000
12(बी)	1868	सं.	170	200	-30	-56040
13	22832.54	मीटर	360	200	160	3653206.4
14	85402.63	व.मी.	9	8	1	85402.63
15	386805.59	व.मी.	15	12	3	1160416.8
16	10668.506	घ.मी.	1800	900	900	9601655.4
17	1680	सं.	300	172	128	215040
18(ए)	73.66	घ.मी.	2700	1200	1500	110490
18(बी)	20.96	घ.मी.	2700	1400	1300	27248
19	40006.171	घ.मी.	2050	1050	1000	40006171
20	58746.31	घ.मी.	30	10	20	1174926.2
21	185177.3	मीटर	18	5	13	2407304.9
22	35	सं.	207	1200	-993	-34755
23	4385	व.मी.	1800	800	1000	4385000
24	25587	व.मी.	140	150	-10	-255870
25(ए)	3884.36	घ.मी.	2800	1600	1200	4661232
25(बी)	0.875	घ.मी.	2700	1500	1200	1050
26	5921.39	घ.मी.	30	35	-5	-29606.95
28	0.59	व.मी.	38000	6000	32000	18880
29	13.4	मीटर	1200	200	1000	13400
30	212.588	व.मी.	70	200	-130	-27636.44
31	70.63	व.मी.	360	300	60	4237.8
32	268.2	मीटर	700	10	690	185058
33	61.68	घ.मी.	250	200	50	3084
34	32.56	घ.मी.	540	500	40	1302.4
35	44	सं.	180	80	100	4400
36	461.75	घ.मी.	360	125	235	108511.25
37	58	मीटर	150	125	25	1450
38	0.8	मी.ट.	45000	22000	23000	18400
39	204.49	व.मी.	45	1100	-1055	-215736.95
				योग		**85982151**
	विकलनीय अतिरिक्त लागत का सार					
		1	कि.मी. 12 से 16	अनुबंध क्रमांक 1	2001-02	55385721
		2	कि.मी. 16 से 20	अनुबंध क्रमांक 2	2002-03	66269363
		3	कि.मी. 25 से 33	अनुबंध क्रमांक 3	2002-03	103239261
		4	कि.मी. 42 से 50	अनुबंध क्रमांक 2	2001-02	85982151
				योग		**310876496**

परिशिष्ट - XXXIX

(संदर्भः कंडिका 4.4.2, पृष्ठ क्रमांक 123)

आर्थिक सहायता की दर/भुगतान को दर्शाने वाली केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की सूची

क्रमांक	योजना का नाम	अवयव	इकाई	ग्राह्य दर प्रति इकाई (रुपये)	भुगतान की गई आर्थिक सहायता		ग्राह्य राशि	अधिक राशि ग्राह्य (लाख रुपयो में)
					इकाई संख्या	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन एम.पी.एच.-01	क्षेत्र विस्तार						
		(क) कंद किस्म	0.2 हैक्टेयर	10,000	266	35.335	26.60	8.735
		(ख) बीज किस्म	0.2 हैक्टेयर	20,000	570	16.365	11.40	4.965
		(ग) शिल्प किस्म	0.2 हैक्टेयर	7500	142	16.250	10.65	5.6
		सुरक्षित पैदावार के लिए सहायता/शेड निवल	एक शेड निवल	25,000	4	2.0	1.0	1.0
		कृषकों को परीक्षण	एक समूह	25,000	7	3.50	1.75	1.75
								22.05
2.	औषधीय एवं सुवासित पौधों की कृषि एम.पी.एच.-02	कृषकों को प्रशिक्षण	प्रति समूह पचास	25,000	8.5	4.25	2.12	2.13
								2.13
3.	शाक बीजों की आपूर्ति एवं उत्पादन एम.पी.एच.-06	उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार-एकीकृत नाशी कीट प्रबंधन	एक हैक्टेयर	750	155.5	2.336	1.16	1.176
		स्थानांतरण तकनीकी प्रथम पंक्ति-कृषकों का प्रशिक्षण	नहीं	750	985	12.235	7.387	4.848
		पश्च उपज प्रबंधन	नहीं					
		प्याज भण्डारण ढांचे का निर्माण		25,000	14	7.46	3.5	3.96
								9.984
4.	फलों का एकीकृत विकास एम.पी.एच.-08	क्षेत्र विस्तार-आम						
		(क) नवीन पौधरोपण वर्ष	एक हैक्टेयर	2500	1761.85	83.263	44.046	39.217
		(ख) संधारण प्रथम वर्ष	एक हैक्टेयर	750	152.0	2.5155	1.140	1.375
		(ग) संधारण द्वितीय वर्ष	एक हैक्टेयर	750	38.00	0.573	0.285	0.288
		(घ) संधारण तृतीय वर्ष	एक हैक्टेयर	1000	23.50	0.395	0.235	0.160

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		अमरूद						
		(क) नवीन पौधरोपण वर्ष	एक हैक्टेयर	1750	1133.775	36.337	19.841	16.496
		(ख) संधारण प्रथम वर्ष	एक हैक्टेयर	525	10.00	0.102	0.052	0.05
		(ग) संधारण द्वितीय वर्ष	एक हैक्टेयर	525	26.00	0.273	0.136	0.137
		नीबू समूह						
		(क) नवीन पौधरोपण वर्ष	एक हैक्टेयर	1750	1351.15	43.47	23.645	19.825
		(ख) संधारण प्रथम वर्ष	एक हैक्टेयर	525	300.00	4.074	1.575	2.499
		(ग) संधारण द्वितीय वर्ष	एक हैक्टेयर	525	199.00	2.0785	1.04	1.0385
		(घ) संधारण तृतीय वर्ष	एक हैक्टेयर	700	166.25	2.252	1.163	1.089
		आंवला						
		(क) नवीन पौधरोपण वर्ष	एक हैक्टेयर	1750	2677.58	87.728	46.857	40.871
		(ख) संधारण प्रथम वर्ष	एक हैक्टेयर	525	123.50	1.335	0.648	0.687
		(ग) संधारण द्वितीय वर्ष	एक हैक्टेयर	525	1.00	0.01	0.005	0.005
		चीकू						
		(क) नवीन पौधरोपण वर्ष	एक हैक्टेयर	2500	36.50	1.83	0.91	0.92
		(ख) संधारण प्रथम वर्ष	एक हैक्टेयर	750	25.10	0.379	0.188	0.191
		(ग) संधारण द्वितीय वर्ष	एक हैक्टेयर	1000	3.00	0.06	0.03	0.03
								124.878
	महायोग							**159.04**

परिशिष्ट XL

(संदर्भ कंडिका 4.4.8., पृष्ठ क्रमांक 129)

पहले एवं दूसरे निविदाकारों की तुलना दर्शाने वाला विवरण

				मैं. एस.के. जैन (अनुबंध क्र. 1/01-02)			मैं. शिव स. द्वितीय न्यूनतम राश	
क्र.	कार्य की मद	अनुमानित मात्रा	दर	निष्पादित मात्रा	दर	भुगतान की गई राशि	दर	राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	भाग 1 मिट्टी का कार्य							
1.	सभी प्रकार की भूमि में उत्खनन	64084.35	39.93	102674.80	20	2053496	47	4825716
2.	नरम/विखंडित चट्टान में खुदाई	30081.72	57.17	52871.217	20	1057424	67	3542371
3.	कड़ी चट्टान में खुदाई	10516.93	130.70	505.48	20	11010	67	33867
4.	मिट्टी	279265.72	28.70	166506.88	17	2830617	37	6160754
5.	चैनेज कम बाउण्ड्री स्टोन का प्रदाय	4715 सं.	170.50	2185 Nos.	100	218500	77	168245
6.	बेड ग्रेड स्टोन का प्रदाय	705 सं.	161.50	--	100	--	77	--
	भाग ख संरचनाएं							
7.	सभी प्रकार की भूमि में उत्खनन	61185.50	17.89	21496.213	20	429924	37	795359
8.	नरम/विखंडित चट्टान में खुदाई	13577.18	64.87	9505.76	20	190115	77	731943
9.	कड़ी चट्टान में खुदाई	1323.70	130.69	276.427	20	5529	150	41464
10.	प्रदाय/बिछाना सी.सी. 1:3:6 40 एम एम मेटल	14436.303	1260.02	18767.00 174.518	1699 123.60	31885133 216333	1157	21915336
11.	प्रदाय/बिछाना एम 15 काक्रीट (20 एम एम मेटल)	348.471	1599.10	108.304	2000	216608	2000	216608
12.	निर्माण कार्य की नींव भरना	6501.91	25.30	4125.93 86.38	25 2000	103148 172760	27	11 400
13.	प्रदाय/रखना सी.सी. 15 (20 एम एम मेटल)	66.451	1684.41	79.454	1656	131576	3000	497502
14.	प्रदाय/लगाना एन.पी. 3 ह्यूम पाइप (अ) 1200 एम.एम.	829.00 आर.एम	2555.75	774.6 m	3000	2323800	1800	1394280
	(ब) 600 एम.एम.	262.50 आर.एम	2465.85	750.50 m	2000	1501000	1200	900600
	(स) 1000 एम एम.	--	--	112.50 m	2000	225000	1200	135000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
15.	ए.सी.पाइप प्रदाय/लगाना (अ) 100 एम.एम.	1407.11 आर.एम	84.27	227.40 m	50	11371	27	6139
	(ब) 150 एम.एम.	38.90 आर.एम	122.05	27.90	125	3487	25	697
16.	प्रदाय/बिछाना ड्राय स्टोन पिचिंग	802.22	416.27	1712.835	400	685134	47	80503
17.	बनाना, प्रदाय एवं लगाना डब्ल्यू.टी. कॉस्ट आयरन गेट	11.04 एस.क्यू.एम	33328.98	9.266 sqm	35000	324310	2000	18532
18.	प्रदाय /लगाना स्टील कोल्ड वर्क	124855.77 कि.ग्रा.	21.42	155270.57	21	3260682	21	3260682
19.	प्रदाय / भरना 12 एम.एम. प्रिमोल्डेड फिलर	21.179 एस.क्यू.एम	303.79	27.53 8.42	400 298	11012 2524	100	3600
20.	प्रदाय/लगाना ड्रेस्ड कट स्टोन	364 संख्या	216.47	96	200	19200	437	41952
21.	प्रदाय बिछाना 80 एम.एम. डब्ल्यू.बी.एम. रोड	836.36	160.71	520.339	450	234152	387	201371
22.	प्रदाय/बिछाना ग्रेडेड स्टोन पिचिंग	302.269	565.64	264.28	450	118926	47	12421
23.	प्रदाय / लगाना एन.पी.- 2 150 एन.एम. ह्यूम पाइप कलोबा स्ट्रक्चर के लिए	894.00 एम	376.51	1162.20 533.80	700 370	813540 197725	500	848000
	योग			**1996.00**		**49254036**		**45944342**

49254036 रुपये -4594434 रुपये = 33,09,69, 33.10 लाख रुपये

परिशिष्ट-XLI

(संदर्भः कंडिका 4.5.1, पृष्ठ क्रमांक 130)

चूककर्ता औद्योगिक इकाइयों से वसूली योग्य आर्थिक सहायता एवं ब्याज की राशि को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(लाख रुपयो में)

क्रम संख्या	मालनपुर की औद्योगिक इकाई का नाम	उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक	उत्पादन का बंद करना	संस्वीकृत आर्थिक सहायता की राशि	आर्थिक सहायता के भुगतान का विवरण		ब्याज-गणना के लिए ली गई समयावधि (माह) (मार्च 2005 तक)	ब्याज की राशि @ 18% प्रतिवर्ष	कुल वसूली योग्य राशि (आर्थिक सहायता+ब्याज)
					भुगतान का दिनांक	राशि			
1	महादेव फैरो एलायज	10-06-92	9/96	5.00	26-5-92 26-12-92	4.25 0.75	154 147	9.82 1.65	16.47*
2	टेक्नोटाइट प्रायवेट लिमिटेड	10-12-92	01-01-97	2.26	2-02-95	2.26	122	4.14	6.40*
3	शारदा एल्यूमिनियम	01-04-93	6/97	4.78	15-10-91 5-10-93 10-11-93	3.31 0.58 0.89	161 138 137	7.99 1.20 1.83	15.80*
4	एलवा इंजीनियरिंग	17-05-93	4/97	5.00	25-06-92 23-08-95	4.25 0.75	153 115	9.75 1.29	16.04*
5	अंजली कूलर्स	01-04-93	2/98	4.74	04-02-93 31-07-93 10-11-93	2.69 1.17 0.88	146 140 137	5.89 2.46 1.81	14.90
6	एपी फोम्स	10-04-92	8/96	5.00	15-10-91	5.00	161	12.08	17.08#
7	अरविंद केमीकल्स	06-05-96	8/99	5.00	08-05-97	5.00	95	7.13	12.13$
8	शिवशक्ति रबर प्रायवेट लिमिटेड	29-01-2000	1/02	5.00	09-10-2000	5.00	54	4.05	9.05
9	मीरा इंजीनियरिंग	21-01-2000	1/02	2.04	25-10-2000	2.04	53	1.62	3.66
				38.82		**38.82**		**72.71**	**111.53**

---

* राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जनवरी 2003 में जारी किया गया।

\# राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जून 2003 में जारी किया गया।

$ राजस्व वसूली प्रमाणपत्र नवम्बर 2004 में जारी किए गए।

परिशिष्ट -XLII

(संदर्भ कंडिका 4.5.3., पृष्ठ क्रमांक 133)

आई आर सी 37 के अनुसार लचकदार पटरी का रूपाकंन

रूपांकन के आंकड़े

(i)	मध्यवर्ती लाइन	5.5. मीटर चौड़ाई
(ii)	आंरभिक यातायात दोनो ओर का योग	156 वाणिज्यिक मोटर यांन/ प्रतिदिन
(iii)	वार्षिक वृद्धि की दर	7.5 प्रतिशत
(iv)	रूपांकित जीवन काल	15 वर्ष
(v)	आई.आर.सी 37 की कंडिका 3.2.3.3 के अनुसार वाहन क्षति गुणांक	2.25
(vi)	सब ग्रेड की रूपांकित सी.बी.आर	2 प्रतिशत
(vii)	विद्यमान भाग की पपड़ी की मोटाई	250 मि.मी.

रूपांकन गणना

(i)	रूपांकित लाइन में प्रारंभिक यातायात (आरंभिक यातायात X वितरण गुणांक) आई आर सी 37 की कंडिका 3.2.3.2 के अनुसार	156 X 15 = 234 वाणिज्यिक यान / प्रतिदिन
(ii)	संचयी मानक एक्सल तुल्यांक कंडिका 3.2.3.1 के अनुसार सूत्र का उपयोग करके एन.एस. 365 X 234{(1+7.5) 15 -1} 7.5X2.35:304913 अथवा 30 लाख मानक एक्सल	3.0 एम.एस.ए.
(iii)	आई.आर.सी. 37 के चित्र 1 के अनुसार 2 प्रतिशत सी.बी.आर. के लिए पपड़ी की मोटाई एवं 3 एम.एस.ए यातायात	760 मि.मी.
(iv)	चौड़े किए गए भाग में वास्तविक रूप से डाली गई पटरी की परत की मोटाई	600 मि.मी.
(v)	विद्यमान भाग में डाली गई परत की मोटाई	50 मि.मी.
(vi)	चौड़े किए गए भाग में परत की मोटाई में न्यूनता (कमी)	160 मि.मी.
(vii)	250 मि.मी. की मोटाई में न्यूनता	460 मि.मी.

परिशिष्ट- XLIII

(संदर्भः कंडिका 4.5.5, पृष्ठ क्रमांक 135)

नामांकित अनुसूचित जनजाति छात्रों के वर्षवार विवरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्रक

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	2000-01			2001-02			2002-03			2003-04			2004-05		
		कुल नामांकन	नामांकित अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत	कुल नामांकन	नामांकित अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत	कुल नामांकन	नामांकित अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत	कुल नामांकन	नामांकित अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत	कुल नामांकन	नामांकित अनुसूचित जनजाति	प्रतिशत
	सहायक आयुक्त, जनजाति विकास, जबलपुर															
1	न्यू अमर ज्योति सतना	451	320	70	468	253	54	383	271	71	281	205	73	383	271	71
2	आदिवासी महासंघ, जबलपुर	490	200	41	571	297	52	395	218	55	531	286	53	395	218	55.18
3	गंगा मैया शिक्षा समिति जबलपुर	307	203	66	302	216	71.52	299	170	56.85	305	198	68	267	170	56.86
	सहायक आयुक्त, जनजाति, छिन्दवाड़ा															
4	ग्राम कल्याण सेवा समिति सोनपुर छिंदवाड़ा							616	444	72.07	633	453	71.56	692	485	70.08
5	जय ग्रामोत्थान शिक्षा समिति रामबाग छिन्दवाड़ा							80	40	50	129	60	46.51	130	57	43.84